सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना
वर्ष : 2002-2007
वार्षिक कार्य योजना एवं बजट
2003-04

जनपद - महराजगंज

अनुक्रमणिका

क्र0सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	जनपद का परिचय	
2	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	
3	योजना निर्माण प्रक्रिया	
4	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	
5	समस्यायें एवं रणनीतियाँ	
6	शिक्षा की पहुँच का विस्तार (औपचारिक विद्यालय)	
7	शिक्षा की पहुँच का विस्तार (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	
8	ठहराव में वृद्धि हेतु कार्यक्रम	
9	शैक्षिक गुणवत्ता सम्बर्द्धन एवं अकादमिक क्षमताओं का विकास	
10	परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण	
11	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (2002—07)	
12	बजट सारांश	
13	वार्षिक वजट 2003—04	

अध्याय 1
जनपद का परिचय

स्थिति एवं विस्तार:-

महराजगंज जनपद का गठन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 1989 को जनपद गोरखपुर के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। जनपद महराजगंज प्रदेश के पूर्वोत्तर कोने पर स्थित है जिसका अक्षांशीय विस्तार 26^0 53' 42" उत्तरी से 27^0 26' 0" उत्तरी तथा देशान्तरीय विस्तार $83^0$6' पूर्वी से 83^0 56' 30" पूर्वी के मध्य है। जनपद की सम्पूर्ण उत्तरी सीमा नेपाल राष्ट्र द्वारा निर्मित होती है। जनपद के उत्तर पश्चिम में नेपाल का भैरहवां जनपद व उत्तर में नवलपरासी जनपद स्थित है। इसके उत्तर-पूर्व में विहार प्रान्त का पश्चिमी चम्पारण, पूर्व में कुशीनगर, दक्षिण में गोरखपुर, दक्षिण-पश्चिम में सन्तकवीर नगर एवं पश्चिम में सिद्धार्थनगर जनपद अवस्थित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने के कारण जनपद की भौगोलिक स्थिति कई दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2934.1 वर्ग कि0मी0 है।

जनपद महराजगंज के नामकरण के विषय में इतिहासविदों का अभिमत है कि "देवदह" (भगवान बुद्ध का ननिहाल) के महराज <u>अंजन</u> जिनके दौहित्र (नाती) भगवान बुद्ध थे का विवरण पालि ग्रन्थों में मिलता है। महाराज अंजन की गणभूमि ही कालान्तर में अपभ्रंसित होकर महराजगंजन-महराजगंज हुआ। एक अन्य विचार के अनुसार फारसी भाषा में गंज शब्द बाजार, मण्डी, भण्डार, खजाना इत्यादि अर्थो में प्रयुक्त होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देवदह व रामग्राम (बुद्ध की ससुराल) क जनपद महराजगंज में पाया जाना अति महत्वपूर्ण है जिसका सर्वेक्षण /पहचान कार्य अभी तक पूरा नही हो पाया है।

महाभारत काल में पाण्डवों के द्वारा अपने अज्ञातवास के दौरान फरेन्दा तहसील के आद्रवन ग्राम में स्थापित लेहड़ा दुर्गा मन्दिर आज पूर्वाचल के लोगों का श्रद्धा एवं भक्ति का केन्द्र बना है। इसीप्रकार कटहरा और इटहियां का पंचमुखी शिवमन्दिर आज मिनी बैजनाथ धाम के रूप में विख्यात है।

<u>जनसंख्या:-</u> 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद महराजगंज की कुल जनसंख्या 1676378 थी जिसमें पुरूषों की संख्या 878048 तथा महिलाओं की संख्या 798330 थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 2167334 हो गयी है। इसमें पुरूषों की संख्या 1135183 तथा महिलाओं की संख्या 1032151 है। इस प्रकार विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में 29.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ब्लाकवार जनसंख्या विवरण निम्नांकित है:-

सारणी 1

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	1991 की कुल जनसंख्या			2001 की कुल जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	महराजगंज	69378	64604	133982	89698	83526	174524
2	मिठौरा	79322	73330	152652	102555	94808	197363
3	निचलौल	83538	75448	159006	108006	97546	205552
4	सिसवा	68885	62632	131517	89061	80976	170037
5	घुघली	68034	62928	130962	87961	81359	169320
6	परतावल	79796	75384	155180	103168	97463	200631
7	पनियरा	73952	67352	141304	95612	87079	182691
8	फरेन्दा	61265	54096	115361	79209	69940	149149
9	धानी	28120	25120	53250	36356	32477	68833
10	बृजमनगंज	67593	60454	128147	87390	78159	165549
11	लक्ष्मीपुर	69238	62392	131630	89517	80666	170183
12	नौतनवां	77741	70104	147845	100511	90637	191148
13	नगरीय	44102	38815	82917	57019	50183	107202
14	बनग्राम	7054	5671	12725	9120	7332	16452
	योग-	878048	798330	1676378	1135183	1032151	2167334

(स्रोत :-सांख्यिकी पत्रिका के आधार पर)

कुल आवादी की दृष्टि से विकास खण्ड-निचलौल सर्वाधिक आबादी वाला तथा सबसे कम आबादी वाला विकास खण्ड धानी है।

<u>प्रशासनिक व्यवस्था :-</u> प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनपद को चार तहसीलों को महराजगंज, नौतनवा, फरेन्दा व निचलौल मे विभक्त किया गया है। जिनकी जनपद मुख्यालय से दूरी क्रमश: शून्य, 74कि0मी0,30कि0मी0 तथा 25कि0मी0 है।

जनपद में कुल कुल 12 विकासखण्ड है जिनमें स्थित न्याय पंचायतों, ग्राम पंचायतों, राजस्व ग्राम एव गैर आबाद ग्रामों की विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	न्याय पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या	गैर आबाद गावो की संख्या	योग
1	महराजगंज	8	58	79	5	230
2	मिठौरा	10	77	104	6	265
3	निचलौल	10	80	166	17	403
4	सिसवा	9	66	96	3	276
5	घुघली	8	63	78	0	243
6	परतावल	9	76	102	5	407
7	पनियरा	9	65	88	4	268
8	फरेन्दा	9	60	95	3	195
9	बृजमनगंज	8	52	90	2	273
10	धानी	3	18	32	8	78
11	लक्ष्मीपुर	10	78	133	7	435
12	नौतनवां	9	84	122	0	407
योग		102	777	1185	60	2470
13	वनग्राम	-	-	22	-	22
महायोग		102	777	1207	60	3492

(स्रोत: - सांख्यिकी पत्रिका के आधार पर)

नगरीय क्षेत्र: -

नगरपालिका परिषद :- 2

नगर पंचायत परिषद :- 4

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में कुल 102 न्याय पंचायतों में 777 ग्राम पंचायतें और 1207 राजस्व ग्राम है, गैर आबादी वाले राजस्व ग्राम संख्या 60 है। इन्ही गैर आबाद स्थिति वाले ग्रामों में 22 वनग्राम हैं ये वन ग्राम वनों के बीच स्थित हैं और वन ग्राम में रहने वाले समुदाय को वनटांगिया समुदाय कहते हैं।

भूगर्भिक संरचना:- सम्पूर्ण जनपद विभिन्न नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ऐसी संरचना में खनिज संसाधनों का प्राय: अभाव रहता है। जो खनिज संसाधन उपलब्ध भी है उनका आर्थिक महत्व नगण्य है। कंकड़, ईट, मिट्टी एवं लवण युक्त चट्टान ही यहॉ के प्रमुख खनिज संसाधन है। नौतनवां के आस-पास खनिज तेल होने की संभावना व्यक्त की गयी है।

जलवायु:- महराजगंज जनपद अक्षांशीय दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध का एक क्षेत्र अवश्य है किन्तु हिमालय पर्वत की निकटता जनपद की जलवायु को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है।

वर्षा:- द०प० मानसूनं इस क्षेत्र में मध्य जून से सितम्बर के अन्त तक सक्रिय रहता है। यहॉ की औसत वर्षा 1393.1मि०मी० है जिसका 87 प्रतिशत भाग मानसून काल में प्राप्त होता है।

प्राकृतिक वनस्पति:- जनपद तुलनात्मक दृष्टि से अब भी वनस्पतियों से पर्याप्त (11.59प्रतिशत) आच्छादित है। वन सम्पदा अब भी जनपद के आर्थिक आधार को मजबूती प्रदान करती है। यहॉ की वनस्पतियों में वृक्ष, घासें आदि प्रमुख है। इनका वर्णन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है।

1:- सुरक्षित वन

2:- खुले वन

3:- खुले एवं छोटे वृक्ष एवं लम्बी घासें

4:- लम्बी घासें

5:- छोटी घासें

कृषि एवं फसलें:- खेती की दृष्टि से जनपद महराजगंज की मिट्टी काफी उपजाऊ है और यहॉ पर प्राकृतिक/अप्राकृतिक सिंचाई की सुविधा होने के कारण जनपद को उत्तर प्रदेश की " मिनी पंजाब" का गौरव प्राप्त है। यहॉ धान और गेहूँ का रिकार्ड उत्पादन (कुछ विकास खण्डों को छोड़कर) पूरे जनपद को प्राप्त है। इसके अलावा जनपद में जौ,ज्वार,बाजरा,मक्का,मसूर,चना,मटर, अरहर,मूँगफली,मूँग,गन्ना तथा आलू की फसलें पैदा होती है।

औद्योगिक भू-दृश्य:- जनपद के औद्योगिक इतिहास का प्रारम्भ सन् 1920 में चीनी मिल की स्थापना के साथ प्रारम्भ होता है। इस श्रृंखला में 1920 पंजाब चीनी मिल लि० घुघली, 1931 में महाबीर चीनी मिल्स लि० सिसवां तथा 1932 में गणेश सुगर मिल्स आनन्द नगर की स्थापना हुई सम्प्रति घुघली एवं आनन्द नगर की चीनी मिलें बंद हो चुकी है। जबकि नवीनीकरण कर दिये जाने के कारण सिसवां की चीनी मिल से अब भी उत्पादन हो रहा है। चीनी मिलों की श्रृंखला में निजी क्षेत्र में स्थापित

नवीनतम मिल जे0बी0एच0 सुगर कार्पोरेशन गड़ौरा (निचलौल- ठूठीबारी के मध्य) ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। जनपद में कई अन्य मध्यम एवं लघु स्तरीय उद्योग स्थापित अवश्य हुये किन्तु अनुकूल औद्योगिक वातावरण न मिलने के कारण इनमें से कई बंद भी हो गये। सम्प्रति महराजगंज-गोरखपुर मार्ग पर छपियां के निकट तरकुलवा तिवारी के पास एक औद्योगिक संश्लिष्ट उभर रहा है, जिसमें मैदा, दाल, साल्वेंटी प्लांट आदि के कारखाने प्रमुख हैं। जनपद में यत्र-तत्र कई राईस मिलें एवं दाल मिलें लगी हुई है। यहाँ कृषि एवं वन उपजों पर आधारित उद्योगों के विकास की संभावना प्रबल है।

लघु औद्योगिक आस्थान:- अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलने के उद्देश्य से सरकार ने जिलों लघु औद्योगिक आस्थान की स्थापना की योजना-बनायी, लेकिन महराजगंज जनपद में यह योजना पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है।

व्यवसाय :- यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कुल कियाशील जनसंख्या का 61.4 प्रतिशत भाग कृषि कार्य एवं 27.5 प्रतिशत भाग कृषि श्रमिक के रूप में जीविकोपार्जन करते हैं, व्यावसायिक संरचना की दृष्टि से व्यापार एवं वाणिज्य तीसरे स्थान पर अर्थात कुल कियाशील जनसंख्या का 3.1 प्रतिशत जनसंख्या संलग्न है। इस प्रकार शेष 8 प्रतिशत ही लोग पशुपालन, जंगलरोपण, उद्योग, निर्माण एवं सेवा कार्य में लगे हैं।

यहाँ का कुल क्षेत्रफल का लगभग 71 प्रतिशत भाग कृषिगत है। नारायणी नदी से नहरें निकालकर सिंचाई की सुविधा प्रदान की गयी है। जनपद में पड़ने वाले नहरों की कुल लम्बाई 884कि0मी0 है। इसके अतिरिक्त राजकीय नलकूप तथा व्यक्तिगत नलकूपों एवं पंपिग सेटों जिनकी संख्या कमश: 247, 218एवं 78 है, के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। 1993-94 में कुल 139हजार हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्र था, जो शुद्ध बोये क्षेत्रफल का 67.5प्रतिशत था। अच्छी मृदा पर्याप्त सिंचाई की सुविधा, उर्वरकों एवं कीटनाशी रसायनो के प्रयोग आदि के कारण जनपद में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन हो रहा है। मुद्रादायिनी फसलों में गन्ना यहां की प्रमुख फसल है। मिलों को गन्ना आपूर्ति की निरन्तर समस्या के चलते कृषकों का झुकाव गन्ने की पैदावार की तरफ कम हो रहा है।

सांस्कृतिक परिदृश्य:- जनपद महराजगंज के सांस्कृतिक धरोहर की जड़े बौद्ध काल से लेकर सिंधु कालीन सभ्यता तक फैली हुई प्रतीत होती है। जनपद से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमाएं इस क्षेत्र की संस्कृति के प्रागैतिहासिक होने का प्रमाण है।

संगीत एवं नृत्य:- जनपद में लोक नृत्य एवं लोक संगीत की मोहक परम्परा यहां के जनमानस को निरन्तर उल्लसित करती है। आल्हा, कजरी, बिरहा, लोरिकायन, सोरठी, कृजाभार तथा बसन्त गीत यहां के लोक संगीत की प्रमुख विधा रही है। लोक नृत्यों में कठघोड़वा, इनरारानी(चमरउवा), थरूवा, कहरउवा, धोबिअउवा, पचगोइयां, सकेड़ा, चीरो, फरूवाही,झम्मड़, बिरहा और बिदेसिया आदि यहां की प्रधान लोक कलाएं है। वाद्य यन्त्रों में मृदंग, तुरही, कसावरि, नगाड़ा, टंकी, तबला, दण्डताल, सिंगी,

करताल, हुड़का, सफेड़ा, सारंगी आदि का प्रयोग उपरोक्त लोक कलाओं को प्रभावी बनाने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। ये सभी विधायें प्रायः नृत्य संगीत प्रधान हैं। वर्तमान में उपरोक्त लगभग समस्त लोक विधायें अन्तिम सांस ले रही है, जिनके संरक्षण की महती आवश्यकता है।

पुरातात्विक परिदृश्यः- 1991 में महराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर ब्लाक में स्थित बनरसिया कला के स्तूप का भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की पटना इकाई द्वारा आंशिक उत्खनन करने के पश्चात जारी की गयी रिर्पोट में इसके मृद भाण्ड के भी टुकड़े मिले हैं।

वन आच्छादित क्षेत्रः-हिमालय पर्वत के निकट होने के कारण जनपद-महराजगंज में अपार वन एवं जल सम्पदा है। जल सम्पदा के आधार पर जनपद में वन आसानीं से पनपते हैं जो पूर्णतया प्राकृतिक होते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली सभी छोटी-बड़ी नदियां इन वनों के बीच से गुजरती हैं। यहां के प्राकृतिक वनों में साखू, सागौन, शीशम, खैर और जामुन आदि के वृक्ष मुख्य रूप से पाये जाते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां भी इन जंगलों में पाई जाती है। जनपद में पड़ने वालों वनों को सुरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। जनपद के 39320.9 हेक्टेयर क्षेत्र में वन हैं । इन वनों में लकड़बग्घा, सियार, चीतल, नीलगाय, मोर, खरगोश, बंदर आदि विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षी पाये जाते हैं।

परिवहन :- जनपद को रेलमार्गो तथा सड़कों दोनो की सुविधा प्राप्त है। एक रेलवे लाईन कप्तानगंज(कुशीनगर जनपद) जंक्शन से निकल कर जनपद की सीमा से होती हुई गण्डक नदी को पारकर बगहा, नरकटियागंज होती हुई मुजफ्फरपुर को जाती है। इसी रेलवे लाइन पर जनपद के घुघली एवं सिसवां जैसे प्रमुख स्टेशन स्थित है। दूसरी रेलवे लाइन आनन्द नगर जंक्शन से होती हुई नौतनवां तक तथा एक लूप लाइन आनन्द नगर जंक्शन से ही बृजमनगंज होती हुई गोण्डा निकल जाती है परन्तु जनपद मुख्यालय से कम से कम 22कि0मी0 दूर है।

जनपद में दो प्रमुख पक्की सड़कें उत्तर-दक्षिण दिशा में विस्तृत है। एक सड़क गोरखपुर- सोनौली राजमार्ग के रूप में है। जो अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सडक है, क्योंकि इसी मार्ग से नेपाल का मुख्य मार्ग एवं उसकी राजधानी काठमाण्डू सम्बद्ध है। दूसरी प्रमुख सड़क गोरखपुर-महराजगंज मार्ग है, जो सीमा पर स्थित कस्बा ठूठीबारी तक जाती है। मुख्यालय को जोड़ने वाली अन्य कई सड़के भी हैं। फरेन्दा, घुघली, पनियरा, चौक एवं सिसवां ऐसी सड़कों द्वारा ही मुख्यालय से सम्बद्ध है। नौतनवां को जिला मुख्यालय से सीधे जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना भी सरकार के विचारधीन है। जनपद में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 724 किलोमीटर (1993-94) है। इस प्रकार प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लम्बाई का औसत 41.2 कि0मी0 है।

अधयाय - 2
जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के पहुँच का विस्तार, नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता वृद्धि हेतु सितम्बर 1997 से जनपद महराजगंज में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम(डी0पी0ई0पी0) परियोजना चल रही है। जिसके अन्तर्गत नवीन विद्यालय भवन, पुनर्निर्माण, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण, पेयजल हेतु इंडिया मार्का हैण्डपम्प, भवनों की मरम्मत तथा शौचालयों का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही बच्चों व शिक्षकों को शैक्षिक सर्पोट एवं शैक्षिक गतिविधियों के संचालन हेतु न्याय पंचायत स्तर पर संकुल भवन तथा ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रों का निर्गाण कराया गया। शिक्षकों के शिक्षण कौशल विकास के लिए सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किये गये।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए भाषा, गणित में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किये गये। इन तमाम प्रयासों/किया-कलापों के बावजूद भी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नही हो सकी है। अतएव कक्षा 1 से 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य प्राप्ति हेतु जनपद में सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया है। जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जायेगा।

<u>वर्ष 1991 जनगणना की साक्षरता दर का विवरण इस प्रकार रही है-</u>

जनपद की कुल साक्षरता दर-28.90

कुल पुरूष साक्षरता दर	कुल महिला साक्षरता दर	ग्रामीण साक्षरता दर			नगरीय साक्षरता दर		
		पु0	म0	योग	पु0	म0	योग
45.6	10.28	44.5	8.7	27.5	72.7	41.0	58.1

जनपद महराजगंज की साक्षरता दर का तुलनात्मक अध्ययन देश व प्रदेश की तुलना के आधार पर निम्नवत् है:-

वर्ष	पुरूष साक्षरता			महिला साक्षरता			कुल साक्षरता		
	भारत	उ0प्र0	म0गंज	भारत	उ0प्र0	म0गंज	भारत	उ0प्र0	म0गंज
1991	64.1	55.7	45.6	39.3	25.3	10.28	52.2	41.6	28.9
2001	75.85	70.23	66.80	54.16	42.98	28.64	65.38	57.36	47.72

(स्रोत:- राष्ट्रीय जनगणना से प्राप्त सांख्यिकी के आधार पर)

2001 की जनगणना के आकड़ों के आधार पर देश, प्रदेश व जनपद का तुलनात्मक वृत्त चार्ट निम्नांकितहै:-

राष्ट्रीय साक्षरता दर

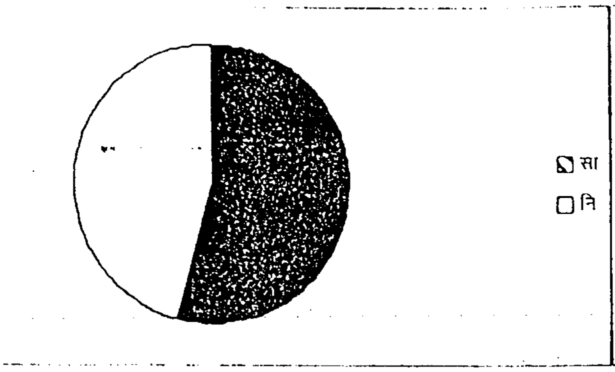

54.16% महिला

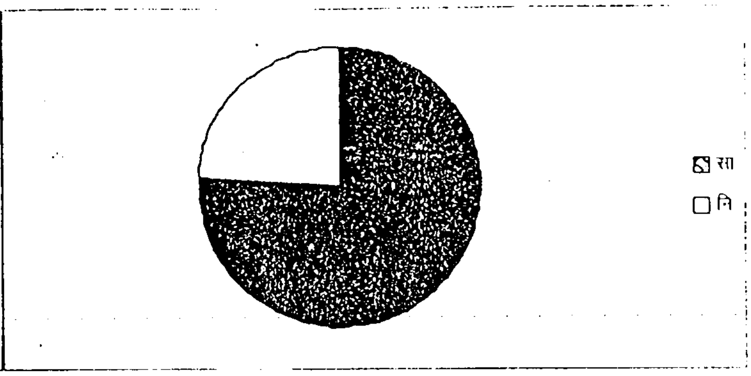

75.85% पुरूष

प्रादेशिक साक्षरता दर-

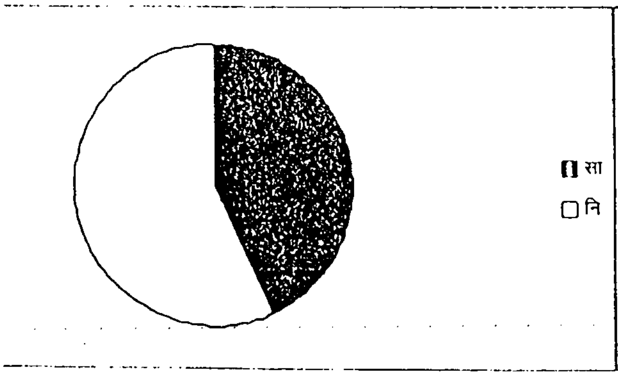

42.98% महिला

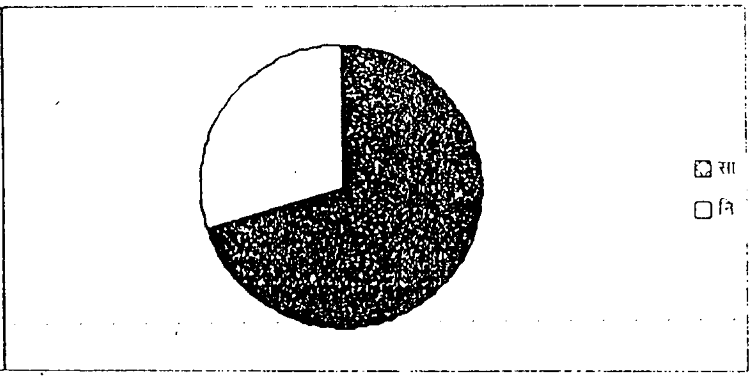

70.23% पुरूष

जनपदीय साक्षरता दर-

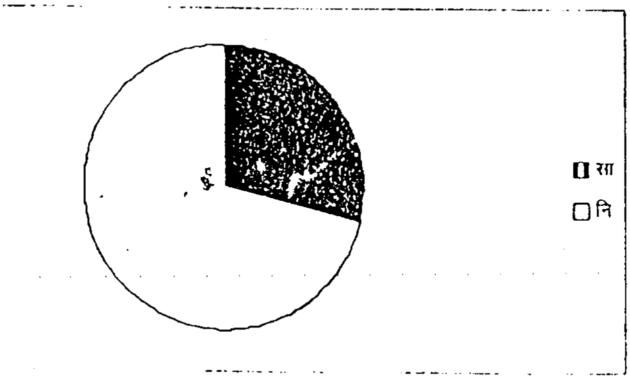

28.76 महिला

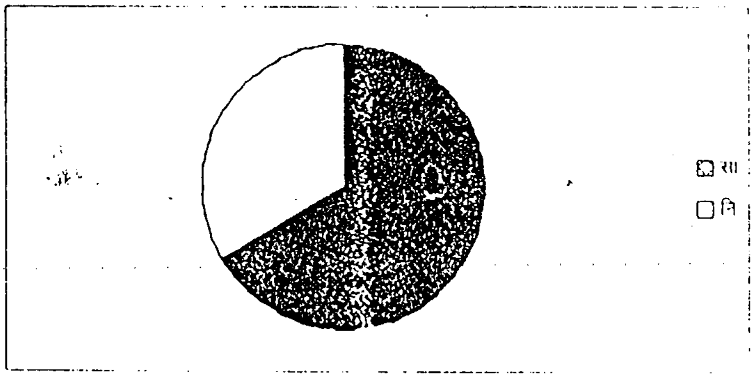

66.80% पुरूष

(संकेत → सा - साक्षर, नि - निरक्षर)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता दर 47.72 है, जिसमें पुरूष साक्षरता दर 66.80 तथा महिला साक्षरता दर 28.64 है ।

स्पष्ट है कि पिछले दशक में जनपद की साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्वि हुई है।2001 की जनगणना के अनुसार विकास खण्डवार साक्षरता दर इस प्रकार है:-

कम संख्या	ब्लाक का नाम	साक्षरता दर		कुल साक्षरता दर
		पुरूष	महिला	
1	महराजगंज	76.6	32.7	54.07
2	मिठौरा	66.5	27.5	46.76
3	निचलौल	53.3	25.7	38.75
4	नौतनवां	64.7	28.9	46.72
5	लक्ष्मीपुर	63.8	29.2	46.39
6	बृजमनगंज	69.5	31.1	50.36
7	फरेन्दा	67.6	26.8	48.46
8	धानी	66.4	28.5	48.75
9	पनियरा	66.9	26.4	46.59
10	परतावल	72.5	29.2	50.46
11	घुघली	68.5	29.3	48.66
12	सिसवा	65.4	28.4	46.77
योग		66.80	28.64	47.72

स्रोत :- (सांख्यिकी पत्रिका के आधार पर)

उपुर्यक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद महराजगंज में विकास खण्ड महराजगंज व सर्वाधिक साक्षरता दर है और विकास खण्ड निचलौल में साक्षरता दर सबसे कम 38.75 प्रतिशत है, इसी प्रका

महिला साक्षरता दर की दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा विकास क्षेत्र निचलौल है जिसकी साक्षरता दर 25.7 है तथा विकास खण्ड महराजगंज की सबसे अधिक महिला साक्षरता दर 32.7 प्रतिशत है।

जनपद की महिला साक्षरता दर सबसे न्यून होने के कारण महराजगंज में सितम्बर 1997 से 'उ0प्र0 सभीके लिए शिक्षा परियोजना परिषद्' के अन्तर्गत 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' (डी0पी0ई0पी0-11) संचालित है। यह कार्यक्रम पॉच वर्षीय है जो दिनांक 31.3.2003 को पूर्ण हो जायेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखवति है जिसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को आच्छादित किया जा रहा है।

⇒ शत प्रतिशत नामांकन तथा गुणवत्ता में सुधार ।

लक्ष्य समूह है-

⇒ प्राथमिक विद्यालय जाने वाले आयु के सभी बच्चे ।

इस कार्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं-

1. लिंग तथा विभिन्न सामाजिक वर्गो के बीच नामांकन, शाला त्याग और अधिगम सम्प्राप्ति के अन्तर को 5 प्रतिशत तक कम करना।

2- प्राथमिक स्तर पर समस्त शाला त्यागी बच्चों की दर 10 प्रतिशत तक कम करना ।

3- भाषा तथा गणित की दक्षताओं में 25 प्रतिशत तथा अन्य विषयों की दक्षताओं में 40 प्रतिशत तक वृद्वि करना।

4- औपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था द्वारा सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना।

उपर्युक्त के लिए कार्यक्रम में निम्नांकित विशेष व्यवस्था की गयी है-

1 असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना ।

2 विद्यालयों का रखररवाव एवं नियमित मरम्मत।

3 बालश्रमिकों, अल्पसंख्यकों / अनु0जाति के बच्चों, बालिकाओं तथा बीच में पढ़ाई छोड़ देंने वाले बच्चों के लिए पृथक प्रकार की वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था ।

4 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था ।

5 समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना ।

6 स्वयं सेवी संगठनों तथा सामाजिक कार्य कर्ताओं की लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग लेना ।

जनपद में स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों से सेवित एवं असेवित बस्तियाँ

	1 कि0मी0 से कम दूरी पर स्थित विद्यालय	1 कि0मी0 से अधिक किन्तु 1.5कि0मी0 से कम दूरी पर स्थित विद्यालय	1.5कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित विद्यालय	प्राथमिक /ई0 जी0एस0 आवश्यकता
300 से अधिक आबादी वाले ग्राम/बस्तियों की संख्या	1695	266	0	0
300 से कम आबादी वाले ग्राम/बस्तियों की संख्या	631	570	300	300

जनपद में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सेवित एवं असेवित बस्तियॉ :–

	3 किमी0 से कम दूरी पर स्थित विद्यालय	3 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित विद्यालय	2:1 के अनुपात में अपेक्षित उ0प्रा0 वि0 की संख्या
800 से अधिक आबादी वाले ग्राम/बस्तियों की संख्या	609	0	0
800 से कम आबादी वाले ग्राम/बस्तियों की संख्या	2888	89	110

सेवित तथा असेवित बस्तियों की संख्या

क0स0	विकास क्षेत्र का नाम	1कि0मी0 से कम दूरी पर स्थित वि0	1 से 1.5 किमी0 से कम दूरी पर स्थित वि0	1.5 से अधिक दूरी पर स्थित विद्यालय	प्रस्तावित नवीन प्राथमिक विद्यालय	2:1 के अनुसार अतिरिक्त उ0प्रा0वि0 वि0 की आवश्यकता
1	महराजगंज	101	24	40	33	25
2	मिठौरा	112	26	72	55	31
3	निचलौल	125	43	59	48	44
4	सिसवां	95	0	30	24	23
5	घुघली	145	5	34	23	24
6	परतावल	120	16	26	17	21
7	पनियरा	143	17	29	18	14
8	फरेन्दा	146	23	39	22	15
9	धानी	27	7	18	12	7
10	बृजमनगंज	98	13	33	18	24

11	लक्ष्मीपुर	176	16	37	27	25
12	नौतनवां	107	08	51	35	39
योग		1395	198	468	332	292

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में वर्तमान समय में 198 बस्तियां है जिसकी आबादी 300 से अधिक है और 1 किमी0 की परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय नही है इसी प्रकार 468 ऐसी बस्तियां है जिनकी आबादी 300 से अधिक है किन्तु 1.5किमी0 के परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय नही है। इस प्रकार कुल असेवित 468 बस्तियों को सेवित करने के लिए मात्रा 332 प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता होगी।

इसी प्रकार 800 से अध्कि आबादी और 3किमी0 की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय से असेवित बस्तियों की संख्या 706 है परन्तु इन 706 असेवित बस्तियों को सेवित करने के लिए मात्रा 292 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अनुपात 3.7:1 की आवश्यकता जनपद में है।

जनपद में उ0 प्रा0 विद्यालयों की आवश्यकता का आकलन का आधर दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उ0प्रा0वि0 की स्थापना को दृष्टि में रखकर किया गया है, जो निम्नवत है:–

	ग्रामीण	नगरीय	योग
वर्तमान प्राथमिक विद्यालय:–	1215	–	1215
प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय–	0	–	0
वर्तमान में उपलब्ध उ0प्रा0वि0–	215	–	215
2:1 के अनुपात में उ0प्र0वि0 की मांग–	0	–	0

<u>नामांकन की स्थिति:–</u> जनपद में 6–11 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 319003 है जिसमे बालकों की कुल संख्या 174925 तथा बालिकाओं की संख्या 144078 है। 6–11 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों कुल संख्या 303231 है, इनमें से कुल 18739 बच्चे स्कूल नही जाते हैं। स्कूल न जाने वाले बच्चों में बालकों की संख्या 8098 तथा बालिकाओं की संख्या 10642 है।

परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 6–11 आयु वर्ग के बच्चों की आयु गणना(30सितम्बर2001)

क्रम संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	कुल संख्या			विद्यालय जाने वाले			विद्यालय न जाने वाले		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	महराजगंज	15148	13200	28348	14898	12730	27628	250	470	720
2	मिठौरा	18177	15818	33995	18090	14453	32543	87	1365	1452
3	निचलौल	14647	11402	26049	14206	10600	24806	441	802	1243
4	लक्ष्मीपुर	10271	9558	19829	10003	8987	18990	268	571	839

5	नौतनवां	12217	9524	21741	12013	9499	21512	204	25	229
6	बृजमनगंज	15028	13394	28422	14541	12394	26935	487	1000	1487
7	फरेन्दा	13636	11498	25134	13180	11105	24285	456	393	849
8	धानी	5398	4376	9774	5293	4103	9396	105	273	378
9	पनियरा	21634	13058	34692	19205	12058	31263	2429	1000	3429
10	परतावल	14558	12941	27499	14033	12107	26140	525	834	1359
11	घुघली	19042	15994	35036	18402	14908	33310	640	1086	1726
12	सिसवां	15169	13315	28484	14308	12115	26423	861	1200	2061
योग		174925	144078	319003	168172	135059	303231	6753	9019	1577
13	वनग्राम	1345	1622	2967				1345	1622	2967
14	थारू									
योग–		176270	145700	321970	168172	135059	303231	8098	10641	1873

(स्रोत–विभागीय आंकड़े)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों की सर्वाधिक संख्या पनियरा विकास खण्ड की है जिसका प्रतिशत 9.8 है। इसके बाद सिसवां विकास खण्ड है जिसमें 7.2प्रतिशत बच्चे विद्यालय से बाहर है। स्कूल न जाने वाले बच्चों की सबसे कम संख्या नौतनवां विकास खण्ड की है।

परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 11–14 वयवर्ग की बाल गणना (30 सितम्बर2001) :–

क्रम संख्या	विकास क्षेत्र का	सम्पूर्ण संख्या			विद्यालय जाने वाले			विद्यालय न जाने वाले		
	नम	बलक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	यो
1	महराजगंज	3630	3040	6670	3245	2602	5847	385	438	8
2	मिठौरा	6056	4302	10358	4865	3776	8641	1191	526	17
3	निचलौल	5856	4450	10306	4269	4056	8325	1587	394	19
4	लक्ष्मीपुर	3138	2398	5536	2760	2013	4773	378	385	7
5	नौतनवां	3803	2248	6051	3584	1983	5567	219	265	[illegible]
6	बृजमनगंज	5294	3943	9237	4157	3395	7552	1137	548	1
7	फरेन्दा	4247	3177	7424	3524	2536	6060	723	641	[illegible]
8	धानी	1847	1460	3307	1700	1370	3070	147	90	
9	पनियरा	5474	6160	11634	5086	3757	8843	388	2403	[illegible]
10	परतावल	5644	4527	10171	5246	4313	9559	398	214	

11	घुघली	6409	4942	11351	6070	3494	9564	339	1448	1787
12	सिसवां	2865	2339	5204	2528	1808	4336	337	531	868
योग		**54263**	**42986**	**97249**	47034	35103	82137	7229	7883	15112
13	वनग्राम	946	1126	2072				946	1126	2072
14	थारू									
योग–		55209	44112	99332				8175	9009	17184

(स्रोत– विभागीय आंकड़े)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 11–14वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 99332 है। जिसमें बालकों की संख्या 55209 है तथा बालिकाओं की संख्या 44112 है। 11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों में से 47034बालक एवं 35103 बालिकाऐं विद्यालय जाती है। जबकि विद्यालय न जाने वाले बच्चों की कुल संख्या 17184 है, जिनमें बालक 8175 तथा 9009 बालिकाएं है।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन (30सितम्बर2001) :–

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन

जनपद– महराजगंज | 30 सितम्बर2001

क0सं0	विकास खण्ड का नाम	कुल छात्रा संख्या			अनुसूचित जाति के छात्रा			कुल नामांकन में परिषदीय का प्रतिशत
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	महराजगंज	6184	6606	12790	2640	2843	5483	42.87
2	मिठौरा	7727	7610	15337	3050	3027	6077	39.62
3	निचलौल	8070	6920	14990	2838	2443	5281	35.23
4	नौतनवां	9011	5981	14992	3950	2381	11358	75.76
5	लक्ष्मीपुर	9396	9272	18668	3338	3000	6338	33.95
6	बृजमनगंज	7342	5689	13031	2433	2122	4555	34.96
7	फरेन्दा	7673	6888	14561	2986	2787	10893	74.81
8	धानी	2889	2297	5186	521	496	1017	53.50
9	पनियरा	7332	6788	14120	2306	2571	4877	34.54
10	परतावल	8006	7357	15363	2916	2765	5681	36.98
11	घुघली	13011	10989	24000	3773	3717	10558	43.99
12	सिसवां	8396	7262	15658	3249	2867	6116	39.06
	योग–	**95037**	**83659**	**178696**	**34000**	**31019**	**65019**	**36.39**

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों बच्चों की कुल नामांकित संख्या 178696 है। जिसमें स्कूल जाने वाले बालकों की संख्या 95037 तथा बालिकाओं की संख्या 83659है। इनमें से अनुसूचित जाति के कुल बालकों संख्या 34000तथा बालिकाओं की संख्य 31019है, इस प्रकार जनपद में परिषदीय विद्यालयों में नामांकन प्रतिशत 36.39है।

प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरणः–

एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	:–	8
दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	:–	534
तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	:–	497
चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	:–	135
पॉच कक्षीय विद्यालयों की संख्या	:–	40
भवनहीन एवं जर्जर विद्यालयों की संख्या	:–	66

शिक्षकों की उपलब्धता

विद्यालय	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त पद
प्राथमिक विद्यालय	3198	1232	1966
उच्च प्राथमिक विद्यालय	796	446	350

शिक्षा मित्रों की उपलब्धता

सृजित पद	कार्यरत	अवशेष
2028	1936	92 चयन प्रकिया में है।

प्राथमिक / उच्च विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों की स्थिति

कम संख्या	मद	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
1	शौचालय युक्त विद्यालय	1037	172
2	शौचालय विहीन विद्यालय	178	43
3	हैण्डपम्प विहीन(इण्डिया मार्का)	50	15
4	चहारदीवारी युक्त विद्यालय	94	121
5	चहारदीवारी विहीन विद्यालय	1121	94

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरण:–

एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या :– 0

दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या :– 6

तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या :– 31

चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या :– 162

पांच अथवा पांच से अधिक कक्षीय विद्यालयों की संख्या :– 10

भवनहीन एवं जर्जर विद्यालयों की संख्या :– 42

जनपद को भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता

कम सं0	सुविधाओ का विवरण	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		आवश्यकता	डी0पी0ई0पी0 में वित्तीय प्राविधान	मांग	आवश्यकता	डी0पी0ई0पी0 में वित्तीय प्राविधान	मांग
1	विद्यालय पुनःनिर्माण	65	–	65	36	–	36
2	अति0 कक्षा–कक्ष	483	–	483	44	–	44
3	पेयजल	50	–	50	15	–	15
4	शौचालय	178	–	178	43	–	43

शैक्षिक वर्ष 2000–01 की EMIS के अनुसार नामांकन की स्थिति

सारणी

	6–11 आयु वर्ग की कुल	पंजीकृत कुल संख्या		अनुसूचित जाति

वर्ष	संख्या						GER				GE
	बालक	बलिका	योग	बालक	बालिका	योग		बालक	बालिका	योग	
2000–01	169963	139991	309954	140920	104840	245760	79.2%	42214	34274	76488	24.6

सारणी

जनपद का नामांकन GER निम्नांकित है

वर्ष	6–11 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			कुल छात्र नामांकन			GER	अनुसूचित जाति के बच्चों की संख्या			GER
	बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका	योग		बलक	बालिका	योग	
2000–01	169963	139991	309954	158832	123519	282351	91%	42214	34274	76488	24.6%

<u>प्राथमिक स्तरीय शैक्षिक आंकड़े और महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स:–</u>

जनपद में कम्प्यूटराइज्ड EMIS यूनिट वर्ष 1997–98 से ही किया शील है इसके द्वारा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी नियमित रूप से तैयार की जाती है जिसका उपयोग वार्षिक कार्य योजना निर्माण एवं डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रमों के निर्धारण एवं कियान्वयन में किया जाता है।

EMIS से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार विगत वर्षो में स्थिति इस प्रकार है:–

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	वर्ष 1997–98	वर्ष 1998–99	वर्ष 1999–2000	वर्ष 2000–01
कक्षा –1	87109	80560	76494	72876
कक्षा – 2	47769	60147	59652	52419
कक्षा – 3	29252	42945	52532	48155
कक्षा – 4	19942	28050	39263	40370
कक्षा – 5	16432	20607	27771	31940
योग	200504	232303	255712	245760
GER				
कुल	70.5%	79.37%	84%	79.2%
बालिका	69%	81%	87%	74%

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद महराजगंज में नामांकन में वृद्धि नही हुई है, कुल GER तथा बालिकाओं का GER भी घटा है। पिफर भी उल्लेखनीय है कि कक्षा – 3,4 एवं 5 में नामांकन में लगातार वृद्धि हुई है।

जनपद में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुए परिवर्तन की स्थिति:—

	1997—98 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	2003—04 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	अभ्युक्ति
अध्यापक प्रा0 वि0 परिषदीय	2346	4870	
शिक्षा मित्रों की संख्या	-----	2097	कुल सृजित पद 2028 हैं 92 पदों के लिए शिक्षा मित्रों का चयन एवं प्रशिक्षण प्रकिया में है।

आंकडों से स्पष्ट है कि जनपद में प्राथमिक विद्यालयो की संख्या में वृद्धि हुई है। किन्तु प्राथमिक शिक्षकों की संख्या में कमी आई है। शिक्षकों की संख्या में हुई कमी का कारण सेवानिवृत्ति एवं स्थानांतरण के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति न होना है। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति से जनपद में पठन पाठन में तेजी से सुधार हो रहा है।

जनपद में ड्राप आउट दर (प्राथमिक स्तर)

वर्ष	कुल	बालिका
1998	37.5%	44.5%
1999	37%	44%
2000	37.5%	44%

जनपद में रिपीटेसन दर व कक्षा—5 तक की शिक्षा पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या—

वर्ष	रिपीटीशन दर	क्क्षा 5 तक शिक्षा पूर्ण करने में लगे औसत वर्षो की संख्या
1997—98	4.17	5.95
1998—99	4.22	6.12
1999—2000	2.70	6.76

रिपीटेशन दर के आंकडों से स्पष्ट है कि जनपद में रिपीटेशन दर 2.70 प्रतिशत है और कक्षा 5 की शिक्षा पूरी करने में बच्चों का औसत 6.76 वर्ष लग रहे हैं।

⇒अध्यापक छात्रा अनुपात वर्ष 2001–2002 1:79.45

⇒एकल अध्यापकीय विद्यालयों का प्रतिशत–वर्ष 2001–2002 13.2

⇒छात्रा कक्षाकक्ष अनुपात वर्ष–2001–2002 62:1

डी0पी0ई0पी0–11 के अन्तर्गत जनपद में शिक्षकों के 239 अतिरिक्त पद सृजत किए गये हैं।इसके साथ शिक्षा मित्रों के 1058 पद सृजित हो चुके हैं, जिसमें से 747 ने विद्यालयों का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जिससे जनपद में एकल अध्यापकी विद्यालयों की संख्या का समाधन हुआ है। अब भी जनपद में छात्र अध्यापक अनुपात 79.45:1 है, जिसे सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों/ शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करके निर्धारित अध्यापक –छात्र अनुपात 1:40 तक लाना गुणवत्ता संवर्धन हेतु आवश्यक होगा ।

इस तरह छात्र–कक्ष अनुपात में भी सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह अनुपात 62:1 है, जिससे अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराकर पूरा करना प्रस्तावित है।

प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनुपातः–

	प्रा0 विद्यालय	उ0प्रा0 विद्यालय	मा0 विद्यालय	कालम 3–4 का योग	अनुपात
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण	1215	215	62	317	3.83:1
नगरीय	–	–	–	–	–
योग	1215	215	62	317	3.83:1

नोटः– उ0प्रा0 विद्यालयों की संख्या में कक्षा 6–8 की शिक्षा देने वाले माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है जिसके आधार पर प्राथमिक तथा उ0प्रा0 विद्यालयों में 6.5:1 का अनुपात आता है।

शिक्षा की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रा में पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1997–98 से जनपद में लागू हुआ। ये येाजना वर्ष 2002 तक के लिए लागू की गयी थी। परियोजना अवधि में निम्नलिखित निर्माण कार्य के फलस्वरूप यद्यपि भौतिक संसाधनो में कुछ वृद्धि तो अवश्य हुई परंतु जनपद की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त नही हो सकी।

परियोजना अवधि में प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य का विवरण

कम	कार्य का नाम	लक्ष्य	पूर्ति

संख्या		भौतिक	वित्तीय(हजार रू0 में)	भौतिक	वित्तीय (हजार रू0 में)
1	प्रा0वि0 भवन का निर्माण (नवीन)	229	43739	229	43739
2	पुनःनिर्माण	150	28650	150	28650
3	अतिरिक्त कक्षा – कक्ष का निर्माण (एक कक्षीय)	399	21945	399	21945
4	शौचालय निर्माण	825	9684	825	9684
5	हैण्ड पम्प की स्थापना	202	3636	202	3636
6	संकुल भवन (न्याय पंचायत स्तर पर)	102	6630	102	6630
7	ब्लाक संसाध्न केन्द्र(विकास खण्ड स्तर पर)	12	9600	12	9600

इसके अतिरिक्त बच्चों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने शिक्षा को मनोरंजक एवं मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सुरूचि पूर्ण बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित गतिविधयों एवं कार्यक्रमों का संचालन भी किया गया।

1. ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना एवं सचालन
2. बालिका शिक्षा हेतु ग्रीष्म कालीन शिविरों का आयोजन
3. मीना कैम्पेन का आयोजन
4. बच्चों का स्वाथ्य परीक्षण
5. शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों का चिन्हांकन
6. सेवारत अघ्यापकों का प्रशिक्षण (तीन चक्र में)
7. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण
8. बालशाला की स्थापना एवं संचालन
9. शिक्षा घर की स्थापना एंव संचालन

10. प्रहर पाठशाला की स्थापना एंव संचालन

11. जनपद में पहले से संचालित मकतब/ मदरसों के मध्यम से प्राथमिक शिक्षा का संचालन

12. मॉडल कलस्टरों की स्थापना

13. कला जत्था के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रा में किए गये प्रयासेां से यद्यपि आशातीत सफलता प्राप्त हुई है परन्तु शतप्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है

उच्च प्राथमिक शिक्षा के (पूर्व माध्यमिक) के क्षेत्र में 11–14 वर्ष के बच्चों को नामांकित कराना उनके गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करना । समाज के उपेक्षित वर्ग के बच्चों को वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित रहने के कारण उनको उचित शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से सर्वशिक्षा अभियान के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनपद के लिए एक योजना तैयार कर प्रस्तुत की जा रही है।

अध्याय-3

योजना निर्माण प्रक्रिया :-

सर्वशिक्षा अभियान प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में एक अभिनव प्रयास है। इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा को जन जन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य 6-14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करना है।

नियोजन प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व सूक्ष्म नियोजन को जाता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित इस जनपद में ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षण के समय सूक्ष्म नियोजन कराया गया। इसका प्रयोजन यह था कि जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्रामों /बस्तियों में 6 - 14 वय वर्ग के बालिका एवं बालकों की जनसं कितना है, इसके लिए ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के जागरूक, नवजवानों, शिक्षकों एवं स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कराया गया। जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के अधिकार तथा कर्तव्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।

प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति ने अपने ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले टोले/ मजरों पर 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की गणना की तथा उनकी शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया साथ ही साथ शैक्षिक सुविधाओं तथा आवश्यकताओं की भी पहचान की गयी। सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनाएँ एकत्रित की गयी-

⇒0-6, 6-11, 11-14, आयु वर्ग के बच्चों की सम्पूर्ण जनसंख्या
⇒आंगनबाडी विद्यालय, वैकल्पिक केन्द्र, विद्या केन्द्र जाने वाले बच्चों की जनसंख्या
⇒विकलांग बच्चों की संख्या एवं प्रकार के विषय में जानकारी ली गयी।
⇒विद्यालय से बाहर बच्चो की जनसंख्या
⇒विद्यालय अथवा अन्य केन्द्रों पर न जाने का कारण।
⇒विद्यालय खोलने की स्थिति अर्थात मानक पूरा करने की स्थिति में क्या प्रस्ताव है।
⇒मानक पूरा न करने की स्थिति में क्या व्यवस्था चाहेंगे
⇒विद्यालय भवन की उपलब्धता एवं आवश्यकता
⇒उपलब्ध भवन में सुधार की स्थिति
⇒छात्र के अनुपात से शिक्षकों की उपलब्धता है अथवा नहीं
⇒नहीं की स्थिति में कितने की आवश्यकता है ।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर ग्रामवासियों ने अपने ग्राम के लिए ग्राम शिक्षा योजना नियोजन किया । इस योजना को अद्यतन करने के लिए प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण किया जाता रहा है। इस शिक्षा योजना की एक प्रति विद्यालय, एक प्रति न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर तथा एक प्रति विकास खण्ड संसाधन केन्द्र पर रखी गयी है।

इसके लिए शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया :-

1- बस्तियों की कुल आबादी।

2. प्राथमिक विद्यालयों से दूरी।

3. विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या।

4. विद्यालय जाने वाले और विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।

5. शारीरिक अक्षमताओं वाले बच्चों की पहचान।

6. विविध व्यवसायों / श्रमों / कार्यों में लगे बच्चों की सख्या।

7. 6 से 14 वय वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति।

उपर्युक्त सन्दर्भो के परिप्रेक्ष्य में समुदाय के सहयोग से ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। सर्वेक्षण ऑकड़ों के आधार पर बस्तियों का चिन्हांकन किया गया तथा यहदेखा गया कि आबादी तथा विद्यालय से दूरी का मानक पूरा करने की दशा में कितने नवीन विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन बस्तियों का भी चिन्हांकन किया गया जिनमें शिक्षा गारण्टी योजना/ वैकल्पिक शिक्षा/ नवाचार केन्द्रों की स्थापना मानक के अनुसार हो सकता है। इन चिन्हित सभी बस्तियों के लिए इस वर्ष बजट में प्रस्ताव किया गया।

संक्षेप में जनपद महराजगंज में बजट को तैयार कने के लिए निम्नांकित कदम उठाये गये :-

<u>1. नियोजन टीम का गठन :-</u> प्राचार्य तथा प्रवक्ता डायट गोरखपुर, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी महराजगंज, जिला परियोजना कार्यालय में कार्यरत चार जिला समन्वयकों, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा कम्प्यूटर आपरेटर की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। जिसने परियोजना निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी प्रशिक्षण नीमेट स्तर पर कार्यकम योजना निर्माण का दायित्व इस समिति को सौपा गया।

2. ग्राम स्तर,संकुल स्तर एवं बी0आर0सी0 स्तर पर समुदाय के साथ अनेक चरणों में बैठकें की गयीं। जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, शिक्षकों, संकुल प्रभारियों, बी0आर0सी0 समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों जिला समन्वयकों तथा स्वयं सेवी संगठनों के कार्यकर्त्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही। जनपद स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की जिलाधिकारी महराजगंज की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। जिनमें उभरे मुद्दों और आवश्यकताओं का ऑकलन किया गया।

1	8.10.2001	क ल े क ट्रेट्जलाधिकारी सभागार विकास भवन महराजगंज	जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी जिला समन्वयक (बै0 शि0), जिला समन्वयक (साम0 सह0), जिला समन्वयक (समेकितशिक्षा), जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), सहायक अभियन्ता लो0 नि0 वि0, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर, शिक्षाविद जन प्रतिनिधि।	1. सर्व शिक्षा अभियान से अवगत कराना। 2. डी0पी0ई0पी0 के लक्ष्य एवं अद्यतन प्रगति से अवगत कराना। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य उद्देश्य एवं रणनीति निर्माण पर परिचर्चा।	डी0पी0ई0पी0 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अवशेष कार्यों को गति प्रदान करते हुये पूर्ण कराया जाय। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जनपद में समस्त बच्चों को कक्षा 8 तक की शिक्षा उपलब्ध कराना। जनपद में 4564 का विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन किया गया है। इनके शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाय दलित एवं पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रा0 शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु स्थानीय उत्साही युवाओं का सहयोग लिया जाय। महिला मंगल दल, पुरूष मंगल दल, ग्राम शिक्षा समिति, अध्यापक, अभिभावक संघ का सहयोग लिया जाय। जनपद स्तरीय समस्त विभागों जैसे चिकित्सा विभाग, अर्थ एवं संख्या विभाग, जिला कार्यक्रम, समाज कल्याण विभाग, जिला अल्पसंख्यक, लोक निर्माण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वन विभाग, जिला पंचायत एवं अन्य विभागों की बैठक यथा समय करायी जाय और अभियान की सफलता हेतु यथासम्भव उनसे सहयोग प्राप्त किया जाय। अभियान की सफलता के लिये समुदाय में स्वामित्व की भावना विकसित की जाय। लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। बैठक सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए समाप्त की गयी।
2	13.10.2001	बी0आर0सी0 निचलौल	स0बे0शि0अ0समन्वयक, सह समन्वयक, संकुल प्रभारी जनप्रतिनिधि	1. पढ़कर क्या करेंगे। 2. शिक्षण के प्रति अध्यापक उदासीन। 3. अध्यापक अनुदान के प्रयोग का प्रतिशत कम। 4. सम्पर्क का अभाव।	1. एक पढ़े एवं एक अनपढ़ की तुलना कर लोगों को शिक्षा के लाभ बताये जाय। प्रचार प्रसार के द्वारा लोगों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाए।

2	15.10.2001	एन0पी0आर0 सी0 पकड़ी चौबे, सिसवा	स्कूल प्रभारी, प्र0अ0, सं0अ0	1. लोगों द्वारा शिक्षा के महत्व को न समझना।	1. समुदाय में शिक्षा के महत्व को बनाया जाए ताकि लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़े एवं अपने बेटे-बेटियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो सकें।
				2. ग्रा0 शिक्षा समिति को अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन होना।	2. ग्राम शिक्षक समिति का प्रशिक्षण समय-समय पर कराया जाए ताकि लोगों में कार्य एवं उत्तरदायित्व का बोध हो सके।
				3. संसाधन समूहों का कमजोर होना एवं आपस में लिंग का न होना।	3. न्याय पंचायत पर संकुल, विकासखण्ड स्तर पर बी0आर0सी0 एवं जनपद स्तर पर डायट को मजबूत बनाया जाए तथा एक दूसरे का प्रत्यक्ष लिंक हो ताकि समस्याओं का निस्तारण एवं सहयोग सही समय पर हो सके।
				4. बालक बालिका में भेद।	4. लिंग भेद दूर करने हेतु लोगों से सम्पर्क, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाय, एवं बालक बालिका में समानता एवं कार्यकुशलता को बताया जाए। उन्हें यह भी बताया जाय कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो महिलायें नहीं कर सकती हैं।
				5. झुग्गी झोपड़ी तक शिक्षा की पहुँच कम।	5. झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की समस्याओं को समझना एवं उनके लिए उचित मॉडल की शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है।
				6. असुरक्षा की भावना के कारण बालिकाओं की शिक्षा बाधित।	6. असुरक्षा फैलाने वाले लोगों की पहचान, उनको चेतावनी देना तथा इसके लिए सभी को मिल जुलकर कार्य करना होगा। क्योंकि बेटियां सभी के यहां हैं।
				7. मकतब-मदरसों में मजहबी शिक्षा देना।	7. मकतब एवं मदरसों को कड़े निर्देश दिया जाये ताकि मजहबी शिक्षा के साथ-साथ निर्धारित पाठ्यक्रम जो परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाये जाते हैं, उन्हें भी पढ़ाया जाए।

2. अधिकतर विद्यालयों में एक अध्यापक तैनात है जिसके कारण शिक्षक का समय कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सभी बच्चों को बैठानें में ही व्यतीत हो जाता है इसप्रकार प्रशिक्षण में प्राप्त नई विधाओं का प्रयोग शिक्षक नही कर पाता है।

3. अध्यापकों को मिलने वाले अध्यापक अनुदान का प्रयोग बहुत ही कम हो पा रहा है। इसके लिए पर्यवेक्षण के समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि शिक्षक इस धन का प्रयोग कितना कर रहा है।

4. अध्यापक द्वारा समुदाय से सामान्यत: सम्पर्क कम किया जा रहा है, जिसके कारण विद्यालय एवं गांव में दूरी बढ़ती जा रही है। इसके लिए शिक्षकों द्वारा समुदाय से सम्पर्क जरूरी है।

5. विद्यालयों में दिये जा रहे संसाधनों जैसे सामान एवं धन का सही-सही प्रयोग/उपभोग हो रहा है अथवा नहीं इसके लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसके लिए पर्यवेक्षण के समय दिये गये संसाधनों के प्रयोग/उपयोग को जरूर देखा जाए।

6. विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी है। जिसके कारण विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नही चल पा रहा है। शिक्षकों को मानक के अनुसार भर्ती किया जाय।

7. वन ग्रामों में वैकल्पिक केन्द्र खोला जाए ताकि वहाँ के बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़ सकें।

8. प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 5 पास करने के बाद नजदीक उ0प्रा0वि0 न होने के कारण वे आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायें।

4	15.10. 2001	एन0पी0आर0सी0 मिर्जापुर पकड़ी,घुघली	संकुल प्रभारी, प्र0अ0, सं0अ0, अनुदेशक ग्राम प्रधान	1. बालिका शिक्षा के प्रति उदासीन। 2. कक्षा-कक्ष की कमी। 3. विद्यालय में चहारदिवारी न होने से विद्यालय भवन का असुरक्षित होना। 4. छात्रवृत्ति के बाटने की व्यवस्था उचित नहीं। 5. विकलांग बच्चों को उनकी विकलांगता को इंगित कर संबोधित करना।	1. लोगों को जागरूक बनाकर लिंग भेद को मिटाया जाये। 2. प्रत्येक कक्षा के लिए एक कक्षा-कक्ष की आवश्यकता है जिसे पूरा किया जाए। 3. प्रत्येक विद्यालय में चहारदिवारी बनाई जाए ताकि बच्चों को चहारदिवारी के भीतर एक समान माहौल मिले, साथ ही विद्यालय भवन भी सुरक्षित रहे। 4. बच्चों की छात्रवृत्ति ग्राम शिक्षा निधि के द्वारा दी जाये ताकि उसे समय से मिल सके। 5. विकलांग बच्चों को अक्षम न कहा जाए क्योंकि अक्षम कहने से उनमे हीन भावना आयेंगी और वे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पायेंगें।
5	15.10. 2001	एन0पी0आर0सी0 बड़हरा महन्थ,सिसयां	संकुल प्रभारी, प्र0अ0, सं0अ0, शिक्षा मित्र	1. बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता। 2. रोजगार परक शिक्षा का न होना। 3. अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में शिक्षा की कमी।	1. समुदाय में बालिका शिक्षा के प्रति सोंच विकसित किया जाए। 2. प्राथमिक विद्यालयों में शुरू से ही बच्चों को रोजगार परक शिक्षा दी जाए ताकि पढ़ने के बाद बच्चे रोजगार की तरफ उन्मुख हों। 3. पर्दा प्रथा के कारण अल्पसंख्यकों की बेटियां स्कूल नहीं जा पाती हैं जिसके कारण वे अनपढ़ रह जाती हैं। इन बच्चियों के लिए वैकल्पिक केन्द्र खोला जाए।

				4. शिक्षकों की कमी।	4. शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। एक शिक्षक पांच कक्षाओं के बच्चों को सिर्फ बैठाने में लग जाता है इसलिए प्रत्येक विद्यालय में 5 शिक्षक दिये जायें।
6	15.10.2001	एन0पी0आर0सी0 देकहीं, घुघली	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, ग्राम प्रधान, संकुल प्रभारी, अध्यापक	1. अध्यापकों की कमी के कारण अध्यापक कार्य के प्रति उदासीन।	1. अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाय। प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक दिया जाए।
				2. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का समय से वितरित न होना।	2. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरित कर दिया जाए ताकि बच्चों को समय से पुस्तक प्राप्त हो जाये।
				3. कक्षा-कक्षों की कमी।	3. प्रत्येक विद्यालय में 5 कक्षा कक्ष दिये जाये।
				4. अध्यापक अनुदान का सही उपयोग न होना।	4. अध्यापक अनुदान न दिया जाये।
				5. ग्राम शिक्षा निधि खाते का संचालन।	5. ग्राम शिक्षा निधि खाते का संचालन प्र0अ0 के नाम से हो ताकि समय से धन की निकासी हो सके और साफ-सफाई, साज-सज्जा, मानदेय समय से दिया जा सके।
				6. बालिकाओं के उपर गृह कार्य का बोझ डाल देना।	6. अभिभावकों को प्रेरित कर बालिकाओं के गृह कार्य के बोझ को कम करवाया जाये ताकि बालिकायें भी पढ़ सकें।
7	15.10.2001	एन0पी0आर0सी0चौमुखा, घुघली	1.जागरूक लोग, ग्राम शिक्षा समिति, संकुल प्रभारी, अध्यापक	1. समुदाय की भागीदारी का अभाव।	1. समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्रा0शि0स0 का प्रशिक्षण समय-समय पर कराया जाय।
				2. अध्यापकों की कमी।	2. अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाये। हर कक्षा के लिए एक अध्यापक होना आवश्यक है।
				3. कामकाजी बच्चों हेतु अलग से व्यवस्था नहीं।	3. काम काजी बच्चों हेतु उनके समय से अनुसार शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

				4. कक्षा-कक्ष का अभाव।	4. विद्यालय में जितनी कक्षाएं हैं उनके हिसाब से कक्षा-कक्ष की व्यवस्था की जाय।
				5. शिक्षा मित्रों को दुबारा प्रशिक्षण	5. शिक्षा मित्रों को भी शिक्षकों की तरह सेवारत प्रशिक्षण दिया जाय।
				6. बालिका घर के अन्दर काम करें, पढ़कर क्या करेगी।	6. समुदाय को बताया जाए कि बालिका घर के अन्दर की वस्तु नहीं है बल्कि वह भी औरों की तरह सभी कार्यों को कर सकती है, बस उसे अवसर दिया जाए।
8	15.10.2001	प्रा0वि0 भरवलियां, घुघली	1.ग्राम शिक्षा स0 के सदस्य, सह समन्वयक एवं जागरूक लोग।	1. शिक्षकों पर शिक्षा के अलावा काम का अतिरिक्त बोझ।	1. शिक्षकों से सिर्फ शिक्षण का कार्य लिया जाय तथा अन्य कार्यों हेतु स्वयं सेवी संस्था के लोगों को लगाया जाय।
				2. अशिक्षित अभिभावक।	2. अशिक्षित अभिभावकों को शिक्षा के महत्व को समझाया जाय तथा अशिक्षित होने से किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनकों समझाया जाय।
				3. विद्यालय के प्रति समुदाय का उदासीन होना।	3. विद्यालय के प्रति समुदाय को जागरूक बनाया जाय। समय-समय पर ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण कराया जाय।
				4. अच्छे बच्चों को सरकार द्वारा पुरस्कृत नहीं होना।	4. अच्छे बच्चों को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाय।
8	15.10.2001	एन0पी0आर0सी0 भिटौली	स्कूल प्रभारी, प्र0अ0, स0अ0, शिक्षा मित्र	1. शिक्षकों की कमी।	1. प्रत्येक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षण कार्य बाधित होता है। इस लिए प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त अध्यापक की व्यवस्था की जाय।

2. शिक्षकों को अन्य कार्यों में लगाना।	2. शिक्षकों को प्रति वर्ष अन्य कार्यों में लगाया जाता है जिसके कारण प्रत्येक वर्ष अनेकों कार्य दिवस बेकार चले जाते हैं इसलिए शिक्षकों को इन कार्यों में न लगाया जाए। इनके स्थान पर स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ताओं को लगाया जाय।
3. विद्यालय में चहार दिवारी न होने से ग्रामीणों द्वारा विद्यालय परिसर में पशुओं को बांध दिया जाता है तथा खेती के समय अनाज निकालने का काम विद्यालय प्रांगण में ही किया जाता है जिससे शिक्षण कार्य बाधित होता है।	3. विद्यालय के चहारदिवारी बनवाया जाय ताकि उसके परिसर को शैक्षिक माहौल के अनुरूप ढाला जा सके। फूल-पत्ती, पेड़ पौधे लगाये जा सके।
4. अधिकांश विद्यालयों में कक्षा-कक्ष की अत्यन्त कमी।	4. प्रत्येक विद्यालयों में 5 कक्षा कक्ष बनवाये जायें ताकि प्रत्येक कक्षा के बच्चों को अलग-अलग बैठाया जा सके।
5. विद्यालय भवनों के रख-रखाव में समुदाय की उदासीनता।	5. विद्यालय भवनों के प्रति समुदाय काफी लापरवाह एवं उदासीन रहते हैं। इसके लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण कराया जाए ताकि वे विद्यालय को अपना समझ सकें।
6. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में प्रशिक्षक का स्थानीय होना। इसके कारण शिक्षक उनकी बातों को गम्भीरता से नहीं सुनते।	6. प्रशिक्षकों को दूसरे विकास खण्डों से लिया जाय।

				7. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षक एवं उपकरण का अभाव	7. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षक एवं उपकरण प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर उपलब्ध करायी जाय।
9	15.10.2001	एन0पी0आर0सी0 बेलवा टीकर, घुघली	संकुल प्रभारी, प्र0अ0, स0अ0	1. प्रत्येक विद्यालय पर शिक्षकों की कमी	1. प्रत्येक विद्यालयों पर कक्षावार एवं विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था की जाए।
				2. बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उदासीनता	2. शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए ताकि सभी को शिक्षा मिल सके। अभिभावकों को प्रेरित किया जाय और सभी बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी जाय।
				3. प्रशिक्षण के बाद भी शिक्षक उदासीन	3. शिक्षकों की कमी के कारण प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी शिक्षकों में उदासीनता का भाव देखा जा रहा है।
10	16.10.2001	प्रा0वि0 बरियारपुर, सिसयां	ग्राम शिक्षा स0 के सदस्य	1. विद्यालय की कमी।	1. जिन गांवों में विद्यालय नही है वहां पर विद्यालय खोले जाये ताकि बच्चों खासकर बच्चियों को दूर न जाना पड़े।
				2. गरीबी।	2. गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय में निःशुल्क भोजन, कपड़े तथा पाठ्यपुस्तकें दी जाय।
				3. संसाधनों की कमी।	3. पठन-पाठन से संबंधित जिस संसाधन की कमी विद्यालय में हो उनकी पूर्ति की जाय।
				4. व्यवसायिक शिक्षा की कमी।	4. प्राथमिक विद्यालय से ही बच्चों को व्यवसाय परक शिक्षा दी जाय ताकि पढ़कर निकलने के बादवह अपने मन पसन्द व्यवसाय का चुनाव कर सकें।
				5. लिंग भेद	5. समुदासय से लिंग भेद को प्रशिक्षण देकर दूर किया जाय।

11	16.10. 2001	प्रा0वि0 बीजापार, सिसवां	ग्राम शिक्षा स0 के सदस्य	1. अध्यापकों की कमी।	1. अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। अंत: प्रत्येक विद्यालय में मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की जाय।
				2. अध्यापकों पर अन्य कार्यों का बोझ।	2. अध्यापकों को बहुकर्मी बना दिया गया है। कोई भी राष्ट्रीय कार्य हो, कोई भी गणना कार्य हो अध्यापकों पर उस कार्य को लाद दिया जाता है। इसप्रकार अध्यापक अपना कार्य भूल गये हैं तथा दूसरे विभाग के कार्यों में ही उलझे रहते हैं।
				3. चहार दिवारी का न होना।	3. प्रत्येक विद्यालय में चहार दिवारी हो, ताकि विद्यालय परिसर को आकर्षक बनाया जा सके।
				4. बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता	4. समुदाय आज भी बालिका शिक्षा के प्रति उदासीन है। उन्हें जागरूक बनाया जाय तथा उनके मन में यह धारणा विकसित की जाय कि लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है।
12	16.10. 2001	प्रा0वि0 रामपुर खुर्द, सिसवां	ग्राम शिक्षा स0 के सदस्य	1. विशेष समूह के बच्चे जैसे झुग्गी झोपड़ी, अपवंचित एवं विकलांग बच्चों पर ध्यान का न होना	1. ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन पर विशेष ध्यान आवश्यक है। इनके लिए वैकल्पिक केन्द्र एवं अन्य आवासीय शिविर लगाना चाहिये।
				2. रोजगारपरक शिक्षा का अभाव।	2. प्राथनिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रोजगार परक शिक्षा नहीं दी जाती है। रोजगार परक शिक्षा हेतु विशेष कदम उठाना आवश्यक है।
				3. प्रभावी शिक्षण का अभाव।	3. शिक्षकों की कमी के कारण एवं शिक्षकों की उदासीनता प्रभावी शिक्षण के मार्ग में मुख्य बाधा है। शिक्षकों की संख्या बढ़ाकर इस बाधा को दूर किया जा सकता है।

				4. किसी भी कार्यक्रम हेतु समुदाय में ओनरसीप का न होना।	4. प्रशिक्षण के द्वारा एवं प्रचार प्रसार के द्वारा लोगों को कार्यक्रम के बारे में बताया जाए तथा उससे होने वाले लाभों की जानकारी दी जाए। इसके पश्चात् उनमें ओनरसीप की भावना पैदा की जाए।
				5. सही आंकड़ो का एकत्रीकरण नहीं।	5. किसी भी योजना को बनाते समय आंकड़ों का एकत्रिकरण इमानदारी पूर्वक किया जाए जैसो ग्राम शिक्षा योजना के निर्माण के समय कितने बच्चे स्कूल से बाहर है कितने को छात्रवृत्ति दिलानी है, कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, कितने धन मरम्मत हेतु चाहिए, कितने भवन की आवश्यकता है। इस सभी के लिए इमानदारी पूर्वक आंकड़े एकत्र करने होंगे।
13	<u>16.10. 2001</u>	प्रा0 वि0 मथनियां, सिसयां	ग्राम शिक्षा स0 के सदस्य	1. आंकड़ो का सही न होना।	1. योजना बनाते समय आंकड़ो की जांच कर ली जाय कि वे आंकड़ें सही है अथवा नहीं। अक्सर देखा जाता है कि आंकड़े देते समय आंख मूदकर आंकड़े दे दिये जाते हैं। इन आंकड़ों को पारदर्शी बनायी जाए।
				2. लिंग भेद।	2. लिंग भेद को प्रचार-प्रसार के द्वारा समाप्त किया जाय।
				3. किसी भी प्रकार के धन का समय से न मिलना।	शासन द्वारा दिये जाने वाले किसी भी धन की निकासी समय से नहीं होती है कार्यालय, बैंक होते हुए धन जहां पहुँचनी चाहिए वहाँ समय से नहीं पहुँचता हे। समय से धन पहुँचने पर उसका व्यय भी उचित तरीके से होता है अन्यथा उसका उपभोग सही-सही नहीं हो पाता है।
				4. झुंग्गी झोपड़ी, कागकाजी बच्चे मुख्य धारा से वंचित।	4. इस तरह के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, ई0जी0एस0 केन्द्र आदि खोलें जाय।

14	16.10. 2001	एन0पी0आर0 सी0 बिरैंची, घुघली	संकुल प्रभारी, प्र0अ0, स0अ0	1. अध्यापकों की कमी।	1. 1:40 के मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति।
				2. शिक्षणेत्तर कार्यों का बोझ।	2. शिक्षकों से सिर्फ शैक्षिक कार्य लिये जाये ताकि विद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल बन सके।
				3. गरीबी।	3. कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाय।
				4. बच्चों का कामकाजी होना।	4. कामकाजी बच्चों के लिए उनके समय के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
				5. कक्षा-कक्षों की कमी।	5. प्रत्येक विद्यालय में पाच कक्षा-कक्षों की व्यवस्था की जाय ताकि बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके।
				6. पोषाहार का वितरण महीने में किया जाना उचित नही है।	6. पोषाहार का वितरण बच्चों में प्रतिदिन किया जाय। बच्चों को उक्त पोषाहार से पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाय।
				7. छात्रवृत्ति वितरण ग्राम निधि तृतीय खाते में भेजना उचित नहीं।	7. छात्रवृत्ति का धन ग्राम शिक्षा निधि में भेजा जाए ताकि प्रधानाध्यापक उसे निकालकर तुरन्त बांट दें।
15	16.10. 2001	प्रा0 विद्यालय लक्ष्मीपुर कोर्ट	ग्रा0शि0स0 के सदस्य	1. दोहरी शिक्षा नीति	1. दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त कर प्रत्येक विद्यालय चाहे व प्राईवेट विद्यालय हो, मकतब मदरसा हो तथा परिषदीय विद्यालय हो सभी विद्यालयों में एक समान शिक्षा दी जाए।
				2. पढ़कर क्या करेंगे की सोंच।	2. लोगों के मन में से इस धारणा को निकालना होगा, उन्हें बताना होगा कि 100 में से सिर्फ 1 को नौकरी मिलती है तो क्या 99 मर जाते हैं। उन 99 में से अधिकतर उस एक नौकरी पाने वाले से बेहतर जीवन जीते है। इस तरह से लोगों को पढ़ने हेतु प्रेरित करना होगा।

				3. स्वामित्व की भावना का अभाव।	3. लोगों में विद्यालय के प्रति स्वामित्व की भावना का विकास करना होगा। उन्हें बताना होगा कि ये विद्यालय तुम्हारा है इसमें पढ़ने वाले बच्चे तुम्हारे हैं। यह विद्यालय तुम्हारे सुख-दुःख में काम आयेगा।
16	16.10. 2001	प्रा0वि0 बड़हरा महन्थ, सिसवां	ग्रा0शि0स0 के सदस्य	1. शिक्षकों की कमी।	1. विद्यालय में शिक्षकों की कमी है जिसके कारण समय-समय पर प्रशिक्षण लेने के बाद भी शिक्षक उन प्रशिक्षणों को कक्षा-कक्षों तक पहुँचा नही पाते हैं शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाय तथा प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक दिया जाए।
				2. असेवित बस्तियों में प्रा0वि0 की स्थापना।	2. असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जाय, ताकि सभी बच्चे शिक्षा से लाभान्वित हो सके।
				3. उ0प्रा0 विद्यालयों की कमी।	3. तीन किलोमीटर के घेरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण कक्षा 5 की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद बच्चे उच्च प्राथमिक की शिक्षा नही प्राप्त कर पाते हैं ऐसी स्थिति में उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है।
				4. विद्यालयों के भवन एवं परिसर असुरक्षित।	4. विद्यालयों के भवनों एवं संसाधनों के रख-रखाव के लिए चहार दिवारी की आवश्यकता है।
				5. लिंग भेद।	5. समाज के अभी भी लिंग भेद बरकरार है जिसके कारण लोग अपनी बच्चियों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। इनको जागरूक बनाना होगा तथा उन्हे यह बताना होगा कि लड़के एवं लड़की में कोई अन्तर नही है।
				6. अन्य गरीब बच्चों को आर्थिक प्रोत्साहन।	6. विद्यालय के अन्य गरीब बच्चों के लिए भी छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए।

17	<u>17.10.</u> <u>2001</u>	प्रा0 विद्यालय गोपाला सिसवां	ग्रा0शि0स0 के सदस्य	1. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण।	1. कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके दी जायें।
				2. शिक्षकों की कमी।	2. प्रत्येक प्रा0वि0 में 1:40 के अनुपात में शिक्षक दिये जायें।
				3. कक्षा-कक्षों की कमी।	3. प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए कक्षा-कक्ष उपलब्ध कराया जाए।
				4. गरीबी।	4. गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें भी छात्रवृत्ति दी जाय।
				5. बालिकाओं के विद्यालय के प्रति उदासीनता।	5. बालिकाओं को विद्यालय में आकर्षित करने हेतु विद्यालय में ही सिलाई, कढ़ाई, कताई आदि शिक्षा दी जाय।
				6. मकतब, मदरसों में सिर्फ मजहबी शिक्षा।	6. मकतब एवं मदरसों में भी प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्यपुस्तक को लागू किया जाय ताकि वहाँ मजहबी शिक्षा के साथ-साथ व्यवहारिक एवं सामाजिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो सके।
				7. लिंग भेद।	7. समुदाय से लिंग भेद दूर किया जाए।

बैठकों की संख्या

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र, बी0आर0सी0 एवं ग्राम शिक्षक समिति की बैठकों की तिथिवार संख्या

		अक्टूबर माह में बैठक																नवम्बर माह में बैठकें						
क0सं0	विकास खण्ड	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	29	30	31	1	2	3	5	6	7	8
1	महराजगंज		1		3	4	6	3	5	3	2	4	3	2	1	4	2	6	4	1	2	3	2	1
2	मिठौरा		1		3	3	5	2	6	4	3	5	3	6	5	6	8	5		2	4	6	1	3
3	निचलौल		1		9	2	1	8	3	9	3	6	5	3	8	6	2	4	8	2	3	2	4	2
4	सिसवा		1		2	6	8	4	2	3	2	1	6	4	7	5	4	3	2	5	2	4	6	2
5	घुघली		1		6	1	3	2	4	3	6	7	1	3	2	3	6	4	3	6	4	3	2	3
6	परतावल		1		3	5	2	3	1	6	5	8	3	2	6	5	7	2	4	2	11	6	2	5
7	पनियरा		1		3	5	8	3	5	4	3	1	3	4	5	5	2	5	3	2	1	3	2	1
8	फरेन्दा		1		5	1	2	2	4	5	1	6	3	4	5	7	5	2	5	3	2	2	1	3
9	धानी		1		1	2	3	2	4	2	1										1	2		
10	बृजमनगंज		1		2	5	1	6	6	2	1	5	3	2	5	3	2	2	1	3	1	2	2	1
11	लक्ष्मीपुर				7	4	6	1	4	8	5	2	4	2	3	5	3	5	3	5	2	4	5	3
12	नौतनवां				2	2	3	5	6	5	7	5	4	4	3	2	8	6	5	6	3	5	1	4
	जनपद स्तर	1																						
	योग-	1	10		46	40	48	41	50	54	39	50	38	36	50	51	49	44	38	37	36	42	28	28

बैठकों का विवरण

क्र0 स	दिनांक	स्थान	प्रतिभागी	एजेण्डा	सुझाव
1	2	3	4	5	6
1	3.10.2001	जिला बेसिक शिक्षा परियोजना कार्यालय, महराजगंज।	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), जिला समन्वयक (वै0शि0) जि0समन्वयक (सम0शि0) जिला सम0 (सा0ग0सह0), लेखाकार, कम्प्यूटर आपरेटर, समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप वि0 निरीक्षक एवं बे0 शिक्षा अधिकारी।	1. केन्द्र पुरोनिर्धारित योजना सर्व शिक्षा अभियान क्यों? 2. सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य। 3. सर्वशिक्षा अभियान के लिए 10 वर्ष में पर्सपैक्टिव प्लान निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा एवं रणनीति। 4. प्लान निर्माण हेतु उत्तरदायित्वों का बटवारा। 5. जनपद की आवश्यकताओं पर चर्चा, डी0पी0ई0पी0 के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की वर्तमान स्थिति।	1. सर्वशिक्षा अभियान के 10 वर्षीय प्लान के निर्माण हेतु ग्राम स्तर पर बैठक करवाकर आवश्यकताओं का आंकलन किया जाय तथा वहां से प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाए। 2. विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को योजना निर्माण बैठकें आयोजित करवा कर आकड़ो का एकत्रीकरण एवं संकलन हेतु जिम्मेदार बनाया गया। 3. डी0पी0ई0पी0 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई तथा इस कार्यक्रम के अच्छे परिणाम ... मजबूती से लागू करने तथा जिनके परिणाम अच्छे नहीं आये उन्हे नकारने अथवा उसमें सुधार लाने पर जोर दिया गया।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग -

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास के उन्नयन हेतु जिन विभागों से सहयोग प्राप्त होता रहा है वे निम्नलिखित हैं-

0. **स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग :-** प्रत्येक वर्ष इस विभाग के सहयोग से परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले बालक एवं बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता हैं और आगे भी कराया जायेगा। मेडिकल एसेसमेन्ट भी स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया जाता हैं जिसके अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपस्कर एवं उपकरण का निर्धारण, विकलांग प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण एवं मेडिकल एसेसमेन्ट आगे भी कराया जाता रहेगा। प्रत्येक प्रा0 विद्यालय पर बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्ड/रजिस्टर उपलब्ध है, जिसपर परीक्षण के समय पूरी रिपोर्ट लिखी जाती है।

1- **समाज कल्याण विभाग :-** इस विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति के बालक-बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रा0विद्यालय के बच्चों को रू0 300/ एवं उच्च प्राथमिक के बच्चों को रू0 480/ प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

2- **अल्प संख्यक कल्याण विभाग :-** इस विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालय के अल्प संख्यक बालक-बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता हैं।

3- विकलांग कल्याण विभाग :-इस विभाग के सहयोग से जनपद के विकलांग बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है।

4- आई0सी0डी0एस0 विभाग :- 3 से 6 वय वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने हेतु इस विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र खोले गये हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों को विद्यालय से जोड़ने में इस विभाग का काफी सहयोग मिला है।

5- आपूर्ति विभाग:- इस विभाग द्वारा परिषदीय प्रा0 विद्यालयों को छात्र-छात्राओं को जिनकी विद्यालय में 50 प्रतिशत की उपस्थिति होती है। प्रत्येक महीने 3 कि0ग्रा0 प्रति छात्र की दर से मध्यान्ह भोजन अन्तर्गत खाद्यान्न वितरीत किया जाता है।

6- उत्तर प्रदेश जल निगम/यू0पी0एग्रो :- इन दोनों विभागों के सहयोग से प्रा0 विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की गयी है।

7- **जिला ग्राम्य विकास अभिकरण :-**यह विभाग भवनों के निर्माण में शिक्षा विभाग द्वारा 40 प्रतिशत धन तथा जिला ग्राम विकास अभिकरण द्वारा 60 प्रतिशत धन उपलब्ध कराया जाता है। इसके समन्वयक द्वारा वि

8- द्यालयों का निर्माण कराया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान में भी इस विभाग से सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

9. **ग्राम पंचायायतों से समन्वय** :-असेवित बस्तियों में भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने में ग्राम पंचायत का सहयोग मिलता है।

10. **युवा कल्याण विभाग** :- युवा कल्याण विभाग द्वारा छात्रो जाती है ताकि उनमें खेल विकास निकाय भावना का विकास होता है, जो नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से नामांकन का कार्यक्रम चलाया जाता है।

अध्याय - 4

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य:-

भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक गुणवत्ता एवं उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम "सर्वशिक्षा अभियान" कतिपय राज्यों में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जिससे उत्तर प्रदेश के 38 जनपद आच्छादित हो रहे हैं। जनपद महराजगंज भी इनमें शामिल है।'सर्वशिक्षा अभियान के संचालन हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान के अनुपात 9 वीं पंचवर्षीय योजना में 85:15 का रखा गया है। अंशदान का यह अनुपात 10 वीं पंचवर्षीय योजना में 75:25 तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 50:50 का होगा।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य:-

सर्वशिक्षा अभियान के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए गये हैं।

- 2003 तक सभी बच्चों को औपचारिक विद्यालयों शिक्षा गारंटी केन्द्रों, वैकल्पिक शिक्षा विद्यालय वापस चलों कैम्पों के माधयम से शत प्रतिशत नामांकन।
- 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना ।
- 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना ।
- संतोषजनक तथा गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना ।
- जेण्डर तथा सामाजिक विषमताओं को प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा प्रारम्भिक स्तर पर 2010 तक समाप्त करना।

सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य:-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य निर्धारित किये गये हैं:-

⇒ 06-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक (आउटर लिमिट) उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना ।

⇒ सामाजिक, क्षेत्रीय तथा जेण्डर संबंधी विषमताओं को दूर करना ।

⇒ ई0सी0सी0ई0 के महत्व को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार 0-14 करना।

⇒ आई0सी0डी0एस0 के प्रयास को समर्थन देना एवं ज
है वहाँ विशेष पूर्व विद्यालयीय शिक्षा उपलब्ध कराना।

♦ वर्ष 2010 तक शतप्रतिशत धारण।

उपर्युक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को जनप
शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकार लिया गया है साथ ही साथ जनपद महराजगंज के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गये जिनका विस्तृत विवरण इसप्रकार है-

<u>नामांकन के लक्ष्य:-</u>

राष्ट्रीय जनगणना 2001 से प्रदेश की जनपदवा
गये हैं साथ ही महराजगंज जनपद की जनसंख्या भी प्राप्त हो चुकी हैं। उक्त आकड़ो के आधार पर जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.92 प्रतिशत है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी0ई0आर0 को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित "इनरोलमेंट रेशियोमेथड" से 2002-2010 तक प्रक्षेपित किया जाता है वर्ष विशेष के लिए प्रक्षेपित जी0ई0आर0 तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है चूँकि कुल नामांकन में कुछ अधिक उम्र के बच्चे तथा कुछ कम आयु के बच्चे भी शामिल होते है। इसलिए जी0ई0आर0 का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर वर्ष 2007 के बाद जी0ई0आर0 में वृद्धि कम होगी। क्योंकि जितने बच्चे 6-11 वय वर्ग व 11-14 वय वर्ग में बढ़गे उतने ही नगभग नामांकन में बढ़गें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या, व नामांकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत है।

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	6-11 वय वर्ग की कुल जनसंख्या			नामांकन			
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	GER
2000-01	169963	139991	309954	158832	123519	282351	91
2001-02	174925	144078	319003	168172	135059	303231	95
2002-03	180032	148285	328317	180032	148285	328317	100
2003-04	185288	152614	337902	187140	154141	341281	101
2004-05	190968	157070	347768	194787	160211	354998	102
2005-06	196266	161656	357922	196266	161656	357922	100
2006-07	201996	166376	368372	201996	166376	368372	100
2007-08	207894	171234	379128	207894	171234	379128	100
2008-09	213964	176234	390198	213964	176234	390198	100
2009-10	220211	181380	401591	220211	181380	401591	100

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	11-14 वय वर्ग की कुल जनसंख्या			नामांकन			
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	GER
2000-01	5[illegible]24	41768	94482	42297	27383	69680	73
2001-02	54263	42698	97249	47034	35103	82137	84
2002-03	55847	44241	100088	49703	39375	89078	89

2003-04	57477	45532	103009	52879	41889	94768	92
2004-05	59155	46861	106016	56197	44517	100715	95
2005-06	60882	48229	109111	59664	47264	106928	98
2006-07	62659	49637	112296	62659	49637	112296	100
2007-08	64488	51086	115574	655778	52107	117885	102
2008-09	66371	52577	118948	69025	54680	123705	104
2009-10	68309	54112	122421	71724	56817	128542	105

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ठहराव के लक्ष्य :- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तर पर शत-प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य कमशः वर्ष 2007 तथा 2010 तक रखा गया है। इसके लिए जनपद में प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट निर्धारित किये गये हैं -

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट	उ0प्रा0 स्तर पर ड्राप आउट
2000-01	40.5	23.6
2001-02	33.0	20.0
2002-03	27.0	16.0
2003-04	20.0	12.0
2004-05	14.0	9.0
2005-06	9	6.0
2006-07	5	4.0
2007-08	0	02
2008-09	0	01
2009-10	0	00

उपर्युक्त निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक तीन वर्ष बाद ड्राप आउट को ज्ञात करने के लिए प्राथमिक कोहार्ट स्टडी करायी जायेगी। उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2000-01 में प्राथमिक स्तर पर ड्रप आऊट दर 37.5 प्रतिशत और उच्च प्राथमि द्वारा यह पता चलता है कि जनपद में ड्राप आऊट निम्न

- कुछ स्थानों पर विद्यालय बच्चों की पहुँच से दूर है।
- आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण रोजी-रोटी में लग जाना।
- अल्प संख्यक वर्ग के बच्चों का छोटी उम्र से ही स्वरोजगार की ओर आकर्षण।
- सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का अरूचिकर होना।
- अभिभावकों का बच्चों की शिक्षा के प्रति कम जागरूक होना।
- खेती-बारी व छोटे बच्चों की देखभाल में बड़े भाई बहनों का घर रूकना।
- समुदाय की सहभागिता/सहयोग का पूरी तरह न मिलना।

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत उपर्युक्त कारणों को दूर करने के लिए अलग-अलग कारणों को दूर करने के लिए अलग-अलग कार्यकम चलाये जा रहे हैं। फिर भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन कारणों को हटाने के उद्देश्य से सामुदायिक सहभागिता बालिका शिक्षा एवं अन्य प्रशिक्षण/कार्यशालाओं में ड्राप को समाहित कर दूर करने का प्रयास किया जायेगा। इसप्रकार वर्ष 2007-08 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2009-10 तक उच्च प्राथमिक स्त किया जा सकेगा।

अध्याय - 5.

क्रियान्वयन की कठिनाइयां एवं निदान

ग्राम स्तर,संकुल स्तर तथा ब्लाक स्तर पर फोकस ग्रुप डिस्कशन से प्राप्त अनुभवों एवं विचारों का संकलन किया गया। इसी प्रकार स्कूल चलो अभियान की सफलता हेतु जनपद स्तर पर आयोजित गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं में स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों की राय ली गयी। उन कारणों को तलाशा गया जिनके कारण नामांकन व ठहराव की दिशा में सपफलता नही मिल रही है। गोष्ठियों व कार्यशालाओं में बनी सहमतियों को भी संज्ञान में लेते हुए कार्यक्रम निर्माण में उनको शामिल करने का निर्णय लिया गया।

इस प्रकार फोकस ग्रुप डिस्कशनों, जनप्रतिनिधियों तथा स्वैच्छिक संगठनों के अनुभव विचारों के विश्लेषणोपरान्त जनपद महराजगंज में उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष संतुलित व व्यावहारिक रणनीति बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ स्कूल से बाहर बचे समस्त बालक /बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धरा में जोडने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाये जायेगे। विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों/गोष्ठियों में विचार-विमर्श के वाद प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्रा में समस्याओं एवं मुद्दे चिन्हित किये गये है जिनके समाधन हेतु इस वर्ष के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में बनायी गयी रणनीतियॉ इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	समस्याएं	रणनीतियां
(क)	छात्रा नामांकन सम्बन्धी:-	
1	शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता का अभाव तथा शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच	गरीब तथा अशिक्षित अभिभावकों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच यह है कि शिक्षित हो जाने बाद भी बच्चा बेरोजगार रहता है वह 'पैतृक कारोबार से हटेगा।इस सोच को दूर करने के लिए अभिभावकों में जागरूकता का विकास किया जाएगा और उन्हें सहमत किया जायेगा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य मात्रा रोजगार नही है अपितु व्यक्तित्व का विकास है।

2	आर्थिक एवं सामाजिक पिछडापन के कारण शिक्षा के प्रति उदासीनता	आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन शिक्षा के प्रतिनकारात्मक सोंच पैदा करते हैं, जिसे दूर करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों की जागरूकता, जागरूक व्यक्तियों का सहयोग, महिला मंगल दल, महिला सामाख्या, बालविकास परियोजना की कार्यकत्री तथा स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी से जन सम्पर्क अभियान चलाया जाएगा । इसके लिए कला जत्था, ए0एन0एम0 द्वारा भी जन जागरूकता विकसित की जायेगी।
3	बालश्रमिकों तथा उनके अभिभावकों में शिक्षा के प्रति उदासीनता।	ऐसे बच्चे जो 6-14 आयु वर्गके है और किसी न किसी रूप में श्रमिक के रूप में घर अथवा बाहर कार्य कर रहे है उनको तथा उनके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूकता बनाने के लिए सघन अभियान चलाया जायेगा। इसके लिए सर्वेक्षण आँकडों का उपयोग किया जायेगा।
(ख)	<u>शिक्षा की पहुँच सम्बन्धी :-</u>	
1	असेवित बस्तियों में विद्यालय का न होना ।	निर्धरित मानक 1.5 कि.मी. की दूरी तथा 300 से अध्कि आवादी वाले ग्राम/ बस्तियों में विद्यालय खोले जायेगे। 6-8 वय वर्ग के कम से कम 30 बच्चों की उपलब्धता पर तथा प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता से 1 कि.मी. की दूरी पर ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायेंगे।
2	कुछ स्थानों पर भौगोलिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा मे अवरोध।	भौगोलिक कठिनाइयाँ जैसे जंगल नदी नाले के कारण विद्यालय पहुँच से दूर बच्चों के लिए शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी और इसके द्वारा उन बच्चों शिक्षा की मुख्य धरा से जोड़ा जायेगा ।

3	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की ठोस व्यवस्था।	प्रत्येक विद्यालय, एन0पी0आर0सी0,बी0आर0सी0 स्तर से विशेष आवश्यकताा वाले 6-14 आयु वर्ग के बच्चों का चिह्नांकन कराया जायेगा। तदोपरान्त मेडिकल एसेस्मेंट कराकर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए0डी0आई0पी0 के सौजन्य से उन बच्चों को आवश्यक उपष्कर एवं उपकरण उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार कम और मध्यम वर्ग के विकलांग बच्चो को सामान्य बच्चों के साथ समेकित शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों का संवेदनशील बनाया जायेगा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धरा से जोड़ा जायेगा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।
(ग)	**अभिप्रेरण :-**	
1	सामाजिक सहभागिता का अभाव	ग्रामवासियों की सोच है कि विद्यालय सरकारी है और उसकी सम्पत्ति सरकारी है। अत: उसकी देख रेख की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है। इसके स्थान पर उन्हें जागरूक बनाया जायेगा कि विद्यालय और विद्यालयीय सम्पत्ति स्थानीय समुदाय की है और समुदाय के लिए ही है। अत: इसके देख-रेख में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी । ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से विद्यालय विकास की रणनीति बनायी जाएगी । ग्राम पंचायतें विद्यालय का सतत मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेंगी। माइक्रोप्लानिंग में भी गाँव के जागरूक लोगों को शामिल किया जायेगा। विद्यालयी वातावरण सृजन में सक्रिय भागीदारी ग्रामवासियों की ली जाएगी जैसे स्वच्छता,सुरक्षा, बागवानी तथा बच्चों के गणवेश बनाने में । गाँव में उपलब्ध ऐसे लोगों की सेवायें विषयों के पढाने में ली जायेगी जो शिक्षित तथा उत्साहित है। इसके साथ

		ही प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए तथा निर्धन बच्चों को आर्थिक मदद के लिए समुदाय की भागीदारी ली जायगी ।
2	बच्चों के गणवेष के प्रति अभिभावकों की उदासीनता	बच्चों का यूनीपफार्म उनमें परस्पर समानता का भाव विकसित करता है तथा विद्यालय में एक वातवावरण सृजन मे मदद मिलती हैं स्कूली छात्रा के स्कूल से बाहर भागने की प(ति पर रोक लगाने में मदद मिलती है। बच्चों की पहचान बनती है तथा उनमें स्कूल जाने की पूर्ण तैयारी की आदत विकसित करने में मिलती है।अत: अभिभावकों को बच्चों को स्कूल में स्वच्छ गणवेश में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। यद्यपि यूनीपफार्म अनिवार्य नहीं किया जाएगा किन्तु स्वच्छ वेशभूषा के प्रति बच्चों , शिक्षकों एवं अभिभावकों को घ्यान देने के लिए बल दिया जायेगा।
3	छात्रा अभिभावक एवं शिक्षक के बीच बेहतर तालमेल का न होना।	बेहतर परिणाम के लिए अघ्यापक का बच्चों एवं अभिभावकों से निरन्तर सम्पर्क एवं सामंजस्य की अनिवार्यता होती है। इसलिए विद्यालय स्तर पर कम से कम त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन कराया जाएगा। जिसमें बच्चों की माताओं तथा उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। सम्मेलन/गोष्ठियों में वच्चों के अभिभावकों को उनके प्रगति की जानकारी दी जाएगी। अभिभावकों के अनुभव/विचारों को छात्र विशेष के संदर्भ में नोट किया जायेगा तथा विद्यालय की ओर से भी सहयोग हेतु उन्हें विशेष सुझाव दिये जायेगे । प्रयास यह भी रहेगा कि इन बैठकों में ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय भागीदारी हो।
(घ) 1	विद्यालय में छात्रा ठहराव सम्बन्धी :-	प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए स्वावलम्बन तथा आत्म निर्भरता की भावना विकसित करने के लिए व्यवसायिक शिक्षा के

	प्राथमिक शिक्षा की उपादेयता के प्रति अभिभावकों की नकरात्मक सोच।	कार्यक्रमों को क्रियान्वयित किया जाएगा जैस-ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए स्थानीय क्रापट, सिलाई कढाई, बुनाई , फल संरक्षण, चटाई निर्माण, तथा नगरीय क्षेत्रों में मेंहदी, ललित कला, सिलाई कढाई व बुनाई जूट के कपड़े के बैग बनाना आदि सिखाने का प्रबन्ध किया जायेगा। कढाई बुनाई केवल परम्परागत न होकर इसमें नीटिंग मशीनों को सहायता ली जायेगी।
2	भौतिक संसाधनों का अभाव ।	छात्रों संख्या के अनुपात में कक्षा - कक्षों की कमी, पेयजल, शौचालय, पफर्नीचर, चहरदीवारी आदि की अनुपलब्ध को दूर करने के लिए अतिरिक्त कक्षा - कक्षों का निर्माण कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी चारदीवारी के निर्माण के लिए क्रमशः प्रयास किया जायेगा।
3	शिक्षकों का विद्यालय में कम ठहराव।	शिक्षणेत्तर कार्यो के बहाने शिक्षकों का विद्यालय से बार बार बाहर जाना अथवा विद्यालय में रहते हुए शिक्षण कार्य न करने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए ब्लाक स्तर पर कम्प्यूटरीकृत प्रणाली विकसित की जायेगी।जिसमें सूचनाएँ संकलित की जायेंगी जिससे बार-बार सूचनाओं के आदान - प्रदान में समय की बचत की जायेगी। प्राथमिक स्तर पर निर्धारित पाठयक्रम मे माहवार विभाजन को कठोरता पूर्वक कक्षा शिक्षण में लागू किया जायेगा। स0बे0शि0अ0/ बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 प्रभारी इसका सतत् अनुश्रवण करेंगे।
4	विद्यालय का आकर्षक वातावरण का न होना।	बच्चों की बैठक व्यवस्था को सुविध जनक बनाने के लिए टाट पटटी की जगह प्लास्टिक की चटाई 4*6 माप की क्रय करायी जाएगी। जिससे बच्चों को समूहों मे बैठकर कार्य करने एवं गतिविधियों मे

		प्रतिभाग करने में सहूलियत होगी। पफूल-पत्ती, प्रांगण की स्वच्छता, काष्ठोपकरण की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य की जायेगी ।
(ड.)	गुणवत्ता बृद्धि सम्बंधी :-	
1	अघ्यापकों की कमी ।	छात्रा अघ्यापक अनुपात के लिए निर्धारित मानक 40:1 को घ्यान में रखते हुए प्रा0वि0में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी ।
2	शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में ह्रास।	सीखने सिखाने की प्रकिया को प्रभावी बनाने वाले कारको में शिक्षक छात्रा के बीच स्थापित मधुर व्यवहार की आवश्ययकता निर्विवाद है। इस हेतु शिक्षक अभिप्रेरण का कार्यकम जनपद महराजगंज में प्रा0 स्तर पर चलाया गया है।तथापि इसे आगे भी चलाया जायेगा। शिक्षक के व्यक्तित्व विकास हेतु विषय वस्तु की समझ तथा शिक्षण कौशल में वृद्दि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे ।
4	अघ्यापकों से शिक्षणेत्तर कार्य कराये जाने के कारण शिक्षण में अवरोध।	शिक्षकों से राष्ट्रीय महत्व के कार्यो को ही सम्पन्न कराने में सहयोग लिया जायेगा। विभागीय सूचनाओं के आदान- प्रदान को शिक्षण कार्य पर कदापि हावी नहीं होने दिया जायेगा। बच्चों के पठन-पाठन के प्रति उन्हें उत्तरदायी बनाया जायेगा। प्राथमिक विद्यालय, शिक्षक तथा छात्रों की सम्प्राप्ति का मूल्यांकन माहवार मानक बिन्दुओं के आधार पर किया जायेगा तथा शिक्षक के वेतन वृद्धि तथा चरित्र पंजिका में प्रविष्टि की जायेगी।
5	शिक्षण के प्रति शिक्षकों में अरूचि होना।	कतिपय विद्यालयों की गुणवत्ता ह्रास के पीछे उसमें कार्यरत शिक्षकों का शिक्षण के प्रति अरूचि का होना पाया गया है। इसके लिए उनमें प्रतिप्पर्धा की भावना का विकास किया जायेगा। विपय वस्तु आधारित प्रतियोगिताए न्याय पंचायत, ब्लाक तथा जनपद स्तर

		पर की जायेगी। प्रशिक्षण के दौरान व प्रशिक्षण के उपरान्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसमें कम से कम 50प्रतिशत की उपलब्धि को प्राप्त करना अनिवार्य होगा इसके विपरीत दशा में संबंधित की वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी। बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर को भी शिक्षक की रूचि एवं उपलब्धि के रूप में देखा जायेगा।
6	छात्र सम्प्राप्ति का सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन का अभाव	परम्परागत परीक्षा प्रणाली छात्रों की प्रगति का समग्र मूल्यांकन करने में अक्षम साबित हुई है। अतएव प्राथमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपनायी जाएगी, जिसके अन्तर्गत मासिक परीक्षणों, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं तथा बच्चों के अभ्यास कार्यो को आधर बनाया जायेगा। संज्ञान सहगामी पक्ष को भी मूल्यांकन में शामिल किया जायेगा। मूल्यांकन का लक्ष्य मात्रा गलतियां पकड़ना न होकर बच्चों को सीखने सिखाने में हो रही कठिनाइयों का पता लगाना और उसमें सुधर के लिए रखा जाएगा । कमजोर व शैक्षिक दृष्टि से पिछडे बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जायेगी। तथा उनके लिए तेज बच्चों व समुदाय के शिक्षित उत्साही लोगो की मदद ली जायेगी।
7	शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग न होना।	शिक्षण प्रकिया को प्रभावी एवं सहज बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिए एन0पी0आर0सी0/ बी0आर0सी0 स्तर पर टी0एल0एम0 निर्माण एवं प्रयोग की कार्यशालाएँ आयोजित की जायेंगी। टी0एल0एम0 प्रयोग के प्रोत्साहन हेतु मटेरियल मेलों का आयोजन किया जायेगा एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया जायेगा। किन्तु यह प्रदर्शन कक्षा शिक्षण मे टी.0एल0एम0 प्रयोग को ही मुख्य आधार माना जायेगा। खेलकूद का आयोजन मे वृक्षारोपण एवं

		बच्चों एवं ग्रामवासियों की सक्रिय भागीदारी ली जायेगी ।
8	छात्र अभ्यास पुस्तिकाओं मे जॉच व संशोधन के प्रति उदासीनता।	प्रत्येक विषय के लिए छात्रा अभ्यास पुस्तिका की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों को जागरूक बनाया जायेगा। प्रत्येक माह शिक्षण के साथ साथ विविध अभ्यास प्रश्नों को हल कराना शिक्षक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा । कक्षा कार्य एवं गृह कार्य का नियमित संशोधन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिए शिक्षकों को एन0पी0आर0सी0 स्तर पर तीन दिन का प्रशिक्षण आयोजन किया जायेगा। विद्यालय श्रेणीकरण में इसे एक आधार माना जायेगा।
9	अध्यापको का छात्र अनुपात मानक के अनुरूप न होना।	अधिक छात्र और कम अध्यापक तथा विद्यालय में कुल एक दो अध्यापक होने के कारण पठन पाठन की गुणवत्ता में ह्रास होता रहता है। इसलिए निर्धारित मानक 40:1 के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है।
10	शिक्षक संदर्शिकाओं के कक्षा शिक्षण में प्रयोग के प्रति उदासीनता।	नवीन पाठय पुस्तकों के कक्षा शिक्षण में प्रभावी उपयोग हेतु प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए शिक्षक संदर्शिकायें विकसित की गयी हैं किन्तु शिक्षकों द्वारा उनके अनुप्रयोग के प्रति उदासीनता प्रदर्शित की जा रही है बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर शिक्षक संदर्शिकाओं के अनुप्रयोग हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँगी। एवं विद्यालय स्तर पर कक्षा शिक्षण में उनके प्रयोग के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाया जायेगा। विद्यालय पर्यवेक्षण के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा विशेष बल प्रदान किया जायेगा।
(च)	संस्थागत क्षमता संबंधी:	शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर शैक्षिक सपोर्ट प्रदान

1	शैक्षिक सपोर्ट (अनुसमर्थन)की व्यवस्था का प्रभावी न होना।	करने के लिए बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0/डायट मेंटर/जिला समन्वयकों के नियमित भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। निम्न श्रेणी के अन्तर्गत चिह्नित विद्यालयों में ये भ्रमण अधिक किये जायेंगे और ये अनुसमर्थक, निरीक्षणकर्ता न होकर शिक्षकों एवं बच्चों के लिए अनुसमर्थक के रूप में कार्य करेंगे। शैक्षिक अनुसमर्थन में कुशल बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण /कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।
2	बी0आर0सी0 / एन0पी0 आर0सी0 स्तर पर लेखा नियमों की जानकारी तथा अभिलेखों के रख-रखाव की जानकारी का अभाव।	डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत चलने वाली विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के संचालन हेतु बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 तथा विद्यालयों पर जो धनराशियाँ स्थानान्तरित की गयी है उनके आय एवं व्यय से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव सही ढंग से नही किया गया। समय समय पर सम्प्रेक्षण एवं उच्च अधिकारी द्वारा जाँच करने पर अनियमितताओं का आधर मुख्य रूप से संबंधित कर्मचारियों को लेखानियमों एवं अभिलेखों के रख-रखाव की जानकारी न होना पाया गया। उपर्युक्त के समाधन हेतु समस्त बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 प्रभारियों की जनपद स्तर पर तीन दिवसीय तथा बी0आर0सी0 स्तर पर समस्त प्र0अ0 की दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिससे संबंधित जानकारी उनको दी जा सके ।
3	प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में कठिनाइयों की पहचान एवं दूर करने के उपायों के लिए एक्शन रिसर्च की कमी।	प्राथमिक क्षेत्रों में कठिनाइयों की पहचान एवं उनके निराकरण हेड ऐक्शन रिसर्च की सुनियोजित कार्ययोजना अमल में लायी जायेगी। शोध सम्प्राप्त निष्कर्षो को मासिक बैठकों/कार्यशालाओं के द्वारा शिक्षकों तक पहुँचाया जायेगा।

अध्याय 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार
(नवीन औपचारिक विद्यालय)

नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना –

छोटे–छोटे बच्चों को दूरस्थ प्राथमिक विद्यालयों में पहुँचना अपने आप में कठिन हैं। नामांकन के बाद उनकी उन दूरस्थ विद्यालयों में नियमित उपस्थिति और भी कठिन हो जाती है। इसलिए शासन द्वारा 300 आबादी 1.5 किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोलनेका संकल्प लिया गया। सितम्बर 1997 मे डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत उक्त मानक अनुसार 209 असेवित वस्तियॉ चिन्हित की गयी। इस प्रकार परियोजना पूर्व में 394 विद्यालय थे। जिसमें 30 भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसप्रकार 1024 विद्यालय वर्तमान में है तथा 79 विद्यालय निर्माणाधीन हैं। तत्पश्चात जनसंख्या वृद्धि के कारण वर्ष 2001–02 के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में 20 असेवित वस्तियों में प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण का लक्ष्य निर्धरित हैं। परन्तु सूक्ष्म नियोजन से प्राप्त सांख्यिकी एवं फोकस ग्रुप डिस्कशन के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जनपद महराजगंज में 204 ऐसी वस्तियां हैं जिनकी आबादी 300 से अधिक है तथा 1 कि0मी0 1.5 कि0मी0 के परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। इसी प्रकार 216 ऐसी वस्तियां है जिनकी आबादी 300 से अधिक है, परन्तु जिनकी विद्यालय से दूरी 1.5 कि0मी0 से अध्कि है। इसप्रकार कुल 420 ऐसी वस्तियां चिह्नित की गयी हैं, जो असेवित है। सर्व शिक्ष अभियान के अंतर्गत इन्हें सेवित करने के लिये मात्रा 332 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने पर उक्त सभी बस्तियां सेवित हो जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित निर्माण कार्य हेतु 33 प्रतिशत सिलिंग के अन्तर्गत कुल 125 प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण की व्यवस्था जनपद हेतु निर्धारित बजट से की जायेगी। शेष 207 प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित हैं जिन्हें निम्नलिखित वर्षो में पूर्णकर लिया जायेगा–

वर्ष	2001–02	02–01	03–04	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09
प्रा0वि0	–	–	92	–	–	–	–	–

उपर्युक्त सभी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पेयजल, शौचालय, चहारदिवारी, काष्ठोपकरण, उपस्कर, शिक्षण सामग्री व शिक्षकों की आवश्यकता होगी।

विद्यालयीय साज–सज्जा की आवश्यकता :– नवीन प्राथमिक विद्यालयों को सुसज्जित करने के लिए निर्धरित मानक के अनुसार ध्नराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समितियों के माघ्यम से कराया जायेगा।

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक प्रधानाघ्यापक तथा एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा मित्र विकास क्षेत्रावार नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं प्रधनाघ्यापक/शिक्षा मित्रा तथा आवश्यक सुविधाओं की मांग निम्नांकित सारणी में उल्लिखित हैं।

2. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना –

जनपद महराजगंज में प्राथमिक विद्यालय 1024 हैं जबकि कुल उच्च प्राथमिक विद्यालय मात्रा 95 हैं। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रति 2 प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का मानक निर्धरित किया गया हैं, परन्तु बाल गणना तथा 800 की आबादी व 3 कि0मी0 की दूरी को घ्यान में रखते हुए असेवित क्षेत्रों का चिन्ह्ांकन करने पर मात्र 292 ऐसे क्षेत्र उभरकर आयें हैं जहॉ उ0प्रा0 विद्यालयों की स्थापना कर देने से सभी बस्तियां सेवित हों जायेगी। इसप्रकार जनपद में प्राथमिक तथा उ0प्रा0 विद्यालयों के बीच का अनुपात 3.7:1 होगा।

कुल प्राथमिक विद्यालयों की सं0–	1215
नवीन प्रस्तावित प्रा0विद्यालय की सं0–	0
योग–	1215
3.7:1 के अनुपात में उच्च प्रा0 वि0 सं0–	328
वर्तमान में उच्च प्रा0वि0 की संख्या–	215
नवीन प्रस्तावित उ0प्रा0वि0 की आवश्यकता–	113

नवीन प्रा0 विद्यालय साज-सज्जा :-

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलबध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को कय किया जायेगा- मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, आलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्वेपमेण्ट ;ढोलक, मजीरा, हारमोनियक, रिंग, गेद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सीद्ध कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञान कोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि)। उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी किन्तु ग्रामीण अंचलों में विज्ञान किट, गणित किट, सुलभता से उपलबध नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनकी व्यवस्था जनपदीय कम समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

नवीन उ0प्रा0 विद्यालय साज-सज्जा :- ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को कम किया जायेगा- मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्यूपमेण्ट, (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी, आदि), कीड़ा सामग्री (फुटबाल, बालीवाल, स्कीपिंग से, हवा भरने का पम्प, क्लास रूम टीचिंग मैटीरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोव, ज्ञान कोष, टू इनवन, आदि-आदि तथा शिक्षक सहायता सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी)।

उपर्युक्त प्रस्तावित नवीन उ0प्रा0 विद्यालयों शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इण्डिया मार्का हैण्डपम्प, चहारदिवारी, शौचालय, शिक्षण सामग्री, काष्ठोपकरण तथा उपस्कर एवं शिक्षकों की आवश्यकता होगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लिए साज–सज्जा– सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से विद्यालयी साज–सज्जा शिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए निर्धारित मानक के अनुसार धनराशि को प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

शौचालय, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प–II, एवं चहारदिवारी की व्यवस्था :– प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालक, बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा। बच्चों की स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक विद्यालय में इंडिया मार्का हैण्ड पम्प–II लगवाया जायेगा, इसीप्रकार विद्यालयीय सम्पत्ति, प्रांगण की सुरक्षा, अतिक्रमण से बचाव तथा पठन–पाठन हेतु वातावरण सृजन के लिये प्रत्येक विद्यालय के चहारदिवारी का निर्माण कराया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर किशोर आयु की बालिकाओं के अध्ययनरत होने के कारण भी चहारदिवारी की आवश्यकता हैं।

विकास खण्डवार प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या एवं उनमें आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता का विवरण सारणी में उल्लिखित है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों क आवश्यकता– सर्व शिक्षा अभियान में अन्तर्गत प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक एवं चार सहायक अध्यापकों की व्यवस्था करने का मानक निर्धारित है, क्योंकि इस स्तर पर विषयवार एवं कक्षावार अध्यापकों की आवश्यकता होती है। जिसका विवरण निम्नांकित सारणी में उल्लिखित हैं।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों का वर्षवार निर्माण का प्रस्ताव

वर्ष	2001–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09
उ0प्रा0वि0 की संख्या	–	21	89	73	40	–	–	–

इस प्रकार प्रस्तावित समस्त नवीन उच्च प्रा0वि0 का निर्माण वर्ष 2006–07 में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य 2007 तक पूर्ण करना है।

वर्षवार शिक्षकों की आवश्यकता

क्र0 सं0	वर्ष	नवीन प्रा0वि0	प्रधन अध्यापक	अध्यापक	नवीन उ0प्रा0वि0	प्र0अ0	स0अ0
1	2002–03	–	–	–	21	21	63
2	2003–04	92	92	92	89	89	267
3	2004–05	–	–	–	–	–	–
4	2005–06	–	–	–	–	–	–
5	2006–07	–	–	–	–	–	–
6	2007–08	–	–	–	–	–	–
7	2008–09	–	–	–	–	–	–
8	2009–10	–	–	–	–	–	–

उच्च प्राथमिक विद्यालयोंकी स्थापना लागत में कमी लाने हेतु प्रयास–

नवीन प्रस्तावित उच्च विद्यालयों के निर्माण हेतु यह प्रयत्न किया जायेगा कि पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय की भूमि में ही स्थापित किया जाय, इससे पेयजल, चहारदिवारी, शौचालय एवं उपलब्ध भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे निर्माण लागत में कमी की जा सकेगी।

विद्यालय भवन निर्माण कार्यदायी संस्था –

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण में भी समुदाय की सहभागिता एवं स्वामित्व की भावा विकसित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति को सौंपा जाना प्रस्तावित है।

निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण व्यवस्था –

यद्यपि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से पूर्व करने का प्रस्ताव किया गया है तथापि निर्माण कार्यो का समय–समय तकनीकी पर्यवेक्षण करवाया जाना आवश्यक है। इसके लिए ब्लाक स्तर पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अथवा लघु सिचाई विभाग के अभियंताओं का सहयोग लिया जायेगा।

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकडे प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

तालिका संख्या–6·1

परिवार सर्वेक्षण के आधार पर 30.06.2003 को कुल बच्चों की संख्या

जनपद– महराजगंज

क्र0 सं0	श्रेणी/वर्ग	6+ से 10+ आयु वर्ग			10+ से 14 आयु वर्ग			कुल योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सामान्य	13402	11842	**25244**	6514	6145	**12659**	19916	17987	**37903**
2	अनु0जाति	41230	26543	**67773**	17189	12532	**29721**	58419	39075	**97494**
3	अनु0जनजाति	319	285	**604**	147	160	**307**	466	445	**911**
4	पिछड़ा वर्ग	88478	74306	**162784**	36561	27210	**63771**	125039	101516	**226555**
5	अल्प संख्यक	35327	30107	**65434**	13543	10703	**24246**	48870	40810	**89680**
	योग–	178756	143083	321839	73954	56750	130704	252710	199833	452543

तालिका संख्या–6·2

विद्यालय विकास अनुदान दर 2000/–प्रति विद्यालय

जनपद– महराजगंज उच्च प्राथमिक विद्यालय परिषदीय एवं शासकीय

क्र0 स0	वर्ष	परिषदीय एवं शासकीय	शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त	योग
1	2	3	4	5
1	2004–05	260	39	**299**
2	2005–06	260	39	**299**
3	2006–07	260	39	**299**
	योग–	**780**	**117**	**897**

तालिका संख्या–6·3

विद्यालय अनुरक्षण अनुदान दर 5000/–प्रति विद्यालय

जनपद– महराजगंज

क्र0 सं0	वर्ष	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0वि0	योग
1	2	3	4	5
1	2004–05	1215	215	**1430**
2	2005–06	1215	215	**1430**
3	2006–07	1215	215	**1430**
	योग–	3645	645	4290

तालिका संख्या–6.5

विद्यालय विकास अनुदान दर 2000/–प्रति विद्यालय

जनपद– महराजगंज

क्र0 सं0	वर्ष	प्राथमिक विद्यालय परिषदीय एवं शासकीय
1	2	3
1	2004–05	1227
2	2005–06	1227
3	2006–07	1227
	योग–	3681

अध्याय – 7

<u>शिक्षा की पहुँच का विस्तार(ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0)</u>

<u>जनपद महराजगंज की सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक संरचना:–</u>

जनपद में प्राथमिक शिक्षा से अपवचित रहने का मूल कारण यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि का असमान होना हैं यहाँ के लोगों के मन मस्तिष्क में जो अवधारणा जड जमाकर बैठी हुई है कि जो अपने मस्तिष्क से काम करते हैं वे शासक हैं तथा जो हाँथों से काम करते हैं वे शासित हैं। शिक्षा इस नहीं हो पा रही है, इन अवधारणाओं का यहाँ के धार्मिक विचारों तथा उन दृष्टिकोणों से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं, जो भारत की वर्ण व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। आज भी जनपद विकास की दौड़ में पीछे चल रहा हैं। यहाँ के अधिकांश बच्चे रेलगाड़ी किताबों के पन्नों में देखते हैं। यहाँ का सामाजिक वर्गीकरण विषमता पूर्ण है। आर्थिक रूप से उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग के बीच का अन्तर अधिक है। आर्थिक तंगी के कारण समस्याओं से जूझता यहाँ का नागरिक अपने बच्चों के हाँथों में काम देकर तत्काल उदरपूर्ति की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में जाना उनके लिए निरर्थक है।

जनपद भौगोलिक रूप से नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित है यहाँ की भूमि असमतल है। अत: प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका एवं जल जमाव की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे जनपद का आधा भूभाग प्रत्येक वर्ष उसे 3 माह तक जलमग्न / जलजमाव से ग्रसित रहता है। परिणाम स्वरूप औपचारिक विद्यालय उक्त अवधि मे बंद पडे रहते हैं, इस क्षेत्र में वैकल्पिक केन्द्रों की आवश्यकता है।

निचलौल विकास क्षेत्र छोटी गंडक एवं चन्दन नदी की बिभीषिका से प्रति वर्ष प्रभावित होता है। इसी प्रकार नौतनवां विकास क्षेत्र के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भूभाग झरही महाव, बघेला एवं रोहिन, टन्डा के उफान से प्रभावित होता है, इन नदियों में बरसात के मौसम में बारिश के पानी के साथ -साथ पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ों से अनियंत्रित जल एकत्रित हो जाते है। विकास क्षेत्र लक्ष्मीपुर का पश्चिमी भूभाग महराजगंज क्षेत्र का उत्तर पश्चिमी भूभाग , पनियरा का उत्तर पूर्वी भूभाग के रोहिन के उफान से जल प्लावित हो जाते हैं। वेनी नदी के बाढ से बृजमनगंज का उत्तरी एवं पश्चिमी भूभाग प्रभावित होता हैं। राप्ती नदी की विभीषिका से प्रतिवर्ष धानी विकास क्षेत्र का अधिकांश भूभाग जल प्लावित हो जाता है।

इस प्रकार प्रत्येक वर्ष बाढ एवं जल जमाव की समस्या यहाँ के जीविकोपार्जन एवं आर्थिक स्तर को प्रभावित करता हैं।

⊥ जनपद महराजगंज का कुल 17 प्रतिशत भूभाग बनों से अच्छादित हैं। सदियों से इन जंगलों के बीच रहने वाले लोग 'बनटांगिया' कहे जाते हैं। इस समुदाय के लोग बन लगाते है एवं मूँग की खेती का कार्य करते हैं। बन विभाग के द्वारा निर्गत आदेश के तहत (भारत सरकार द्वारा सेंचुरी घोषित होने के कारण बन क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आवादी नहीं रहेगी) बन टांगिया के कई हजार परियार प्रभावित हुए तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय के द्वारा इन्हें यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया।

उक्त बनटांगिया क्षेत्र की कुल आबादी 12725है। उस क्षेत्र मे शिक्षा विभाग व अन्य विभागों के द्वारा विकास हेतु निर्माण कार्य कराने पर प्रतिबन्ध है।

अतः उनके बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक व नवाचार शिक्षा, ब्रिजकोर्स ही विकल्प है।

जनपद महराजगंज के विकास क्षेत्र निचलौल में अनुसूचित जाति की आबादी कुल आबादी की 45 प्रतिशत है, यहॉ की भौगोलिक स्थिति भी भीषण है। न्याय पंचायत सोहगीबरवां आदि भी विकास की किरणों से दूर है। आवागमन का मार्ग आसानी से सुलभ नहीं है, यहॉ की मुख्य फसल गन्ना है। जीविकोपार्जन हेतु अधिकतर बच्चे गन्ना के खेत में मजदूरी करते हैं, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर एवं सामाजिक रूप से पिछडेपन के कारण वैकल्पिक शिक्षा आवश्यक है।

विकास खण्ड नौतनवां में नेपाल की सीमा से सटे हुए गॉव एवं उत्तरी एव पश्चिमी भूभाग में जंगलों से सटे गॉव की आबादी अनुसूचित जन जाति बाहुल्य है। मुख्य रूप से थारू जन जाति के लोग यहॉ रहते है, उनकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नांकित प्रयास किया जाना समीचीन है।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु सुझावः-

थारू जनजाति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है कारण एक नहीं अनेकों हैं, जिसपर बिना चर्चा किए और समझ बनाये न ही थारू समाज का उत्थान होगा और ना ही शिक्षा एवं साक्षरता दर में बढोत्तरी ही होगी। इस मुद्दे पर बहस करना एवं कारगर नीति निर्धारण व उसको अमल में लाना आवश्यक है।

1. थारूओं की रूढिवादी मान्यतायें व परम्पराओं को समझना तथा उससे आगे बढने के सत्र निकालना होगा।
2. बालिकाओं के शिक्षा के मामले बहुत ही पीछे हैं, इनके पीछे उनकी रूढता एवं मानसिकता काम करती है और क्षेत्र में तैनात शिक्षकों में महिला शिक्षकों की कमी भी एक बड़ा कारण है।
3. तैनात शिक्षकों में बालिकओं को सम्भालने की कुशलताओं, क्षमताओं की कमी एवं उनके मनोभाव के प्रभाव से भी बालिका शिक्षा प्रभावित हो रही है।
4. शिक्षालयों में विशेष रूप से बालिकाओं के लिए उपर्युक्त सुविधाओं एवं वातावरण का अभाव है।
5. थारू क्षेत्र में अधिकाधिक क्षेत्र में घरेलू एवं कृषि कार्य के चलते बच्चों की देख-रेख स्कूल जाने वाले बच्चों पर पड जाता है। बच्चों पर बच्चों के बोझ के चलते भी बहुत से बच्चे स्कूल का मुह नहीं देख पाते हैं ।
6. घर में पशुओं की देख-रेख की जबाबदेही उन्हीं बच्चों पर है। इसलिए भी बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं।

सुझावः-

इस प्रकार पूरे क्षेत्र में बालिका शिक्षा अभियान विशेष रूप से चलाया जाएगा।

सबसे पहले समाज में शिक्षा के महत्व पर जागरूकता लाने एवं मानसिक तैयारी हेतु वातावरण सृजन की आवश्यकता है।

थारू क्षेत्र में समस्त शिक्षा से संबधित योजनाएँ एक साथ में लागू करना होगा। जिसके लिए चरणबद्ध कार्यक्रम की रणनीति प्रस्तावित की गयी है।

चरण बद्ध योजना:-

शिक्षा के परिवेश का आंकलन ।

कार्ययोजनाा का निर्धारण चलाये जा रहे कार्यक्रमों के साथ साथ प्रस्तावित अन्य वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्थाओं की सम्भवनाएँ क्या हैं ?

सभी उन वर्ग के लागों के लिए क्या क्या योजना की आवश्यकता है।

क्रि या ान्व य न -

1. वातावरण सृजन समुदाय की भागीदारी समितियों का गठन एवं सकियता व शिक्षा कर्मियों का उन्मुखिकररण।
2. शिक्षण केन्द्रो, विद्यालयों का संचालन ।

निगरानी- शिक्षा समितियों के द्वारा प्रत्येक गतिविधियों के निगरानी हेतु सक्षम बनाने का प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

मूल्यांकन- जन सहभागिता शिक्षा समितियों की मुख्य भूमिका एवं निष्कर्ष मिलजुलकर निकाला जाय। उपलब्धी एवं कर्मियों में सभी घटकों को अपनाना होगा ।

इस प्रकिया में स्वैच्छिक संस्थाओं को सीधा हस्तक्षेप करने का मौका देना तथा शिक्षा समितियों को सकिय करना जिससे कि वह स्वयं कार्य को अंजाम दे सके।

प्रौढों एवं नव साक्षरों हेतु ग्रामीण पुस्तकालयों , सूचनाएँ अपने कार्यो को करने की नवीन विधियों की जानकारी हो सके।

सीख के द्वारा प्राप्त नयी शिक्षा के अनुसार पुनः रणनीति तैयार करना व इसी कम में पुनः आगे श्रृंखला बढ़ाना ।

योजना के हर चरण में लोक भागीदारी को महत्व देनाा होगा ।

लोगों के समय निर्धारण के अनुसार ही वैकल्पिक संसाधनों के उपयोग की योजना बनानी होगी ।

इन क्षेत्रों के लिए अपने मानक में संशोधन करने की आवश्यकता है जैसे 1 किलो मीटर के अन्दर या ग्राम पंचायतों में जो शिक्षा सुविधा है, उससे तो यह सम्भव नहीं हो सकता इस लिए संशोधन जरूरी है ।

शिक्षकों की तैनाती पर विशेष घ्यान देना और छात्रानुपात में शतप्रतिशत तैनाती सुनिश्चित करना होगा ।

महिला शिक्षकों की तैनाती प्रत्येक शिक्षा केन्द्रों एवं विद्यालयों में न्यूनतम 1 या छात्रानुपात में करना होगा ।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष जोर देना होगा प्रशिक्षण मात्र क्लाश रूम में नहीं वल्कि शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रूप से कार्यरत परियोजना में शिक्षा कर्मियों का भ्रमण शामिल है ।

विकास क्षेत्र महराजगंज में पिपरदेउरा, बैकुण्ठपुर तथा विकास खण्ड फरेन्दा के करहिया क्षेत्रों में कगड(करैला) जाति के लोग निवास करते हैं मुख्य रूप से ये घुमक्कड जन जाति हैं, ये विकास के किरणों से अभी भी दूर हैं इनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ब्रिज कोर्स ग्रीष्मकालीन शिविर आवश्यक हैं ।

जनपद में दो नगर पालिका क्षेत्र एवं चार टाउन एरिया क्षेत्र घुघली, सिसवा, फरेन्दा,निचलौल स्थिति हैं। इन क्षेत्रों में वर्ष 1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में श्रम विभाग के नेतृत्व में कराये गए बाल श्रमिक के चिन्हांकन के परिणाम स्वरूप लगभग 150 बच्चे चिन्हित किए गए। इन क्षेत्रों में दुकानों पर काम करने वाले बच्चे, होटलों में काम करने वाले बच्चे झुग्गी झोपडी, गन्दी एवं मलीन स्थान पर रहने वाले बच्चे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं इन्हें प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हैं, इन क्षेत्रों में ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविर अथवा वैकल्पिक केन्द्रों की आवश्यकता है ।

1999 की जनगणना के अनुसार जनपद में साक्षरता दर (10.28) में
किये गये प्रयास सराहनीय है, परन्तु अभी भी दो तिहाई से अधिक महिलायें एवं एक तिहाई
पुरूष निरक्षर है। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के अ
बच्चों का चिन्हांकन किया गया। चिन्हांकित कुल बच्च
35923 बच्चे प्राथमिक शिक्षा/उच्च प्राथमिक शिक्षा से वंचित है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में पाठशाला त्यागी बच्चे, कामकाजी बच्ची, बाल श्रमिक,बंधुआ -मजदूर घरों में छोटे बच्चों की देखभाल करने के कारण एवं घरेलु कार्यों के कारण शिक्षा से वंचित बालिकायें, ईट भट्टों पर काम करने वाले बच्चे जंगलों में लकड़ी चुनने वाले बच्चे, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ बच्चे, आदि प्राथमिक शिक्षा से वंचित है। शहरी क्षेत्र में स्कूल न जाने वाले प्रायः ये बच्चें है, जो कहीं पर काम करते है, जैसे कारखानों में बाल-श्रमिक के रूप में होटलों व दुकानों पर मजदूरी करना, जो कहीं काम भी नहीं करते और भोजन या अन्य जरूरतों के लिये सड़कों पर ,रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन घूमते हैं, अथवा पोलिथिन चुनते हैं, ऐसे बच्चे या तो अपवंचित परिवार के है या वे बालक बालिकायें है जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, साथ ही शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित है

ऐसे बच्चों में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की संख्या अधिक है। विद्यालयी शिक्षा से अरूचि होने का मुख्य कारण वर्तमान शिक्षा व्यवस्था उनकी आवश्यकता के अनुरूप न होना है। यह उनके लिये न तो जीवनोपयोगी है और न ही उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप है। बच्चों तथा अभिभावकों की दृष्टि में यह शिक्षा उन्हे जीवन से नहीं जोड़ती है। उन्हें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उनके परिवेश से जोड़कर पढ़ना लिखना सिखाने के साथ-साथ एक बेहतर इंसान बना सके। वर्तमान शिक्षा उनके लिये अर्थपूर्ण उपयोगी एवं रूचिकर नहीं है।

वैकल्पिक शिक्षा की आवश्यकता

वैकल्पिक शिक्षा की परिकल्पना वैदिक काल में संचालित गुरूकुल आश्रम व्यवस्था से की गयी है। जब शिक्षार्थी गुरू के घर में रहकर कृषि, राजनीति विज्ञान, आदि की

शिक्षा प्राप्त करते थे। स्वतंत्र भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक विद्यालय, समुदायिक विकास केन्द्र, पंचायत, सरकारी और स्वैच्छिक संस्था की सहायता से अनौपचारिक शिक्षा हेतु अभियान चलाया गया। शिक्षा आयोग (1964-66) ने कार्यात्मक साक्षरता अनुवर्ती और निरन्तर शिक्षा एवं पुनर्शिक्षा के कार्यक्रम पर बल दिया। साथ-साथ विकास कार्यक्रमों को जोड़ा गया। 2 अक्टूबर पहले साक्षरता हेतु संकल्प लिया गया। सन् 1979 में केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि औपचारिक शिक्षा के परिधी से बाहर रहने वाले बालक-बालिकायों को अनौपचारिक प्रणाली के माध्यम से शिक्षित किया जाय। अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत 6-11 आयु वर्ग के विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी। जिसके अन्तर्गत पूरे देश में संचालित 290000 शिक्षा केन्द्रों के द्वारा कुल 72,50000 बच्चों को लाभान्वित किया गया।

जनपद महराजगंज के 12 विकास खण्डों में कुल 1160 अनौपचारिक केन्द्र संचालित थे, जो शासन के आदेश के अनुपालन में 31 मार्च 2001 को सभी केन्द्रों स्थगित कर दिया गया।

वैकल्पिक शिक्षा/ शिक्षा गारंटी योजना:-

जनपद में वर्ष 1997 से संचालित जिला-प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा/ शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा से वंचित उपर्युक्त उल्लिखित समूह के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सार्थक प्रयास किए गये। जनपद स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा/ शिक्षा गारंटी योजना का सम्भाग अलग स्थापित किया गया, जिसका मुख्य दायित्व उक्त समूह के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है।

वैकल्पिक शिक्षा/ शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत संचालित केन्द्रों एवं लाभार्थियों का ब्लाकवार विवरण निम्नांकित सारिणी में दर्शाया गया है:-

विकास क्षेत्र	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र				शिक्षा गारंटी योजना	लाभार्थी		
	शिक्षा घर	बाल शाला	प्रहर पाठशाला	मकतब /मदरसा	विद्या केन्द्र	बालक	बलिका	योग
महराजगंज	15	3	2	-	-	351	340	691
घुघली	15	2	3	2	-	340	420	760
परतावल	15	2	3	-	5	353	452	805
पनियरा	15	3	2	-	4	382	387	769
सिसवां	-	-	-	3	20	351	372	723
मिठौरा	-	-	-	3	20	357	362	719
निचलौल	-	-	-	3	2100	389	378	767
फरेन्दा	-	-	-	3	22	392	382	774

बृजमनगंज	-	-	-	2	23	407	411	818
लक्ष्मीपुर	-	-	-	2	22	367	376	743
नौतनवां	-	-	-	2	23	417	422	839
धानी	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	60	10	10	20	160	4106	4302	8408

जनपद में शैक्षिक संस्थाओं की पर्याप्त व्यवस्था , जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित वैकल्पिक केन्द्र के संचालन के बावजूद 6-14 वय-वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों की पर्याप्त संख्या है। जिनको प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की व्यवस्था करनी है।

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर विकास क्षेत्र वार विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या एवं प्रस्तावित ई0जी0एस0, ए0आई0ए0 एवं ब्रिज कोर्स की संख्या:-

क्र0सं0	विकास खण्ड	स्कूल ने जाने वाले बच्चों की संख्या						प्रस्तावित ई0जी0एस0ज्ञान केन्द / ज्ञानशाला		प्रस्तावित ब्रिज कोर्स
		6–11			11–14			प्रा0 स्तर	उ0प्रा0 स्तर	
		बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	महराजगंज	250	470	720	385	438	823	24	13	
2	मिठौरा	87	1365	1452	1191	526	1717	34	10	
3	निचलौल	441	802	1243	1587	394	1981	40	20	
4	नौतनवां	204	25	229	219	265	484	7	8	
5	लक्ष्मीपुर	268	571	839	378	385	763	26	7	
6	वृजमनगज	487	1000	1487	1137	548	1685	9	8	
7	फरेन्दा	456	393	849	723	641	1364	12	23	
8	धानी	105	273	378	147	90	237	10	4	
9	पनियरा	2429	1000	3429	388	2403	2791	21	14	
10	परतावल	525	834	1359	398	214	612	42	10	
11	घुघली	640	1086	1726	339	1448	1787	35	12	
12	सिसवां	861	1200	2061	337	531	868	41	13	
	योग–	6753	9019	15772	7229	7883	15112	301	142	
13	बनग्राम	1345	1622	2967	946	1126	2072	22	7	
14	थारू							7	1	
	योग–	8098	10641	18739	8175	9009	17184	330	150	9

स्रोत :– माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त सांख्यिकी

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा

शिक्षा गारंटी योजना की आवश्यकता क्यों ?

(1) अनौपचारिक शिक्षा योजना की सम्यक समीक्षा के उपरान्त-मुख्य रूप से -अल्प व्यय; समुदायिक सहभागिता का अभाव, धन स्थानान्तरण की समस्या, अनुदेशकों केगुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण का अभाव अपर्याप्त शिक्षण अवधि बालिकाओं की न्यून उपस्थिति आदि कमियां स्पष्ट रूप से इंगित किये गये।

(2) राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अन्तर्गत अनौपचारिक शि संचालित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी।

(3) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वैकल्पि राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों (लोक पाठशाला राजस्थान, शिशु शिक्षा कर्म सूची, पश्चिम बंगाल मवादी स्कूल आन्ध्रप्रदेश) के अनुभवों के अधार पर नवीन विधा की आवश्यकता महसूस की गयी।

योजना के प्रकार: -

इस योजना को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है:-

(1) प्रदेश सरकार द्वारा संचालित शि0 गा0 यो0 /वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र, ब्रीज कोर्स एवं गोष्म कालिन शिवरों के माघ्यम से योजना का संचालन।

(2) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों का संचालन।

(3) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नवाचार एवं प्रयोगात्मक परियोजनायें।

यह योजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु संचालित "सर्व शिक्षा अभियान" योजना का अंग है। इसके लक्ष्य समूह 6-8 वय वर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों में पंजीकृत कराया जाना है। 9-14 वय वर्ग के बच्चों पाठशाला त्यागी, बाल श्रमिक, घुमन्तु बच्चे, काम काजी बच्चे, नवाचार शिक्षा केन्द्रों अथवा ब्रीज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिवरों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा में किसी भी समय पात्रता के अनुरूप किसी भी कक्षा में प्रवेश दिलाना मुख्य उद्देश्य होगा। ऐसे केन्द्र प्राथमिक विद्यालय की एक किलो मीटर परिधि के बाहर होंगे। साथ ही न्यूनतम 30 बच्चों की उपलब्धता पर कक्षा 1 व 2 के लिये प्राथमिक स्तर के केन्द्र एवं न्यूनतम 20 बच्चों की उपलब्धता पर उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्र खोले जायेंगे। इस योजना का संचालन सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत राज्य स्तरीय सोसाइटी "स्टेट सोसाइटी, उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, निशातगंज,

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना

शाला त्यागी, अधिक आयु हो जाने के कारण झेप/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण, प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, कामकाज तथा बाल श्रमिकों को

अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन शिविर, ब्रीज कोर्स, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित मकतब /मदरसों में बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करनेके उद्देश्य से इन्हें भी सपोर्ट करने की योजना है। कम से कम 9–14 वय वर्ग के 20 बच्चों की उपलब्धता पर नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेंगे।

ब्रीज कोर्स/ ग्रीष्मकालीन शिविर

सामान्यतः 9–14 व्यय वर्ग बच्चे, जो सड़क/ प्लेटफार्म, मलीन बस्तियों, दुकानों, घुमन्तुबच्चों, बाल श्रमिक, कामकाजी बच्चे, ईंट–भट्ठे पर काम करने वाले बच्चें, जंगलों में लकड़ी चुनने वाले बच्चे, वनटांगियां, थारू, करौल आदि अनुसूचित जाति एवं जन–जाति के बच्चों को, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से शिक्षा से वंचित है। इनके लिए ब्रीज कोर्स/ ग्रीष्मकालीन शिविर संचालित किये जायेंगे। शिविरों की अवधि आवश्यकतानुसार चार माह से 18 माह तक की हो सकती है। प्रत्येक शिविर में न्यूनतम् 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेंगे तथा ये शिविर आवासीय होंगे। निर्धारित मानकों के अन्तर्गत शिविर में बच्चों के रहने खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी। इनकी वर्षवार संख्या निम्न होगी।

वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
संख्या	0	0	3	2	2	2	0	0	9

वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों तथा ब्रीज कोर्स शिविरों के कार्यक्रम का नियोजन एवं माइक्रोप्लानिंग

केन्द्र ब्रिज कोर्स/शिविर का निर्धरण डी0पी0ई0पी0 द्वारा कराये गये माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आकड़ों के आधार पर ही किये जायेंगे। आवश्यकता पड़ने पर स्थल विशेष की माइक्रोप्लानिंग पी0आर0ए0 विधि से स्वैच्छिक संगठनों, महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से ग्राम स्तर/ विकास खण्ड स्तर पर कराया जा सकता है।

विद्यालय वापस चलो शिविर (समर कैम्प)

इस प्रकार के शिविरों का प्रमुख उद्देश्य शालात्यागी बच्चों विशेषकर अनुसूचित जाति की बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है यह शिविर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनो के लिए चलाये जाने हैं शिविरों का संचालन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होगा इन शिविरों का उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों को जो शालात्यागी कर चुके हैं और इसके कारण शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गये हैं। शिक्षित करके उनके स्तर के अनुसार औपचारिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। शिविर की अवधि 10 दिन की होगी। इन शिविरों में ऐसे बच्चों को भी प्रवेश दिया जायेगा जो विद्यालय से बाहर रहे है और अभिप्रेरणा के अभाव में शिक्षा की मुख्य की धारा से वंचित रहे हैं। इन शिविरों में बालक और बालिकाओं के अभिभावकों को भी आमंत्रित

किया जायेगा और साहित्यिक एवं सांस्कतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा। इनका वर्षवार प्रस्ताव निम्न है।

वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
संख्या	0	0	130	130	130	130	0	0	0

वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र, ब्रीज कोर्स/ शिविरों के प्रस्ताव की प्रस्तुति एवं उनका अनुमोदन

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आकड़ों के विश्लेषण एवं समीक्षा करने के पश्चात् ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों को विकास खण्ड स्तरीय समिति द्वारा संकलन एवं समीक्षा के पश्चात् संस्तुति सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। ब्लाक स्तरीय समिति निम्नांकित हैः–

विकास खण्ड अधिकारी	–	पदेन अध्यक्ष
सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य सचिव
प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य
विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	–	सदस्य
एक वरिष्ठ प्रधानाध्यपक	–	सदस्य

जिला स्तर पर जिला शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा, जो कालान्तर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाले समिति ही कही जायेगी। जिला सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की जायेगी तथा इसमें निम्नांकित सदस्य होंगेः–

1:–	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2:–	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3:–	अध्यक्ष, जिला परिषद का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4:–	अनु0जाति/अनु0जनजाति के दो ब्लाक प्रमुख	सदस्य
5:–	दो महिला ब्लाक प्रमुख	सदस्य
6:–	महापालिका अध्यक्ष का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7:–	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षा विद्	सदस्य
8:–	शिक्षण संस्थाओं से एक सदस्य	सदस्य

किया जायेगा और साहित्यिक एवं सांस्कतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा। इनका वर्षवार प्रस्ताव निम्न है।

वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
संख्या	0	0	130	130	130	130	0	0	0

वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र, ब्रीज कोर्स/ शिविरों के प्रस्ताव की प्रस्तुति एवं उनका अनुमोदन

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आकड़ों के विश्लेषण एवं समीक्षा करने के पश्चात् ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों को विकास खण्ड स्तरीय समिति द्वारा संकलन एवं समीक्षा के पश्चात् संस्तुति सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। ब्लाक स्तरीय समिति निम्नांकित है:–

विकास खण्ड अधिकारी	–	पदेन अध्यक्ष
सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य सचिव
प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य
विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	–	सदस्य
एक वरिष्ठ प्रधानाध्यपक	–	सदस्य

जिला स्तर पर जिला शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा, जो कालान्तर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाले समिति ही कही जायेगी। जिला सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की जायेगी तथा इसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:–

1:–	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2:–	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3:–	अध्यक्ष, जिला परिषद का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4:–	अनु0जाति/अनु0जनजाति के दो ब्लाक प्रमुख	सदस्य
5:–	दो महिला ब्लाक प्रमुख	सदस्य
6:–	महापालिका अध्यक्ष का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7:–	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षा विद्	सदस्य
8:–	शिक्षण संस्थाओं से एक सदस्य	सदस्य

9:-	एक शिक्षक प्रतिनिधि	सदस्य
10:-	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
11:-	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	सदस्य
12:-	जिला कार्यकम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
13:-	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
14:-	लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता	सदस्य
15:-	समन्वयक महिला सामाख्या	सदस्य
16:-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

जनपद में उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव के संचालन करने का पूर्ण दायित्व उक्त समिति का होगा। विकास खण्ड स्तरीय/ नगरस्तरीय क्षेत्रों में जिला स्तरीय समिति जनपद के अच्छे एवं कर्मठ स्वैच्छिक संगठनों को उसके अनुरोध पर केन्द्रों का आवंटन कर सकती है। केन्द्र का संचालन स्थल ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

केन्द्र संचालन का समय

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि को नहीं रखा जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन 4 घंटे संचालित किये जायेगे।

अनुदेशक चयन

अनुदेशक यथासंभव उसी स्थान एवं समुदाय के उपयुक्त होगा जहां पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंको के प्रतिशत को धयान में रखते हुऐ वरिष्ठता के आधार पर किया जायगा तत्पश्चात् अनुदेशक को आमंत्रण पत्र पर आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधिक्षक नगर क्षेत्र, सभासद सम्बन्धित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम् प्रधानाधयापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायगा।

आवश्यकता अनुसार मकतब/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में मकतबों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायगी

अन्यथा सम्बन्धित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो, को मकतबों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जायगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जन समुदाय को अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसकी चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा तो, सम्मिलित किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिये अनुदेशकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जहां पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हों वहां पर इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक के चयन के संबंध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भराया जायेगा।

अनुदेशक का मानदेय वितरण

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि 1000.00 प्रति अनुदेशक की दर से संबंधित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी जिसे अधयक्ष एवं सचिव, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चैक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायगा। मानदेय की एक बार में छः माह की अग्रिम धानराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातों में स्थानान्तरित की जायगी केन्द्रों के सफलता पूर्वक संचालन की स्थिति में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उपविद्यालय निरीक्षक की आख्या पर अगले छः माह की धनराशि खातों में स्थनान्तरित कर दी जायेगी।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुदेशक के संतोषजनक कार्य किये जान पर किया जायेगा। इस प्रकार की अग्रिम मानदेय की धनराशि शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध करा दी जायेगी।

<u>अनुदेशक प्रशिक्षण</u>

अनुदेशकों का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिर्सोस सेन्टर्स पर आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक चयनित अनुदेशक का एक माह का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायट के प्रयक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / एस0 डी0आई0 तथा योग्य अध्यापक, संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से करायी जायेगी। प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रू0 1500.00प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय न होगी।

पर्यवेक्षण

इन वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक / ब्लाक रिसोर्ससेन्टर/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के प्रभारी द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/बी0 आर0 सी0 प्रभारी द्वारा अनुदेशकों की पाक्षिक बैठकें आयोजित की जायगी तथा न्याय पंचायत/विकास खण्ड में संचालित सभी वैकल्पिक शिक्षा के उन्नयन हेतु पूर्ण प्रयास किये जायेगें। समय-सम्य पर केन्द्रों का पर्यवेक्षण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0 डी0आइ0 तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भी किया जायगा। जिन जनपदों में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/बी0 आर0 सी0 प्रभारी कार्यरत नहीं है वहां पर क्लस्टर रिसोर्स पर्सन्स की नियुक्ति की भी व्यवस्था भारत सरकार के निर्देशों में है जिसमें आदेश बाद में दिये जायेगें। निकट प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाघ्यापकों एवं अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहें और न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से प्रति माह अवगत कराते रहें।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा शिक्षा समिति के खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री का सीधे केन्द्र अनुदेशकों को उपलब्ध करायी जायगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायगी तथा इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद से किया जायेगा। इन वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों का ही सम्प्रति प्रयोग संबंधित निदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों द्वारा किया जायेगा।

छात्र-छात्राओं का मूल्याकंन

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत् एवं नियमित मूल्याकंन किया जायेगा। इसके लिये अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्याकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्र से शीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिये वह योग्य हों, किसी भी समय प्रवेश पा जाये। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र में पढ़ने वाले बच्चे शीघ्रातिशीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्यधारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें। इसी परिपेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्याकंन भी ग्राम शिक्षा समिति एवं विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनके व्यवहारिक स्तर में आये सुधार से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा। केन्द्रों में

अध्ययनरत बच्चों जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्क्रम बेसिक शिक्षा परिषद उ0 प्र0 द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

वित्तीय मानक

प्रत्येक केन्द्र की लागत इस बात पर निर्भर करेगी कि उसमें कितने बच्चे अध्ययनरत है। प्राइमरी स्तर के केन्द्रों के लिये रू 845.00 प्रति छात्र/छात्र प्रति वर्ष और अपर प्राइमरी स्तर के लिये 1200.00 प्रति छात्र/छात्र प्रति वर्ष की अधिकतम धनराशि की व्यवस्था इस योजनान्तर्गत की जा सकती है। इस व्यवस्था में 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यय तथा विकास खण्ड के प्रबंधन की अधिकतम् धनराशि रू0 2.50 लाख सम्मिलित होगी। अधिकतम सीमा तक केन्द्र लागत निम्नवत् रखी जा सकती है:-

क्र0	स्वांइटम	प्राथमिक केन्द्र	अपर प्राथमिक केन्द्र
1	अनुदेशक का मानदेय	रू0 1000.00 प्रति माह प्रति अनुदेशक (रू0 1000.00 प्रति अनुदेशक)	रू0 2000.00 प्रति माह दो अनुदेशकों के लिए
2	अनुदेशक प्रशिक्षण	रू0 1500.00 प्रति वर्ष रू0 50 प्रतिदिन की दर से 30 दिन के लिए	रू0 4000.00 प्रति वर्ष दो अनुदेशकों के लिए रू0 50 प्रतिदिन की दर से 40 दिनों के लिए।
3.	बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री	रू0 100.00 प्रति छात्र/छात्रायें	रू0150.00 प्रति छात्र/छात्रायें।
4	केन्द्रों के शिक्षण सामग्री	रू0 1100.00 प्रति केन्द्र	रू0 1200.00 प्रति केन्द्र
5.	केन्द्र कन्टीजेन्सी	रू0 468.75 प्रति केन्द्र	रू0 500.00 प्रति केन्द्र

उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तर पर व्यय होने वाला प्रशासनिक व्यय तथा विकास खण्ड के स्तर के प्रबंधन पर व्यय सम्मिलित है।

विकास खण्ड स्तर पर प्रबंधन की अधिकतम् लागत निम्नवत् रखी गयी है-

80-100 केन्द्रों के मधय	=	2.50 लाख रू0 प्रति वर्ष
50-80 केन्द्रों के मधय	=	2.00 लाख रू0 प्रति वर्ष
25-50 केन्द्रों के मधय	=	1.50 लाख रू0 प्रति वर्ष
25 केन्द्र से कम	=	100.00 रू0 प्रति छात्र/छात्रा

ब्रिज कोर्स/शिविरों का वित्तीय मानक

ब्रिज कोर्सो का संचालन ग्रामीण क्षेत्र/ नगर क्षेत्र के मुख्यालयों में किया जायेगा। जिसमें बच्चों के रहने तथा खाने-पीने एवं शिक्षण सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी। इसकी लागत प्राइमरी/ अपर प्राइमरी लागत से कुछ अधिक रखी जा सकती है। परन्तु किसी भी दशा में 3000 रू0 प्रति छात्र/छात्रा अधिक कदापि नहीं हो सकती है। आवासीय व्यवस्था यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाय, तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी अथवा किराये की व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त ब्रिज कोर्स संचालित करने के लिए एक केयर टेकर,

दो अनुदेशक, एक रसोईया तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी, जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माधयम से अल्पकालीन अवधि हेतु संविदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जाये। केयर टेकर/अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए वित्तीय मानक प्राइमरी/अपर आवासीय व्यवस्था, खाने-पीने की निःशुल्क व्यवस्था एवं साज-सज़्जा के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जानी होगी। अतिरिक्त धनराशि व्यवस्था में ग्राम पंचायत/ग्राम शिक्षा समिति/ जन समुदाय का कुछ अंश अवश्य प्राप्त किया जाय।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका

प्रस्ताविक वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के लिए ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाते है-

- 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों सर्वेक्षण कर उन्हें चिन्हित करना।
- कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।
- अनुदेशक का चयन करना।
- केन्द्रों का समय निर्धारित करना।
- केन्द्रों की साज-सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार के निर्धारित मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशा
- अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्रों का दायित्व सौपना।
- अनुदेशकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्रों का प्रबंधन, उनको प्रतिदिन निरीक्षित करना।
- केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना।
- नियमित रूप से अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान करना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका

- ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग कराना तथा उपलब्ध समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार करना।
- क्लस्टर रिर्सोस पर्सन्स की सहायता से केन्द्रों/ शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुश्रवण की व्यवस्था करना।
- जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध संदर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।

जिला शिक्षा परियोजना समिति के एजुकेशन गारण्टी स्कीम/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के प्रति प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व

✓ जनपद में संचालित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं समीक्षा का कार्य यह समिति करेगी।

- ✓ योजना हेतु माइक्रोप्लानिंग के आधार पर तैयार किये गये प्रस्तावों को प्राप्त करेगी। उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।
- ✓ शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिजकोर्स से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर उसे साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार अनुदान समिति को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।
- ✓ राज्य स्तरीय समिति/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अन
- ✓ यह समिति जनपद के लिए प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए वार्षिक कार्ययोजना बजट के साथ तैयार करेगी एवं उसे राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुमोदन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।
- ✓ समिति जनपद स्तर पर सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कनवर्जेन्स कर कार्यक्रमों को संचालित करेगी।
- ✓ समिति जनपद से निम्न स्तरों विकास खण्ड स्तर/ग्राम स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ-साथ ही स्वयं सेवी संगठनों के साथ समन्वयन सुनिश्चित करेगी
- ✓ समिति सभी स्तरों पर गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था करायेगी।।
- ✓ समिति शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक अलग से लेखा रखेगी, जिसका राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रत्येक वर्ष एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराया जायेगा।

वर्ष 2003–04 में परिवार सर्वेक्षण के आधार पर विद्यालय न जाने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा एवं अन्य वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की कार्ययोजना

तालिका सं0 7.1 से 7.6 में विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले बचों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्ययोजना प्रस्तावित हैं–

1. तालिका सं0 7.5 में दर्शाये गये बाल श्रमिकों को उनकी समय की सुविधा के अनुसार वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु जनपद के श्रम विभाग के अधिकारियो–से समन्वय कर विभिन्न प्रकार के उद्योगों में नियोजित बाल श्रमिकों को उनके समय एवं स्थल की सुलभता का चयन कर विद्या केन्द्र, ज्ञानशाला, ज्ञानकेन्द्र, तथा आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराया जायेगा। बालिकाओं के लिये ब्रीजकोर्स (आवासीय एवं गैर आवासीय) के संचालन के माध्यम से भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।
2. तालिका सं0 7.1 से 7.4 तक में चिन्हित किये गये बालक एवं बालिकाओं को निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यमों से शिक्षित किये जाने एवं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।
    1. किशोरी केन्द्र का संचालन
    2. ग्रीष्म कालीन शिविरों का आयोजन।
    3. विद्या केन्द्रों का संचालन।
    4. गैर आवासीय ब्रीज कोर्स का संचालन।
    5. आवासीय ब्रीज कोर्स का संचालन।
    6. ज्ञान केन्द्र का संचालन।
    7. ज्ञान शाला का संचालन।
    8. मक्तब/मदरसों का सुदृढ़ीकरण।
3. तालिका सं0 7.3 में उन बच्चों का विवरण दिया गया हैं जो विद्यालय की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं ऐसे बच्चों के लिये वर्ष 03–04 में 92 प्रा0विद्यालय नवीन भवन तथा 89 उच्च प्रा0 विद्यालय नवीन भवन के निर्माण का कार्य राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा स्वीकृत हुआ है। इसप्रकार असेवित क्षेत्रों में विद्यालय भवनों की स्थापना कराकर इसी शिक्षण सत्र में उनको विद्यालय में नामांकित करा दिया जायेगा।
4. अभिभावकों एवं बच्चों में शिक्षा के प्रति अभिरूचि की कमी तथा जागरूकता का अभाव है, जिसके लिये अभिभावकों एवं बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कला जत्था एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन कराये जाने का भी प्रस्ताव है। यथा नुक्कड़ नाटक, गायन एवं वादन, प्रभातफेरी आदि

जागरूकता सम्बन्धित कार्यक्रमों का अयोजन तथा स्वयंसेवी संगठनों का भी अपेक्षित सहयोग लिया जायेगा

5. जन प्रतिनिधियों की प्रतिभागिता एवं सामुदायिक सहयोग लेने हेतु जनपद स्तर विकास खण्ड स्तर , न्याय पंचायत एवं ग्राम स्तर पर भी समय–समय पर विभिन्न कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

6 आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार के बच्चों को गणवेश, समस्त बच्चों को मध्यान्ह् भोजन, अनु0जाति0, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों तथा समस्त बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। जिससे उनको आर्थिक रूप से भी सहायता प्रदान की जा सके।

7. परिषदीय, शासकीय तथा मान्यता प्राप्त वित्तीय सहायता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत, अनु0जाति, जनजाति के छात्रों तथा समस्त वर्ग की छात्राओं को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने की योजना भी है जिससे आकर्षित होकर अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकें।

8. बालिकाओं को शिक्षा के लिये प्रेरित करने एवं उनमें अभिरूचि पैदा करने के उद्देश्य से उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये हस्तशिल्प एवं गृह शिल्प सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को विद्यालय में लागू किये जाने की योजना है जिससे पढ़ाई के साथ–साथ घरेलू कार्यों में भी दक्षता प्राप्त कर सकें और बालिका शिक्षा में जो एक मुख्य अवरोक के रूप में हैं उसको दूर कर सकें।

9. कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ने वाले समस्त बालक एवं बालिकाओं के लिये कम्प्यूटर के क्षेत्र का प्रारम्भिक ज्ञान एवं परिचय के उद्देश्य से प्रथम वर्ष में विकास खण्ड मुख्यालय स्थित उच्च प्रा0 विद्यालय में कम्प्यूटर की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया है।

10. अक्षम बच्चों के लिये हस्त शिल्प सम्बन्धित कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया है। जैसे – स्थानीय उपलब्धता के अनुरूप पत्तल दोना निर्माण, रस्सी बटना, टोकरी तैयार करना, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी आदि को भी नवाचार शिक्षा के रूप में सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्त कार्ययोजना विद्यालय न जाने वाले बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में सहायक होगी।

तालिका संख्या–7·1

30.06.03 तथा परिवार सर्वेक्षण के आधार पर चिन्ह्ाकित उन बच्चों की संख्या जो विद्यालय नहीं जाते हैं–

कारण –घरेलू कार्यों में लिप्त

जनपद– महराजगंज

क्र0 सं0	आयु वर्ग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5
1	5+ से 6+	3914	3206	**7120**
2	7+ से 10+	4139	5621	**9760**
3	11+ से 14	4507	5346	**9853**
	योग–	**12560**	**14173**	**26733**

तालिका संख्या–7·2

30.06.03 तथा परिवार सर्वेक्षण के आधार पर चिन्ह्ाकित उन बच्चों की संख्या जो विद्यालय नहीं जाते हैं–

कारण – सिविलिंग केयर

जनपद– महराजगंज

क्र0 सं0	आयु वर्ग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5
1	5+ से 6+	3265	4648	**7913**
2	7+ से 10+	3267	4085	**7352**
3	11+ से 14	1918	3128	5046
	योग–	**8450**	**11861**	**20311**

तालिका संख्या–7.3

30.06.03 तथा परिवार सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हांकित उन बच्चों की संख्या जो विद्यालय नहीं जाते हैं–

कारण –विद्यालय के अनुपलब्धता

जनपद– महराजगंज

क्र0 सं0	आयु वर्ग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5
1	5+ से 6+	2027	1705	**3732**
2	7+ से 10+	1593	1341	**2934**
3	11+ से 14	909	958	**1867**
	योग–	**4529**	**4004**	**8533**

तालिका संख्या–7.4

30.06.03 तथा परिवार सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हांकित उन बच्चों की संख्या जो विद्यालय नहीं जाते हैं–

कारण – अन्य कारण

जनपद– महराजगंज

क्र0 सं0	आयु वर्ग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5
1	5+ से 6+	7308	5098	12406
2	7+ से 10+	3373	2052	**5425**
3	11+ से 14	1390	1260	**2650**
	योग–	**12071**	**8410**	**20481**

तालिका संख्या–7.5

30.06.03 तथा परिवार सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हाकित उन बच्चों की संख्या जो विद्यालय नहीं जाते हैं–

कारण –बाल श्रमिक

जनपद– महराजगंज

क्र0 सं0	आयु वर्ग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5
1	5+ से 6+	695	579	**1274**
2	7+ से 10+	1258	1260	**2518**
3	11+ से 14	1840	1518	**3358**
	योग–	**3793**	**3357**	**7150**

तालिका संख्या–7.6

30.06.03 तथा परिवार सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हाकित उन बच्चों की संख्या जो विद्यालय नहीं जाते हैं–

कारण – समस्त पाँचों कारणों से (उपरोक्त पांचों का सांराश)

जनपद– महराजगंज

क्र0 सं0	आयु वर्ग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5
1	5+ से 6+	17209	15236	**32445**
2	7+ से 10+	13630	14359	**27989**
3	11+ से 14	10564	12210	**22774**
	योग–	**41403**	**41805**	**83208**

अध्याय-8

ठहराव में वृद्धि हेतु कार्यक्रम:-

सर्वेक्षण आंकड़ो के आधार पर जनपद महराजगंज में प्राथमिक स्तर पर वर्ष 1997 में बच्चों का था। इअतएव डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत ठहराव सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किये गये। विद्यालयों में बालिकाओं के ठहराव न होने के कारण वहाँ पेयजल तथा शौचालय का न होना था। अतएव जनपद के 717 विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कराया गया तथा 202 विद्यालयों में अब तक इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाये गये। विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि का निर्गाण कराया गया।जनपद में 209 नवीन विद्यालयों का निर्गाण कराया गया। प्रति प्राथमिक विद्यालय प्रतिवर्ष रू0 2000 विद्यालय अनुदान प्रदान किया गया। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर समस्त बच्चों के ठहराव हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गयी। ठहराव हेतु अनु0जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को छात्रवृत्ति दी गयी।

इसी प्रकार शिक्षकों की शिक्षण विधा को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए जनपद में कार्यरत प्राथमिक समस्त शिक्षकों प्रदान किया गया। जिसमें खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री का निर्गाण एवं प्रयोग की दक्षता विकसित करने के साथ-साथ विषयों की समझ एवं कक्षा शिक्षण अभ्यास का अवसर प्रदान किया गया। शिक्षा मित्रों को अभी सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण नही प्रदान किया जा सका है जिसे इसी सत्र में प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत आयोजित उपर्युक्त सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रकिया का सुनियोजित लाभ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को नही मिला है। कतिपय शिक्षकों को ही विज्ञान-गणित का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर द्वारा प्रदान किया गया है। अन्य विषयों के प्रशिक्षण नही प्रदान किया गया है।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों का ठहराव सुनिश्चित कराने के लिए किये गये उपयुक्त में अपेक्षित कमी नही आयी है। अतएव सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर,

विकास खण्ड स्तर तथा जनपद स्तर पर फोकस ग्रुप डिस्कशन के द्वारा उभरे तथ्यों के आधार पर अनेक भौतिक आवश्यकताएं चिन्हित की गयी हैं जिनका विवरण निम्नांकित है:—

(1) विद्यालय भवनों का पुर्ननिर्माण:— जनपद में जर्जर विद्यालयों में ठहराव की समस्या स्वाभाविक है क्योंकि धूप, वर्षा तथा ठंडक के कारण बच्चों का विद्यालय से पलायन होता रहता है। ऐसी दशा में जनपद में निम्नांकित विवरण के अनुसार जर्जर भवनों का निर्माण प्रस्तावित है:—

प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
65	36

इन विद्यालय भवनों का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्षवार प्रस्तावित किया गया है।

प्रस्तावित वर्ष	प्रस्तावित विद्यालय भवन प्राथमिक	प्रस्तावित विद्यालय भवन उच्च प्राथमिक
2002—03	0	0
2003—04	0	0
2004—05	65	36
योग	65	36

(2) अतिरिक्त कक्षा—कक्षों का निर्माण:— जनपद के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के फलस्वरूप बढ़ी हुए नामांकन को देखते हुए अतिरिक्त कक्षा—कक्षों की आवश्यकता है। जनपद में कुल 1024 प्राथमिक विद्यालय है। जिनमे कुल 422 अतिरिक्त कक्षा—कक्षों की आवश्यकता है। जनपद में कुल 95 उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिनमें प्रत्येक में एक कक्षा—कक्ष की आवश्यकता को देखते हुए 95 अतिरिक्त कक्षा—कक्ष की आवश्यकता है।

इन अतिरिक्त कक्षा—कक्षों के निर्माण निम्नांकित वित्तीय वर्षों में कराया जाना प्रस्तावित है:—

प्रस्तावित वर्ष	प्रस्तावित अतिरिक्त कक्षा–कक्ष (प्राथमिक)	प्रस्तावित अतिरिक्त कक्षा–कक्ष (उच्च प्राथमिक)
2002–03	0	12
2003–04	50	10
2004–05	515	48
2005–06	329	0
2006–07	170	0
योग	1064	70

(3)पेयजल (इण्डिया मार्का हैण्डपम्प):–बच्चों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित कराने के लिए विद्यालयों में पेयजल की अपरिहार्यता होती है। पानी के अभाव में बच्चे स्कूल से बाहर भागते हैं। इस दृष्टि से जनपद के 80 प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था करनी है साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 95 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की आवश्यकता होमी। जिन्हे निम्नांकित वित्तीय वर्षो में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है:–

प्रस्तावित वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
2002–03	0	0
2003–04	80	25
2004–05	0	0

(4) चहारदीवारी:— चहारदीवारी मात्र विद्यालयीय सम्पत्तियों की सुरक्षा ही नही करती अपितु उपयुक्त विद्यालयीय वातावरण सृजन करने में अहम् भूमिका निभाती है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों जहॉ बालिकाएं भी पढ़ती हैं वहॉ पठन—पाठन का माहौल बनाने में चहारदीवारी की उपयोगिता निर्विवाद है, चहारदीवारी विद्यालयीय भूमि को अतिक्रमण से बचाती है। जनपद के मात्रा 2 प्राथमिक विद्यालयों तथा 11 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी है। अतएव निम्नांकित विवरणानुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी की आवश्यकता होगी। जिसे वित्तीय वर्ष 2002—03 से 2006 तक पूरा किया जायेगा।

(5) शौचालय:— बालक / बालिकाओं का विद्यालय से पलायन के कारणों में मुख्य कारण शौचालय का न होना भी है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए विद्यालयों में शौचालय की आवश्यकता है। जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में 361 शौचालयों की आवश्यकता है। अतः जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में शौचालयों का निर्माण करवाने की आवश्यकता होगी। जिनका निम्नांकित वर्षों में निर्माण करा लिया जायेगा:—

प्रस्तावित वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
2002—03	0	15
2003—04	30	119
2004—05	173	43

(6) भवन मरम्मत:—निर्मित विद्यालय भवनों में समय—समय पर छोटा—मोटा मरम्मत करवाने की आवश्यकता होती है। ऐसा न करने पर विद्यालय भवन शीघ्र ही कमजोर हो जाते हैं। विद्यालयीय भवनो का रख—रखाव की जिम्मेदारी ग्राम शिक्षा समितियों को सौंपा गया है।

किन्तु आर्थिक संसाधनों के अभाव में ग्राम शिक्षा समितियॉ विद्यालय भवनों के मरम्मत/रख–रखाव में प्रायः असमर्थ रहती है। ऐसी दशा में विद्यालय भवनों में मरम्मत कार्य को लघु मरम्मत तथा दीर्घ मरम्मत दो श्रेणियों में विद्यालयों का चिन्हांकन किया गया है। जिनकी संख्या निम्नवत है:–

इस प्रकार जनपद में प्रा0 वि0 कुल 239 में लघु मरम्मत एवं 126 में दीर्घ मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार कुल 17 लघु मरम्मत तथा कुल 20 में दीर्घ मरम्मत करवाने की आवश्यकता होगी।

उपर्युक्त भवन निर्माण कार्यों का निम्नलिखित वित्तीय वर्षों में पूरा किया जायेगा।

(7) अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र की आवश्यकता:–

वर्ष	परिषदीय नामांकन			40:1 में शिक्षक की आवश्यकता	स्वीकृत/सृजित पद	अतिरिक्त आवश्यकता		
	बालक	बालिका	योग			शिक्षक	शिक्षा मित्र	योग
2001–02	95037	83659	178696	4467	3056	706	705	1411
2002–03	97812	86101	183913	4598	4467	66	65	131
2003–04	100668	88615	189283	4732	4598	67	—	134
2004–05	103607	91202	194809	4870	4732	69	136	138
2005–06	106632	93865	200497	5012	4870	71	71	142
2006–07	109745	96605	206350	5159	5012	74	73	147

<u>(8) विद्यालय विकास अनुदान</u>:– प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाक–डस्टर, स्टेशनरी आदि की सामान्य व्यवस्था के लिए प्रति विद्यालय प्रति वर्ष रू0 2000.00मात्र प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

<u>(9) विद्यालयी सुविधाएं</u>:– बच्चों का मन विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए विद्यालय का स्वयं में सुविधा संपन्न एवं आकर्षक होना जरूरी है। इससे स्कूल अवधि में बच्चों का ठहराव भी सुनिश्चित होता है।

अतएव जनपद के समस्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षणेत्तर कियाकलापों के लिए प्रतिवर्ष रू0 5000.00 मात्र प्रदान किये जायेंगे।

नि:शुल्क पाठ्य पस्तकें :-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध करायी जायेगी। प्राथमिक स्तर पर यह डी0पी0ई0पी0 समाप्त होने के बाद से दी जायेगी। वर्षवार लक्ष्य निम्न है -

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
प्रा0वि0	-	-	162360	178058	196458	214858	270500	225705	227681
उ0प्रा0वि0		25150	27615	30476	33530	36825	40562	44618	49079

<u>बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव हेतु कार्यक्रम -</u>

राष्ट्र की उन्नति एवं विकास हेतु समस्त अनिवार्य है इसमें बालिकाओं का शिक्षित होना बालकों की अपेक्षा किन्हीं स्थितियों में अधिक जरूरी है, क्योंकि जब एक बालिका शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान ने 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के प्राविधान के प्रति अपनी बचन बद्धता व्यक्त की है। संविधान में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किया जाये।

संविधान में दिए गये मौलिक अधिकार नागरिकों को हर प्रकार के भेद-भाव, धर्म एवं जाति लिंग एवं जन के स्थान पर आधारित उत्पीड़न से रक्षा करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओ ने संविधान में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वचन बद्धता का समर्थन किया है एवं अनेक महत्वपूर्ण कार्यकमों को आरम्भ किया है। बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेश एव रणनीतियों में समय के साथ बदलाव आया है। 1996 की गयी कार्यनीति के अन्तर्गत महिलाओ की समानता के लिए शिक्षा को महिलाओं के स्तर में बदलाव करने के लिए महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में स्थापित किया है। महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने को प्राथमिकता दी जाएगी एवं इसके विशेष सहायक सेवायें समयबद्ध लक्ष्य एवं सुचारू अनुश्रवण होंगे। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर, राष्ट्रीय ह है। महिलाओं एवं पुरूषों की राष्ट्रीय साक्षरता कम अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर कई जिलों में 7 प्रतिशत से भी कम है। नामांकन आंकडे न केवल जोड़कर यह सामूहिक समूहों पर आधारित भिन्नता दर्शाता है। अपितु यह

पर्याप्त रूप से नगर ग्राम असमानता को भी दर्शाता है। यह अनुमान है कि स्कूल में प्रवेश लेने वाले छात्रों में से 58 प्रतिशत कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के पूर्व ही स्कूल का त्याग कर देते हैं।

उत्तर प्रदेश मे बालिकाओं के कुल नामांकन अनुपात में 1996-97 से 1999-2000 के मध्य 14.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है, इसका मुख्य कारण 1999-2000 में बालिकाओं जी0ई0आर0 में 93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 1996-97 में 80.4 प्रतिशत बेसिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 के मुताबिक राज्य का कुल नामांकन 100% है। 1999-2000 में बालकों के लिए 105.3 प्रतिशत एवं बालिकाओं के लिए 98.7 प्रतिशत है। (1999-2000) बालिकाओं के 1996-97 में कुल नामांकन अनुपात की तुलना में यह 24.6 प्रतिशत हैं ।

बालिका शिक्षा के अवरोधक तत्वः-

बालिकाओं की शिक्षा में कई अवरोधक हैं, इनमें कई कारण ज्यादा प्रमुख है- जैसे बस्ती में स्कूल का अभाव महिला शिक्षक का अभाव आर्थिक बाध्यता, काम का बोझ, सामाजिक सांस्कृतिक धारणायें, कम उम्र में विवाह,जागरूकता का अभाव अन्धविश्वास आदि जटिल कारण हैं।

बालिकाओं के लिए शिक्षा की मॉग न होना ही उनके न्यूनतम नामांकन का मुख्य कारण जबकि यह दिखाया जाता है कि बालिकाओं के लिए शैक्षिक सुविधायें अपर्याप्त हैं। स्कूल का वातावरण ऐसा है कि जो कि बालिका शिक्षा को प्रेरित नहीं कर पाता है। ग्रामीणांचल में फसल रोपाई, कटाई, शादी-विवाह, मेले, त्योहार तथा छोटे बच्चे की देखभाल के लिए उन्हें रोक दिया जाता है, जिससे बालिकाओं की उपस्थिति में भारी कमी हो जाती है।

बालिका शिक्षा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को दूर करने के लिए निम्न लिखित कदम 'सर्व शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत उठाना प्रस्तावित है।

1- जागरूकता कियाकलापों के दौरान बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालयी वातावरण बनाये जाने पर जोर।

2- जेण्डर संवेदनशील बनाना, जिससे समाज बालिकाओं की शिक्षा को समानता और सहजता से समझ सके।

3- महिला तथा बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने तथा जोर देने वाली सामग्री विकसित करना।

4- शिक्षकों को कक्षा में जेण्डर भेद भाव आधारित कियाकलापों को रोकने हेतु प्रशिक्षित किए जाने के लिए प्रशिक्षण मॉडयूल विकसित कराना।

5- ई0सी0सी0ई0 तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना।

6- प्राथमिक शिक्षा से उच्च स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं का जोड़ रखने की रणनीति से कार्य करना कार्य अनुभव पर आधारित शिक्षा को महत्व ।

<u>कार्यकम:-</u>

बालिकाओं की शिक्षा एवं समुदाय के साथ कार्य करना प्राथमिक शिक्षा की सामुदायिक स्वामित्व प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत कई संगठनात्मक नीतियों का क्रियान्वयन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता को बढावा देना है। ग्राम शिक्षा समिति में कम से कम तीन महिला सदस्यों को होने का प्राविधान है,इनमें से एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्या एवं अनुसूचित जाति की नामित महिला एवं एक नामित मॉ का होना जरूरी है।

बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता निम्नलिखित होगी ।

1- बालिकाओं के नामांकन ठहराव एवं विद्यालय प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढाना।

2- महिला समूहों का गठन एवं महिला समाख्या के साथ-साथ उनका समन्वयन ।

3- ग्राम शिक्षा समिति माता शिक्षक संघ अभिभावक शिक्षक संघ

4- ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

5- बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम

ड्रापआउट बालिकाओं का सर्वेक्षण एवं कोहर्ट स्टडी :-

जिन विद्यालयों में बालिकाओं का ड्रापआउट दर अधिक है उक्त विद्यालय से रजिस्टर निकलवा कर ड्रापआउट वाले बच्चों की सूची बनायी जाएगी। ऐसे बच्चों को ग्रीष्म कालीन शिविर में प्रशिक्षित करके उनको विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जाएगा।

स्कूल चलो अभियान:-

विद्यालय में शिक्षण सत्र शुरू होने के पूर्व से ही जन प्रतिनिधि, विद्यालयों के अध्यापकों, शिक्षा समितियों एवं नागरिकों एवं स्वयं सेवी संगठनों द्वारा जनजागरण अभियान चलाकर बृहद स्तर पर बालिका नामांकन अभियान किया जाएगा।

ग्रीष्म कालीन शिविर/ ब्रिजकोर्स:-

ऐसे ग्राम/ ग्राम सभा जहाँ पर 40 बालिकाएं शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जाएंगी, उसमें 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर चलाकर उन्हें पुनः विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा। प्रति शैक्षिक सत्र के पूर्व 10 शिविर प्रति ब्लाक के अनुसार 120 शिविर आयोजित किए जाने का लक्ष्य है।

कला जत्था अभियान:-(बेटी हो स्कूल में)

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। बालिकाओं का ठहराव विद्यालय में बना रहे, इस हेतु स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित करके गाँव-गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जाएंगी, यह अभियान ऐसे गाँव में चलाया जाएगा, जहाँ पर महिला साक्षरता दर कम है। तथा बालिका ड्रापआउट दर अधिक है। प्रत्येक विकास क्षेत्र में 5 कला जत्था का आयोजन प्रति वर्ष किया जाएगा।

बालिका शिक्षण केन्द्र:-

यह केन्द्र उन बालिकाओं हेतु चलाया जाएगा, जो उम्र ज्यादा हो जाने के कारण विद्यालय नहीं जा सकतीं या जो कभी विद्यालय नही गयी ऐसी बालिकाओं को 6 माह

का आवासीय सत्र चलाकर उन्हें कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाएगी तथा उन्हें विद्यालयों से सम्बद्ध करके पांचवीं की परीक्षा दिलाकर उन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा। इस शिक्षण केन्द्र की एक विशेषता यह होगी कि पाठयक्रम के साथ-साथ शिलाई, कढाई, हैण्डीक्राफट, मिट्टी के खिलौने साफट ट्वायज आदि का प्रशिक्षण भी समय-समय पर दिया जाएगा, जिससे बालिकाओं का ठहराव बना रहे। इस केन्द्र पर अवकाश सिर्फ त्यौहार के दिन एवं फसल कटाई के समय ही दिया जाएगा। क्योंकि बालिकाओं को खेती के कार्यो में लगाये रहने के कारण उन्हें विद्यालय में नहीं भेजा जाता है यदि इस तरह का अवकाश दिया जाएगा तो बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित होगा। प्रत्येक विकास खण्ड में बालिका शिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे ।

किशोरी केन्द्र:-

जो किशोरियां प्राथमिक शिक्षा के पश्चात विद्यालय छोड़ देती हैं उनकी ज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ण करने हेतु गॉव संघ की महिलाओं तथा किशोरी से विचार करके आवश्यकतानुसार स्थानीय महिला को ही अध्यापिका बनाकर केन्द्रों का संचालन कराया जाएगा। इन किशोरी केन्द्रों का उद्देश्य उच्च प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों को बढावा देना होगा ।

शिक्षा कोर टीम का गठन:-

समुदाय की सक्रिय महिलाओं के द्वारा प्रत्येक ग्राम स्तर पर शिक्षा कोरटीम का गठन किया जाएगा, जिनका कार्य बालिका शिक्षा नामांकन को बढावा देना, विद्यालय की गुणवत्ता को बनाये रखना, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का आवश्यकतानुसार निरीक्षण तथा बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित कराना होगा।

मॉ बेटी मेला का आयोजन:- (एवं महिलाओं की संसद)

गॉव स्तर पर मॉ बेटी मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करके उनके द्वारा उनकी बेटियों को विद्यालय में नामांकन कराना तथा ठहराव सुनिश्चित किया जाना है, इस हेतु प्रत्येक ब्लाक में तीन मेले या संसद का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

माता शिक्षक संघ:-

जिन गॉवों में प्राथमिक विद्यालय है, उस गॉव की सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने तथा बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों

की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगा। माता शिक्षक संघ की निर्धारित समय पर बैठकें भी करायी जाएंगी।

महिला प्रेरक समूह का गठन :-

प्रत्येक गॉव स्तर पर प्रेरक समूह बनाये जायेंगे, इन समूहों को जेण्डर शिक्षा आदि पर प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे बालिका शिक्षा को बढावा मिले इस हेतु ऐसे गॉव, मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होगे वहॉ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक समूह गठित कर प्रशिक्षित किया जाएगा महिला प्रेरक समूह ही स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, ई0सी0सी0ई0केन्द्र तथा विद्यालय की विभिन्न गतियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग केन्द्रों आदि पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेगे ।

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन कार्यक्रम :-

बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गॉव स्तर पर निकाली जाएगी । जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान व्यक्ति स्तर पर अभिभावकों की काउंसिलिंग तथा उन बच्चों के घरों के बाहर थोडी देर तक खडे होकर नारे लगाकर बच्चों को विद्यालय आने हेतु दबाव बनाया जाएगा ।

तारांकन हेतु:-

विद्यालय में बच्चों के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिए हरा पीला लाल निशान प्रति माह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा । उपस्थिति के आधार पर निम्न तारांकन किया जाएगा ।

माह में 15 दिन या उससे अधिक उपस्थिति हरा निशान ।

माह में 15 दिन से या 6 दिन तक उपस्थिति पीला निशान।

माह में 6 दिन या कम उपस्थिति लाल निशान ।

युवती मण्डल समूह/ किशोरी संघ का गठन एवं कार्य :-

इस समूह को बालिका शिक्षा बढावा देने हेतु बनाया जाएगा, जिसका कार्य समय समय पर गॉव की जनता को बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव हेतु प्रेरित करेंगे । तथा इन्हें बालिका शिक्षण केन्द्र में बालिकओं का नामांकन कराने जागरूकता अभियान, रैली

इत्यादि हेतु ग्राम स्तर पर कार्य करके तथा विद्यालय में दबाव समूह के रूप में कार्य करेंगे । इन्हें जेण्डर सवेंदीकरण विषय पर भी प्रशिक्षित किया जाएगा। बालिका शिक्षण केन्द्र तथा किशोरी केन्द्र की बालिकाओं का संघ बनाया जाएगा जिन्हें जेण्डर शिक्षा कानून का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक गॉव में संघ होंगे।

शिक्षक ई0सी0सी0ई0 कार्यकत्री तथा प्रेरक समूह, युवती मण्डल का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण:-

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा प्रेरक समूह युवती मण्डलों को बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु का जेण्डर संवेदनशीलता प्रशिक्षित किया जाएगा । यह प्रशिक्षण कार्यकम मुख्य रूप से बच्चों /बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड देने के कारण उनके निराकरण तथा उपायों आदि पर चर्चा अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जाएगा। 8 ब्लाक में 40केन्द्र प्रति विकास क्षेत्र के अनुसार 320 केन्द्र और खोला जाना प्रस्तावित है।

भिभावक सम्मान कार्यकम:-

जो अभिभावक अपनी बालिकाओं को निरंतर विद्यालय भेजते हैं तथा उनका ठहराव सुनिश्चित करते हैं उनको समुदाय में सम्मानित किया जाएगा ।

प्रेरक समूह सम्मान कार्यकम:-

बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु तथा उनके ठहराव में विशेष योगदान हेतु समुदाय में उन्हें सम्मानित किया जाएगा । लगभग एक वर्ष में 60 प्रेरक समूह सम्मानित किए जायेंगे ।

दीवार लेखन कार्यकम:- बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु एक सघन अभियान के रूप में दीवार लेखन किया जाएगा। जैसे हर बेटी की मॉगे चार, शिक्षा सेहत मान और प्यार, शिक्षा देती सबको शिक्ष, चाहे जैसी हो अक्षमता इत्यादि।

फैमिली लाइफ एजूकेशन कार्यकम:-

8-14 वर्ष की बालिकाओं को फैमिली लाइफ एजूकेशन कार्यशाला के माध्यम से Physical devlopment & Personal Hygine Nutrition की जानकारी दी जाएगी। ताकि वे स्वस्थ रहे तथा समय समय पर जागरूकता हेतु वाद विवाद प्रतियोगिता पोस्टर प्रदर्शनी, कार्यशाला आदि का आयोजन किया जायगा।

एक वर्ष में 12 फैमिली लाइफ एजूकेशन सत्र चलाया जायगा। प्रत्येक सत्र में कम से कम 40 बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।

समूह चर्चा फण्ड प्रदर्शन:-

जिन गावों में महिला साक्षरता दर कम है यहाँ प्यबने ळतवनच कपेबनेपवद तथा फंड प्रदर्शन जो की बालिका शिक्षा पर आधारित हो का प्रदर्शन करके गॉववासी तथा समूह को बालिका शिक्षा हेतु बढावा देने के लिए प्रेरित करना। प्रत्येक वर्ष एक विकास खण्ड में 5 गॉव के अनुसार 60 समूह चर्चा या फन्ड प्रदर्शन किया जाएगा।

शिक्षा रैली प्रभात फेरी:-

बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु गॉव स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरी गॉववासियों के माध्यम से निकाला जायगा, जिसमे शिक्षा विभाग ग्राम के प्रधान ग्राम शिक्षा समिति,स्वास्थ्य विभाग एवं बाल विकास के सदस्य होंगे। प्रत्येक विकास खण्ड में 5 प्रभातफेरियों रैली करवाई जायेगी। 60 रैली एक वर्ष में आयोजित की जायेंगी। यह रैली शिक्षा सत्र के आरम्भ में 60 रैली कराई जायेगी।

मीना अभियान:-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सामुदायिक बचनबद्वता के विकास के लिए मीना कैम्पेन नामक विशेष योजना का आरम्भ किया गया है। यह यूनीसेफ द्वारा विकसित मीना नामक बालिका पर तैयार शिक्षा से संबधित हास्य सामग्री का प्रयोग इस योजना में है यह अभियान 12 विकास खण्डों में किया जायगा। प्रति विकास खण्ड में दो अभियान सुनिश्चित किया जायेगा।

Baby Show का आयोजन:-

ग्रामीण समुदाय की माताओं को स्वास्थ्य टीकाकरण एवं पौष्टिकता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रचार प्रसार निदेशालय की मदद से आयोजित किया जायगा, इससे केन्द्र पर बच्चों का ठहराव सुनिश्चित किया जायेगा। ऐसे बच्चों को जो इन मापदण्डों के अलावा नियमित केन्द्रों पर उपस्थित होते हैं उन्हे सम्मानित किया जायेगा।

समानता के लिए शिक्षा:-

गांव स्तर पर स्त्री/पुरूष समानता हेतु विभिन्न आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान किया जायेगा ताकि शैक्षिक एवं मुद्दे आदि में हस्तक्षेप कर सके।

1- महिलाओं की शैक्षिक प्राथमिकताओं का आदर ।

2- व्यक्तिगत विविधता के आदर एवं सोच विचार के लिए समय।

3- समुदाय एवं ग्रामीण स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमों में महिला संघों की भागेदारी के लिए समर्थ बनाना ।

4- शैक्षिक प्रतिभाओं में जेण्डर संवेदनशीलता ।

5- बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण ।

बालिका शिक्षण केन्द्रों का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम:-

बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने तथा उनका ठहराव बनाये जाने हेतु ज्यादा से ज्यादा संख्या में नामांकन हेतु केन्द्रों की बालिकाओं का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम भी रखा जायेगा। इन्हे व अन्य ऐसे संगठन जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार प्रयोग कर रहे हैं। उक्त समूहों का शैक्षिक भ्रमण कराके अनुभव द्वारा शिक्षा हेतु प्रेरित किया जायेगा उन्हे वर्ष में 3 शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम रखे जायेंगे जिसमें प्रत्येक भ्रमण पर 15हजार अनुमानित व्यय होगा।

बाल केन्द्रों, किशोरी केन्द्रों,द्वारा अखबार प्रकाशन:-

किशोरी केन्द्रों तथा बाल केन्द्रों के बच्चों द्वारा अखबार निकाला जायेगा। जिसमें गांव स्तर पर शिक्षा से सम्बन्धित गतिविधियों को सहज सुलभ रूप में प्रकाशित कराया जायेगा। यह अखबार कम से कम 1000 प्रति माह छपाया जायेगा जिसमें लगभग 2000रू0 प्रति माह व्यय आयेगा।

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न **कार्यक्रम आयोजित** किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर **पर प्रदर्शनी,** गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के **माध्यम से किया** जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ0प्र0 के ।। रिले केन्द्र के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद **विवाद/ वार्ताओं के** प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण:-

जो किशोरी केन्द्र द्वारा शिक्षित हो रही हैं उनमें कुछ बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु पुरस्कार राशि भी प्रदान किया जायेगा। जैसे-कम्प्यूटर, हैण्डपाइप मेकिंग, प्रेशरकुकर रिपेयरिंग, खिलौना निर्माण इत्यादि। कम से कम एक बालिका को 1500रू0 प्रदान की जायेगी। यह राशि किस तरह का व्यावसायिक प्रशिक्षण के अनुसार देय होगी। इस राशि को देने के समय बालिका की कमजोर आर्थिक स्थिति, आदि देखकर ही इन्हे यह राशि दी जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव :-

करके सीखने की शिक्षण विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा इसके अंतर्गत खिलौने बनाने, रंगाई, सिलाई, कताई, बुनाई, की शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियॉ मिट्टी के खिलौने कागज के सामान बनाने की कला सीखायी जायेगी। कार्यानुभव योजना में पशुपालन पुस्तक कला धातु कला आदि से सम्बन्धित समान्य ज्ञान अनुभव आधारित कर विद्यालय के आकर्षण पैदा किया जायेगा। विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सिलाई का कार्यनुभव योजना में प्रस्तावित है इसी के साथ प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सिलाई का कार्यानुभव योजना में प्रस्तावित है इसी के साथ प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गयी है जो बालिकाओं के लिए रोजगार परक होगा। जिसका वर्षवार विवरण निम्न है-

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
संख्या	250	200	150	100	50	0	0	0	0

मॉडल क्लस्टर डेवलपमेंट एप्रोच – बलिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एम0सी0डी0ए0 के अंतर्गत न्याय पंचायत में कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ड्राप आउट बालिकाओं तथा वे बालिकायें तथा वे बालिकाएं जो कभी विद्यालय नहीं गयी या किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा रही हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम किये जायेंगे। इसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है–

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
न्याय पंचायतों कीसंख्या		10	10	10	10	10	0	0	0

समेकित शिक्षा

समेंकित शिक्षा का आशय अक्षमता ग्रस्त बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिससे उनकी सीखने की प्रकिया में कम से कम बाधाएं रह जायें। वे कक्षा के शेष बच्चों की भांति सीख–समझ कर आगे बढ़ें और उनका समुचित विकास हो। इससे सामान्य बच्चों और अक्षमता ग्रस्त बच्चों के बीच सभी स्तरों पर स्वस्थ सामाजिक संबंध विकसित होने का अवसर मिलता है। इस प्रकार के वातावरण से अक्षमता गस्त बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्राप्त होता है तथा वे समाज के अन्य सदस्यों की भांति जीवन के विविध क्षेत्रों में कार्य करने की योग्यता विकसित कर लेते हैं।

सामान्यतः सभी के लिए और विशेषतया अध्यापकों के लिए हृदयंगम करने की बात यह है कि विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चे समाज के महत्वपूर्ण अंग है और देश तथा समाज के विकास कार्यो में वे भी अन्य लोगो की भांति महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। अतः यह स्वाभाविक अपेक्षा है कि इन अक्षमता ग्रस्त बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाये। इस दृष्टि से उन्हे समाज के शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक कार्यो में भाग लेने के अवसर एवं प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है।

उद्देश्यः– समेकित शिक्षा का मुख्यतः उद्देश्य निम्नांकित हैः–

- कम एवं मध्यम श्रेणी के अक्षमता ग्रस्त बच्चों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना।
- 6–18 वय वर्ग के अक्षमता ग्रस्त बच्चों को सामान्य बच्चेां की तरह सामान्य अवसर प्रदान करना।
- विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाना जिससे इन बच्चों में आत्मसम्मान एवं आत्म विकास की भावना का विकास हो।
- समुदाय एवं अभिभावक का संवेदीकरण,निर्देशन एवं उनका सहयोग प्राप्त करना।
- कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।
- विकास खण्ड एवं जिले स्तर पर रिर्सोस सेन्टर की स्थापना करना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकारः–

- श्रवण संबंधी अक्षमता।
- दृष्टि संबंधी अक्षमता।
- अस्थि संबंधी अक्षमता।

- मानसिक संबंधी अक्षमता।
- सीखने से संबंधित अक्षमता।

सत्रा 2001–02 में 0–14 वय वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सर्वेक्षण विवरण अक्षमता ग्रस्त बच्चों की संख्या 4564 है जिसमें बालक 2959 एवं बालिकाएं 1605 हैं। इसकार्यक्रम का प्रचार–प्रसार हो रहा है जिससे विशेष आयवश्यकता वाले बच्चों के विषय मे जानकारी हो रही है एवं उनकी सही संख्या भी आने लगी हैं। अतः 0–18 वय वर्ग के बच्चों की विकलांगतावार संख्या परिवार सर्वेक्षण के आधार पर निम्न प्रकार है।

कम संख्या	अक्षमता का प्रकार	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत
1	दृष्टि अक्षमता	546	403	949	15.28%
2	श्रवण अक्षमता	839	578	1417	22.82%
3	मानसिक अक्षमता	352	266	618	9.95%
4	अधिगम अक्षमता	143	109	252	4.05%
5	अस्थि विकार	1804	1169	2973	47.88%
योग		3684	2525	6209	100.00%

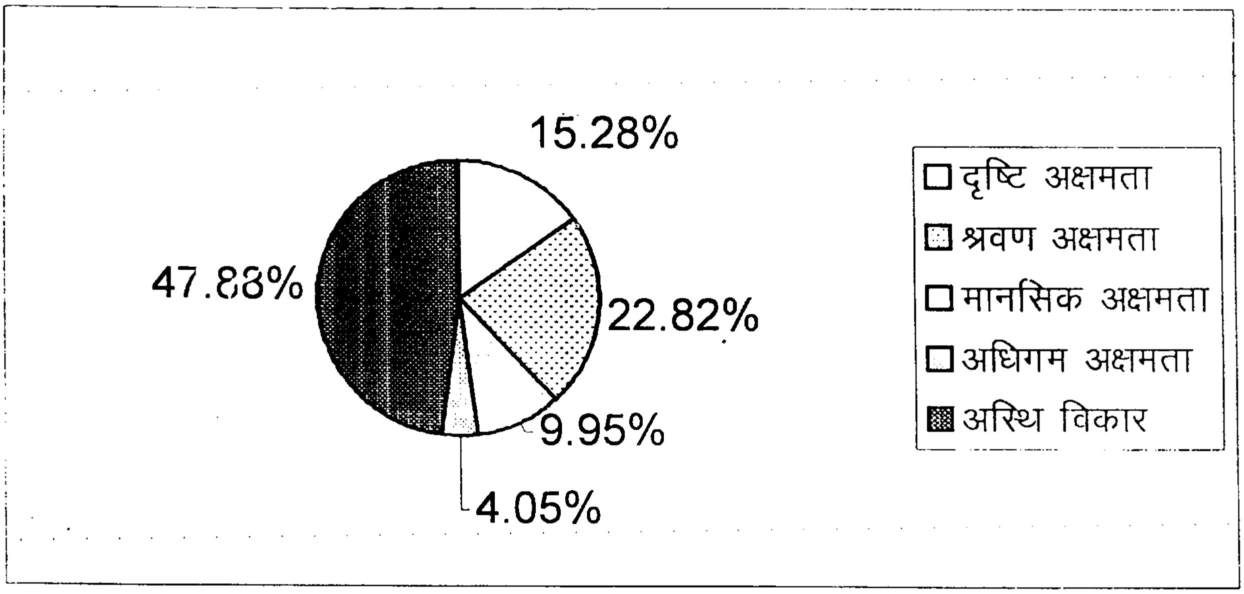

(स्रोत विभागीय आंकड़े)

जनपद महराजगंज में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का प्रतिशत स्रोत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा किया गया स्वास्थ्य परीक्षण आकलन एवं चिन्हांकन द्वारा

मेडिकल एसेसमेन्ट के दौरान चिन्हित अलग-अलग प्रकार की अक्षमता वाले बच्चों को उनकी कुल आवश्यकता के आधार पर उपस्कर एवं उपकरण निर्धारित किये गये। जिसका विवरण आगे अंकित है:-

क्रम संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	ट्राइसाइ	व्हील चेयर	कैलीपर्स	जूता	ब्लाइंड स्टिक	ब्रेल किट	बैसाखी	हियरिंग एड	योग
1	मिठौरा	3	10	115	27	6	6	13	50	230
2	सिसवां	8	13	74	13	6	6	23	5	148
3	धानी	3	18	29	3	1	1	25	0	71
4	परतावल	8	14	55	6	2	2	17	3	107
5	फरेन्दा	8	9	44	12	6	6	9	10	104
6	पनियरा	0	12	61	13	3	3	5	3	100
7	निचलौल	4	7	51	4	5	5	15	4	95
8	घुघली	4	11	47	8	3	3	9	8	93
9	बृजमनगंज	5	6	69	9	4	4	10	5	112
10	नौतनवां	4	10	47	8	4	4	11	8	96
11	लक्ष्मीपुर	0	12	83	7	8	8	14	5	137
योग		47	113	675	110	48	48	151	101	1293

(स्रोत - मेडिकल एसेसमेंट के आधार पर)

मेडिकल एसेसमेन्ट के द्वारा 47 ट्राईसाइ कैलीपर्स, 110 जूता, 48 ब्लाइंड स्टिक, 48 ब्रेल किट, 151 बैसाखी, 101 हियरिंग एड कुल 1293 उपस्कर एवं उपकरण निर्धारित किये गये। जिन्हे दिलाकर विशेष आवश्यकता वाले 1293 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।

उपलब्ध कराये गये उपस्कर / उपकरण की स्थिति

पूर्वान्चल ग्रामीण समिति, गोरखपुर, फातिमा अस्पताल गोरखपुर एवं एलिम्को कानपुर तथा डी0पी0ई0पी0 महराजगंज के सहयोग से निम्नयत उपस्कर एवं उपकरणों का निःशुल्क वितरण दिनॉक 24-6-2001 को लिटिल फ्लावर स्कूल धनेवा-धनेई, महराजगंज में किया गया। जिसका विवरण आगे अंकित है:-

31.08.03 तक उपलब्ध कराये गये उपकरण

ट्राइसाइकिल	व्हील चेयर	कैलीपर्स	वैसाखी	कृत्रिम अंग	छड़ी	कैलीपर्स एवं बैसाखी	सुनने वाली मशीन	योग
192	48	96	72	1	11	06	16	442

(स्रोत विभागीय आंकड़े)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त उपस्कर एवं उपकरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दिलाकर उन्हे शिक्षा की मुख्य धरा से जोड़ा गया। वर्तमान में चिन्हित शेष बच्चों को उपस्कर एवं उपकरण दिलाया जाना 2002–03 में प्रस्तावित है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम समेकित शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में:–

समेकित शिक्षा आज एवं भविष्य की जरूरत है । जनपद में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले बच्चों के चिन्हाकन सर्पोट एवं प्रेरण के साथ उनके आत्म विश्वास विकसित करने की दृष्टि से कार्यक्रमों के नियोजन एवं आयोजन की जरूरत है ।

सर्व प्रथम ब्लाकवार विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जायेगी । यह कार्य प्रथमिक्र शिक्षकों के माध्यम से उनके दैनिक कार्यो बालगणना के दौरान ही कराया जायेगा । चिन्हित बच्चों को विशेष घ्यान देकर विद्यालयों में लाने का प्रयास किया जायेगा ।

शिक्षकों को सर्वेक्षण एवं चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करने के लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जायेगा । सर्वेक्षण के लिए शिक्षकों का न्यायपंचायत एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया जायेगा । इस प्रकार विशिष्ट आवश्यकता वाले चिन्हित बच्चों के साथ बेहतर कार्य हेतु समस्त शिक्षकों का पॉच दिवसीय प्रशिक्षण बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 पर किया जायेगा । इस तरह जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक-विद्यालयों के समस्त (शिक्षा मित्रा + शिक्षकों) का प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।

समेकित शिक्षा को सफल बनाने वाले कारक:–

1. सामान्य विद्यालयों में पढने वाले बच्चों की कम अक्षमता की पहचान एकदम प्रारम्भ में करना उपयुक्त है।
2. गम्भीर अक्षमता ग्रस्त होने पर प्रारम्भ में प्रशिक्षण तथा आवश्यक सुविधायें सुलभ कराना जिससे यह ज्ञात हो सके कि किनकों सामान्य कक्षाओं में बैठाया जा सकता है।
3. इन बच्चों को निरन्तर उपचारात्मक सेवायें उपलब्ध कराना साथ ही उपकरणों के उपयोग सुझाना ।

4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में रचनात्मक विश्वास जागृत करना तथा उन्हें जीवन में आगे बढने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना ।

5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार किया जाना जिससे उनका सामान्य बच्चों की भॉति विकास हो सके

6. समेकित शिक्षा में पढने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु पाठ्यक्रम पर आधरित विषय वस्तु में परिवर्तन कर पहले से ही शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना ।

7. अमूर्त तथा कठिन अवधरणाओं को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त सहायक सामग्री तैयार करना एवं तीन आयामो वाले मॉडलों का उपयोग करना ।

8. संसाधन (विशेषज्ञ) अध्यापक की सहायता से अतिरिक्त शिक्षण सामग्री तैयार करना ।

9. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में-से प्रत्येक की शैक्षिक विशेषताओं और उनकी आवश्यकताओं की स्पष्ट जानकारी रखना ।

10. विद्यालय की प्रत्येक प्रकार की गतिविधि में प्रत्येक विद्यार्थी की भागीदारी सुनिश्चित करना, जिससे बौद्धिक विकास के लिए सबको समान अवसर मिल सके।

समेकित शिक्षा को सफल, प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक अक्षम बच्चों के साथ शिक्षक का स्नेह पूर्ण तथा सकारात्मक व्यवहार है। इसके अतिरिक्त शिक्षण संबंधी परिवर्तन या सुधार की अर्न्तदृष्टि भी अपेक्षित है। जिससे इन बच्चों की आवश्यकतानुसार शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हो सके।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमः–

सर्वेक्षण :– डी0पी0 ई0पी0 के माध्यम से 0–14 वय वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हांकन कराया गया जिसमें कुल 4564 बच्चे चिन्हिंत किये गये हैं । जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में कुल 4564विशेष आवश्यकता वाले बच्चे चिन्हित किये गये है। जिसमें दृष्टि विकार वाले 511, अस्थि विकार 2682, श्रवण एवं वाणी 1034 , मानसिक 269 एवं अन्य 68 बच्चे हैं। विद्यालय में 2358 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है एवं विद्यालय से बाहर 1575 बच्चे हैं। जिनकी अक्षमता गंभीर है, जिन्हे विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 14से 18 वय वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन माइक्रोप्लानिंग के आधर पर करा कर उन्हे भी शिक्षा की मुख्य धरा से जोड़ा जायेगा।

विकास क्षेत्रों का चयन :– डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत जनपद के दो विकास क्षेत्रों मिठौरा एवं सिसवां का चयन समेकित शिक्षा के अन्तर्गत किया गया है, जिसे पूर्णरूप से आच्छादित करने का प्रयास किया जा रहा हैं।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत
2002–2003 में बृजमनगंज, पनियरा
2003–2004 में शेष समस्त विकास क्षेत्र।

करके कार्य कराकर समेकित शिक्षा के क्षेत्रों में सम्पूर्ण जनपद आच्छादित हो जायेगा। तत्पश्चात सम्पूर्ण परियोजना अवधि में जनपद के समस्त 12 विकास क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की गतिविध्यिों का आयोजन प्रतिवर्ष कराया जायेगा।

मेडिकल एसेसमेंट:– डी0पी0ई0पी0 के द्वारा जनपद के 12 विकास क्षेत्रों में 26 मेडिकल एसेसमेंट शिविरों का आयोजन किया जा चुका हैं जिसमें 2747 बच्चों का मेडिकल एसेसमेंट किया गया। जिसका विवरण संलग्न है:–

समेकित शिक्षा

समेकित शिक्षा का आशय अक्षमता ग्रस्त बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिससे उनकी सीखने की प्रकिया में कम से कम बाधाएं रह जायें। वे कक्षा के शेष बच्चों की भांति सीख–समझ कर आगे बढ़ें और उनका समुचित विकास हो। इससे सामान्य बच्चों और अक्षमता ग्रस्त बच्चों के बीच सभी स्तरों पर स्वस्थ सामाजिक संबंध विकसित होने का अवसर मिलता है। इस प्रकार के वातावरण से अक्षमता गस्त बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्राप्त होता है तथा वे समाज के अन्य सदस्यों की भांति जीवन के विविध क्षेत्रों में कार्य करने की योग्यता विकसित कर लेते हैं।

सामान्यतः सभी के लिए और विशेषतया अध्यापकों के लिए हृदयंगम करने की बात यह है कि विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चे समाज के महत्वपूर्ण अंग है और देश तथा समाज के विकास कार्यो में वे भी अन्य लोगो की भांति महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। अतः यह स्वाभाविक अपेक्षा है कि इन अक्षमता ग्रस्त बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाये। इस दृष्टि से उन्हे समाज के शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक कार्यो में भाग लेने के अवसर एवं प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है।

उद्देश्यः– समेकित शिक्षा का मुख्यतः उद्देश्य निम्नांकित हैः–

- कम एवं मध्यम श्रेणी के अक्षमता ग्रस्त बच्चों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना।
- 6–18 वय वर्ग के अक्षमता ग्रस्त बच्चों को सामान्य बच्चेां की तरह सामान्य अवसर प्रदान करना।
- विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाना जिससे इन बच्चों में आत्मसम्मान एवं आत्म विकास की भावना का विकास हो।
- समुदाय एवं अभिभावक का संवेदीकरण,निर्देशन एवं उनका सहयोग प्राप्त करना।
- कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।
- विकास खण्ड एवं जिले स्तर पर रिर्सोस सेन्टर की स्थापना करना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकारः–

- श्रवण संबंधी अक्षमता।
- दृष्टि संबंधी अक्षमता।
- अस्थि संबंधी अक्षमता।

- मानसिक संबंधी अक्षमता।
- सीखने से संबंधित अक्षमता।

सत्रा 2001–02 में 0–14 वय वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सर्वेक्षण विवरण अक्षमता ग्रस्त बच्चों की संख्या 4564 है जिसमें बालक 2959 एवं बालिकाएं 1605 हैं। इसकार्यकम का प्रचार–प्रसार हो रहा है जिससे विशेष आयवश्यकता वाले बच्चों के विषय मे जानकारी हो रही है एवं उनकी सही संख्या भी आने लगी हैं। अतः 0–18 वय वर्ग के बच्चों की विकलांगतावार संख्या परिवार सर्वेक्षण के आधार पर निम्न प्रकार है।

कम संख्या	अक्षमता का प्रकार	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत
1	दृष्टि अक्षमता	546	403	949	15.28%
2	श्रवण अक्षमता	839	578	1417	22.82%
3	मानसिक अक्षमता	352	266	618	9.95%
4	अधिगम अक्षमता	143	109	252	4.05%
5	अस्थि विकार	1804	1169	2973	47.88%
योग		3684	2525	6209	100.00%

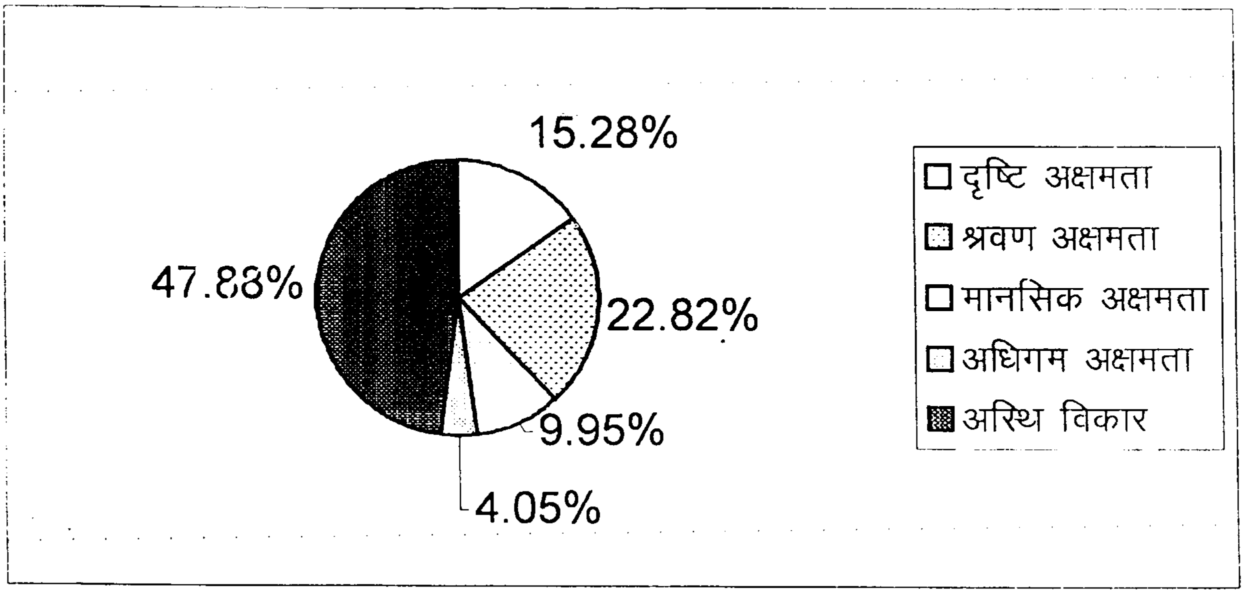

(स्रोत विभागीय आंकड़े)

जनपद महराजगंज में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का प्रतिशत स्रोत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा किया गया स्वास्थ्य परीक्षण आकलन एवं चिन्हांकन द्वारा

मेडिकल एसेसमेन्ट के दौरान चिन्हित अलग-अलग प्रकार की अक्षमता वाले बच्चों को उनकी कुल आवश्यकता के आधार पर उपस्कर एवं उपकरण निर्धारित किये गये। जिसका विवरण आगे अंकित है:-

क्रम संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	ट्राइसाइ	व्हील चेयर	कैलीपर्स	जूता	ब्लाइंड स्टिक	ब्रेल किट	बैसाखी	हियरिंग एड	योग
1	मिठौरा	3	10	115	27	6	6	13	50	230
2	सिसवां	8	13	74	13	6	6	23	5	148
3	धानी	3	18	29	3	1	1	25	0	71
4	परतावल	8	14	55	6	2	2	17	3	107
5	फरेन्दा	8	9	44	12	6	6	9	10	104
6	पनियरा	0	12	61	13	3	3	5	3	100
7	निचलौल	4	7	51	4	5	5	15	4	95
8	घुघली	4	11	47	8	3	3	9	8	93
9	बृजमनगंज	5	6	69	9	4	4	10	5	112
10	नौतनवां	4	10	47	8	4	4	11	8	96
11	लक्ष्मीपुर	0	12	83	7	8	8	14	5	137
योग		47	113	675	110	48	48	151	101	1293

(स्रोत - मेडिकल एसेसमेंट के आधार पर)

मेडिकल एसेसमेन्ट के द्वारा 47 ट्राइसाइ कैलीपर्स, 110 जूता, 48 ब्लाइंड स्टिक, 48 ब्रेल किट, 151 बैसाखी, 101 हियरिंग एड कुल 1293 उपस्कर एवं उपकरण निर्धारित किये गये। जिन्हे दिलाकर विशेष आवश्यकता वाले 1293 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।

उपलब्ध कराये गये उपस्कर / उपकरण की स्थिति

पूर्वान्चल ग्रामीण समिति, गोरखपुर, फातिमा अस्पताल गोरखपुर एवं एलिम्को कानपुर तथा डी0पी0ई0पी0 महराजगंज के सहयोग से निम्नयत उपस्कर एवं उपकरणों का निःशुल्क वितरण दिनॉक 24-6-2001 को लिटिल फ्लावर स्कूल धनेवा-धनेई, महराजगंज में किया गया। जिसका विवरण आगे अंकित है:-

31.08.03 तक उपलब्ध कराये गये उपकरण

ट्राइसाइकिल	व्हील चेयर	कैलीपर्स	वैसाखी	कृत्रिम अंग	छड़ी	कैलीपर्स एवं बैसाखी	सुनने वाली मशीन	योग
192	48	96	72	1	11	06	16	442

(स्रोत विभागीय आंकड़े)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त उपस्कर एवं उपकरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दिलाकर उन्हे शिक्षा की मुख्य धरा से जोड़ा गया। वर्तमान में चिन्हित शेष बच्चों को उपस्कर एवं उपकरण दिलाया जाना 2002–03 में प्रस्तावित है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम समेकित शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में:–

समेकित शिक्षा आज एवं भविष्य की जरूरत है । जनपद में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले बच्चों के चिन्हांकन सर्पोट एवं प्रेरण के साथ उनके आत्म विश्वास विकसित करने की दृष्टि से कार्यक्रमों के नियोजन एवं आयोजन की जरूरत है ।

सर्व प्रथम ब्लाकवार विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जायेगी । यह कार्य प्रथमिक्र शिक्षकों के माध्यम से उनके दैनिक कार्यो बालगणना के दौरान ही कराया जायेगा । चिन्हित बच्चों को विशेष घ्यान देकर विद्यालयों में लाने का प्रयास किया जायेगा ।

शिक्षकों को सर्वेक्षण एवं चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करने के लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जायेगा । सर्वेक्षण के लिए शिक्षकों का न्यायपंचायत एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया जायेगा । इस प्रकार विशिष्ट आवश्यकता वाले चिन्हित बच्चों के साथ बेहतर कार्य हेतु समस्त शिक्षकों का पॉच दिवसीय प्रशिक्षण बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 पर किया जायेगा । इस तरह जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक-विद्यालयों के समस्त (शिक्षा मित्रा + शिक्षकों) का प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।

समेकित शिक्षा को सफल बनाने वाले कारक:–

1. सामान्य विद्यालयों में पढने वाले बच्चों की कम अक्षमता की पहचान एकदम प्रारम्भ में करना उपयुक्त है।
2. गम्भीर अक्षमता ग्रस्त होने पर प्रारम्भ में प्रशिक्षण तथा आवश्यक सुविधायें सुलभ कराना जिससे यह ज्ञात हो सके कि किनको सामान्य कक्षाओं में बैठाया जा सकता है।
3. इन बच्चों को निरन्तर उपचारात्मक सेवायें उपलब्ध कराना साथ ही उपकरणों के उपयोग सुझाना ।

4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में रचनात्मक विश्वास जागृत करना तथा उन्हें जीवन में आगे बढने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना ।
5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार किया जाना जिससे उनका सामान्य बच्चों की भाँति विकास हो सके
6. समेकित शिक्षा में पढने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु पाठ्यक्रम पर आधरित विषय वस्तु में परिवर्तन कर पहले से ही शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना ।
7. अमूर्त तथा कठिन अवधरणाओं को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त सहायक सामग्री तैयार करना एवं तीन आयामो वाले मॉडलों का उपयोग करना ।
8. संसाधन (विशेषज्ञ) अध्यापक की सहायता से अतिरिक्त शिक्षण सामग्री तैयार करना ।
9. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में से प्रत्येक की शैक्षिक विशेषताओं और उनकी आवश्यकताओं की स्पष्ट जानकारी रखना ।
10. विद्यालय की प्रत्येक प्रकार की गतिविधि में प्रत्येक विद्यार्थी की भागीदारी सुनिश्चित करना, जिससे बौद्धिक विकास के लिए सबकों समान अवसर मिल सके।

समेकित शिक्षा को सफल, प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक अक्षम बच्चों के साथ शिक्षक का स्नेह पूर्ण तथा सकारात्मक व्यवहार है। इसके अतिरिक्त शिक्षण संबंधी परिवर्तन या सुधर की अन्तर्दृष्टि भी अपेक्षित है। जिससे इन बच्चों की आवश्यकतानुसार शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हो सके।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम:—

सर्वेक्षण :— डी0पी0 ई0पी0 के माध्यम से 0—14 वय वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हांकन कराया गया जिसमें कुल 4564 बच्चे चिन्हिंत किये गये हैं । जिसका विवरण निम्नवत् है:—

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में कुल 4564विशेष आवश्यकता वाले बच्चे चिन्हित किये गये है। जिसमें दृष्टि विकार वाले 511, अस्थि विकार 2682, श्रवण एवं वाणी 1034 , मानसिक 269 एवं अन्य 68 बच्चे हैं। विद्यालय में 2358 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है एवं विद्यालय से बाहर 1575 बच्चे हैं। जिनकी अक्षमता गंभीर है, जिन्हे विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 14से 18 वय वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन माइक्रोप्लानिंग के आधर पर करा कर उन्हे भी शिक्षा की मुख्य धरा से जोड़ा जायेगा।

विकास क्षेत्रों का चयन :– डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत जनपद के दो विकास क्षेत्रों मिठौरा एवं सिसवां का चयन समेकित शिक्षा के अन्तर्गत किया गया है, जिसे पूर्णरूप से आच्छादित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत
2002–2003 में बृजमनगंज, पनियरा
2003–2004 में शेष समस्त विकास क्षेत्र।

करके कार्य कराकर समेकित शिक्षा के क्षेत्रों में सम्पूर्ण जनपद आच्छादित हो जायेगा। तत्पश्चात सम्पूर्ण परियोजना अवधि में जनपद के समस्त 12 विकास क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की गतिविध्यिों का आयोजन प्रतिवर्ष कराया जायेगा।

मेडिकल एसेसमेंटः– डी0पी0ई0पी0 के द्वारा जनपद के 12 विकास क्षेत्रों में 26 मेडिकल एसेसमेंट शिविरों का आयोजन किया जा चुका हैं जिसमें 2747 बच्चों का मेडिकल एसेसमेंट किया गया। जिसका विवरण संलग्न हैः–

मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प का विवरण

जनपद का नाम :– महराजगंज | वर्ष – 2001.02

क्रम संख्या	विकास खण्ड	कैम्प की तिथि	आच्छादित न्याय पंचायत का नाम	चिन्हित बच्चो का विवरण																	
				दृष्टि			श्रवण			शारीरिक			मानसिक मन्दता			संदर्भित बच्चे			कुल बच्चों की संख्या		
				B	G	योग	B	G	योग	B	G	योग	B	G	योग	B	G	योग	B	G	योग
1	मिठौरा	9--4--2001	10	6	2	8	56	24	80	111	54	165	—	—	—	10	5	15	173	80	253
2	धनी	11–4–2001	3	2	2	4	1	1	2	17	15	32	—	—	—	—	—	—	20	18	38
3	परतावल	16–4–2001	9	3	3	6	4	3	7	93	43	136	—	—	—	20	16	36	100	49	149
4	पफरेन्दा	18–4–2001	9	4	2	6	9	5	14	68	38	106	—	—	—	10	11	21	81	45	126
5	पनियरा	23–4–2001	9	2	4	6	11	10	21	81	39	120	—	—	—	4	3	7	94	53	147
6	घुघली	30–4–2001	8	10	6	16	18	16	34	87	61	148	—	—	—	20	13	33	115	83	198
7	बृजमनगंज	2–5–2001	8	9	7	16	20	12	32	92	45	137	—	—	—	14	11	25	121	64	185
8	सिसवा	7–5–2001	9	8	6	14	4	3	7	95	62	157	—	—	—	11	11	22	107	71	178
9	नौतनवां	9–5–2001	9	5	3	8	12	9	21	50	37	87	—	—	—	5	3	8	67	49	116
10	निचलौल	14–5–2001	10	6	5	11	9	8	17	71	36	107	—	—	—	20	15	35	86	49	135
11	लक्ष्मीपुर	16–5–2001	10	8	7	15	17	9	26	111	58	169	—	—	—	16	14	30	136	74	210
	योग			63	47	110	161	100	261	876	480	1364				130	102	232	1100	635	1735
							1735												1735		

;स्रोत :– मेडिकल एसेसमेन्टद्ध

उपरोक्त के अतिरिक्त 31.08.03 तक आयोजित किये गये शिविरों की कुल संख्या 26 हुई तथा लाभान्वित बच्चों की कुल संख्या 2747 है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मेडिकल एसेसमेंट 2–3 न्याय पंचायतों पर एक शिविर लगाकर विशेषज्ञ डाक्टरों की टीम द्वारा कराया जायेगा इस टीम में नेत्रा विशेषज्ञ, ई0एन0टी0 सर्जन, आर्थोपैडिक सर्जन एवं साइक्लाजिस्ट होंगे। मेडिकल एसेस्मेंट के द्वारा यह जानकारी मिल जाएगी कि किस बच्चे में किस प्रकार की एवं कितनी अक्षमता है। तथा बच्चें को किस प्रकार के उपस्कर एवं उपकरण की आवश्यकता है इसका भी निर्धरण किया जाएगा।

2002–2003 में 40 न्याय पंचायतों में 14 मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प

2003–2004 में 36 न्याय पंचायतों में 13 मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प

2004–2005 में 26 न्याय पंचायतों में 9 मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प किये जाने के उपरान्त 2005 से 2010 तक 102 न्याय पंचायतों मे 34 में मेडिकल एसेसमेंट शिविर का आयोजन प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षणः– डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत चयनित दो विकास क्षेत्रों मिठौरा एवं सिसवा से दो–दो मास्टर ट्रेनरर्स का प्रशिक्षण पूर्ण कराया जा चुका है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के दस विकास क्षेत्रों से 20 मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण 2001–2002 में कराया जाना है। इन मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण एडवान्स स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन, रूहेल खण्ड यूनिवर्सिटी बरेली, अमरज्योति रिहैबलीटेशन एवं रिसर्च सेन्टर ककरडूमा विकास मार्ग दिल्ली, उत्तर प्रदेश विकलांग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसायटी, 13 लूकरगंज इलाहाबाद अथवा जिला समन्वयक ;समेकित शिक्षाद्ध एवं रिसोर्स पर्सन के द्वारा मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण जिला परियोजना कार्यालय पर भी कराया जा सकता हैं। इन मास्टर ट्रेनर्स को मानदेय भी देय होगा।

पफाउण्डेशन कोर्स :– डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत संचालित दो विकास खण्डों ;मिठौरा एवं सिसवाद्ध में दो लोगो को पफाउण्डेशन कोर्स का प्रशिक्षण कराया जा चुका है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल 22 ए0बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 को 45 दिवसीय पफाउण्डेशन कोर्स में प्रशिक्षण वर्ष 2002–03 में कराया जाना प्रस्तावित है। पफाउण्डेशन कोर्स प्राप्त करने के उपरान्त, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षिक सपोर्ट हेतु रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य करेगें। पफाउण्डेशन कोर्स उन्ही संस्थाओं से कराया जायेगा जिनको आर0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्रदान की गयी हों।

अध्यापकों का प्रशिक्षणः–

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत चयनित दो विकास क्षेत्रा मिठौरा एवं सिसवा में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 951 अध्यापकों का प्रशिक्षण 31.08.03 तक पूर्ण किया जा चुका है। इन विकास खण्डों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा के अन्तर्गत 10विकास खण्ड में कार्यतर प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का प्रशिक्षण वर्ष 2003–04 में कराया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 5113 अध्यापक 5

दिवसीय प्रशिक्षण हेतु शेष हैं। जिनका प्रशिक्षण 2003–04 में प्रस्तावित है। इसकेअतिरिक्त प्रतिवर्ष नव नियुक्त होने वाले अध्यापकों का पांच दिवसीय आधरभूत प्रशिक्षण भी आवश्यकतानुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2006–07 में प्रत्येक अध्यापक को 2 दिवसीय पुर्नबोधत्मक प्रशिक्षण किया जाना भी प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य परीक्षणः–

डी0पी0ई0पी0 के द्वारा जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 1014 प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण के अभिलेखीकरण हेतु तीन प्रकार के रजिस्टर का मुद्रण एवं क्रय किया जा चुका है। वर्ष 2000–01 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा कराया गया स्वास्थ्य परीक्षण का विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष 2003–04 से 2006–07 के मध्य नवीन विद्यालयों स्वास्थ्य परीक्षण भी कराकर प्रत्येक वर्ष इनका अभिलेखीकरण कराया जायेगा।

क्रम संख्या	प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	विद्यालय का नाम	स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि	कुल छात्रों की संख्या जिनका परीक्षण किया गया	छात्रों की संख्या जिनका विद्यालय में ही उपचार किया गया	छात्रों की संख्या जिन्हें संदर्भित किया गया।			सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विकलांगों की परीक्षण तिथि	प्रदत्त विकलांग प्रमाण-पत्रों की संख्या				अन्य विवरण
						गंभीर	कम गंभीर	साधारण		मूक	श्रव्य दोष	दृष्टिदोष	अस्थि	
1	प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र धानी	धानी	अगस्त 2000 से मई 2001 तक	3512	3458	10	11	33				4	32	
2	नागु0 स्वास्थ्य केन्द्र परतावल	परतावल	अगस्त 2000 से मई 2001 तक	2638	2582	12	4	40				6	100	
3	नागु0 स्वास्थ्य केन्द्र फरेन्दा	फरेन्दा	अगस्त 2000 से मई 2001 तक	3745	3689	15	6	35				6	85	
4	प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र पनियरा	पनियरा	अगस्त 2000 से मई 2001 तक	4124	4081	12	8	23				6	113	
5	प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र घुघली	घुघली	अगस्त 2000 से मई 2001 तक	2813	2756	9	3	45				16	115	
6	प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र बृजमनगंज	बृजमनगंज	अगस्त 2000 से मई 2001 तक	3216	3179	8	2	27				16	112	
7	प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र निचलौल	निचलौल	अगस्त 2000 से मई 2001 तक	2812	2771	6	7	28				11	72	
8	प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र रतनपुर	नौतनवां	अगस्त 2000 से मई 2001 तक	3105	3073	7	5	20				8	79	
9	प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	अगस्त 2000 से मई 2001 तक	2715	2656	3	8	48				15	139	
10	प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र महराजगंज	महराजगंज	अगस्त 2000 से मई 2001 तक	3447	3406	5	1	35				-	-	
11	प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र जगदौर	सिठौरा	अगस्त 2000 से मई 2001 तक	10527	10372	35	15	105				8	150	
12	प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र सिसवा	सिसवा0	अगस्त 2000 से मई 2001 तक	8831	8674	45	20	92				14	135	
			योग	51485	50697	167	90	531				110	1132	

(स्रोत:- स्वास्थ्य परीक्षण)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 173995 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया गया है। जिनमें 166989 बच्चों का विद्यालय में ही उपचार किया गया। 3668 गंभीर, 1167 कम गंभीर, 3521 साधरण बच्चों को संदर्भित किया गया। दृष्टि दोष के 271 एवं अस्थि विकार के 1793 बच्चों को विकलांगता प्रमाणपत्रा भी प्रदान किया गया।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कराया जाएगा, इसके लिए 102 न्याय पंचायतों पर डाक्टरों को ले जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था की जानी होगी। जनपद के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट लिखने हेतु प्रत्येक विद्यालय पर चार प्रकार के रजिस्टर भी रखे जायेंगे, इन रजिस्टरों में लाल रजिस्टर – गम्भीर रोगों के लिए, पीला रजिस्टर– कम गम्भीर रोगों के लिए तथा हरा रजिस्टर सामान्य रोगों वाले बच्चों, सफेद रजिस्टर रोगमुक्त बच्चों की प्रविष्टि अंकित करने के लिए प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण सामग्री का विकास:–

जनपद के कुल शिक्षा मित्रों / अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न प्रकार की विशेष पुस्तकों एवं फोल्डर का मुद्रण कराया जाएगा, इन पुस्तकों एवं फोल्डरों में निम्नांकित बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

शिक्षक हस्तपुस्तिका (समेकित शिक्षा) के अन्तर्गत सभी प्रकार के विशेष आश्यकता वाले बच्चों की पहचान, कारण व बचाव तथा कक्षा प्रबन्धन के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

निम्नवत् फोल्डर का मुद्रण करया जाना प्रस्तावित है–

1. दृष्टि अक्षमता के कारण, पहचान एवं आवश्यक उपकरण, दृष्टि अक्षम बच्चों की समस्यायें, कक्षा प्रबंधन एवं अध्यापक की भूमिका ।
2. श्रवण अक्षमता क्या है? कारण एवं पहचान, आवश्यक उपकरण श्रवण अक्षम बच्चों की समस्याएँ कक्षा प्रबंधन एवं अध्यापक की भूमिका ।
3. शारीरिक अक्षमता क्या है? कारण एवं पहचान आवश्यक उपकरण शारीरिक अक्षम बच्चों की समस्यायें कक्षा प्रबन्धन एवं अध्यापक की भूमिका।
4. मानसिक अक्षमता क्या है? कारण एवं पहचान, मानसिक अक्षम बच्चों की समस्यायें, कक्षा प्रबन्धन में अध्यापक की भूमिका।
5. अधिगम अक्षम बच्चों की पहचान एवं समस्यायें कक्षा प्रबन्धन में अध्यापक की भूमिका।
6. आप इनके लिए क्या कर सकते हैं?

उपरोक्त पुस्तकों एवं फोल्डर से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, मनोवैज्ञानिक परितिवर्तन एवं वातावरण सृजन में सहयोग मिलेगा।

मुद्रण :-

डी0पी0ई0पी0 के द्वारा विकास क्षेत्र मिठौरा एवं सिसवा में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षक हस्त पुस्तिका एवं 6 फोल्डरों का मुद्रण कराया गया।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अध्यापकों के प्रशिक्षण, वातावरण सृजन, हैंडीकैप्ड, हेल्पलाईन हेतु विभिन्न प्रकार की पुस्तक, फोल्डर, स्टीकर का मुद्रण का कराया जाना है, जिससे समाज, समुदाय के लोगों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

रिसोर्स केन्द्र की स्थापना:-

जनपद के चार तहसील मुख्यालयों में समेकित शिक्षा सम्बन्धी कार्यो के लिए रिसोर्स रूम स्थापित किया जायेगा। यहां अक्षमता ग्रस्त बच्चों के लिए, उनसे संबंधित विशेष प्रकार की शैक्षिणिक सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी, जैसे-ब्रेलकिट,टेलर फ्रेम,अबेकस स्टाइलस आदि। एवं विशिष्टि आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षिक सपोर्ट दिया जायेगा।

विद्यालयों में रैम्प का निर्माण :-

निर्माणाधीन विद्यालयों में रैम्प का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व निर्मित विद्यालयों में 2 प्राथमिक विद्यालय तथा 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रति विकास खण्ड की दर से 36 विद्यायलों में रैम्प का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे अक्षमता ग्रस्त बच्चे विद्यालयों में व्हीलचेयर और ट्रायसाइकिल लेकर अन्दर आ - जा सकें। यह निर्माण प्रस्तावित है।

उपस्कर एवं उपकरण वितरण शिविर-

मेडिकल एसेसमेंट में निर्धारित उपकरणों के आधार पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु उपकरण एवं उपस्कर वितरण हेतु ब्लाक स्तर पर प्रतिवर्ष एक-एक कैम्प लगाये जायेंगे तथा उपस्कर एवं उपकरण वितरण कराया जायेगा, जिससे विशिष्टि आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

उपस्कर एवं उपकरण की उपलब्धता:-

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क उपस्कर एवं उपकरण दिलाने हेतु निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जायेगा।

1 राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान 116 राजपुर रोड देहरादून ।

2 अली यावरजंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान बान्द्रा, बम्बई ।

3 एलिम्को जी0टी0रोड-कानपुर 208016

4 अमर ज्योति रिहैविलीटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर ककरडुमा विकास मार्ग,नयी दिल्ली नं010029

5 भारत सरकार की सामाजिक न्याय मन्त्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिट मेंट सेन्टर

6 राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मनोविकास नगर

7 नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइण्ड एजूकेशन डिपार्टमेंट काटन ग्रीन एल0पी0 बाला कम्प्लेक्स बम्बई, महाराष्ट्र ।

8 मंगलम ए0-445 इन्द्रानगर लखनऊ ।

9 यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13 लूकरगंज, इलाहाबाद ।

10 एन0आई0ओ0एच0 बान हुगली कलकत्ता।

11 कल्याणम् करोति मथुरा।

आई0ई0पी0 का निर्माण:-

प्रत्येक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का व्यक्तिगत, शैक्षिक कार्यक्रम का निर्माण रिसोर्स पर्सन एवं जिला समन्वयक समेकित शिक्षा द्वारा कराया जायेगा। जिसका मूल्यांकन प्रति तिमाही सामान्य बच्चों के साथ कराया जाएगा।

समेकित खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम:-

अक्षमता के शिकार बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके अन्दर निहित भावना को दूर करने हेतु विशिष्टि आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित कर खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रस्तावित है, इस खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में निम्न प्रतियोगी विद्यालय, न्याय पंचायत , विकासखण्ड स्तर तथा अन्त में जिला स्तर पर विजयी प्रतिभागियों के मध्य आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

क:- समेकित खेलकूद में आयोजित होने वाली प्रस्तावित प्रतियोगिताएँ:-

1. जलेबी दौड़(एक सामान्य तथा एक विशिष्टि बालक के साथ
2. कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता(एक सामान्य तथा एक विशिष्टि बालक के साथ)
3. क्रिकेट प्रतियोगिता
4. लम्बी कूद पतियोगिता
5. ऊँची कूद प्रतियोगिता
6. रिले रेस प्रतियोगिता
7. बास्केट बाल प्रतियोगिता

ख:- सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अन्तर्गत आयोजित होने वाली प्रस्तावित प्रतियोगिताएँ:-

1. गीत गायन प्रतियोगिता
2. नृत्य प्रतियोगिता
3. हारमोनियम वादन प्रतियोगिता
4. बांसुरी वादक प्रतियोगिता

5. तबला वादन प्रतियोगिता

6. ढोलक वादन प्रतियोगिता

ग **बौद्धिक विकास के लिए आयोजित की जाने वाली प्रस्तावित प्रतियोगिताएँ:-**

1. पोस्टर प्रतियोगिता (चयनित विषय पर)
2. नारा लेखन प्रतियोगिता
3. वाद विवाद प्रतियोगिता
4. प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
5. क्वीज प्रतियोगिता

उपरोक्त प्रतियोगिताएँ सर्वप्रथम विद्यालय स्तरपर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सक्षम बच्चों की संयुक्त टीम बनाकर करायी जाएगी तथा उपरोक्त प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु भेजा जाना प्रस्तावित है । न्याय पंचायत स्तर पर विजयी प्रतिभागियों को विकास खण्ड स्तर पर भेजा जाना है तथा अन्त में विकासखण्ड स्तर से सभी विजयी प्रतिभागियों के साथ तीन दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिताएँ सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है, इन प्रतियोगिताओं का आयोजन जिले स्तर पर प्रति वर्ष 2-4 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विशिष्ट अतिथितियों को आमंत्रित किया जाएगा और विधिवत औपचारिक उद्घाटन समारोह तथा समेकित खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इस अवसर पर विकास विभाग के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी/ स्टाल लगाये जायेंगे जनपद में हो रहे विकास कार्यकमों की जानकारी विशिष्टि आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाएगी । जिला स्तर पर विजयी प्रतिभागियों को विशिष्टि अतिथियों द्वारा समापन समारोह के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा, इस कार्यकम में विशिष्टि आवश्यकता वाले छात्रों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले शिक्षकों, अभिभावकों, समाज सेवियों, अधिकारियों को भी पुरस्कृत किया जाना प्रस्तावित है।

वातावरण सृजन:-

वातावरण सृजन में निम्न कार्य सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है।

1. **जिला स्तरीय गोष्ठी:-**

वातावरण सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथमतया जिला स्तर पर जिला स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। गोष्ठी की अध्यक्षता जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त महोदय द्वारा सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें निम्न सम्मानित लोगों का प्रतिभाग प्रस्तावित है:-

1. जिलाधिकारी
2. राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा नामित प्रमुख संदर्भ व्यक्ति

3. मुख्य विकास अधिकारी
4. जनपद स्तर पर समस्त अधिकारी गण
5. सभी उपजिलाधिकारीगण
6. सभी खण्डविकास अधिकारी गण
7. समस्त ए0बी0एस0ए0
8. समस्त बी0आर0सी0 समन्वयक
9. स्वैच्छिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण
10. समस्त वरिष्ठ पत्रकारगण
11. समस्त विधायक
12. माननयी मंत्री गण
13. माननीय सांसद
14. सम्मानित जन प्रतिनिधि
15. विशिष्टि आवश्यकता वाले बच्चे एवं उनके अभिभावक व अध्यापक
16. संदर्भ संस्थाओं के पदाधिकारी /अधिकारीगण

इस गोष्ठी में ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से देश, प्रदेश तथा जनपद के विशिष्टि आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति का आकलन दृश्य एवं श्रव्य (AUDIO-VIDEO) के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा इस प्रस्तुति के आधार पर उपरोक्त प्रतिनिधियों द्वारा रणनीति निर्धारण किया जाएगा कि विकास खण्ड, न्याय पंचायत व ग्रामपंचायत स्तर पर वातावरण सृजन का कार्य कैसे किया जाय? गोष्ठी में उभरकर आये सुझावों एवं निष्कर्षो का कियान्वयन मीडिया में प्रचारित प्रसारित कराया जाना प्रस्तावित है।

2. विकास खण्ड स्तरीय गोष्ठी:-

उपरोक्तानुसार विकास खण्ड के सम्मानित व्यक्तियों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ विकास खण्ड स्तरीय गोष्ठी आयोजित की जाएगी जिसमें जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी बनया जाएगा जो अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों को समय-समय पर मिलने वाली समस्त शासकीय सुविधाओं की जानकारी देगें तथा उनकी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए जिला एवं शासन के बीच समन्वय स्थापित करेंगे, जिससे विशिष्टि आवश्यकता वाले बच्चों को भेद भाव के बिना अवसर प्रदान कर समस्त गतिविधियों में सम्मिलित किया जा सके तथा अक्षमताओं से बचने के लिए उपाय करने संबंधी परामर्श दिये जायेगे, इसमें मीडिया के लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

3. न्याय पंचायत स्तरीय गोष्ठी:-

जनपद के 102 न्यायपंचायतों में विशिष्ट अक्षमता वाले व्यक्तियों के वातावरण सृजन हेतु न्यायपंचायत स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा । जिसमें सर्वशिक्षा अभियान के विषय में सभी ग्राम पंचायतों, बी0डी0सी0 सदस्यों, छात्रों तथा अभिभावकों के साथ

आयोजित किया जायेगा । जिसमें विकास खण्ड स्तर के अधिकारी भाग लेंगे, जो पूर्व में विकास खण्ड स्तर पर जागरूक किये गये है ।

ग्राम प्रधनों तथा माननीय जनप्रतिनिधियों के विचार इस निमित्त आमंत्रित किये जायेंगे तथा उसमें से अच्छे सुझाव के साथ योजना का निर्माण किया जायेग ।

प्रचार–प्रसारः–

जनपद के सिनेमा घरो में मनोरन्जन अधिकारी के सहयोग से स्लाइड शो का आयोजन प्रत्येक शो में या दिन में एक बार किया जाएगा। स्लाइड विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति को उफपर उठाने हेतु जनसमान्य की भूमिका पर बनायी जाएगी।

पदयात्रा / साइकिल यात्राा:–

जनपद में 2 या 3 दिसम्बर को होने वाले खेलकूद/ सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रारम्भ में जनपद मुख्यालय /ब्लाक मुख्यालयों पर पद यात्राा /साइकिल यात्राा अयोाजित की जायेगी।

अभिभावक मार्ग निर्देशन :–

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले अभिभावक तथा समुदाय के लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को उनके मौलिक अधिकार से वचित रखते हैं और उनके साथ सामान्य बच्चों जैसा व्यहार नहीं करते हैं । जिस कारण वे दीनहीन दशा के शिकार हो जाते हैं यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों को 2002–2003 में 40 न्याय पंचायतों में, 2003–04 में 36 न्याय पंचायतों एवं 2004–05 में 26 न्याय पंचायतों पर महीने में एक बार दो दिवसीय अभिभावक अभिप्रेरण कार्यशाला का आयोजन कर अभिभावकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं के निराकरण एवं सुझाव के विषय में अवगत कराया जायेगा, जिससे वे अपने बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनायें एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु तत्पर रहें। इसके उपरान्त 2005 से 2010 तक 102 न्याय पंचायतों में एक दिवसीय अभिभावक अभिप्रेरण कार्यशाला का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

स्पेशल कैम्प (पेयर सेन्सटाईजेशन) :–

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं सामान्य बच्चों के साथ तीन दिवसीय विशेष कैम्प का आयोजन तीन न्याय पंचायतों को मिलाकर किया जायेगा। जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं सामान्य बच्चों के बीच एकीकरण किया सके तथा सामान्य बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संबेदनशील बनाया जायेगा। यह स्पेशल कैम्प आवासीय होगा, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के दैनिक दिनचर्या के विषय में होने वाली समस्याओं को सामान्य बच्चे भली–भाति समझ सके एवं उनका अपेक्षित सहयोग भी कर सकें।

2002– 2003 में 40 न्याय पंचायतों में 14 विशेष कैम्प प्रस्तावित थे।
2003–2004 में 36 न्याय पंचायतों में 13 विशेष कैम्प प्रस्तावित हैं।

2004-2005 में 26 न्याय पंचायतों में 9 विशेष कैम्प किये जाने के उपरान्त 2005 से 2010 तक 102 न्याय पंचायतों मे 34 विशेष शिविरों का आयोजन प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कैरियर कार्यक्रम:-

जनपद महराजगंज में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कैरियर काउंसिलिंग कार्यक्रम(व्यक्तित्व विकास)संचालित किया जाएगा। इस निमित्त विकास खण्ड स्तर पर वर्ष में दो बार एक दिवसीय कैरियर काउंसिलिंग शिविर आयोजित किया जाएगा। यदि भारत सरकार द्वारा ब्लाक स्तरीय संदर्भ व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन) की स्वीकृति दे दी जाएगी तो विकास खण्ड स्तर पर काउंसिलिंग सेन्टर वर्ष भर संचालित रहेंगे ।

जनपद स्तर पर एक काउंसिलिंग सेन्टर पूरे कार्यकाल तक के लिए स्थापित किया जाएगा । इसी कार्यक्रम में 'हैण्डीकैप्ड हेल्पलाइन' अक्षमता सेवा केन्द्र स्थापित होगा।

जहाँ पर लोगों को साहित्य एवं विचार-विमर्श के माध्यम से जानकारी एवं सुविधाएं प्रदान किया जायेगा। जनपद स्तर पर संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी इस कार्यालय द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दी जाएगी।

शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम:-

जनपद के समस्त (49) रिसोर्स पर्सन एवं कार्यक्रम के द्वारा विभिन्न संस्थाओं/जनपदों में हो रहे पुर्नवास कार्यक्रमों एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों का दिखाकर तथा प्रशिक्षण दिलाकर जनपद के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आत्मनिर्भर हो सके।

व्यवसायिक दक्षता विकास कार्यक्रम :-

कौशल विकास एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चो को निम्नलिखित व्यवसायिक प्रशिक्षणों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ।

1- टोकरी निर्माण
2- बढई गीरी
3- रस्सी बनाना
4- दोना पत्तल निर्माण

टोकरी निर्माण:-

यह कार्य ब्लाकस्तर पर तीन प्रशिक्षको द्वारा 40 प्रशिक्षार्थियों को दिया जायेगा। इसका प्रशिक्षण बांसपार बंजौली (अवटहवा टोला) महराजगंज के प्रशिक्षकों द्वारा दिया जायेगा। जनपद महराजगंज में टोकरी निर्माण कार्य इन प्रशिक्षकों द्वारा नवीनतम तरीकों से किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण आवासीय होगा। 2002-2003 में पांच विकास क्षेत्र, 2003-2004 में चार विकास क्षेत्र एवं

2004-2005 में तीन विकास क्षेत्रों में आयोजित किया जाना है। इसके उपरान्त 2005 से 2010 तक जनपद के समस्त विकास क्षेत्रों में टोकरी निर्माण का प्रशिक्षण दस दिवसीय विकास खण्ड स्तर पर प्रति वर्ष दिलाया जाना प्रस्तावित है।

बढ़ईगीरी :-

जनपद महराजगंज में जंगल पर्याप्त मात्रा में हैं जिससे लकड़ी सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाती है एवं फर्नीचर उद्योग का व्यवसाय आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए तीन प्रशिक्षक 40 प्रशिक्षार्थियों को एक माह का प्रशिक्षण देंगे। 2002-2003 में पांच विकास क्षेत्र, 2003-2004 में चार विकास क्षेत्र एवं 2004-2005 में तीन विकास क्षेत्रों में आयोजित किया जाना है। इसके उपरान्त 2005 से 2010 तक जनपद के समस्त विकास क्षेत्रों में बढ़ईगीरी का प्रशिक्षण तीस दिवसीय विकास खण्ड स्तर पर प्रति वर्ष दिलाया जाना प्रस्तावित है।

दोना पत्तल निर्माण :-

महराजगंज जनपद में जंगल की अधिकता के कारण पत्तल आसानी से उपलब्ध हो जाता है अतएव दोना पत्तल व्यवसाय सुचारू रूप से किया जा सकता है। इसके लिए दो प्रशिक्षक द्वारा 40 बच्चों को प्रति विकास क्षेत्र प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण आवासीय होगा। 2002-2003 में पांच विकास क्षेत्र, 2003-2004 में चार विकास क्षेत्र एवं 2004-2005 में तीन विकास क्षेत्रों में आयोजित किया जाना है। इसके उपरान्त 2005 से 2010 तक जनपद के समस्त विकास क्षेत्रों में दोना पत्तल निर्माण का प्रशिक्षण दस दिवसीय विकास खण्ड स्तर पर प्रति वर्ष दिलाया जाना प्रस्तावित है।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ब्रिजकोर्स नवाचार कार्यक्रम:-

ड्राप आउट 6 - 18 य य यकवा गालि बच्चों हेतु ब्रिजकोर्स आ ाव कैम्प लगाया जाएगा जिसमें कम से कम 30 बच्चे होंगे तथा यह कैम्प एक माह के होंगे ब्रिजकोर्स में इनके रहने- खाने तथा शैक्षिक सामग्री की व्यवस्था की प्रतिवर्ष कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद महराजगंज में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ब्रिजकोर्स की आवश्यकता है ब्रिजकोर्स कार्यक्रम का संचालन जनपद में अक्षमता के क्षेत्र मे कार्यरत किसी एक अथवां अधिक स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा कराया जायेगा।

एन0जी0ओ0की शर्ते:-

1- संस्था सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो तथा नवीनीकरण हुआ है ।

2- संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता ।

3- विकलांगता के क्षेत्र में काम करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो ।

4— संस्था विकलांगता जन अधिनियम 1995 की धरा —5 की अधिपंजीकृत

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समेकित शिक्षा एवं स्वयंसेवी संगठनों की भुमिका:—

सर्वशिक्षा अभियान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है । विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु एन0जी0ओ0की सहायता ली जायेगी तथा शिक्षा कि मुख्य धरा से जोडने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहते है । समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों द्वारा समुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, बच्चों शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकास करने विकास खण्ड तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है । स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धरित प्रकिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है । जिसके तहत जनपद के अनुभवी ख्याती प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों से प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते है । इन प्रस्तावों का डेस्कटॉप अप्रेजल/पफील्ड अप्रेजल किया जाता है, तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनों को जिलाध्किारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा । कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ निम्नांकित है —

1— भारद्वाज ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, महराजगंज ।
2— सर्मपण लोहिया नगर, महराजगंज ।
3— शाश्वत ग्राम नन्दना पो0बेलवा खुर्द, महराजगंज ।
4— सूरजमल बंका अन्ध विद्यालय ,बरगदवा बाजार , नौतनवां ।
5— मॉ सावित्री विकलांग विद्यालय, धनी ।
6— शिक्षित युवा सेवा समिति बस्ती।
7— पूर्वाचंल ग्रामीण सेवा समिति, गोरखपुर।
8— डा0 भीमराव अम्बेडकर संस्थान, नेहरू नगर, महराजगंज

इन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सम्बन्ध में 2002 में 3 विकास क्षेत्रा एवं 2003 में तीन विकास क्षेत्रा पूर्ण रूप से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

Aid & Appliences:- वास्तव में उपस्कर एवं उपकरण नि:शुल्क प्रदान करने वाली कई संस्थाये हैं परन्तु परीक्षणापेरांत अध्किांशत: उपकरण उपलब्ध नहीं करा पाती हैं अत: जनपद के 12 विकास खण्डों में विभिन्न प्रकार के अक्षमता के निम्नवत् उपकरणों का प्रस्ताव किया गया है:—

कमांक	उपकरण का नाम/ उपस्कर का नाम	मात्राा	दर	सम्भावित मूल्य
1.	ट्रायसाइकिल	450	4150	1867500

2.	व्हील चेयर	230	5500	1265000
3.	कैलीपर्स	1300	4100	5330000
4.	विशेष जूते	500	300	150000
5.	ब्लाइंड स्टिक	150	200	30000
6.	ब्रेलकिट	150	1000	150000
7.	बैसखी (मध्यम आकार का)	1100	560	616000
8.	बैसखी (छोटा)	500	520	260000
9.	हेयरिंग एड	320	1250	400000
10.	वाकिंग स्टिक	100	150	15000
	योग :-			10083500

(रू0 एक करोड़ तिरासी हजार पाँच सौ मात्र)

स्रोत:- विभागीय आंकड़े।

उपर्युक्त सम्भावित मूल्य 10083500 का 40 प्रतिशत धनराशि 40 लाख 33 हजार 4 सौ रूपये का व्यय प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है। शेष मूल्य 60 प्रतिशत का वहन ऐलिम्को अथवा एडिप के द्वारा किया जायेगा।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम

सर्वशिक्षा अभियान को सफल बनाने में सामुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति तथा नगर स्तर पर नगर शिक्षा समिति को और मजबूत एवं सक्रिय बनाना होगा। आज की परिस्थितियों में जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो चुका है तथा हर स्तर पर समुदाय की भगीदारी सुनिश्चित की जा चुकी है उस स्थिति में बिना जनप्रतिनिधियों के सहयोग के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकेगा।

पूर्व में ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है, इससे हमें विद्यालय में समितियों की भागीदारी दिखाई पड़ी है, परन्तु अभी भी अधिकांश ग्राम शिक्षा समितियाँ सहयोग नहीं कर रही हैं, इस स्थिति में उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों का बोध कराने हेतु प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा ।

विभिन्न विभागों से सामुदायिक गतिशीलता के अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे है, उन कार्यक्रमों से इस विभाग को जोड़कर भी लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास किए जाने का लक्ष्य है।

- वातावरण सृजन:- लोगों को सक्रिय एवं गतिशील बनाने हेतु रैली, पद यात्रा, लोगों से विचार विमर्श, होर्डिंग्स, दीवार लेखन आदि के द्वारा वातावरण सृजन किया जाना है।

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण:-

समुदाय एवं विद्यालय में सामंजस्य स्थापित करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराना आवश्यक होगा। इसके लिए नवीन चयनित शिक्षा समिति को प्रशिक्षण एवं प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विद्यालय को आकर्षक बनाने में समुदाय की भूमिका:-

विद्यालय भवनों के रख रखाव एवं परिसर को आकर्षक बनाने में समुदाय का सहयोग आवश्यक है। साथ ही विद्यालय भवन हेतु भूमि एवं मैदान के लिए भूमि उपलब्ध करवाने मे समुदाय सहयोग करेगा। समुदाय को यह बताना आवश्यक है कि बच्चे खेल खेल में भी काफी कुछ सीखते हैं।

विद्यालय परिसर में फलदार वृक्ष एवं बागवानी समुदाय के लोगों द्वारा लगाई जायेगी तथा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी जाएगी।

विद्यालय साज-सज्जा में सहयोग:-

कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयी साज-सज्जा के लिए जो धन प्राप्त होते हैं उनका सदुपयोग एवं उस धन से उत्कृष्ट चीजों की खरीददारी में समाज का सहयोग लिया जाएगा।

साथ ही साथ कक्षा निर्माण, भवन मरम्मत, चहार दीवारी निर्माण, विद्यालय प्रांगण की भूमि असमतल होने पर समतल कराने हेतु समुदाय का सहयोग लिया जाएगा।

अध्यापकों को सहयोग:-

ग्राम शिक्षा समिति तथा गाँव के नौजवानों को अध्यापकों के सहयोग हेतु कुछ समय देने हेतु प्रेरित किया जाएगा ताकि वे स्वयं भी बच्चों से बात करें तथा बच्चों को पढ़ावें तथा बच्चों को जो पढ़ाया गया है, उनका मूल्यांकन करें।

साथ ही वे राष्ट्रीय पर्वों एवं महापुरूषों की जन्मतिथि अध्यापकों के सहयोग करें तथा बच्चों की उपलब्धियों की जानकारी उनके अभिभावकों को देने तथा उत्कृष्ट बच्चों को पुरस्कृत करने हेतु भी प्रेरित किया जाएगा।

शिल्प एवं क्राफ्ट में सहयोग:-

प्राथमिक कक्षाओं से ही बच्चों में शिल्प एवं क्राफ्ट की जानकारी समुदाय के सहयोग से दी जाएगी। समुदाय में शिल्प एवं क्राफ्ट के जानकार लोगों को विद्यालय में लाकर समय समय पर बच्चों को इसमें पारंगत बनाया जाएगा।

अभिनय एवं संगीत:-

बच्चो में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में के जानकार लोगों का सहयोग विद्यालय में लिया जाएगा, उन्हे समय समय पर बुलाकर बच्चों का अभ्यास कराया जाएगा।

पुस्तकालय की सुविधा:-

लोगों में पढ़ने की रूचि जागृत करने के लिए संकुल स्तर पर एक पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, जिसका संचालन समुदाय एवं संकुल प्रभारी द्वारा किया जाएगा।

संकुल पर वीडियो की व्यवस्था:-

समुदाय को समय समय पर गतिशील बनाने हेतु दृश्य श्रव्य माध्यमों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए प्रत्येक संकुल पर एक टी0वी0, एक वी0सी0आर0 की व्यवस्था की जाएगी, जिसका संचालन संकुल प्रभारी एवं समुदाय मिलकर करेगा। प्रयोग के तौर पर प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक एक संकुलों पर यह व्यवस्था की जाएगी। तथा सकारात्मक परिणाम मिलने पर सभी 102 संकुलों पर यह व्यवस्था कर दी जाएगी।

स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका:-

समुदाय,शिक्षकों तथा अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किए गये है। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जाएगा; विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जाएगा।

महिला विकास कार्यक्रम :- जनपद में महिला साक्षरता दर अति न्यून रहने के पीछे महिलाओं का शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है। इसलिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना अपरिहार्य समझा गया। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि महिलाओं के विकास के लिए जितने भी कार्यक्रम चलाये जाते है उनकी जानकारि उनको नहीं है इसके लिएविकास खण्ड स्तर पर ग्राम प्रधान, महिला प्रतिनिधियों एवं ग्राम स्तर पर जागरूक लोगों की एक गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा। यह आयोजन प्रत्येक दूसरे वर्ष कराया जायेगा। एक वर्ष में प्रत्येक विकास पर लगभग रू0 20 हजार व्यय होगा।

ग्राम शिक्षा समितियों की कार्यशाला :-

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता विकास हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा कुछ न कुछ सहयोग समय-समय पर प्राप्त होता रहता है। यह सहयोग, भवन निर्माण, भवन मरम्मत, रख-रखाव, साज-सज्जा, चहारदिवारी, ई0सी0सी0ई0 कार्यकत्रियों के मानदेय आदि के रूप में प्राप्त होता है। इन सहयोगों के अनुभवों/कार्यो के आदाना-प्रदान की आवश्यकता महसूस की गई हैं यह कार्यशाला न्याय पंचायत स्तर पर कराया जायेगा। इस कार्यशाला में न्याय पंचायत के प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति के पांचों सदस्य प्रतिभाग करेंगे तथा अपनी प्रगति तथा सफलता एवं असफलता में प्राप्त अनुभवों का आदान-प्रदान करेंगे। यह कार्यशाला प्रतिवर्ष कराया जायेगा। प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खण्ड के दो न्याय पंचायतों में कराया जायेगा। प्रति कार्यशाला व्यय रू0 4 हजार आयेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन अनुदान :-

शिक्षा के क्षेत्र में किये गए उल्लेखनीय प्रयासों के लिए चिन्हिनत ग्राम शिक्षा समितियों को प्रात्साहन अनुदान दिया जायेगा। इसके ग्राम शिक्षा समितियों में प्रति स्पर्धा बढ़ेगी तथा विद्यालय से जुड़ाव बढ़ेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण:-

गॉव की शिक्षा व्यवस्था बिना गॉव के लोगों के सहयोग के सम्भव नहीं है क्योकि गॉव में शैक्षिक सुविधायें कौन सी नही हैं। समुदाय को पता होता है कि कौन बच्चा पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है यह गॉव के लोगों को ही पता होता है इसलिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन गॉव के लोगों के बीच से ही किया गया, इनके कार्य एवं उत्तदायित्व क्या हैं? इसकों बताने हेतु ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने हेतु इन्हीं सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाना अनियार्य है। डी0पी0ई0पी0 में 1998-99 में 704 गठित ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराया गया। सर्वशिक्षा अभियान में प्रत्येक 5 साल पर पूर्ण प्रशिक्षण एवं प्रत्येक दूसरे वर्ष पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा।

सूक्ष्म नियोजन:-

जनपद में 1998-99 में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराया गया था उसी समय सूक्ष्य नियोजन कराया गया था। सूक्ष्य नियोजना में बच्चों की गणना, पढ़ने न पढ़ने वाले बच्चे, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं को चिन्हित किया गया।

सूक्ष्म नियोजन/ ग्राम शिक्षा योजना के फायदे:-

1. 0-6. 6-11. 11-14. वय वर्ग के सभी बच्चों की गणना।
2. 6-11 एवं 11-14 वय वर्ग के पढ़ने वाले बच्चे की पहचान।
3. 6-11 एवं 11-14 वय वर्ग के न पढ़ने वाले बच्चों की पहचान।
4. न पढ़ने वाले बच्चों की समस्याएँ।
5. विकलांग बच्चों की पहचान।
6. बच्चों हेतु विद्यालय की उपलब्धता।
7. कक्षा कक्षों की उपलब्धता।
8. पेयजल की उपलब्धता।
9. शौचालय की उपलब्धता।
10. शिक्षक की उपलब्धता।
11. संसाधन की उपलब्धता।

समय समय पर सूक्ष्य नियोजन का अपडेशन होता रहता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष सूक्ष्य नियोजन के ऑकड़ों का अपडेशन कराया जाएगा। ग्राम शिक्षा समिति का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। प्रत्येक पॉचवें वर्ष ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण कराया जायेगा, जिसमें इकाई लागत रू0 1.5 हजार है।

तालिका संख्या–8 '1

वर्ष 2002–03 के भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय स्वीकृति

जनपद– महराजगंज

क्र0 सं0	विवरण/मद का नाम	भैतिक लक्ष्य	इकाई लागत	धनराशि (हजार रू0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अतिरिक्त कक्षा कक्ष (प्राथमिक)	12	70	840	
2	शौचालय (उच्च प्रा0 वि0)	15	10	150	
3	नवीन भवन (उच्च प्रा0 वि0)	21	451	9471	
4	विद्यालय अनुदान (उच्च प्रा0वि0)	103	2	206	
5	विद्यालय अनुरक्षण (उच्च प्रा0वि0)	94	5	470	
6	अध्यापक अनुदान (उ0प्रा0वि0)	303	0.5	151.5	
7	एम0सी0डी0ए0	10	3.75	37.5	
8	मीना मंच	10	2.85	28.5	
9	एस0सी0/एस0टी0ए इण्टरवेंशन	7	66.7	466.9	
10	समेकित शिक्षा	10	3.8	38	
11	प्रबंधन व्यय			0	
	अ. पी0ओ0एल0	1	15	15	
	ब. यात्रा–भत्ता	1	15	15	
	स. आकस्मिक व्यय	1	50	50	
		Total-		**80**	
12	नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक			1025	
		Total-		**12964.4**	

तालिका संख्या–8'2

प्रा0 विद्यालयों में उपलब्ध एवं अतिरिक्त मांग (भौतिक सुविधाएं)

जनपद– महराजगंज

क्र0 सं0	विवरण	उपलब्ध सं0	गणना	फल
1	2	3	4	5
अ.	विद्यालय भवन			
	1. एक कक्षीय भवन	8	1x8	8
	2. दो कक्षीय भवन	534	2x534	1068
	3. तीन कक्षीय भवन	497	3x497	1491
	4. चार कक्षीय भवन	135	4x135	540
	5. पॉच कक्षीय भवन	40	5x40	200
	6. जर्जर एवं भवनहीन विद्यालय	66	66x0	0
	7. वर्ष 2003–04 में स्वीकृति अति0 कक्षा–कक्ष	0	50	50
			योग–	**3357**
	8. मानक के अनुसार भवनों में कमरों की आवश्यकता	1280	1280x3	3840
	9. उपलब्ध कमरों की संख्या			3357
	10. अतिरिक्त मांग			**483**
ब	शौचालय			
	1. कुल विद्यालयों की संख्या	1215		1215
	2. पूर्व में सुविधा युक्त	825		825
	3. वर्ष 2003–04 में स्वीकृति (92+120)	212		212
	4. अतिरिक्त मांग (1–2–3)			**178**
ब	पेय जल व्यवस्था			
	1. कुल विद्यालयों की संख्या	1215		1215
	2. पूर्व में सुविधा युक्त	993		993
	3. वर्ष 2003–04 में स्वीकृति (92+80)	172		172
	4. अतिरिक्त मांग (1–2–3)			**50**

तालिका संख्या–8'उ

उच्च प्रा0 विद्यालयों में उपलब्ध एवं अतिरिक्त मांग (भौतिक सुविधाएं)

जनपद– महराजगंज

क्र0 सं0	विवरण	उपलब्ध सं0	गणना	फल
1	2	3	4	5
अ.	विद्यालय भवन			
	1. एक कक्षीय भवन	0	1x0	0
	2. दो कक्षीय भवन	6	2x6	12
	3. तीन कक्षीय भवन	31	3x31	93
	4. चार कक्षीय भवन	162	4x162	648
	5. पॉच कक्षीय भवन	10	5x10	50
	6. जर्जर एवं भवनहीन विद्यालय	42	0x42	0
	7. वर्ष 2003–04 में स्वीकृति अति0 कक्षा–कक्ष	10	1x10	10
			योग–	**813**
	8. मानक के अनुसार भवनों में कमरों की आवश्यकता	251	251x5	1255
	9. उपलब्ध कमरों की संख्या	813		813
	10. अतिरिक्त मांग			**442**
ब	शौचालय			
	1. कुल विद्यालयों की संख्या	215		215
	2. पूर्व में सुविधा युक्त	53		53
	3. वर्ष 2003–04 में स्वीकृति (89+30)	119		119
	4. अतिरिक्त मांग (1–2–3)			**43**
ब	पेय जल व्यवस्था			
	1. कुल विद्यालयों की संख्या	215		215
	2. पूर्व में सुविधा युक्त	85		85
	3. वर्ष 2003–04 गें स्वीकृति (26+89)	115		115
	4. अतिरिक्त मांग (1–2–3)			**15**

तालिका संख्या–8·4

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्राथमिक विद्यालय

जनपद– महराजगंज

क्र0 सं0	वर्ष	परिषदीय+सहायता प्राप्त			शासकीय + सहायता प्राप्त			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2004–05	128213	106342	**234555**	31139	26447	**57586**	159352	132789	**292141**
2	2005–06	142314	118428	**260742**	38405	29805	**68210**	180719	148233	**328952**
3	2006–07	154428	138216	**292644**	42400	32805	**75205**	196828	171021	**367849**
	योग–	424955	362986	787941	111944	89057	201001	536899	452043	988942

तालिका संख्या–8.5

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण उच्च प्राथमिक विद्यालय

जनपद– महराजगंज

क्र0 सं0	वर्ष	परिषदीय+सहायता प्राप्त			शासकीय + सहायता प्राप्त			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2004–05	59052	42529	**101581**	3260	1716	**4976**	62312	44245	**106557**
2	2005–06	65068	46442	**111510**	3360	1910	**5270**	68428	48312	**116740**
3	2006–07	69624	51174	**120798**	3900	2255	**6155**	73524	53429	**126953**
	योग–	193744	140145	333889	10520	5881	16401	204264	145986	350250

तालिका संख्या—8 '6

अध्यापक अनुदान

जनपद— महराजगंज

क्र0 सं0	वर्ष	प्रा0वि0 के अध्यापक परिषदीय +शासकीय+शिक्षामित्र
1	2	3
1	2004—05	7052
2	2005—06	7265
3	2006—07	7485
	योग—	**21802**

तालिका संख्या—8 '7

अध्यापक अनुदान

जनपद— महराजगंज

क्र0 सं0	वर्ष	उच्च प्रा0वि0 के अध्यापक		
		परिषदीय +शासकीय	शासकीय वित्त पोषित	योग
1	2	3	2	
1	2004—05	1138	117	1255
2	2005—06	1138	117	1255
3	2006—07	1138	117	1255
	योग—	**3414**	**351**	**3765**

अध्याय—09

शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन एवं अकादमिक क्षमताओं का विकास—

जनपद महराजगंज वर्ष 1997 से डी0पी0ई0पी0 से आच्छादित है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विकास के दायित्व का निर्वहन डायट, गोरखपुर करता आ रहा है क्योंकि जनपद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित नहीं है। अतएव जनपद के 12 बी0आर0सी0 एवं 102 एन0पी0आर0सी0 के माध्यम से डायट गोरखपुर विविध कार्यक्रमों का संचालन, अनुश्रवण एवं अकादमिक सपोर्ट देता आ रहा है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के विविध प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, गोष्ठियों का आयोजन तथा प्रशिक्षणोपरान्त उनका विद्यालय स्तर पर अनुप्रयोग सुनिश्चित करवाने के लिए पर्यवेक्षण, बच्चों/शिक्षकों को अनुसमर्थन प्रदान करने में डायट के निर्देशन में बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।

शैक्षिक सपोर्ट के साथ—साथ शिक्षा—मित्र/आचार्य जी, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन कर उनकी क्षमता वृद्धि के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय, कक्षा शिक्षण गुणवत्ता संवर्द्धन, सामुदायिक सहयोग, बच्चे एवं शिक्षकों से संबंधित शैक्षिक कठिनाइयों का चिह्नीकरण और उनके निराकरण हेतु व्यवस्थित कदम उठाने के लिए डायट द्वारा 'एक्शन रिसर्च' करवाये गये, जिसके उत्साह जनक परिणामों को कार्यशालाओं, गोष्ठियों के माध्यम से शिक्षकों/विद्यालयों तक पहुँचाया गया। कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए टी0एल0एम0 निर्माण एवं प्रयोग संबंधी कार्यशालाओं/मटेरियल मेलों के आयोजन में डायट, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 की सक्रिय भूमिका रही है। विद्यालय की समग्र उन्नति के लिए निर्धारित मानक बिन्दुओं के आधार पर उनका श्रेणीकरण और आवश्यकतानुसार उनको सहयोग प्रदान करने के लिए डायट_मेंटरों, समन्वयकों एवं संकुल प्रभारियों का नियमित भ्रमण होता है। भ्रमण आख्याओं के आधार पर डायट स्तर पर उनका विश्लेषण निष्कर्षों के आधार पर मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाता है।

इस प्रकार वर्ष 1997 से प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में नामांकन, ठहराव तथा सम्प्राप्ति वृद्धि के लिए डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत चरणबद्ध कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं किन्तु उच्च प्राथमिक स्तर पर यह प्रयास छिटपुट ही हो सके हैं। निम्नांकित क्षेत्रों में अपेक्षित सहयोग नहीं प्रदान किया जा सका है—

1. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की क्षमता की वृद्धि।
2. उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों तथा शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट।
3. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए चरणबद्ध सेवारत प्रशिक्षण।
4. हाईस्कूल व इण्टर कालेजों से सम्बद्ध कक्षा 6 से 8 के बच्चे/शिक्षकों, मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चे/शिक्षकों के लिए शैक्षिक अनुसमर्थन कार्यक्रम।
5. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पहुँच से दूर क्षेत्र के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था।

6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा मकतब/मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं किन्तु पूरे जनपद में सुनियोजित ढंग से लागू करना अभी शेष है।

<u>पूर्व प्राथमिक शिक्षा</u> :–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और बाद में उसके पुनरावलोकन के लिए गठित विभिन्न समितियों/कर्मचारियों ने प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देख भाल और शिशु शिक्षा पर विशेष बल दिया है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्ता को देखते हुए जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया जायेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0 प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आँगनबाड़ी केन्द्रों में से 150 केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया। वर्ष 2000–2001 में इन्हें पुनः 7 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनके कार्यों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के सम्बन्धित बी0आर0सी0 समन्वयक, सह समन्वयक, एवं संकुल प्रभारियों को भी प्रशिक्षित किया गया है, जिनकी संख्या निम्न सारिणी द्वारा प्रदर्शित की गई है–

दिनाँक 01–09–01 से 28–09–01 तक, चार चक्रों में ई0सी0सी0ई0 कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, समन्वयकों, सहसमन्वयकों एवं संकुल प्रभारियों के प्रशिक्षण का विवरण इस प्रकार है:–

ब्लाक	आगंनबाड़ी केन्द्र/कार्य–कत्रियोकीसं0	सहायिकाओं की संख्या	समन्वयक	सहसमन्वयक	संकुल प्रभारी	कुल योग
फरेन्दा	39	13	01	—	09	62
पनियरा	36	17	01	—	04	58
निचलौल	34	24	01	01	07	67
महराजगंज	35	32	01	01	10	79
योग	144	86	04	02	30	266

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जनपद में ब्लाकवार आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या फरेन्दा, निचलौल, पनियरा एवं महराजगंज में क्रमशः 40, 35, 35 और 40 है। प्रशिक्षण के समय केन्द्रों तथा सभी प्रथामिक विद्यालय की समय सारिणी में अनुरूपता लायी गयी। बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवचयनित 150 केन्द्रों के संचालन हेतु प्रतिवर्ष प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का गठन** किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एव एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों का** सहयोग लिया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समिति

ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना का मूल उद्देश्य गाँव की शिक्षा व्यवस्था को चुस्त एवं दुरुस्त बनाकर सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में ग्राम शिक्षा समिति के अन्तर्गत शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दृष्टि से संचालित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की संख्या कुल 8 होगी जिसका गठन निम्न प्रकर प्रस्तावित है :–

(1) ग्राम पंचायत का प्रधान

(2) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक और यदि वहाँ एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतक सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।

(3) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे।

कार्य– ग्राम शिक्षा समिति के कार्य निम्नलिखित है–

1. शिक्षा के लिए वातावरण निर्माण करना तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. शैक्षिक विद्यालय संचालन, शिक्षा सुधार/रूचिपूर्ण शिक्षा/ पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री, उत्तरदायित्व वहन करना/गाँव की शिक्षा की समूची व्यवस्था को अंगीकृत करना।
3. सहभागी क्रियाओं द्वारा सर्वेक्षण, स्कूल–मानचित्रण, सूक्ष्म नियोजन, ग्राम शिक्षा योजना तैयार करना।
4. वित्तीय संसाधन जुटाना एवं संसाधनों का प्रबन्धन।
5. अन्य विभागों/योजनाओं से सहयोग, समन्वयन।
6. विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यो का पर्यवेक्षण करना।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों की स्थिति निम्नलिखित सारिणी में प्रदर्शित है

ग्राम शिक्षा समिति	नगर शिक्षा समिति	प्रशिक्षित	जिनका प्रशिक्षण शेष है
777	6	710	73

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत जनपद महराजगंज में ग्राम शिक्षा समितियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इनके प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी0आर0जी0) का गठन जनपद स्तर पर तथा ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन समूह (बी0आर0जी0) का गठन किया गया। बी0आर0जी0 के सदस्यों को संदर्भ व्यक्ति के रूप में डायट स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया इन्हीं संदर्भ व्यक्तियों द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान "ग्राम शिक्षा समिति–प्रयास एवं संकल्प" नामक प्रशिक्षण माडयूल तैयार किया गया व एक कार्य पुस्तिका के उपयोग से सम्पन्न किया गया। इस प्रशिक्षण माडयूल के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं–

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम शैक्षिक वातावरण निर्माण के रूप में होना।
2. इस कार्यक्रम में समुदाय के अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना।

3. प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूर्णतः क्रिया आधारित होना।

4. ग्राम शिक्षा समिति को उनके कार्य एवं उत्तरदायित्वों से परिचित कराना।

5. वर्तमान पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक तथा शिक्षण विधा की सामान्य जानकारी से परिचित कराना।

6. विद्यालय के अन्य क्रियाकलापों से परिचित कराना।

7. गाँव के शैक्षिक विकास हेतु सूक्ष्म नियोजन एवं शैक्षिक मानचित्रण तथा ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की प्रक्रिया से परिचित कराना।

8. लिंग भेद एवं बालिकाओं भी शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।

9. सामान्य वित्तीय नियमों की जानकारी प्रदान करना।

10. विद्यालय भवन एवं कक्षा–कक्ष सौन्दर्यीकरण की जानकारी प्रदान करना।

ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षण के उपरान्त विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है स्कूल न आने वाले बच्चों विशेषकर लड़कियों के नामांकन में भी लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक, माता–शिक्षक संघ और माँ–बेटी मेलों का आयोजन भी ठहराव में सहायक रहा है।

समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालय में वार्षिक कार्यक्रमों के आयोजन के अवसर पर समुदाय के लोगों को सम्मिलित किये जाने की जरूरत है। बच्चों की प्रगति जानने के लिए अभिभावकों को आमंत्रित किया जा सकता हैं। शिक्षण तथा प्रशिक्षण के समय समुदाय के लोगों को कक्षा शिक्षण देखने के लिए आमंत्रित किया जाना अधिक उपयोगी होगा।

अभिभावकों के जागरूक होने पर बच्चों का विद्यालय में नामांकन व नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने में सहयोग मिलता है। यदि माता–पिता शिक्षित हैं या परिवार के अन्य भाई–बहन शिक्षित हैं तो बच्चों को गृह कार्य करने में मदद मिलती है। छोटी कक्षाओं के बच्चों को उच्च कक्षाओं की तुलना में अभिभावकों से अधिक सहयोग मिलता है। शिक्षित अभिभावकों में अपेक्षाकृत शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर बच्चों की शिक्षा में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका हैं।

अधिकांश प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक अभिभावक कम पढ़े–लिखे या निरक्षर हैं और घरेलू कार्यों में लगे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे बच्चों की शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते है और न ही उनमें शिक्षा के प्रति जागरूक ही हैं।

शहरी क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं इनके माता–पिता या अभिभावक अधिकांशतः मजदूरी का कार्य करते हैं। ये शिक्षित भी नहीं होते हैं। इसलिए इन परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा में कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के लिए बच्चों को शिक्षकों का ही एक मात्र सहयोग हैं।

शिक्षकों की स्थिति और उनसे जुड़े मुद्दे–

जनपद महराजगंज के परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता में एकरूपता का अभाव है। सेवारत अध्यापकों का एक बहुत बड़ा वर्ग मानक अर्हता वाला नहीं है। यह वर्ग वर्तमान समय में सेवा निवृत्ति के कगार पर खड़ा है और अनुश्रवण के समय कार्य के प्रति उदासीनता/निष्क्रियता के कारणों को

ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षण के उपरान्त विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है स्कूल न आने वाले बच्चों विशेषकर लड़कियों के नामांकन में भी लक्ष्य के अनुरूप वृद्वि हुई है। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक, माता–शिक्षक संघ और माँ–बेटी मेलों का आयोजन भी ठहराव में सहायक रहा है।

समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालय में वार्षिक कार्यक्रमों के आयोजन के अवसर पर समुदाय के लोगों को सम्मिलित किये जाने की जरूरत है। बच्चों की प्रगति जानने के लिए अभिभावकों को आमंत्रित किया जा सकता है। शिक्षण तथा प्रशिक्षण के समय समुदाय के लोगों को कक्षा शिक्षण देखने के लिए आमंत्रित किया जाना अधिक उपयोगी होगा।

अभिभावकों के जागरूक होने पर बच्चों का विद्यालय में नामांकन व नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने में सहयोग मिलता है। यदि माता–पिता शिक्षित हैं या परिवार के अन्य भाई–बहन शिक्षित हैं तो बच्चों को गृह कार्य करने में मदद मिलती है। छोटी कक्षाओं के बच्चों को उच्च कक्षाओं की तुलना में अभिभावकों से अधिक सहयोग मिलता है। शिक्षित अभिभावकों में अपेक्षाकृत शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर बच्चों की शिक्षा में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अधिकांश प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक अभिभावक कम पढ़े–लिखे या निरक्षर हैं और घरेलू कार्यों में लगे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे बच्चों की शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते हैं और न ही उनमें शिक्षा के प्रति जागरूक ही हैं।

शहरी क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं इनके माता–पिता या अभिभावक अधिकांशतः मजदूरी का कार्य करते हैं। ये शिक्षित भी नहीं होते हैं। इसलिए इन परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा में कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के लिए बच्चों को शिक्षकों का ही एक मात्र सहयोग है।

शिक्षकों की स्थिति और उनसे जुड़े मुद्दे–

जनपद महराजगंज के परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता में एकरूपता का अभाव है। सेवारत अध्यापकों का एक बहुत बड़ा वर्ग मानक अर्हता वाला नहीं है। यह वर्ग वर्तमान समय में सेवा निवृत्ति के कगार पर खड़ा है और अनुश्रवण के समय कार्य के प्रति उदासीनता/निष्क्रियता के कारणों को दर्शाता है। बहुत से शिक्षकों का विषय ज्ञान अपेक्षित स्तर का नहीं है, जिससे उन्हें प्रशिक्षण को समुचित रूप से ग्रहण करने में दिक्कत होती है और उनमें अपने उत्तरदायित्वों के प्रति भी उदासीनता परिलक्षित होती है।

सारिणी

जनपद में शिक्षकों की योग्यता का विवरण

		प्रा0 स्तर के शिक्षक	उ0 प्रा0 स्तर के शिक्षक
	शिक्षकों की कुल संख्या	1502	385
1.	हाईस्कूल से कम योग्यताधारी	13	1
2	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	366	1

दर्शाता है। बहुत से शिक्षकों का विषय ज्ञान अपेक्षित स्तर का नहीं है, जिससे उन्हें प्रशिक्षण को समुचित रूप से ग्रहण करने में दिक्कत होती है और उनमें अपने उत्तरदायित्वों के प्रति भी उदासीनता परिलक्षित होती है।

सारिणी

जनपद में शिक्षकों की योग्यता का विवरण

		प्रा० स्तर के शिक्षक	उ० प्रा० स्तर के शिक्षक
	शिक्षकों की कुल संख्या	1502	385
1.	हाईस्कूल से कम योग्यताधारी	13	1
2.	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	366	1
3.	केवल इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण(अप्रशिक्षित)	41	1
4.	स्नातक (अप्रशिक्षित)	21	–
5.	परास्नातक (अप्रशिक्षित)	8	–
6.	इण्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित	594	189
8.	स्नातक एवं प्रशिक्षित	314	142
9.	परास्नातक एवं प्रशिक्षित	145	51
	योग–	1502	385
10.	शिक्षण अनुभव		
क.	5 वर्ष से कम	219	06
ख.	5 से 10 वर्ष तक	197	12
ग.	10 से 15 वर्ष तक	98	10
घ.	15 से 20 वर्ष तक	131	30
ङ.	20 से 25 वर्ष तक	233	56
च.	25 से 30 वर्ष तक	207	113
छ.	30 वर्ष से अधिक	417	158
	योग	1502	385

(स्रोत :– विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय।)

जनपद के शिक्षकों का शिक्षण अनुभव स्थितियों को देखने से यह लगता है कि 20 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले शिक्षकों की संख्या कुल शिक्षकों की संख्या का लगभग 50 प्रतिशत है। लम्बे समय से एक निश्चित तौर–तरीकों से कार्य करने के कारण ऐसे शिक्षकों के सीखने –सिखाने में पठार आना स्वाभाविक है। साथ ही उनमें नवीन विषय वस्तु व शिक्षण विधा सम्बन्धी जानकारी का भी अभाव पाया जाना अवश्यंभावी है। अतएत सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस प्रकार के शिक्षकों के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की योजना बनाई जानी आवश्यक हखाने में पठार आना पठार आना स्वाभाविक है साथ ही उनमें नवीन विषय वस्तु व शिक्षण विधा सम्बन्धी जानकारी का भी अभाव पाया जाना अवश्यंभावी है। अतएव सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस प्रकार के शिक्षकों के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की योजना बनाई जानी आवश्यक होगी।

शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने एवं कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत डायट में शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि एवं शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने

के लिए बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है। डी0पी0ई0पी0 के पूर्व विशेष अनुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ मुख्य कठिनाइयाँ अनुभव की गई जो निम्नलिखित हैं–

1. इस प्रशिक्षण में सभी शिक्षको को सम्मिलित नहीं किया गया वरन् सीमित संख्या में ही शिक्षकों को शामिल किया गया।

2. प्रशिक्षण की विषयवस्तु, अकादमिक आवश्यकताओं से सीधी जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों के लिए एक समान थी चाहे वे जिस स्तर के हों, जिससे उन्हें कक्षा की वास्तविकताओं एवं प्रक्रियाओं से जुड़ने में कठिनाई हुई है।

3. प्रशिक्षण के उपरान्त फालोअप खासकर विकास खण्ड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों में सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

4. प्रशिक्षण के दौरान शैक्षणिक सपोर्ट की व्यवस्था विषयवार नहीं थी।

5. शिक्षण को रूचिपूर्ण बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

उपर्युक्त अनुभवों के आधार पर शैक्षिक सपोर्ट को प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तर पर डायट, ब्लाक स्तर पर बी0आर0सी0 एवं न्याय पंचायत स्तर पर संकुलों की व्यवस्था है। प्रत्येक माह इन अभिकरणों के कर्मियों द्वारा विद्यालयों का शैक्षिक दृष्टि से अनुश्रवण किया जाता है। इस दौरान शिक्षकों एवं विद्यालय के शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। साथ ही कुछ ऐसी भी समस्यायें होती हैं जिनके लिए डायट, बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अल्प एवं दीर्घकालिक विद्यालय सुधार योजना बनाकर कार्य किया जाता है। बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को विद्यालयों में निरन्तर विकास के लिए आवश्यक सुझाव अलग से भी सुझाये जाते है। पर्यवेक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि सुझावों पर अमल आशानुरूप नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था को नये सिरे से नियोजित करने की जरूरत है। जिससे दिये गये प्रशिक्षणों एवं सुझावों का कक्षा–कक्ष एवं विद्यालय में प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष समस्त शिक्षकों के लिए सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कराये जाने की व्यवस्था है। नवनियुक्त शिक्षकों को भी पूर्व में अलग से प्रशिक्षण दिया गया हैं। सामान्यतः डायट स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, अन्य संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण तथा बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयक और ए0बी0एस0ए0 आदि का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट संकाय के सदस्यों, निरीक्षक वर्ग बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को तीन दिवसीय "शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं" के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। राज्य स्तर पर तैयार किए गये पैरामीटर्स/इंडीकेटरर्स का प्रयोग करते हुए विद्यालयों, एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 को श्रेणीबद्ध किया जाता है।

विद्यालय श्रेणीकरण को शासन के नये आदेश के क्रम में गंभीरतापूर्वक अनुपालन करने हेतु दिनांक 02.08.2001 एवं 16.08.2001 को जिला परियोजना कार्यालय महराजगंज में डायट के सौजन्य से बी0आर0सी0 समन्वयकों/सहसमन्वयकों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की संयुक्त बैठक/कार्यशाला आयोजित की गयी। जिसके चेक बिन्दुओं को गुणवत्ता सुधार हेतु मानक के रूप में स्पष्ट किया गया। श्रेणीकरण में क क्रम लब्धांक पाने वाले सम्बन्धित कर्मियों के विरूद्ध किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही को भी स्पष्ट किया गया।

माह मार्च 2003 की विद्यालय की बी0आर0सी0 वार ग्रेडिंग की स्थिति निम्नवत है–

विद्यालय श्रेणीकरण–माह मार्च 2003

क्र0 सं0	ब्लाक का नाम	कुल स्कूल संख्या	भ्रमण किये गये वि0 की संख्या	श्रेणी विवरण				योग
				अ	ब	स	छ	
1	महराजगंज	92	92	36	56	0	0	92
2	मिठौरा	97	97	37	60	0	0	97
3	निचलौल	102	77	21	50	6	0	77
4	नौतनवां	103	103	56	47	0	0	103
5	लक्ष्मीपुर	90	90	34	56	0	0	90
6	बृजमनगंज	74	74	10	64	0	0	74
7	फरेन्दा	92	91	6	80	5	0	91
8	धानी	30	30	7	23	0	0	30
9	पनियरा	90	90	23	67	0	0	90
10	परतावल	85	75	41	31	03	0	75
11	घुघली	94	94	17	63	14	0	94
12	सिसवां	87	47	28	19	0	0	47
योग		1036	960	316	616	28	0	960

प्रत्येक माह विद्यालयों का श्रेणीकरण शासनादेश एवं विभागीय निर्देशों के क्रम में किया जाता है। 'द' व 'स' श्रेणी प्राप्त विद्यालयों व वहाँ के शिक्षकों के लिए अनुश्रवण के दौरान अलग से सुझाव दिये जाते हैं। उन्हें सुधार के लिए अपेक्षित चिह्नित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक सहयोग प्रदान किया जाता है जिससे वे अपने विद्यालय की श्रेणी में त्वरित सुधार कर सकें। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों को उपयुक्त बिन्दुओं पर अलग से अकादमिक सहयोग देने की आवश्यकता होगी।

न्याय पंचायत श्रेणीकरण–माह–मार्च 2003

क्रम सं0	ब्लाक का नाम	कुल संकुल सं0	श्रेणी विवरण अ	ब	स	द	योग
1.	महराजगंज	8	2	6	0	0	8
2.	मिठौरा	10	3	7	0	0	10
3.	निचलौल	10	0	10	0	0	10
4.	नौतनवां	9	7	2	0	0	9
5.	लक्ष्मीपुर	10	2	8	0	0	10
6.	बृजमनगंज	8	0	4	4	0	8
7.	फरेन्दा	9	1	6	2	0	9
8.	धानी	3	0	3	0	0	3
9.	पनियरा	9	0	9	0	0	9

10.	परतावल	9	2	5	2	0	9
11.	घुघली	8	3	4	1	0	8
12.	सिसवां	9	1	8	0	0	9
	योग–	102	21	72	9	0	102

ब्लाक संसाधन केन्द्र की श्रेणीकरण तालिका–माह–अगस्त 2003

क्रम	ब्लाक का नाम	श्रेणी विवरण				योग
सं0		अ	ब	स	द	
1.	महराजगंज	–	✓	–	–	1
2.	मिठौरा	–	✓	–	–	1
3.	निचलौल	–	✓	–	–	1
4.	नौतनवां	–	✓	–	–	1
5.	लक्ष्मीपुर	–	✓	–	–	1
6.	बृजमनगंज	–	✓	–	–	1
7.	फरेन्दा	–	✓	–	–	1
8.	धानी	–		✓	–	1
9.	पनियरा	–	✓	–	–	1
10.	परतावल	–	✓	–	–	1
11.	घुघली	–		✓	–	1
12.	सिसवां	–	–	✓	–	1
	योग–		9	3	–	12

विद्यालयों की भांति एन0पी0आर0सी0 का श्रेणीकरण भी प्रत्येक माह किया जाता है। 'स' व 'द' श्रेणी के संकुलों के संकुल प्रभारियों को समय–समय पर मासिक बैठकों तथा अन्य अवसरों पर यह बताया जाता है कि वे किस प्रकार अपने संकुल के श्रेणी में सुधार लाये। यह भी देखने में आया है कि संकुल प्रभारियों को यह पता ही नहीं होता है कि वे अपनी किन कठिनाइयों को प्राथमिकता के क्रम में पहले हल करे। इसके लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बी0 आर0 सी0/एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयकों/ब्लाक मेन्टर/ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 का दो दिवसीय प्रशिक्षण चक्रवार आयोजित किया जाना उपयुक्त होगा।

विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षण के दौरान जो मुद्दे/समस्यायें चिह्नित की जाती हैं उनका निस्तारण मासिक बैठकों की कार्यशालाओं में किया जाता है।सहयोग एवं समर्थन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की दिशा में कुछ नवाचार किए जाने की आवश्यकतामहसूस की जा रही है। जैसे–

1. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी उसका प्रभाव कक्षा–शिक्षण के दौरान विद्यालयों में देखने को नहीं मिल रहा है। जिससे विद्यालयों की श्रेणी तथा बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति दोनों प्रभावित हो रही है।
2. एक अध्ययन विश्लेषण "प्रा0 वि0 में समय सारिणी के प्रयोग विश्लेषण" के आधार पर प्रति अध्यापक 107 छात्र संख्या होने के कारण शिक्षक अपनी कक्षाओं में रूचिपूर्ण शिक्षण की विधाओं को प्रयोग करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं।
3. नवीन पाठ्य पुस्तक अधारित शिक्षक सन्दर्शिकाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त भी 45.45 प्रतिशत शिक्षक ही कक्षा शिक्षक की पूर्व तैयारी के प्रति सजग है शेष अध्यापकों में अभी इसके प्रति उदासीनता ही परिलक्षित हो रही है।

4. पर्यवेक्षण के दौरान यह पाया गया कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति भी कुछ शिक्षक ही सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण :—

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में 'शिक्षकोदय' आधारित अभिप्रेरणात्मक प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को दिया गया। द्वितीय वर्ष में "सबल" प्रशिक्षण पैकेज आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में नवीन मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य एवं गणित सीखने–सिखाने को लेकर प्रशिक्षण किया गया। तृतीय चक्र में 'साधन' आधारित प्रशिक्षण समस्त शिक्षकों, बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों और ए0डी0आई0/ए0बी0एस0ए0 को दिया जा चुका है। इस प्रशिक्षण में मुख्य तौर पर कक्षा शिक्षण अभ्यास (नवीन मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में) पर जोर दिया गया है। इन सभी प्रशिक्षणों को प्रशिक्षणों की विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के तहत आयोजित किया गया। इनके प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण राज्य स्तर के प्रशिक्षकों (एस0 आर0 जी0) द्वारा चुन हुए प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित किया गया
जहाँ से प्रशिक्षण के दौरान उपयुक्त पाये गये प्रशिक्षकों ने ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण दिया। इन सभी प्रशिक्षणों का विवरण प्राथमिक एवं उच्च प्रा0 स्तर पर निम्नलिखित है—

प्राथमिक स्तर

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत जनपद के शिक्षकों को पाँच चक्रों का प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था है। विगत वर्षों में शिक्षकों को तीन चक्र का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रारम्भ में प्रथम चक्र का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया गया, परन्तु स्थितियों को देखते हुए बाद में यह प्रशिक्षण वैकल्पिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर जनपद महराजगंज में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण देने के लिए खुली चयन प्रतियोगिता द्वारा प्रतिभागियों को चयनित किया गया और उनको टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रथम वर्ष में टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण डायट स्तर पर जनपद के बाहर राज्य स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया। द्वितीय एवं तृतीय चक्र के प्रशिक्षण के लिए भी प्रशिक्षकों का चयन प्रतियोगिता द्वारा किया गया तथा उनका टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण जनपद के बाहर कराया गया। शिक्षकों का प्रशिक्षण बी0आर0सी0 पर माह सितम्बर, 2001 तक पूरा किया जा चुका है। इस प्रकार ब्लाक के समस्त शिक्षक तीनों चक्रों का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण:—

प्रथम चक्र का अभिप्रेरणात्मक प्रशिक्षण दस दिवसीय आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के माड्यूल 'शिक्षकोदय' को पटना की स्वयंसेवी संस्था डेवनेट द्वारा तैयार किया गया। इस संस्था के प्रशिक्षकों ने ही ब्लाक/जनपद/राज्य स्तर के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार रहे—

1. शिक्षकों को अभिप्रेरित कर अपने दायित्वों के प्रति जागरूक बनाना।
2. शिक्षकों में बच्चे के प्रति समझ विकसित करना
3. सीखने संबंधी बच्चों की कठिनाइयों को समझना और उनके प्रति संवेदनशील बनाना।
4. शिक्षण में बच्चों की सक्रियता और भागीदारी बढ़ाना।
5. कक्षा का वातावरण रोचक एवं जिज्ञासापूर्ण बनाना।
6. सहायक सामग्री के प्रयोग से शिक्षण में रोचकता लाना।
7. गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाना।
8. वंचित वर्ग विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा में कठिनाईयों के प्रति संवेदीकरण तथा स्थानीय समुदाय से सहयोग प्राप्त करना।

9. सूक्ष्म नियोजन एवं मानचित्र के माध्यम से परिवेश को समझना और समस्याओं का निराकरण कर पाने में समर्थ बनाना।

द्वितीय चक्र प्रशिक्षण 'सबल' प्रशिक्षण माड्यूल आधारित आयोजित किया गया। इस चक्र का मॉडयूल राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों द्वारा तैयार किया गया। यह प्रशिक्षण भी ब्लाकों के वैकल्पिक केन्द्रों पर आयोजित किय गया था। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नांकित थे-

1. विषयवस्तु आधारित प्रशिक्षण।
2. दक्षता आधारित शिक्षण पर बल।
3. सहायक सामग्री निर्माण एवं प्रयोग की दक्षता का विकास।
4. विभिन्न विषयों की गतिविधियों का निर्माण करना एवं उनके द्वारा शिक्षण करना।
5. बच्चे, शिक्षक, सीखने की प्रक्रिया, विषयों के सीखने सिखाने के तौर तरीकों व

मान्यताओं (भाषा, गणित पर्यावरणीय अध्ययन), मूल्यांकन, सामग्री, संसाधन और सहयोग, अनचाहे संदेश आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखकर इस प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया गया।

6. पाठ्यक्रम,नवीन पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षक सन्दर्शिकाओं के साथ-साथ पढ़ने-पढ़ाने के तौर तरीकों को शामिल किया गया।
7. गतिविधि क्या, क्यों, कैसे, कक्षा में इसके उपयोग तथा गतिविधि के माध्यम से विषय वस्तु का कक्षा में सम्प्रेषण कैसे किया जाये आदि तरीकों को विस्तार से बताना।

1. इस प्रशि0 के अन्तर्गत विद्यालयों में शिक्षकों की कम व्यवस्था को देखते हुए बहु कक्षा शिक्षण/बहुस्तरीय शिक्षण की व्यवस्था पर बल।
2. सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण व प्रयोग के साथ-साथ गतिविधि की समझ निर्माण एवं प्रयोग पर बल।
3. शिक्षक संदर्शिकाओं का अवलोकन उनके पढ़ने-पढ़ाने के तरीकों पर बल।
4. नवीन मूल्यांकन पद्वति के अन्तर्गत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं समझने पर बल।
5. कक्षा-- शिक्षण अभ्यास के माध्यम से नवीन संकल्पनाओं के आधार पर आदर्श कक्षा शिक्षण की स्थिति का अवलोकन व व्यय व्यवहारिक उपयोग।

इस प्रशिक्षण में उपर्युक्त बिन्दुओं का प्रभावी रूप से कियान्वयन करने के लिए डायट स्तर से प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था की गयी।

तृतीय चक्र प्रशिक्षण 'साधन' आधारित प्रशिक्षण 30 सितम्बर, 2001 तक पूर्ण कर लिया गया। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैः-

1. इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत विद्यालयों में शिक्षकों की कम व्यवस्था को देखते हुए बहु कक्षा शिक्षण/बहुस्तरीय शिक्षण की व्यवस्था पर बल दिया गया।
2. सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण एवं प्रयोग के साथ-साथ गतिविधि की समझ, निर्माण एवं प्रयोग पर बल।
3. शिक्षक संदर्शिकाओं का अवलोकन एवं उनके पढ़ने-पढ़ाने के तरीकों पर बल।
4. नवीन मूल्यांकन पद्वति के अन्तर्गत सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं समझने पर बल।

5. कक्षा–शिक्षण अभ्यास के माध्यम से नवीन संकल्पनाओं के आधार पर आदर्श कक्षा शिक्षण की स्थिति का अवलोकन व व्यय व्यवहारिक उपयोग।

इस प्रशिक्षण में उपर्युक्त विन्दुओं का प्रभावी रूप से कियान्वयन करने के लिए डायट स्तर से प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था की गयी।

उच्च प्राथमिक स्तर -

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए डी0पी0ई0पी0 योजना में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। विशेष अनुस्थापन शिक्षण सोप्ट कार्यक्रम के तहत उच्च प्रा0 स्तर के शिक्षकों का दस दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अन्य क्षेत्रों में किसी भी प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गयी थी। इस दृष्टि से इन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है। जिसका प्रस्ताव किया जा रहा है।

(क) प्रशिक्षणों का प्रा0 विद्यालयों में कक्षा शिक्षण में प्रभाव–एक अध्ययन

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत तीन चक्रों में प्रदान किये गये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा/विद्यालय तथा शिक्षकों के अभिरूचि में हुए परिवर्तन का आकलन करने के लिए एक संक्षिप्त सर्वेक्षण अध्ययन कराया गया। जिसका उद्देश्य यह भी था कि भविष्य में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षणों में अध्ययन के निष्कर्षो को भी ध्यान में रखा जाये।

जनपद के कुल 12 विकास खण्डों में पर्ची विधा से 03 विकास खण्ड–फरेन्दा, लक्ष्मीपुर, वृजमनगंज के 04 विद्यालयों में अध्ययन किया गया। विद्यालय चयन का आधार ब्लाक मुख्यालय, सड़क पर स्थित विद्यालय तथा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र स्थित विद्यालय को लिया गया।

डायट द्वारा विकसित प्रश्नावली (जिसमें 17 अवलोकन विन्दु तथा 05 विन्दु शिक्षकों से बातचीत के लिए निर्धारित थे) के आधार पर अध्ययन कराया गया। अध्ययन के विश्लेषण से निम्नांकित तथ्य उभर कर आये–

1– विद्यालय प्रांगण एवं कक्षा–कक्ष की स्थिति स्वच्छता की दृष्टि से 45.45 % में ठीक तथा 54.54 % में सन्तोषजनक है।

2– वेशभूषा व शारीरिक स्वच्छता की दृष्टि 27.27 % ठीक, 18.18 % तथा 54.54 % सन्तोषजनक पायी गयी।

3– बालक/बालिकाओं की बैठक व्यवस्था 36.36 % सम्मिलित तथा 63.63 % में अलग–अलग रही।

4– विद्यालयी क्रियाकलाप, खेल गतिविधियों में बालिकाओं की सहभागिता 72.72% रही जबकि 27.27% बालिकाओं ने किसी भी खेल या गतिविधि में भाग नहीं लिया।

5– बालिकाओं की सहभागिता की स्थिति 18.18 % सामान्य रही।

6– 27.27 % शिक्षकों की सम्प्रेषण क्षमता अच्छी व 63.63 % की स्थिति सन्तोषजनक रही जबकि 9.09 % शिक्षकों की सम्प्रेषण क्षमता खराब रही।

7– शिक्षकों द्वारा विषय प्रस्तुत करने की व्याख्यान विधि 9.09 % तथा 81.81% प्रश्नोत्तर विधि अपनाई गयी जबकि क्रिया आधारित शिक्षण विधि का प्रयोग शिक्षकों द्वारा मात्र 9.09 % ही किया गया।

8– 45.45 % अवसर बच्चों को ब्लैक बोर्ड तक पहुँचने के लिये मिला तथा 45.45% बच्चों को यह अवसर नहीं मिल पाया।

9– विद्यालयों में 36.36 % शिक्षकों द्वारा टी0एल0एम0 का प्रयोग किया जा रहा है जबकि 54.54 % शिक्षकों द्वारा अभी कक्षा–कक्ष में इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

10– 54.54 % खेल गतिविधियों का प्रयोग कक्षा–कक्ष में हो रहा है किन्तु 27.27 % कक्षाओं में खेल गतिविधि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

11– शिक्षक द्वारा शिक्षण के दौरान मात्र 25 % बच्चे ही प्रश्न पूछते है ।

12– 36.36 % विद्यालयों में समूहों में कार्य हो रहा है शेष 54.54 % जगह समूहों में कार्य नहीं हो रहा है जबकि 9.09 % अपनी कोई राय नहीं दे पाये।

13– 56.25 %शिक्षकों के पास शिक्षण अवधि में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध थीं।

14– छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं की नियमित जाँच एवं संशोधन 63.63 % होता है तथा 36.36 % की जाँच कभी–कभी होती है।

15– 54.54 % शिक्षक कक्षा शिक्षण में 'शिक्षक संदर्शिकाओं' का प्रयोग करते है। किन्तु 45.45 % शिक्षक 'शिक्षक संदर्शिकाओं' का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

16– बच्चों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति, चिन्तन, स्वयं कुछ करने का अवसर 45.45 % ही मिला, जबकि 54.54 % को यह अवसर नहीं उपलब्ध हुआ।

17– पाठों के साथ दिये गये प्रश्न अभ्यासों को 63.63 %हल कराया जाता है जबकि 27.27 % हल नहीं कराया जाता है।

<u>शिक्षकों से बातचीत द्वारा</u>–

1– 72.72 % शिक्षकों ने सेवारत के तीनों चक्रों का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है जबकि 18.18 % शिक्षक ही तीस दिवसीय शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण प्राप्त है। इन्हें अभी सेवारत प्रशिक्षण देना शेष है।

2– सेवारत प्रशिक्षण की समझ 27 % शिक्षकों में बन गई है शेष को समय–समय पर पुनः प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

3– शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण की समझ लगभग 70 % बनी है। शिक्षक सक्रिय अधिगम खेल गतिविधि द्वारा शिक्षण की बातें तो कर रहे है किन्तु अभी कक्षा कक्ष में इनका पर्याप्त प्रयोग नहीं कर पा रहे है।

4– 36.36 % शिक्षकों को प्रशिक्षणों में सिखाई हुई बातों का प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं आई। 18.18 % शिक्षक अपनी कक्षा में छात्र संख्या अधिक होने के कारण प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। 9.09 % शिक्षक बहुउद्देशीय शिक्षण सामग्री के प्रयोग में कठिनाई महसूस कर रहे है। शेष 36.35 % शिक्षकों का यह कहना है कि गतिविधि/खेलों के माध्यम से शिक्षण करने के लिये बच्चे अभी अभ्यस्त नहीं हो पाये हैं अतः ऐसे अवसरों पर वे अनियंत्रित हो जाते हैं।

5– प्रशिक्षण में सीखी हुई बातों का प्रयोग 36.36 % शिक्षक ही अपनी कक्षा में प्रयोग कर रहे हैं, शेष प्रयासरत हैं।

(ख) <u>प्राथमिक विद्यालयों में समय सारिणी का प्रयोग एवं वास्तविक शिक्षण दिवस–एक अध्ययनः</u>–जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों को तीन चर्णों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है इन प्रशिक्षणों में वास्तविक कक्षा शिक्षण के दिनों पर विस्तृत विचार–विर्मश हुए। पाठों को वादन वार विभाजित करके खण्डवार पाठों के प्रस्तुतीकरण पर बल दिया गया है। सामान्यतः यह देखा गया कि विद्यालय खुलने के दिनों और वास्तविक कक्षा शिक्षण के दिवसों में काफी अन्तर है। शिक्षकों से बातचीत के आधार पर भी यह बात प्रकाश में आयी कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और शिक्षणेत्तर कार्य उनके वास्तविक कार्यो (शिक्षण कार्य) को बहुत गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। कक्षा/विद्यालय में बच्चों की अधिकता भी उन्हें उपयुक्त तरीके से से कार्य करने में अवरोध उत्पन्न कर रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर डायट गोरखपुर ने एक अध्ययन सर्वेक्षण 'प्राथमिक विद्यालयों में समय सारिणी का प्रयोग एवं वास्तविक शिक्षण दिवस' बिन्दु पर किया गया।

इस सर्वेक्षण में निर्धारित 18 बिन्दुओं की मापनी का प्रयोग किया गया जो डायट गोरखपुर द्वारा तैयार की गई थी। इस सर्वेक्षण अध्ययन के लिए तीन ब्लाकों के 4 विद्यालयों का चयन पर्ची विधा द्वारा किया गया। विद्यालयों के अध्ययन के द्वारा दो सत्रों क्रमशः 2000–2001 तथा 2001–2002 का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के अन्तर्गत छात्र शिक्षक अनुपात की दृष्टि से सर्वेक्षण अध्ययन का विश्लेषण करने पर जो वास्तविक स्थिति दृष्टिगोचर हुई वह निम्न सारिणी द्वारा दर्शायी गयी है–

<u>सारणी</u>

विद्यालय का नाम	वर्ष 2000–2001	वर्ष 2001–2002	अध्ययन के दिन वास्तविक उपस्थिति	
	नामांकित छात्र संख्या	नामांकित छात्र संख्या	उपस्थिति छात्र संख्या	प्रतिशत
1–प्राथमिक विद्यालय फरेन्दा।	316	246	200	81.3
2–प्राथमिक विद्यालय	435	447	407	91.1
उदितपुर, फरेन्दा				
3–प्रा0विद्यालय	165	183	139	76.0
पैसिया ललाइन				
ब्लाक लक्ष्मीपुर				
4–प्रा0विद्यालय				
हाता वेला				
ब्लाक-बृजमनगंज	371	297	235	79.1
योग	1287	1173	981	83.6

उपर्युक्त सारिणी का विश्लेषण करनें यह स्पष्ट होता है कि–

- चार विद्यालयों में कुल शिक्षकों की संख्या 11 है।
- चार विद्यालयों में औसतन 3 अध्यापक कार्यरत हैं।
- प्रति अध्यापक छात्र संख्या औसतन 107 है।
- इन विद्यालयों में अध्ययन के दिन की उपस्थिति के आधार पर छात्रों की उपस्थिति 83.6 प्रतिशत रही।

• शैक्षिक सत्र 2000–2001 में नामांकित छात्रों की संख्या लक्ष्य की तुलना में कम रही जिसका कारण इस वर्ष जनपद महराजगंज में अत्यधिक बाढ़ का आना रहा।

विद्यालय के कार्य दिवस और वास्तविक शिक्षण दिवस का तुलनात्मक अध्ययन निम्न सारिणी में प्रदर्शित है:–

<u>सारणी</u>

विद्यालय का	कार्यदिवस	विद्यालयी अवकाश	वास्तविक कार्य दिवस	48 कार्य दिवसों में शिक्षण नाम कार्य न होने का विवरण
		ग्रीष्मावकाश		
1. प्राथमिक विद्यालय	223	104+41	183	–राष्ट्रीय कार्यक्रम=08
फरेन्दा				
2. प्राथमिक विद्यालय	: .	93+41	174	–मासिक बैठक=10 दिन
उदितपुर, फरेन्दा				–स्कूल चलो अभियान
				व नामांकन=10 दिन
3. प्रा0विद्यालय पोसिया	221	103+41	168	–परीक्षा=10 दिन
ललाइन, लक्ष्मीपुर				–प्राकृतिक आपदा व
				स्थानीय मेले = 10
प्रा0 वि0 हाता बेला	202	122+41	162	बृजमनगंज
औसत	219	105+41	172	कुल = 48

विद्यालयों के शैक्षिक सत्र 2000–2001 का विश्लेषण (सारिणी) करने पर प्रा0वि0 219 दिन खुले रहे, लेकिन इसमें से 48 दिन विद्यालयों में शिक्षण कार्य नहीं हुआ। 146 दिन विद्यालयी व ग्रीष्मावकाश रहा। विद्यालय खुले होने के दौरान 48 कार्य दिवसों में शिक्षण कार्य न होने का विवरण इस प्रकार रहा–

–राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे प्लस पोलियो, मतदान, जनगणना आदि में औसतन 08 दिन सालाना।

– जुलाई से अप्रैल मासिक बैठक हेतु 10 दिन।

–स्कूल चलो अभियान व नामांकन में जुलाई माह में लगभग 10 दिन शिक्षण कार्य प्रभावित रहता है

– प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, अतिवृष्टि, शीतलहर, स्थानीय मेले आदि के कारण लगभग 10 दिन प्रतिवर्ष बच्चों की उपस्थिति प्रभावित होती है जिससे इन दिनों शिक्षण कार्य नहीं होता है।

उपर्युक्त स्थितियों को ग्राफ के माध्यम से हम इसप्रकार देख सकते हैं।

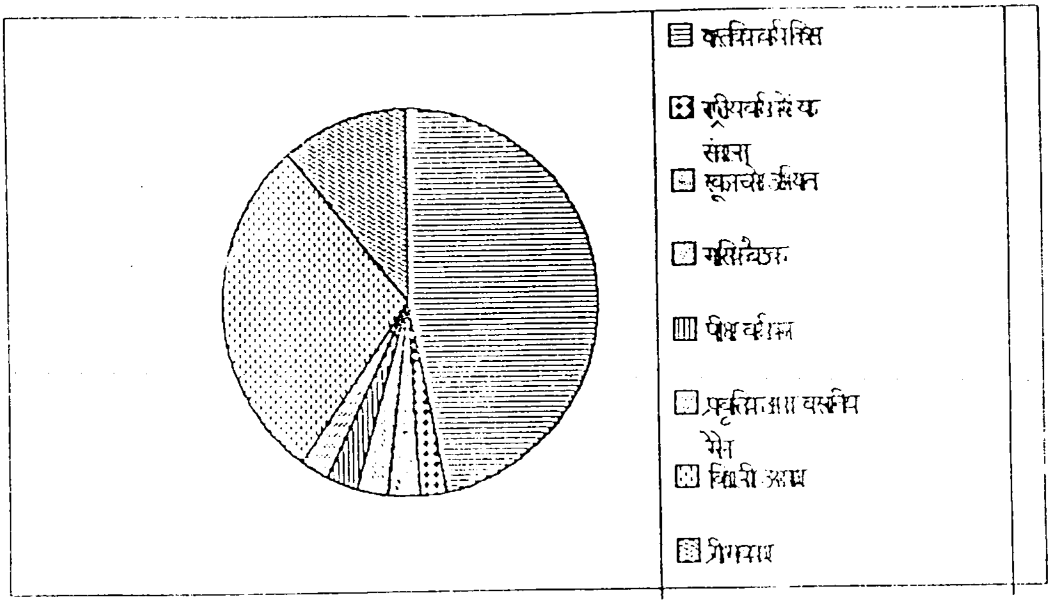

वास्तविक कार्य दिवस को बढ़ाने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष प्रयास किये जायेगें। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण व शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

उच्च प्राथमिक स्तर

डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षणों की कोई व्यवस्था नहीं थी। वास्तव में यह योजना प्राथमिक स्तर तक ही सीमित रही। अन्तिम वर्ष में गणित विषय में विशेष अनुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एस0ओ0पी0टी0) के तहत उच्च प्रा0वि0 के गणित शिक्षकों को दस दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। शेष अन्य विषयों या नवीन शिक्षण विधाओं पर आधारित किसी भी प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम, नवीन पाठ्य पुस्तकों व नवीन शिक्षण विधाओं से सम्बन्धित इन शिक्षकों की कठिनाइयों व समस्याओं को जानने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, जिसके लिए एक अध्ययन किया गया।

(क) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक–प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल:–

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को अपने शिक्षण के दौरान किन कठिनाइयों/समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा उनकी माँग व आवश्यकता के सन्दर्भ में एक अध्ययन किया गया। अध्ययन हेतु डायट स्तर पर एक मापनी बनाई गई जिसमें 14 प्रेक्षण बिन्दु हैं। जनपद महराजगंज के चार विकास खण्डों के पाँच उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 42 शिक्षकों के बीच यह अध्ययन कार्यक्रम चला। आंकड़ों का विश्लेषण करने पर प्राप्त तथ्य निम्नवत् हैं–

42 शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता को सारिणी द्वारा दर्शाया गया है।

योग्यता	इण्टरमीडिएट	बी0ए0	एम0ए0
शिक्षक संख्या	19	17	06
प्रतिशतता	45.23	40.47	14.28

प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 19 शिक्षक इण्टरमीडिएट योग्यता के, 17 शिक्षक स्नातक स्तर के तथा 06 शिक्षक परास्नातक हैं। इस प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अधिकतम शिक्षकों की योग्यता इण्टरमीडिएट है जिन्हें विषय आधारित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इस तथ्य को बार ग्राफ द्वारा भी प्रदर्शित

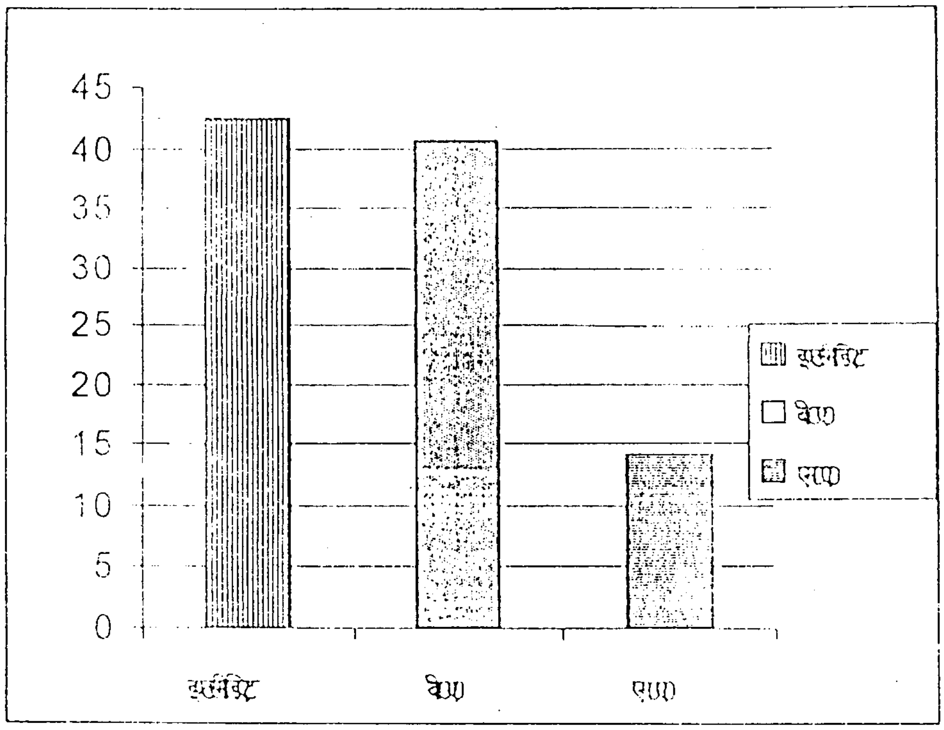

किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक सामान्यता दो या तीन विषयों का अध्यापन करते हैं। शिक्षकों द्वारा पठन–पाठन के दौरान बच्चे किन विषयों व प्रकरणों को कठिनाई से समझते हैं इसे निम्न सारिणी द्वारा दिखाया गया है--

विषय	हिन्दी	संस्कृत	गणित	अंग्रेजी	विज्ञान	भूगोल	सामाजिक अध्ययन	कृषि	नागरिक शास्त्र	इतिहास	उर्दू
शिक्षक संख्या	05	07	14	15	11	06	04	03	01	01	01
प्रतिशतता	11.90	16.66	33.33	35.71	26.19	14.28	9.5	7.1	2.3	2.3	2.3

सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर पर आने पर सबसे अधिक कठिनाई आंग्ल भाषा, गणित व विज्ञान में ही आती है। अंग्रेजी विषय में व्याकरण व उच्चारण से सम्बन्धित कठिनाई अधिक बताई गई। गणित विषय में गणितीय सूत्र, ज्यामिति में प्रमेय व दाशमिक प्रणाली ऐसे प्रकरण हैं जिन्हें शिक्षक पढ़ाते समय समझाने में कठिनाई का सामना करते हैं।
बच्चों में विषयवार कठिनाई को बार ग्राफ द्वारा इस प्रकार दिखाया जा सकता है–

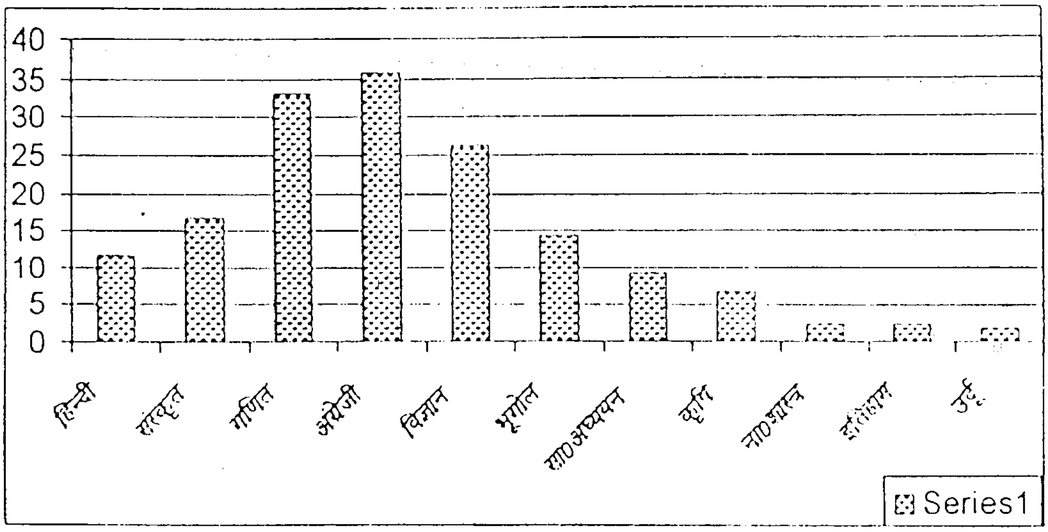

उच्च

प्राथमिक स्तर पर विषयों के कठिनाई स्तर सम्बन्धी ग्राफ

विज्ञान विषय में प्रयोग सम्बन्धी पाठों, रसायन विज्ञान में समीकरण सन्तुलन, उष्मा व विद्युत सम्बन्धी पाठों को पढ़ाने में कठिनाई बतलायी गयी। संस्कृत व हिन्दी भाषा में भी व्याकरण, उच्चारण तथा वर्तनी सम्बन्धी समस्याएं पाई गई। विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि शिक्षकों की विषयगत जानकारी की कमी एवं विषय–वस्तु की सही ढंग से प्रस्तुती न करने के कारण बच्चों को सम्बन्धित विषय पढ़ने में कठिनाई होती है। वे शिक्षक जो अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों का अध्यापन करते हैं उनकी जानकारी व दक्षता को समय–समय पर प्रशिक्षण/रिफ्रेशर कोर्स द्वारा बढ़ाये जाने की नितान्त आवश्यकता है। जिससे वे बच्चों को विषय–वस्तु की सही जानकारी देने व विषय के प्रति बच्चों की रुचि उत्पन्न करने में सामर्थ्य हो सकें।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर 93 प्रतिशत शिक्षकों को कभी भी एक साथ एक से अधिक कक्षा नहीं पढ़ानी पड़ती है। मात्र 5 प्रतिशत शिक्षकों को ही बहुकक्षा शिक्षण करना पड़ता है।

क्या कक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाये जाने पर सभी बच्चे समान रूप से सीख लेते हैं इस बिन्दु पर 37 अध्यापक अर्थात 88 प्रतिशत ने कहा कि नहीं। इसके कारण निम्न बताये गए–

– कक्षा कक्ष की कमी
– मानक से छात्र संख्या का अधिक होना
– बहुस्तरीय शिक्षण विधा से शिक्षकों का अवगत न होना

आपको अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने/ताजी करने के लिये किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता है पर शिक्षकों के विचार निम्न सारिणी में दिखाये गये–

प्रशिक्षण की माँग	हाँ	नहीं	कोई मत नहीं
शिक्षक की संख्या	25	15	02

अपनी विषयगत जानकारी को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण की माँग 59.5 प्रतिशत शिक्षकों ने की किन्तु 35.7 प्रतिशत शिक्षकों ने प्रशिक्षण की आवश्यकता को नकार दिया। जबकि 4.76 प्रतिशत ने कोई मत व्यक्त नहीं किया।

<u>प्रशिक्षण की आवश्यकता सम्बन्धी लेखाचित्र</u>

सभी शिक्षकों को पहले बच्चों, पठन–पाठन की नवीन विधा, पाठ्य पुस्तकों, रूचिपूर्ण शिक्षण पर समान सोच बनाने के लिये अभिप्रेरण प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों का सीखना आसान करती हैं इस बात पर लगभग

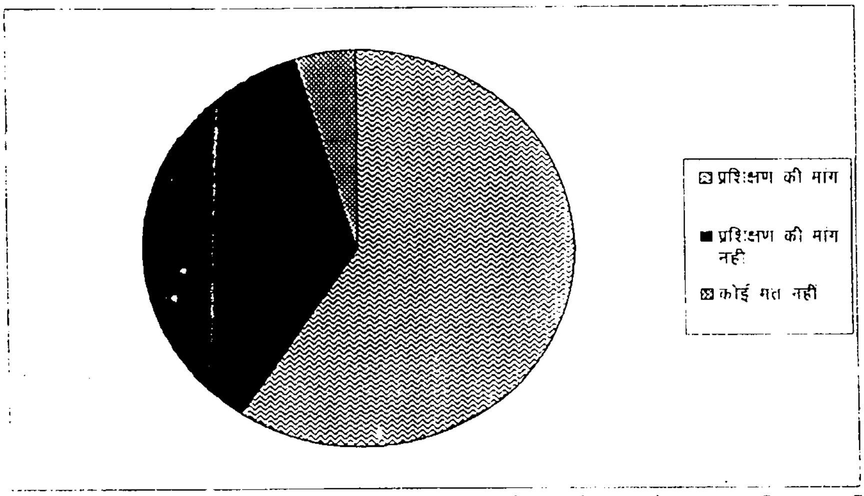

सभी शिक्षक सहमत थे। इन सामग्री के निर्माण व प्रयोग के लिये 95 प्रतिशत शिक्षकों ने प्रशिक्षण की माँग की। इनमें से 7.7 शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर पर श्रव्य, दृश्य सामग्री की आवश्यकता बताते हैं जिसमें कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

अध्ययन में शिक्षकों के द्वारा दिये गये सुझाव निम्नवत् हैं–

- कक्षा–कक्ष की संख्या को बच्चों के अनुपात में बढ़ाया जाये।
- सहायक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- विषय विशेष की पर्याप्त योग्यता रखने वाले शिक्षकों की आवश्यकता।
- विषयवार प्रशिक्षण की माँग।
- विज्ञान उपकरण की आपूर्ति करायी जाये।
- वर्ष में एक बार सभी के लिए पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता।
- खेल सामग्री की व्यवस्था।
- कढ़ाई–बुनाई के लिए सामग्री की माँग।

उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्णरूपेण न प्राप्त करने वाले बच्चों की समस्याओं पर भी अध्ययन किया गया। ड्राप आउट के अध्ययन का विवरण निम्नांकित है–

(ख) "उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट एक अध्ययन"

डायट द्वारा उ0प्रा0 स्तर पर ड्राप आउट के विषय में वास्तविकता का पता लगाने के लिए एक अध्ययन कराया गया। अध्ययन जनपद महराजगंज के 4 ब्लाकों में किया गया। ब्लाकों के चयन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कुछ ब्लाक मुख्यालय के समीप के हों कुछ सुदूर के, कुछ शहरी व कुछ ग्रामीणांचल के ब्लाक हों। इसके साथ ही जनपद में कुछ ऐसे भी ब्लाक हैं जहाँ हर वर्ष बाढ़ भी आती है। अतः भौगोलिक स्थिति के आधार बनाकर 12 ब्लाकों में से 4 ब्लाकों क्रमशः परतावल, महराजगंज, घुघली तथा बृजमनगंज को चयनित किया गया। चिह्नित प्राथमिक विद्यालयों में से कुछ मुख्य सड़क मार्ग के समीप के तथा कुछ दूरी पर स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कुछ अच्छे स्तर के, कुछ मध्यम व कुछ खराब विद्यालयों को चयनित करके अध्ययन किया गया।

इस प्रकार जनपद के 4 ब्लाकों क्रमशः परतावल, महराजगंज घुघुली तथा बृजमनगंज के क्रमशः पूर्व माध्यमिक विद्यालय--परतावल, पूर्व माध्यमिक विद्यालय--सेमरा चन्दौली परतावल, पू0मा0विधालय रामेराराजा महराजगंज--पू0मा0वि0 रामपुर, घुघुली तथा पू0मा0वि0 बृजमनगंज में यह अध्ययन किया गया। अध्ययन के आधार पर निम्न विन्दु उभर कर आये--

पूर्व मा0 विद्यालय जिनमें अध्ययन किया गया, के सत्रवार नामांकित छात्र संख्या

सारणी--1

कक्षा	शैक्षिक सत्र	बालक	बालिका	योग
6--	98--99	445	131	576
7--	99--2000	384	120	404
8--	2000--2001	322	118	440
कक्षा 7 स्तर पर ड्राप आउट		61	11	72
कक्षा 8 स्तर पर ड्राप आउट		123	13	136

- सत्र 98--99 में कक्षा 6 में 77.26 प्रतिशत बालक व 22.74 प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन किया गया।

- सत्र 99--2000 में 86.3 प्रतिशत बालक तथा 91.6 प्रतिशत बालिकायें कक्षा 6 से उत्तीर्ण होकर कक्षा 7 में नामांकित होते हैं जिनमें बालकों का ड्राप आउट 13.7 प्रतिशत रहा तथा बालिकाओं का ड्राप आउट 8.4 प्रतिशत रहा। इस प्रकार कक्षा 7 में बच्चों का ड्राप आउट 12.5 प्रतिशत रहा।

- कक्षा 7 सत्र 99--2000 में से उत्तीर्ण छात्र--छात्राएँ जो सत्र 2000--2001 में इन्हीं बच्चों में से कक्षा 8 में नामांकित हुए उसमें बालकों व बालिकाओं का ड्राप आउट क्रमशः 27.64 प्रतिशत व 09.92 प्रतिशत है। सारणी को देखने से स्पष्ट है कि कक्षा 8 में

कुल 23.6 प्रतिशत ड्राप आउट दर रहा। इसे दण्ड आरेख (बार ग्राफ) द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है–

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट

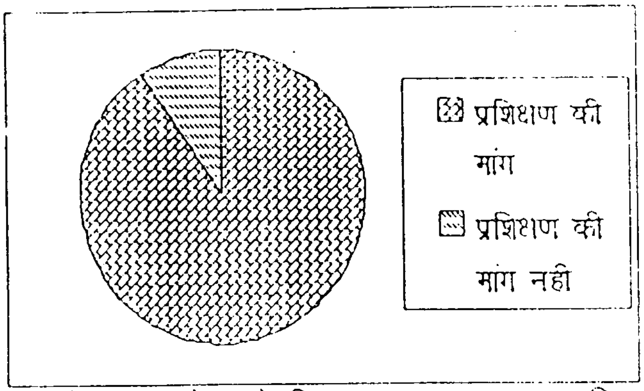

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उ0प्रा0 स्तर पर बालिकाओं का नामांकन दर बालकों की अपेक्षा काफी कम है, परन्तु बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन के बाद ड्राप आउट दर बालकों की अपेक्षा काफी कम होता है। बालकों के काम–धंधे में लगने के कारण स्कूल अपेक्षाकृत अधिक छोड़ते हैं।

ड्राप आउट–जातिवार विवरण सत्र 2000–2001

कक्षा	शैक्षिक सत्र	सामान्य छात्र सं0	पिछड़ी	अल्पसंख्यक	अनु0जाति	योग
6	98–99	60	302	92	122	576
8	99–2000	51	238	57	94	440
ड्राप आउट	2000–2001	09	64	35	28	136
ड्राप आउट प्रतिशत		16	21.8	38		23.7

❸ जातिवार ड्राप आउट सारणी–2 के अनुसार सामान्य वर्ग के 16 प्रतिशत बच्चे, पिछड़ी जाति के 21.8 प्रतिशत, अल्पसंख्यक 38 प्रतिशत तथा अनु0जाति 23.7 प्रतिशत ड्राप आउट दर पाई गयी ।

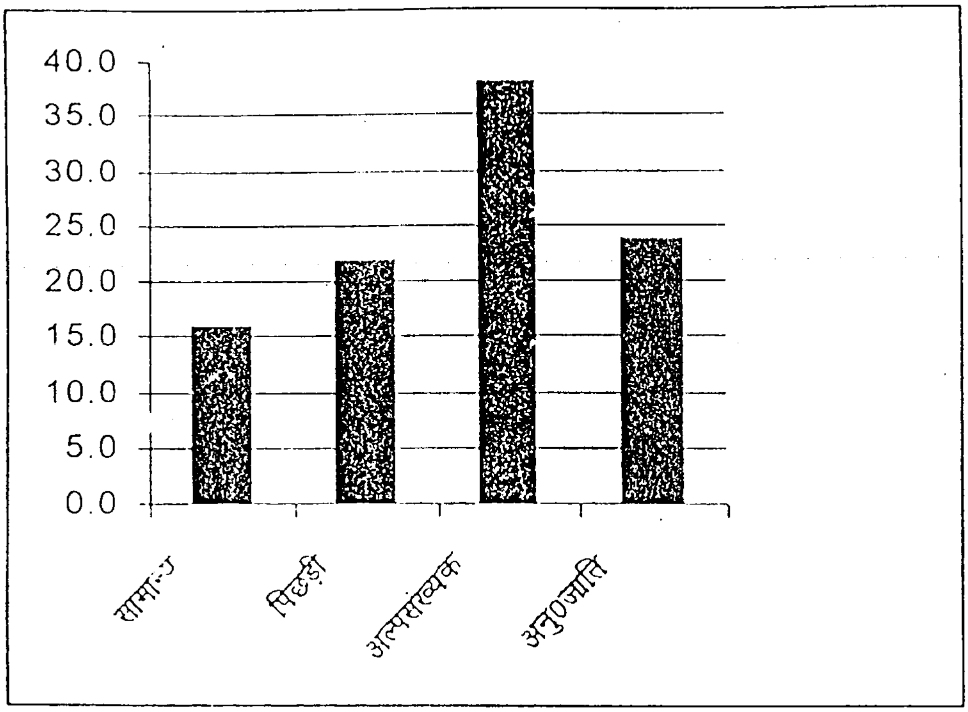

जातिवार ड्राप आउट–लेखाचित्र

ड्राप आउट की समस्या अल्पसंख्यक वर्ग में सबसे अधिक पाई गई है जिसका एक कारण यह है कि इस वर्ग के बच्चे पारिवारिक आवश्यकता के कारण रोजगार की ओर बहुत जल्दी उन्मुख हो जाते हैं। आने वाले समय में इस प्रवृत्ति से बचने के लिए आवश्यक होगा कि स्वरोजगार व हस्त–शिल्प/स्थानीय शिल्प पर आधारित रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था विद्यालयों में की जाये। अन्य वर्ग के बच्चों के साथ भी यह समस्या है, कुछ बच्चे कृषि, पशुपालन आदि के कार्यों में संलग्न होने के कारण शिक्षा से दूर हो जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसे बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी।

"प्रशिक्षणों का संचालन और अनुश्रवण व्यवस्था"

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद महराजगंज में बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 की स्थापना की गई। बी0आर0सी0 स्तर पर समन्वयक तथा सह समन्वयक और एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक संकुल प्रभारी चयनित तथा पदस्थापित किया गया है, जो प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षक ही हैं। इनको निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया:–

1— बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 के प्रभारियों के कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण 'समर्थन' माड्यूल पर आधारित था।

2— अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।

3— 4 दिवसीय रीजनिंग कार्यशाला।

4— शिशु शिक्षा केन्द्रों के अनुसमर्थन हेतु 7 दिवसीय प्रशिक्षण।

5— तीन चक्रों का सेवारत प्रशिक्षण।

ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों तथा एन0पी0आर0सी0 का उनके भौतिक तथा अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की शैक्षिक कठिनाइयों का समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

बी0आर0सी0 की भूमिका:—

बी0आर0सी0 द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं:—

1— बी0आर0सी0 को संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।

2— विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप।

3— विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन कक्षाओं का अवलोकन और फीडबैक प्रदान करते हैं।

4— वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।

5— शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पित शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।

6— एन0पी0आर0सी0 स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।

7— ई0एम0आई0एस0 के आंकड़ों का संकलन।

8— डायट के मार्ग दर्शन में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, शैक्षिक मेलों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्र, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

9— एन0पी0आर0सी0 तथा विद्यालयों का निर्धारण मानक बिन्दुओं के आलोक में श्रेणीकरण करते हैं।

10— विद्यालय स्तर पर बच्चों / शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करते हैं।

11— आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण कर शिक्षकों का मार्गदर्शन।

इसके अतिरिक्त शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण व प्रयोग हेतु बच्चों में सजगता तथा अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु दीवार अखबार एवं भित्ति चित्र निकालने के लिए स्थानीय लोक साहित्य, स्थानीय इतिहास, लोक कथाओं के संकलन के लिए बी0आर0सी0 स्तर पर कार्यशालाएँ आयोजित किये जाने की संकल्पना है।

एन0पी0आर0सी0 की भूमिका:–

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र, अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की क्रियाशील इकाई है।

स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास, ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर आदान–प्रदान, स्कूल भ्रमण, बच्चों शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त संकुल प्रभारियों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं:–

- शिक्षकों की मासिक बैठकों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा तरह–तरह के शैक्षिक मेलों का आयोजन करना।
- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
- स्कूल चलो अभियान, बाल गणना तथा ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग करना।
- ग्राम शिक्षा समितियों, पी0टी0ए0, पी0टी0ए0 सदस्यों के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
- विद्यालयों का मानक बिन्दुओं के आधार पर श्रेणीकरण करना।
- विद्यालय स्तर पर बच्चों तथा शिक्षकों का अनुसमर्थन कार्य।
- शिक्षण कौशल के विकास हेतु संकुल स्तर पर विषय में स्वयं कुशल शिक्षकों के द्वारा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण का आयोजन।
- बी0आर0सी0 को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान–प्रदान। कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी0आर0सी0 तथा डायट को भेजना।

इसके अलावा बच्चों/शिक्षकों/अभिभावकों में बेहतर कार्य करने की भावना तथा प्रतिस्पर्धा विकसित करने हेतु संकुल स्तर पर सारे विद्यालयों के बच्चों, अध्यापकों के लिए प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। इसके व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ ही समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। ये प्रतियोगिताएँ निबंध, कहानी, कविता–पाठ, लोक काव्य, लोक नृत्य, अन्त्याक्षरी, अभिनय, खेलों, सुलेख तथा विषय वस्तुपरक प्रश्नोत्तर के माध्यम से आयोजित की जाती है। प्रत्येक विद्यालय में नियमित रूप से प्रतियोगिताओं का आयोजन हेतु अभी सघन प्रयास की आवश्यकता है। शिक्षकों के लिए प्रतियोगिताओं के आयोजन का भी सफल प्रयास करना अभी शेष है।

<u>बच्चों के नामांकन एवं ठहराव के लिए डी0पी0आई0पी0 के अन्तर्गत चलायी जा रही प्रोत्साहन योजनाएँ–</u>

शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि के लिए डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षणों के साथ-साथ प्रोत्साहन योजनायें भी चलायी गयी हैं। बच्चों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद में प्राथमिक स्तर के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय में नामांकित समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं। इसके कारण बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से शिक्षा सत्र 2001-02 में जनपद के 164538 बच्चे लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को बुक बैंक हेतु भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के 10 सेट उपलब्ध कराये गये हैं। इससे बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। कक्षा शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चे के पास पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है एवं शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हुई है।

छात्रवृत्ति की बजाय अगर बच्चों को यूनीफार्म तथा बस्ते में आवश्यक पठन-पाठन सामग्री मुफ्त वितरित की जाये, तो नामांकन के साथ-साथ ठहराव के स्थायित्व की संभावना भी बढ़ जायेगी क्योंकि अधिकांश बच्चे कमजोर एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों से आते हैं।

जिन विद्यालयों में नामांकन और ठहराव शत-प्रतिशत नहीं है, उन विद्यालयों को भौतिक संसाधनों से सुसज्जित करके प्रोत्साहित किया जा सकता है। भौतिक संसाधनों के साथ वहाँ मानव संसाधन भी मानक के अनुसार देकर आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना उपयोगी होगा। ऐसी प्रोत्साहन योजनायें समुदाय को विद्यालय से जोड़ने में सहायक होंगी। दूसरे गाँव के लोग भी प्रयास करेंगे कि उन्हें भी वही सब भौतिक/मानव संसाधन प्राप्त हों।

<u>बेसलाइन सर्वे एवं मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण अध्ययनः-</u>

जनपद महराजगंज में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन किया गया है। इस क्रम में बेस लाइन एसेसमेन्ट स्टडी 1997 में तथा मिड टर्म एसेसमेन्ट स्टडी सन् 2000 में की गयी है। अध्ययनों के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्थिति निम्नवत् है:-

(1) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में कक्षा-1 विषय भाषा

परीक्षण	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
बी0ए0एस0	50.15	57.35
एम0ए0एस0	71.80	65.60

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि बेस लाइन एसेसमेन्ट स्टडी के आधार पर शहरी क्षेत्र का सम्प्राप्ति स्तर 50.15 प्रतिशत है और ग्रामीण क्षेत्र में 57.35 प्रतिशत था। मिड टर्म एसेसमेन्ट के आधार पर शहरी क्षेत्र का सम्प्राप्ति स्तर 71.80 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र 65.60 प्रतिशत है। इस प्रकार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भाषा के सम्प्राप्ति स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(2) कक्षा-1, विषय-गणित

परीक्षण	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
बी0ए0एस0	50.00	53.43
एम0ए0एस0	73.20	68.80

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है बेसलाइन एसेसमेन्ट स्टडी के आधार पर शहरी क्षेत्र का सम्प्राप्ति स्तर 50.00 प्रतिशत है एवं ग्रामीण क्षेत्र का 53.43 प्रतिशत है। मिड टर्मएसेसमेन्ट के आधार पर शहरी क्षेत्र का सम्प्राप्ति स्तर 73.20 प्रतिशत है एवं ग्रामीण क्षेत्र का 68.80 प्रतिशत है। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गणित की सम्प्राप्ति स्तर में उत्साहजनक वृद्धि मध्यावधि मूल्यांकन में हुई है।

(3)कक्षा–4, विषय–भाषा

परीक्षण	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
बी0ए0एस0	48.10	47.73
एम0ए0एस0	37.70	43.10

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा–4 की विषय भाषा में उपलब्धि बेस लाइन एसेसमेन्ट सर्वे के आधार पर शहरी क्षेत्र में 48.10 प्रतिशत है एवं ग्रामीण क्षेत्र में 47.73 प्रतिशत है। मिड टर्म एसेसमेन्ट के आधार पर यह उपलब्धि शहरी क्षेत्र में 37. 70 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 43.10 प्रतिशत है। इस प्रकार शहरी क्षेत्र की सम्प्राप्ति स्तर में 10.40 प्रतिशत की एवं ग्रामीण क्षे? में 04.63 प्रतिशत की गिरावट परिलक्षित हो रही डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत 'भाषा' कक्षा–4 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में चुनौती और कड़ी हुई है।

(4)कक्षा–4, विषय–गणित

परीक्षण	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
बी0ए0एस0	36.37	40.77
एम0ए0एस0	43.60	44.60

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा–4 की विषय गणित उपलब्धि बेसलाइन एसेसमेन्ट के आधार पर शहरी क्षेत्र में 36.37 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 40.77 प्रतिशत था। मध्यावधि मूल्यांकन के आधार पर शहरी क्षेत्र का सम्प्राप्ति स्तर 43.60 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र का 44.60 प्रतिशत है। इस प्रकार आंकड़ों से स्पष्ट है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में(गणित कक्षा–4) छात्रों की सम्प्राप्ति स्तर में उपलब्धि बढ़ी हुई परिलक्षित हो रही है। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विद्यालयों की क्षमता वृद्धि, शिक्षक प्रशिक्षण आदि क्रियाकलापों से बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किन्तु कक्षा–4 भाषा की सम्प्राप्ति स्तर में ह्रास चुनौतीपूर्ण परिणाम है क्योंकि परियोजना अवधि में बेसलाइन स्टडी से प्राप्त परिणाम में भाषा और गणित विषय में 25 प्रतिशत तथा अन्य विषयों में 40 प्रतिशत वृद्धि करने लक्ष्य निर्धारित है।

जनपद के वंचित वर्गों एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में:–

शिक्षा के सार्वजनीकरण की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन सभी बच्चों को विद्यालय में लाया जाना है जो विद्यालयीय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं जिनमें बाल श्रमिक, खेतिहर बाल श्रमिक, वंचित वर्ग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं जो

अपनी कठिनाइयों/समस्याओं, परिस्थितियों के कारण विद्यालय नहीं आ पाते हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है जिससे सभी बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन हो, ठहराव हो और वे निर्धारित स्तर की विद्यालयीय शिक्षा प्राप्त कर सकें।

जनपद में विविध कारणों से स्कूल शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या	
(1)घरेलू कार्यो मे लगे बच्चों की संख्या	28024
(2)कृषि कार्यो"	9673
(3)औद्योगिक इकाई " "	845
(4)सिबलिंग केयर " "	15295
(5)पशुपालन म " "	3537
(6)पहुँच से दूर " "	301
(7)निर्धनता के कारण शिक्षा से वंचित "	2932
(8)सामाजिक विषमताओं के कारण "	355
(9)अन्य कारणों से " "	424
योग	61386

(स्रोत–विभागीय आंकड़ों के आधार पर)

इस प्रकार जनपद में विभिन्न प्रकार के कार्यो/श्रमों तथा सामाजिक/आर्थिक परिस्थितियों के कारण 61,386 बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं जिन्हें शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ना है।

क्र0सं0	शारीरिक अक्षमता	संख्या
1.	दृष्टि अक्षमता	1711
2.	श्रवण अक्षमता	2034
3.	मनसिक अक्षमता	1833
4.	अधिगम अक्षमता	1800
5.	अस्थि विकार	4684
	योग	12062

(स्रोत–सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़े।)

शारीरिक अक्षमताओं के कारण जनपद में कुल 12,062 बच्चे शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित हैं जिनमें 1711 दृष्टि अक्षमता, 2034 श्रवण अक्षमता, 1833 मानसिक अक्षमता, 1800 अधिगम अक्षमता तथा 4684 अस्थि विकार से ग्रसित हैं। इन्हें भी सामान्य बच्चों के साथ समेकित शिक्षा प्रदान करने की योजना है।

जनपद में बच्चे विशेष आवश्यकता वाले एवं वंचित वर्गो के सभी बच्चों को विद्यालयीय शिक्षा प्रदान करने के लिए अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर उनके सोच में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ताकि इन बच्चों में आत्मविश्वास की भावना पनप सके। वे अनुभव कर सकें कि उनकी भी समाज में अलग छवि है।

इस प्रकार की सोच उत्पन्न करने के लिए सम्बन्धित विषय वस्तु का प्रशिक्षण डायट कर्मियों के लिए राज्य स्तर पर किया जाना अपेक्षित है।

इन बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है। अतः वंचित वर्ग के बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की आवश्यकता है।

समाज के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, जिनकी संख्या 5–10 प्रतिशत है। जो दृष्टि सम्बन्धी, श्रवण सम्बन्धी, वाणी सम्बन्धी, अस्थि सम्बन्धी एवं मानसिक अक्षमताओं से ग्रस्त हैं। ऐसे बच्चों को विद्यालयों में लाये जाने के लिए ऐसा वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है जिससे उनके सीखने की प्रक्रिया में कम से कम बाधाएँ रह जायें।

ये सभी बच्चे औपचारिक स्कूल की प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र 6 वर्ष को साधारणतः पार कर जाते हैं। अतः इनका प्रवेश कक्षा एक के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा वंचित वर्गों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने के स्थान पर कम

अवधि के पाठ्यक्रम और तद्नुरूप शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना होगा। ऐसे बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

समेकित शिक्षा के सन्दर्भ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करने के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं–

(1) कम एवं मध्यम श्रेणी के अक्षमता ग्रस्त बच्चों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना।

(2) 6–18 वर्ष वर्ग के अक्षमता ग्रस्त बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह सामान्य अवसर प्रदान करना।

(3) विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाना जिससे इन बच्चों में आत्मसम्मान एवं आत्म विकास की भावना का विकास हो।

(4) समुदाय एवं अभिभावक का संवेदीकरण, निर्देशन एवं उनका सहयोग प्राप्त करना।

(5) कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।

(6) विकास खण्ड एवं जिले स्तर पर रिसोर्स सेन्टर की स्थापना करना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित क्रियाकलापों की कार्ययोजना

जनपद महराजगंज में 6–14 आयु वर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं (विशेष आवश्यकता वाले बच्चो के लिए आयु सीमा 6–18 वर्ष तक) को 2010 तक गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है। जिसमे समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जमीन से जुड़ी संस्थाओ जैसे – ग्राम शिक्षा समिति अभिभावक शिक्षक संघ, माता– शिक्षक संघ, एवं पचांयतों का सहयोग लिया जाना है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किये गये हैं:–

o 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को 2007 तक (आउटर लिमिट) उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

- सन् 2003 तक सभी बच्चों को औपचारिक विद्यालयों, ई0जी0एस0/नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों तथा वापस विद्यालय चलो कैम्पों आदि में नामाकंन।
- सन् 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा पूरी करेंगे।
- सन् 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करेंगे।
- लिंग तथा सामाजिक विषमताओं को प्राथमिक स्तर पर सन् 2007 तक तथा प्रारम्भिक स्तर पर सन् 2010 तक समाप्त करना।
- सन् 2010 तक 6–14 वयवर्ग के सभी बच्चों का विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित करना।

(क)–<u>वीजनिंग</u>–(प्रथम वर्ष 2001–02)

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की होगी कि जनपद महराजगंज के लिए एक स्पष्ट 'वीजन' विकसित किया जाये। अतएव डायट के प्रवक्ताओं वरिष्ठ प्रवक्ताओं, जिला परियोजना कार्यालय कर्मचारियों, अधिकारियों, ब्लाक समन्वयको, सकुंल प्रभारियों को प्रथम चरण में डायट स्तर पर 03 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। जिसमें निम्न बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर सहमतियाँ एवं निष्कर्ष निकाले जायेंगे–

- सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति और इसमें बदलाव की अपेक्षा, कठिनाइयाँ एवं सुझाव।
- नामाकंन, ठहराव एवं सम्प्राप्ति के क्षेत्र में चुनौतीयाँ एवं समाधान हेतु सुझाव।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामाकंन व ठहराव के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत औपचारिक विद्यालयों, ई0जी0एस0 वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों, वापस स्कूल चलो कैम्पों की भूमिका/उपयोगिता। उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक सपोर्ट/प्रशिक्षण आवश्यकताएं
- कक्षा शिक्षण प्रक्रिया
- विद्यालयों ई0जी0एस0, ए0एस0/ए0आई0ई0, कैम्पो में परस्पर तालमेल।
- सब में लक्ष्य प्राप्ति के लिए समान सोच का विकास करना।

(ख)–<u>सेवारत प्रशिक्षण</u>–

सेवारतशिक्षक प्रशिक्षण शिक्षण प्रक्रिया का ही अभिन्न अंग है, इसे सतत् बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि शिक्षा कौशल में विकास एवं विषय ज्ञान बढ़ाने में सेवारत प्रशिक्षणों की अहम् भूमिका होती है। अतएव सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों को वर्ष में एक बार में 8 से 10 दिनों तक प्रदान कर फिर पूरे वर्ष तक चुप बैठने के स्थान पर इसे एक सतत् प्रक्रिया के रूप में चलाने की रणनीति के तहत कार्य किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत बी0 आर0 सी0 स्तर पर प्रशिक्षण का मुख्य भाग तथा उसका शेष भाग एन0पी0आर0सी0 स्तर पर पूरक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के रूप में पूरा किया जायेगा।

जनपद महराजगंज में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का तीन चक्रों का प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है। इन प्रशिक्षण का कक्षा

शिक्षण में प्रभाव का आकलन डायट गोरखपुर द्वारा एक अध्ययन के तहत अक्टूबर 2001 में कराया गया। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की सेवारत प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए डायट गोरखपुर द्वारा अध्ययन कराया गया। इन दोनों अध्ययनों के आधार पर शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियोजित किया जायेगा । साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर पर नव विकसित पाठ्यपुस्तक एवं 'शिक्षक संदर्शिकाएँ' जो वर्ष 2002 जुलाई से लागू की जानी है, उनके शिक्षण में बेहतर अनुप्रयोग हेतु प्रशिक्षण बिन्दु समाहित किये जायेंगे।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण के क्षेत्र निम्नांकित होंगे –

1–<u>प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्य योजना</u>:–

ऐसे नव नियुक्त शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को जिन्हें जनपद में आयोजित तीन चक्रों का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। उन्हें नियुक्ति वर्ष में ही 08 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिसमें अभिप्रेरण,बच्चा, शिक्षक, सीखने की प्रक्रिया, खेल/गतिविधि,सामग्री के प्रयोग के साथ – साथ नवीन पाठ्य पुस्तक, आधारित कक्षा–शिक्षण अभ्यास सम्बन्धी विषय वस्तु शामिल होगी। यह इनके लिए आधारभूत अनिवार्य प्रशिक्षण होगा। जो आवश्यकतानुसार कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता रहेगा।

(i) द्वितीय वर्ष के लिए प्रशिक्षण योजना (वर्ष 2002–03): –

डायट गोरखपुर द्वारा कराये गये अध्ययन से यह बात उभर कर आयी है कि डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत कराये गये तीन चक्रों के प्रशिक्षणों का विद्यालयों/कक्षा में प्रभाव बहुत उत्साहजनक नही रहा है। विद्यालयीय क्रिया–कलापों में बालिकाओं की सहभागिता 19% तथा अध्यापकों की सम्प्रेषण क्षमता केवल 64% सन्तोषजनक पायी गयी । टी0एल0एम0 का प्रयोग केवल 46% शिक्षक ही कर रहे है। इसी प्रकार बच्चों के समूहो में कार्य करने का अवसर 36%, स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं चिन्तन के अवसर 45% तथा ब्लैकबोर्ड तक पहुँचने का अवसर मात्र 45% बच्चों को मिल रहा है। शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग में 55% तथा छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं की जाँच व संशोधन में मात्र 64% शिक्षक उत्साह दिखा रहे है। (अध्ययन आख्या संलग्न है)

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के प्रथम वर्ष में इन बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में 06 दिवसीय प्रशिक्षण बी0आर0सी0 पर आयोजित किया जायगा ।

- प्राथमिक स्तर पर नवीन पाठ्यक्रम एवं उसके आधार पर विकसित नवीन पाठ्य पुस्तकें एवं व्यापक मूल्याकंन प्रणाली लागू की गयी है। यह मूल्यांकन प्रणाली अलग न होकर शिक्षण प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन को शिक्षण प्रक्रिया का अनिवार्य अंग बनाने की समझ विकसित करने के लिए उनमें सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की दक्षता बढ़ाने तथा उसके अभिलेखीकरण का कौशल विकसित करने के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेंगे।

- डायट द्वारा कराये गये अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि मात्र 46% शिक्षक कुछ टी0एल0एम0 का प्रयोग कर रहे है। अतएव एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 03 दिवसीय टी0एल0एम0 निर्माण एवं कक्षा शिक्षण में प्रयोग अभ्यास सम्बन्धी कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

- एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित मासिक बैठकों को प्रशिक्षण कार्यशाला के रूप में विकसित किया जायेगा। जिसमें शैक्षिक कठिनाईयों का समाधान, अनुभवों का आदान–प्रदान एवं प्रशिक्षण बिन्दुओं के अनुप्रयोग की समीक्षा एवं समाधान सुझाये जायेंगे। साथ ही साथ निकट के विद्यालय की कक्षाओं में विषयवार आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

(ii) तृतीय वर्ष की प्रशिक्षण कार्य योजना (वर्ष 2003–04):–

यद्यपि डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत दूसरे चक्र में भाषा, गणित एवं पर्यावरणीय अध्ययन के समझ के विकास हेतु 'सबल' प्रशिक्षण पैकेज में संक्षेप में चर्चा की गयी है, परन्तु इन विषयों के खास–खास स्थलो के प्रभावी शिक्षण के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। अतएव सर्व शिक्षा

अभियान के अन्तर्गत दूसरे वर्ष में भाषा और गणित की विषय वस्तु आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

- धीमी गति से सीखने वाले/कक्षा के सामान्य बच्चों की तुलना में सीखने में पिछड़े हुए बच्चों को उपयुक्त स्तर तक लाने के लिए शिक्षकों के पास स्पष्ट रणनीति नही है। जिसके कारण प्रत्येक कक्षा एवं विद्यालय में बच्चों का एक बड़ा समूह सीखने में पिछड़ता चला जाता है। साथ ही अगली कक्षा के लिए भी समस्या बनता जाता है और ड्राप आउट की सम्भावना बढ़ जाती है।

अतएव एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 03 दिवसीय कार्यशाला वास्तविक कार्यदिवस/समय को बढ़ाने के लिए आयोजित की जायगी।

- एन0पी0आर0सी0 स्तर पर पूर्व में किये गये प्रशिक्षणों के अनुप्रयोग/सपोर्ट हेतु वर्ष में कम से कम 06 मासिक प्रशिक्षण/कार्यशाला/बैठकों में प्रत्येक शिक्षक की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी।
- बाल अखबार को विद्यालयीय क्रियाकलाप का अंग बनाने के लिए एन0पी0आर0सी0 स्तर पर शिक्षकों एवं बच्चों की दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी। इसमें प्रत्येक विद्यालय से कम से कम 03 बच्चे अवश्य शामिल होंगे।

(iii) चतुर्थ वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्य योजना (2004–05):–

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत तीसरे वर्ष में विज्ञान तथा सामाजिक–अध्ययन की विषय वस्तु आधारित 07 दिवसीय प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा। जिसमें दोनों विषयों के शिक्षण को प्रभावी बनाने, शिक्षण सामग्री के प्रयोग करने, कठिन स्थलो को सहज ढंग से प्रस्तुतीकरण के तरीकों तथा मूल्यांकन को शामिल किया जायेगा।
- प्राथमिक विद्यालयों में बहुकक्षा/बहुस्तरीय षिक्षण की स्थिति को देखते हुए 04 दिवसीय षिक्षक प्रषिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा।
- सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नो जैसे–लघुउत्तरीय दीर्घउत्तरीय, बहुविकल्पिय बनाने की दक्षता की अनिवार्य अपेक्षा होती है। इसी प्रकार इन प्रश्नों को मात्र सूचनात्मक/ज्ञानात्मक श्रेणी तक सीमित न कर उसे बोधात्मक एवं अनुप्रयोगात्मक स्तर ले जाने की दक्षता/कौशल विकसित करने की जरूरत है।

अतएव बी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय प्रश्न–निर्माण सम्बन्धी कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

- एन0पी0आर0सी0 स्तर पर पूर्व में आयोजित प्रशिक्षणों के कक्षा में प्रयोग तथा शिक्षण सम्बन्धी कठिनाईयों को हल करने के लिए 06 मासिक बैठको में प्रत्येक शिक्षक की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी।
- एन0पी0आर0सी0 स्तर पर वर्तनी, सुलेख, वाद–विवाद, क्विज, गणितोत्सव एवं विषय वार सम्प्राप्ति से सम्बन्धित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जायगी।जिसमें विद्यालयीय क्रियाकलापो में गतिशीलता लायी जा सके।

(iv) पंचम वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्ययोजना (2005–06):–

बच्चो में पढ़ने की अभिरूचि पैदा करने, स्वअधिगम की प्रवृत्ति विकसित करने तथा कल्पनाशीलता एवं चिन्तन–शक्ति के विकास हेतु पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विशेष महत्व होता है। अतएव डायट स्तर पर विकसित

अनुपूरक अध्ययन सामग्री के आधार पर 04 दिवसीय प्रशिक्षण बी0आर0सी0 पर आयोजित किया जायेगा।

- डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत जनपद महराजगंज में तीन चक्रों के प्रशिक्षण आयोजित किये जा चुके हैं किन्तु इनमें अंग्रेजी और संस्कृत की विषय वस्तु तथा शिक्षण–विधा पर कोई प्रशिक्षण अथवा चर्चा नही गया है, जबकि ये दोनो विषय कक्षा 3 से ही पढ़ाये जा रहे हैं।

अतएव बी0आर0सी0 स्तर पर 05 दिवसीय अंग्रेजी संस्कृत विषय वस्तु एव शिक्षण विधा आधारित प्रषिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

- शिक्षक अनुदान के उपयोग को सुनिश्चित करने एव शिक्षण मं टी0एल0एम0 की प्रभावी भूमिका को बार–बार अनुभूत करने के लिए टी0एल0एम0 के निर्माण एवं प्रयोग सम्बन्धी कार्यशाला प्रत्येक 2 वर्ष वाद आयोजित किया जाना उपयोगी होगा।

अतएव एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 3 दिवसीय टी0एल0एम0 का विषय वस्तुवार निर्माणएवं शिक्षण अभ्यास सम्बन्धी कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

- एन0पी0आर0सी0 स्तर पर वर्ष में 06 मासिक बैठको को कार्यशाला/प्रशिक्षण के रूप में परिवर्तित कर शैक्षिक कठिनाईयों के पहचान एव निराकरण के साथ– साथ पूर्व में प्रदान किये गये प्रशिक्षणों का अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) <u>षष्टम् वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्ययोजना (2006–07):–</u>

विषय–वस्तु की नवीनता तथा सीखने–सिखाने के तौर तरीको में समय सापेक्ष बदलाव लाने के दृष्टिगत सतत् प्रशिक्षण की जरूरत होती है।

अतएव भाषा, गणित विज्ञान, पर्यावरणीय–अध्ययन अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों पर आधारित 08 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण बी0आर0सी0 पर आयोजित किया जायेगा। प्रभावी भूमिका को बार–बार अनुभूत करने के लिए टी0एल0एम0 के निर्माण एवं प्रयोग सम्बन्धी कार्यशाला प्रत्येक 2 वर्ष वाद आयोजित किया जाना उपयोगी होगा।

अतएव एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 3 दिवसीय टी0एल0एम0 का विषय वस्तुवार निर्माणएवं शिक्षण अभ्यास सम्बन्धी कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

- एन0पी0आर0सी0 स्तर पर वर्ष में 06 मासिक बैठको को कार्यशाला/प्रशिक्षण के रूप में परिवर्तित कर शैक्षिक कठिनाईयों के पहचान एव निराकरण के साथ–साथ पूर्व में प्रदान किये गये प्रशिक्षणों का अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

प्राथमिक विद्यालयों में बहुकक्षा/बहुस्तरीय शिक्षण की स्थिति आगे के समय में भी बनी रहने की सम्भावना है।

अतः बी0आर0सी0 स्तर पर बहुकक्षा/बहुस्तरीय शिक्षण की शिक्षकों में दक्षता विकसित करने हेतु 4 दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित की जायगी।

- पाठ्य पुस्तकों में निहित विविध प्रश्न–अभ्यासों को हल कराने के तौर तरीकों उनके विस्तार तथा प्रभावी जाँच व संशोधन से सम्बन्धित दक्षता के विकास के लिए प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। यह बच्चों को बेहतर ढंग से सीख पाने में मददगार होगा।

अतएव प्रश्न–अभ्यासों के हल कराने के तौर तरीकों, उनके विस्तार तथा प्रभावी जाँच व संशोधन पर आधारित एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 02 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

- एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित मासिक बैठकों में से कम से कम 06 बैठकों को मासिक प्रशिक्षण/कार्यशाला का रूप देकर सभी शिक्षकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी। इसमें शिक्षकों की कक्षा में कठिनाईयों के साथ ही स्थानीय जरूरतों को विषय–वस्तु के रूप में शामिल किया जायेगा।

(vi)प्राथमिक स्तर पर आयोजित किये जाने वाले विशेष प्रशिक्षण/कार्यशाला/गोष्ठी

- प्रधानाध्यापकों में विद्यालय प्रबन्धन शैक्षिक, गतिविधियों के संचालन के प्रति प्रेरणा एवं दक्षता विकसित करने के लिए बी0आर0सी0 स्तर पर 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। इस हेतु दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित किये जा रहे प्रशिक्षण माड्यूल का सहयोग लिया जायगा।
- प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत उन उर्दू अध्यापकों को 04 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जिनके विद्यालय में उर्दू भाषी बच्चों की संख्या पर्याप्त होगी। इस प्रशिक्षण को डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा।
- 20 वर्षो से अधिक अध्यापन अनुभव रखने वाले शिक्षकों के लिए अलग से 4 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। जिसमें विषयों में समाहित नवीन विषय–वस्तुओं की जानकारी एवं बालकेन्द्रित शिक्षण विधा शामिल होगी। यह प्रशिक्षण बी0आर0 सी0 पर आयोजित होगा।
- हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडियट स्तर तक की ही शैक्षिक योग्यता रखने वाले शिक्षकों को विषय–वस्तु सम्बन्धी नवीन जानकारी बढ़ाने के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा।
- शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चो को सामान्य बच्चों के साथ समेकित शिक्षा प्रदान करने के लिए बी0आर0सी0 स्तर पर 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।
- एन0पी0आर0सी0 स्तर पर वर्तनी एवं सुलेख हेतु एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी। जिसमें सभी शिक्षकों की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी।
- बाल अखबार को विद्यालयीय क्रियाकलाप का अंग बनाने के लिए एन0पी0आर0सी0 स्तर पर शिक्षकों एवं बच्चों की दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी। बच्चों से तात्पर्य प्रत्येक विद्यालय से कम से कम 03 बच्चों का है जो कक्षा 3,4,5 में अध्ययनरत होंगे।
- कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बन्धी 02 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।
- एन0पी0आर0सी0 स्तर पर वर्तनी, सुलेख, वाद–विवाद, बाल अखबार, क्विज गणितोत्सव एवं विषयवार सम्प्राप्ति सम्बन्धी एक दिवसीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जायेगा। ये प्रतियोगिताएँ शिक्षकों के लिए अलग से आयोजित की जायेंगी, जो आदर्शपाठ, शैक्षिक कठिनाइयाँ एवं समाधान आदि मुद्दों पर आधारित होंगी।सुन्दर भौतिक परिवेश एवं बेहतर शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर वाले विद्यालयों के अवलोकन एवं कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के अनुभवों के आदान–प्रदान द्वारा सभी विद्यालयों को पहुँचाने के दृष्टि से शैक्षिक भ्रमण एक कारगर उपाय है।

अतएव प्रधानाध्यापकों का अच्छे विद्यालयों के अवलोकन हेतु न्याय पंचायत एव ब्लाक स्तर पर एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे और तदुपरान्त उसे शैक्षिक गोष्ठी में परिवर्तन किया जायेगा। जिसके द्वारा उन उपायों/कारणों को उभारा जायेगा जो उनके विद्यालयों को अच्छा/खराब बनाते हैं।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित माड्यूलों/आडियो/वीडियो कैसेट का उपयोग बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0/डायट स्तर पर आयोजित प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं में किया जायेगा।

2-(ख) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षको के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्य योजना-

जनपद महराजगंज में वर्ष 1997 से डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षकों के लिए तीन चक्रों का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं विविध प्रकार की कार्यशालाएँ, गोष्ठियों का आयोजन भी किया गया है। अब चूँकि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय भी शामिल कर लिए गये हैं। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार सेवारत प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ एवं गोष्ठियाँ वर्षवार आयोजित की जायेंगी।

(i) विजनिंग कार्यशाला (वर्ष 2003-04):-

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों/उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापकों का डायट स्तर पर चार दिवसीय विजनिंग कार्यशाला आयोजित की जायेगी। जिसमें बच्चा, शिक्षक, समुदाय, शिक्षण विधा, विद्यालय,कक्षा, संसाधन सहयोग एवं बालिका शिक्षा जैसी बिन्दुओं को लेकर समान अन्तर्दृष्टि विकसित की जायेगी, क्योंकि प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्ति हेतु समान विजन का होना अनिवार्य है।

(ii) प्रशिक्षण कार्य योजना (वर्ष 2003-04):-

उच्च प्राथमिक विद्यलायों में कार्यरत शिक्षको के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अभिप्रेरण प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें 11 से 14 वय वर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं को अनिवार्य रूप से गुणात्मक शिक्षा की आवश्यकता पर बल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आयु सीमा 11-18 रहेगी। बच्चे, शिक्षक सीखने की प्रक्रिया, बालिका शिक्षा की अपरिहार्यता समेकित शिक्षा तथा विद्यालय के समग्र उन्नयन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी बिन्दु शामिल किये जायेंगे। यह प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित होगा। यह प्रशिक्षण 06 दिवसीय होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण विधा के अतिरिक्त विषय वस्तु। पाठ्य सामग्री की समझ महत्वपूर्ण होती है।

अतएव सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त शिक्षकों को विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि मूल्यांकन जैसे- बिन्दुओं के आधार पर 06 दिवसीय प्रशिक्षण फेरा बीर0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। जिसमे कम से कम दो दिन पाठयोजना निर्माण एवं कक्षा शिक्षण अभ्यास पर बल दिया जायगा।

चूँकि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्रा0 वि0 में कार्यरत शिक्षको को भी प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान रू0 500 टी0एल0एम0 निर्माण एवं प्रयोग हेतु दिया जाना प्रस्तावित है।

अतएव बी0आर0सी0 स्तर पर विषय वस्तु आधारित टी0एल0एम0 निर्माण एवं प्रयोग सम्बन्धी तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायगी।

o बी0आर0सी0 स्तर आयोजित मासिक बैठको में से कम से कम 05 में बारी क्रम में कार्यरत शिक्षकों की प्रतिमाणिता सुनिश्चित की जायगी। यह बैठकें बी0आर0सी0/डायट द्वारा तैयार एजेण्डा बिन्दुओ/अनुश्रवण बिन्दुओं के आधार पर तैयार की जायेगी।

(iii) प्रशिक्षण कार्य योजना (वर्ष 2003–04):–

oसर्व शिक्षा अभियान के दूसरे वर्ष में गणित विषयवस्तु आधारित 08 दिवसीय प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इसमें गणित विषय के पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधा, मूल्यांकन एवं शिक्षण अभ्यास (आदर्श पाठ) की प्रस्तुती को शामिल किया जायेगा।

परम्परागत परीक्षा प्रणाली की एकांगता को देखते हुए इसके स्थान पर बी0आर0सी0 स्तर पर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाने के लिए 04 दिवसीय सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसके अन्तिम दो दिनो मे विषय वार प्रश्नावली निर्माण की दक्षता विकसित की जायगी। इसके अन्तर्गत वस्तुनिष्ठ, बोधात्मक तथा अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों का निर्माण का कौशल भी विकसित किया जायेगा।

o बी0आर0सी0 स्तर पर गणित–विज्ञान मेला आयोजित किया जायेगा। जिसमे क्विज गणितोत्सव, विज्ञान शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन तथा दोनों विषयों के आदर्श पाठों की प्रस्तुती प्रतियोगात्मक होगी। इनमें समस्त शिक्षकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

- o बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित 05 मासिक बैठको में बारीक्रम से सभी शिक्षको की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी जिसमें अनुभवो का आदान–प्रदान, शैक्षिक कठिनाईयों का समाधान और निपुण शिक्षकों द्वारा विषयों में अदर्श पाने का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

- o

(iv) चतुर्थ वर्ष के लिए प्रक्षिण कार्य योजना (वर्ष 2004–05):–

हिन्दी भाषा शिक्षण में उच्च प्राथमिक स्तर पर हिन्दी की विविध विधाओं को ध्यान में रखकर करने की अपेक्षा होती है क्योंकि इस स्तर पर साहित्यिक विधाओं का परिचय एवं उनकी विशेषताओं का बोध भी कराया जाता है।

अतएव सर्व शिक्षा अभियान के तीसरे वर्ष में हिन्दी भाषा शिक्षण आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। इसके लिए बच्चों के अन्दर साहित्यिक अभिरूचि के विकास रसास्वादन एवं सृजनात्मक शक्ति के विकास का लक्ष्य रखकर शिक्षकों में अपेक्षित दक्षता का विकास हेतु प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया जायेगा।

oउच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों में पठन अभिरूचि को विकसित करने के लिए स्वअधिगम की प्रवृत्ति के विकास तथा श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के रसास्वादन के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास एवं प्रशिक्षण आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव बी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री आधारित 04 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

• बी0आर0सी0 / एन0आर0सी0 स्तर पर 03 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायगी जिसमे कविता, कहानी, यात्रावृतान्त, संस्मरण, पत्रलेखन, निबन्ध आदि विधाओं की रचना के साथ-साथ हिन्दी व्याकरण सम्बन्धी दक्षताओं के विकास आधारित विषय वस्तु शामिल होगी। कार्यशाला के अन्तिम दिन इन्हीं बिन्दुओं पर प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।

• मासिक बैठकों का कार्यशाला में परिवर्तित कर पूर्व में प्रदान किये गये प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं में बनी सहमतियों को विद्यालय एवं कक्षा में लागू करते समय शिक्षकों की अनुभूत कठिनाईयों एवं उनके समाधान को आधार बनाया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षणों के पुर्नावलोकन को भी अवसर दिया जायेगा। इन मासिक बैठकों / कार्यशालाओं में से किन्ही 05 में बारी क्रम से शिक्षको की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

(V) पंचम वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्ययोजना (वर्ष 2005-06):-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत चौथे वर्ष संस्कृत तथा अंग्रेजी की विषयवस्तु आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण फेरे आयोजित किये जायेंगे। जिसमें पाठ्यक्रम एवं पाठों की प्रस्तुती, पाठ योजना निर्माण एवं शिक्षण विधा को शामिल किया जायेगा।

• उच्च प्राथमिक स्तर पर भी प्रत्येक कक्षा में सम्प्राप्ति स्तर की दृष्टि से कई स्तर के बच्चे होते हैं परन्तु सीखने की दृष्टि से पिछड़े बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण, तेज बच्चों की मदद अतिरिक्त कक्षा शिक्षण की व्यवस्था नहीं है।

अतएव सीखने के दृष्टि से कमजोर बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण संबंधी दक्षता विकास हेतु बी0आर0सी0 स्तर पर 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

• स्थानीय महत्व की चीजों-लोकगीत, लोक कथा, लोक नृत्य, ऐतिहासिक ईमारत, स्थल, धार्मिक स्थल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कारगिल शहीदों के जीवनवृन्त, समाज सेवी आदि संबधी सामग्री चयन एवं विकास की बी0आर0सी0 स्तर पर 03 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी तदुपरान्त विकसित साहित्य / सामग्री का अनुपूरक अध्याय सामग्री के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

• एन0पी0आर0सी0 / बी0आर0सी.0 स्तर पर बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाओं में कराये गये कक्षा कार्य एवं गृह कार्य की समुचित व नियमित जाँच तथा संशोधन के तरीकों की जानकारी कराने हेतु 02 दिवसीय कार्यशाला / प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

इसमें पाठ के साथ दिये गये विविध प्रश्न-अभ्यासों को शिक्षण प्रक्रिया का अंग बनाने का कौशल भी विकसित किया जायेगा।

• बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित मासिक बैठको को कार्यशाला / प्रशिक्षण का रूप देकर कम से कम 05 बैठको में समस्त शिक्षकों की बारी क्रम मे प्रतिभागिता करायी जायगी। ये कार्यशालाएँ अनुश्रवण के दौरान उभरे शैक्षिक बिन्दुओं अनुभवों के आदान-प्रदान तथा कार्यक्रमो के पुर्नबलन हेतु निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में आयोजित की जायेगी।

(vi) षष्टम् वर्ष की प्रशिक्षण कार्य योजना (वर्ष 2006-07):-

सर्व शिक्षा अभियान के पाँचवे वर्ष में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु एवं शिक्षण विधा आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण बी0आर0सी.0 स्तर पर आयोजित किये

जायेगे। जिसमें इन विषयों के शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए टी0एल0एम0 के प्रयोग पर भी बल दिया जायगा।

- बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कला, कृषि एवं हस्त शिल्प (स्थानीय शिल्प) पर आधारित होंगे। जिसमे समुदाय के हुनरमन्द लोगो का सहयोग लिया जायगा।

- सर्व शिक्षा अभियान के पाँचवे वर्ष मे पुनःजेण्डर सेंसटाइजेशन, सामुदायिक सहयोग नामांकन, ठहराव जैसे मुद्दो पर अभिप्रेरण एवं विज्ञान तथा गणित विषयों पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर 06 दिवसीय होगा।

- बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकों को प्रशिक्षण/कार्यशाला का रूप देते हुए निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं के आधार पर आयोजित किया जायेगा। जिसमे से कम से कम 05 बैठकों में पूर्व की भाँति सभी शिक्षकों की प्रतिभागिता वारी क्रम में सुनिश्चित की जायेगी।

(vi) <u>उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विशेष प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ/गोष्ठियाँ</u>

- <u>बाल अखबार विकास कार्यशाला:-</u>

स्वतंत्र अभिव्यक्ति स्वतंत्र चिन्तन, स्वअधिगम तथा स्वाध्याय की प्रवृत्ति के विकास में बाल अखबार की प्रभावी भूमिका को देखते हुए बी0आर0सी0 स्तर पर 02 दिवसीय बाल अखबार विकास सम्बंधी कार्यशाला आयोजित की जायेगी। जिसमें सामग्री चयन, सम्पाद एवं अखवार के रूप में प्रस्तुतीकरण में बच्चों एवं शिक्षकों में दक्षता विकसित करने का लक्ष्य रहेगा। इस कार्यशाला में समस्त एन0पी0आर0सी0 प्रभारी एवं प्रधानाध्यापक तथा प्रत्येक विघालय से 2-2 बच्चों को शामिल किया जायेगा।

- <u>नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण:-</u>

लक्ष्य प्राप्ति के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्राधानाध्यापकों के अन्दर कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास करना अनिवार्य है। विद्यालय प्रबन्धन, कार्यो, व्यवस्थाओं का विकेन्द्रिकरण, समय-सारिणी का अनुपालन, पाठ्यक्रम का समयबद्व बँटवारा एवं शिक्षण कराना विद्यालयीय अभिलेखों का रख-रखाव, सामुदायिक सहयोग प्राप्त करना आदि में प्रधानाध्यापक का कुशल नेतृत्व निर्विवाद रूप से अच्छा परिणाम देता है।

अतएव बी0आर0सी0 स्तर पर 03 दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

- कम्प्यूटर के तकनीकी उपयोग सम्वन्धी प्रशिक्षण-

दैनिक जीवन में कम्प्यूटर के दिनों दिन बढ़ते उपयोग को देखते हुए उच्च प्राथमिक स्तर से ही इसकी सामान्य जानकारी सम्बन्धी प्रशिक्षण का आयोजन पहले डायट स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दिया जायगा। अगले चरण में प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षक को बी0आर0सी0 स्तर पर इस प्रशिक्षण में शामिल किया जायेगा। इससे सूचनाओं के आदान-प्रदान, रख-रखाव तथा बच्चों को कम्प्यूटर सम्बन्धी सामान्य जानकारी देने में मदद मिलेगी।

- समेकित शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण:-

उच्च प्राथमिक स्तर पर भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए शिक्षको का प्रशिक्षण बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 05 दिवसीय आयोजित किया जायेगा। इसके मुख्य बिन्दु कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों की पहचान एवं उनके लिए शिक्षण के दौरान बरती जाने वाली विशेष क्रियाकलापों/शिक्षण विधियों की दक्षता विकसित की जायेगी।

डायट स्तर पर आयोजित अन्य प्रशिक्षण/कार्यशाला/गोष्ठी

जनपद महराजगंज के प्राथमिक विद्यालयों उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के संवारत प्रशिक्षणों के आयोजन–नियोजन तथा अकादमिक सपोर्ट प्रदान करने के अलावा उनके क्रियान्वयन का दायित्व भी डायट का होगा। इस कार्य में बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 उसकी सहयोगी संस्थाएं होगी उक्त सेवारत प्रशिक्षणों के अतिरिक्त डायट द्वारा निम्नांकित प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ आयोजित की जायेगी–

(i) ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण:–

यद्यपि जनपद की 704 वी0ई0सी0 का 03 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ष 1990–99 में पूरे किये जा चुके हैं। तथापि पिछले वर्षग्राम पचांयत के निर्वाचन के फलस्वरूप नयी ग्राम पचांयतें अस्तित्व मे आ चुकी है और कार्य कर रही है। ऐसी दशा में सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों/उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वी0ई0सी0 की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्यता को देखते हुए उनका सहयोग प्राप्त करने की नये सिरे से वी0ई0सी0 के सदस्यों का 03 दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम पचायत स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए डायट स्तर पर डी0आर0जी0 तथा बी0आर0जी0 का 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन किया जायेगा।

(ii) बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 का प्रशिक्षण:–

यद्यपि बी0 आर0 सी0 एवं एन पी0 आर0 सी0 को उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व सम्बंधी/आधार भूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्रदान किया जा चुका है। तथापि समन्वयकों के कार्य एवं उत्तर दायित्व क्षेत्र में 6–14 वय वर्ग के समस्त बच्चो के आ जाने के कारण इन्हें क्षमता वृद्धि के लिए आधारभूत प्रशिक्षण पुन: प्रदान किया जाना जरूरी है। इस प्रकार अब बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को उ0 प्राथमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथ कालेजों से सम्बंध कक्षा 6–8 में पढ़ने–पढ़ाने वाले बच्चों/शिक्षकों के लिए अकादमिक सपोर्ट प्रदान करना है।

यह प्रशिक्षण 5 दिवसीय होगा और डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य की प्रकृति और चुनौती को शामिल किया जायेगा। यह प्रत्येक तीन वर्ष पर आयोजित किया जायेगा।

(iii) वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम:–

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ए0एस0/ए0आई0ई0 चयनित आचार्य जी, गुरू जी एवं दीदी जी का 30 दिवसीय आधाभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायगा। प्रत्येक वर्ष 15 दिन का इन्हें पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

(iv) ई0सी0सी0ई0 केन्द्र के कार्यकत्रियों/सहायिकाओं का प्रशिक्षण:–

छोटे भाई–बहनों की देख–रेख के कारण कुछ बच्चे प्राथमिक शिक्षा से कुछ वंचित रह जाते हैं। जिनके लिए जनपद महराजगंज के चार विकास खण्डों में 150 शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गयी हैं। भविष्य में सभी विकास खण्डों में इसका संचालन प्रस्तावित है। इन केन्द्रों के संचालन का दायित्व आँगनबाणी केन्द्र की कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को सौंपा जायेगा।

अतएव इन कार्यकत्रियों/सहायिकाओ को डायट स्तर पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिसे 2 वर्ष बाद पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण के रूप में पुनः आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु होंगे:–

o स्कूल रेडीनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करना, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण करना, 3 से 6 वय वर्ग के बच्चो के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि।

(v) शिक्षा मित्र प्रशिक्षण:–

छात्र– शिक्षक अनुपात एवं शिक्षकों में रिक्त पदों के प्रति आवश्यकतानुसार शिक्षामित्रों की नियुक्ति की प्रक्रिया निरन्तर चल रही है। ऐसी दशा में जनपद के शिक्षा मित्रों के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इन्हें प्रतिवर्ष सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा मित्र के लिए हर वर्ष 15 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण अलग से आयोजित किये जायेंगे ।

(vi) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रतिउप विद्यालय निरीक्षकों का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ए0बी0सी0ए0/एस0डी0आई0 ब्लाक परियोजना अधिकारी के रूप में कार्यक्रम के संचालनकर्ता होगें। इसलिए इन्हे सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों, कार्यक्रमों की विशिष्टताओं की सम्यक जानकारी एवं कार्यक्रम संचालन की क्षमता वृद्धि हेतु अभिमुखीकरण प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा।यह प्रशिक्षण 05 दिवसीय होगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार होंगे–

कार्यक्रम का अनुश्रवण, प्रशासनीय नियंत्रण, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, कालजों से सम्बन्ध कक्षा 6–7 एवं 8 में गुणवत्ता परक शिक्षा व्यवस्था, बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0/ए0एस0 तथा ए0आई0ई0 केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि।

(vii) जिला परियोजना तथा डायट अभिकर्मियों का प्रशिक्षण:–

सर्व शिक्षा अभियान योजना के सफल सचालन एवं क्रियान्वयन में जिला परियोजना कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका कों देखते हुए डायट स्तर पर डायट अभिकर्मियों के साथ 04 दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व बोध, कार्यक्रम क्रियान्वयन के तरीकों तथा परस्पर समन्वय जैसे बिन्दुओं को शामिल किया जायेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, परामर्शी, अभियन्ताओं आदि के गुणात्मक कार्य के पर्यवेक्षण संबंधी कार्यो का प्रशिक्षण प्रदत्त किया जायेगा।

(viii) समेकित शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान तथा उनके साथ उपयुक्त ढंग से कार्य प्रभावी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की दृष्टि से पर्यवेक्षण/अनुश्रवण से जुड़े अभिकर्मियों का 03 दिवसीय प्रशिक्षण डायट पर आयोजित किया जायेगा।

(ix) श्रेणी सुधार सम्बन्धित कार्यशाला/प्रशिक्षण :-

एन0पी0आर0सी0/बी0आर0सी0 का श्रेणीकरण प्रतिमाह किया जाता है। स तथा द श्रेणी के संकुलों तथा बी0आर0सी0 के प्रभारियों को मासिक बैठकों तथा अन्य अवसरों पर यह बताया जाता है कि वे किसप्रकार वे अपने संकुलों के श्रेणी में सुधार लायें। पर्यवेक्षण के समय यह बात ज्ञात हुई कि प्रभारियों को यह पता नहीं है कि वे शैक्षिक कठिनाइयों/समस्याओं को प्राथमिकता के कम में हल करने में किसप्रकार नियोजन/आयोजन करें। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 प्रभारियों, सहायक बेसिक अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

(x) प्रशिक्षकों की चयन प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों को सचालित किये जाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की जरूरत होगी। इसके लिए डी0पी0ई0 की भाँति पहले ब्लॉक स्तर फिर जनपद स्तर पर लिखित, मौखिक एवं कार्यशाला कराकर प्रतिभागियों की विषय वस्तु शिक्षण विधा, शैक्षिक मुद्दों, गतिविधियों की जानकारी एवं समझ का मूल्यांकन किया जायेगा। ब्लाकवार उपयुक्त पाये प्रतिभागियों को चिन्हित कर प्रशिक्षण कराया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान कार्यक्रम में रूचि, क्षमता, सोच, प्रतिभागिता आदि बिन्दु के आधार पर मूल्यांकन करके उपयुक्त पाये जाने गये प्रतिभागियों को प्रशिक्षक का कार्य-दायित्व सौंपा जायेगा। इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से सचालित करने के लिए वाह्य विशेषज्ञों की मदद भी ली जायेगी। प्रत्येक ब्लाक के लिए कम से कम 05 प्रशिक्षकों की यथासम्भव चयन किया जायेगा।

कार्यशाला एवं गोष्ठियों का आयोजन:-

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालाएँ एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान समय में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत संकुल तथा बी0आर0सी0 स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यत: केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की मासिक गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन0पी0आर0सी0/बी0आर0सी0 की सहायता की जायेगी। यह कार्यक्रम मुख्यत: शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण इत्यादि बिन्दुओं पर आधारित होगा।

डायट स्तर परनिम्नांकित विषयों पर कार्यशालाओं एवं गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी-

(1) अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण के पश्चात सम्बन्धित शिक्षकों के साथ गोष्ठी।

(2) बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर के परीक्षण।

(3) छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टूल्स/परीक्षण प्रपत्र का निर्माण।

(4) स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए गीत, चित्र–कथा व कविता का संकलन।

(5) विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास।

(6) गणित शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास।

(7) आंग्ल भाषा के कक्षावार अभ्यास पुस्तिका का विकास करना।

(8) उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए शिक्षण कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से चिहि्नत विषय वस्तुओं के आधार पर छोटी–छोटी शिक्षक हस्त पुस्तिकाओं का विकास।

<u>शिक्षण अधिगम सामग्री का विकासः–</u>

यद्यपि डायट स्तर पर शिक्षकों के सहयोग से टी0एल0एम0 निर्माण एवं उसके द्वारा टी0एल0एम0 कक्ष का विकास का प्रयास किया गया है, परन्तु इस दिशा में अभी और प्रयास किया जाना है अतः सर्वप्रथम विषय वस्तु आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास जनपद के कुशल शिक्षकों के सहभागिता के आधार पर किया जायेगा। इसके माध्यम से ऐसे टी0एल0एल0 कक्ष का विकास में किया जायेगा जिसके द्वारा विविध प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, गोष्ठियों में प्रतिभाग हेतु आने पर उनसे सीखने का अवसर प्रदान किया जा सके। इसी क्रम में बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर टी0एल0एम0 निर्माण का कार्य करने हेतु इस क्षेत्र में विशेष अनुभवी शिक्षकों की मदद ली जायेगी।

डी0पी0ई0पी0 के अर्न्तगत रु0 500/प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान के रूप में दिया जा रहा था। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षक आवश्यकतानुसार शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करके कक्षा में प्रयोग करेंगे। इससे शिक्षक कच्ची सामग्री व बनी–बनायी सामग्री क्रय कर सकते हैं। विज्ञान और गणित विषयक बहुत सी सामग्रियाँ सीधे बाजार से क्रय करके प्रयोग की जा सकती हैं।

पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं विषय आधारित सामग्रियों का निर्माण शिक्षक अनुदान राशि से कराया जाना अधिक उपयोगी एवं आवश्यक है। इस दृष्टि से सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष 500/रु0 शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान/गणित किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा।

टी0एल0एम0 के विकास एवं शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पैदा करने के लिए मैटिरियल मेले, विज्ञान प्रदर्शनी एवं आदर्श कक्षा शिक्षक आदि कार्य कराये जायेंगे।

संकुल स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। इसके पश्चात जिला स्तर पर डायट में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। जिससे जनपद के शिक्षकों का इस दिशा में क्षमता सम्वर्धन हो सके। प्रत्येक बी0आर0सी को रू0 5000/– प्रति वर्ष तथा संकुल को रू0 1000/– प्रति वर्ष टी0एल0एम0. के निर्माण हेतु धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है। जो गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।

पाठ्य सामग्री का विकासः–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्य पुस्तकों को जुलाई, 2000 से प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया है। इन पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक होता रहेगा। इसके पश्चात् एस0सी0ई0आर.टी0, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों का यथा आवश्यक संशोधन किये जाने पर उसके अनुरूप पाठ्य पुस्तकें विकसित करने की व्यवस्था सर्वशिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत की जायेगी।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित 'शिक्षक संदर्शिकायें' विकसित की गयी हैं। जिसे सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर 1 सट उपलब्ध कराया गया हैं।

प्राथमिक कक्षाओं (1 से 5 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम डी0पी0ई0पी0 द्वारा जुलाई, 99 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6 से 8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर एस0सी0ई0आर0टी0 के द्वारा नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास विशिष्ठ संस्थानों, शिक्षकों, विशेषज्ञों एवं राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों द्वारा किया गया है। जिनका क्षेत्र परीक्षण वर्ष 2001–02 में होने के उपरान्त शैक्षिक सत्र 2002–03 से लागू किया जाना है। साथ ही साथ इन नवीन पाठ्य–पुस्तकों का कक्षा–शिक्षण में बेहतर उपयोग हेतु शिक्षक संदर्शिकाओं का विकास किया जा रहा है। जिन्हें शिक्षकों के लिए प्रत्येक उच्च विद्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी।

अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकासः–

जनपद के विशेष प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों, धार्मिक–ऐतिहासिक स्थलों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की विशिष्टता के बारे में विचार सामग्री संकलन हेतु एक गोष्ठी आयोजित की जायेगी। इसमें उभर कर आये बिन्दुओं/मुद्दों के आधार पर परिवेश आधारित अनुपूरक अध्ययन सामग्री प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों के विद्यालयों के लिए विकसित की जायेगी और उसको विद्यालय स्तर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जायेगी। यह अनुपूरक अध्ययन सामग्री प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों के विद्यालयों के लिए अलग–अलग तैयार की जायेगी।

डायट में स्थानीय संदर्भ आधारित पाठ्यक्रम विकसित किये जाने की जरूरत है। इस पाठ्यक्रम के आधार पर जनपद की आवश्यकता एवं विशिष्टता को ध्यान में रखकर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास जनपद स्तर पर किया जायेगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संदर्भ व्यक्ति की पहचान एवं अन्य स्थानों से (राज्य एवं जनपद)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्य पुस्तकों को जुलाई, 2000 से प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया है। इन पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक होता रहेगा। इसके पश्चात् एस0सी0ई0आर.टी0, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों का यथा आवश्यक संशोधन किये जाने पर उसके अनुरूप पाठ्य पुस्तकें विकसित करने की व्यवस्था सर्वशिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत की जायेगी।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षक संदर्शिकायें विकसित की गयी हैं। जिसे सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर 1 सेट उपलब्ध कराया गया है।

प्राथमिक कक्षाओं (1 से 5 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम डी0पी0ई0पी0 द्वारा जुलाई, 99 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6 से 8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर एस0सी0ई0आर0टी0 के द्वारा नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास विशिष्ठ संस्थानों, शिक्षकों, विशेषज्ञों एवं राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों द्वारा किया गया है। जिनका क्षेत्र परीक्षण वर्ष 2001–02 में होने के उपरान्त शैक्षिक सत्र 2002–03 से लागू किया जाना है। साथ ही साथ इन नवीन पाठ्य–पुस्तकों का कक्षा–शिक्षण में बेहतर उपयोग हेतु शिक्षक संदर्शिकाओं का विकास किया जा रहा है। जिन्हें शिक्षकों के लिए प्रत्येक उच्च विद्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी।

अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकासः–

जनपद के विशेष प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों, धार्मिक–ऐतिहासिक स्थलों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की विशिष्टता के बारे में विचार सामग्री संकलन हेतु एक गोष्ठी आयोजित की जायेगी। इसमें उभर कर आये बिन्दुओं/मुद्दों के आधार पर परिवेश आधारित अनुपूरक अध्ययन सामग्री प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों के विद्यालयों के लिए विकसित की जायेगी और उसको विद्यालय स्तर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जायेगी। यह अनुपूरक अध्ययन सामग्री प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों के विद्यालयों के लिए अलग–अलग तैयार की जायेगी।

डायट में स्थानीय संदर्भ आधारित पाठ्यक्रम विकसित किये जाने की जरूरत है। इस पाठ्यक्रम के आधार पर जनपद की आवश्यकता एवं विशिष्टता को ध्यान में रखकर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास जनपद स्तर पर किया जायेगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संदर्भ व्यक्ति की पहचान एवं अन्य स्थानों से (राज्य एवं जनपद)

विशेषज्ञ एवं संदर्भ व्यक्तियों को बुलाया जायेगा। इसके लिए कई चक्रों में व अनुपूरक अध्ययन सामग्री के विकास हेतु कार्यशाला आयोजित की जायेगी। सामग्री का मुद्रण एवं वितरण किया जायेगा।

प्रशिक्षण साहित्य का विकासः–

डी0पी0ई0पी0 के तहत प्रशिक्षण साहित्य का विकास राज्य स्तर से तैयार कर प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाता रहा है। यद्यपि तृतीय चक्र सेवारत प्रशिक्षण साहित्य विकास के पूर्व डायट स्तर पर इसे विकसित करने की योजना थी जिसे अमल में लाया जाना शेष है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रशिक्षण साहित्य का विकास डायट स्तर पर किया जायेगा। इसके लिए बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0/डायट के अभिकर्मियों द्वारा पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, प्रशिक्षण, कार्यशाला, गोष्ठियों में उभरे एवं प्रकाश में आयी शिक्षकों एवं बच्चों की कठिनाइयों को आधार बनाया जायेगा। साथ ही साथ समुदाय एवं शिक्षकों की माँग को भी प्रशिक्षण साहित्य में स्थान दिया जायेगा।

–सर्वप्रथम किसी एक विषय के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रशिक्षण साहित्य तैयार किया जायेगा। फिर उसका क्षेत्र प्रशिक्षण किया जायेगा। उसके पश्चात् आवश्यक संशोधन/परिवर्तन कर उस पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। वास्तव में यह प्रशिक्षण साहित्य को तैयार करने के पूर्व की तैयारी होगी।

– प्रशिक्षण साहित्य तैयार करने में स्थानीय संदर्भ व्यक्तियों के साथ–साथ राज्य तथा अन्य जनपदों से संदर्भ व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार सहयोग हेतु जोड़ा जायेगा।

– प्रशिक्षण मुद्दों एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। आवश्यकता एवं सहमति के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त चिन्हित शिक्षकों अथवा स्वयं सेवी संगठन के लोगों को जोड़कर प्रशिक्षण साहित्य विकसित किया जायेगा। पुनः क्षेत्र परीक्षण एवं आवश्यतानुसार सुधार किया जायेगा। जिसे मुद्रित कराकर वितरीत किया जायेगा।

- प्रशिक्षण साहित्य के कुछ मुद्दे इस प्रकार हो सकते हैं–
- अभ्यास प्रश्नों को हल करना।
- जाँच का उद्देश्य गलतियाँ पकड़ना नहीं अपितु सुधार हेतु बच्चों को सहयोग प्रदान करना ।
- सुलेख, समय सारिणी का प्रयोग, उपस्थिति एवं ठहराव में सुधार।
- पाठ्यक्रम मासिक बँटवारे के अनुसार शिक्षण कार्य पूरा करना।
- संसाधनों का समुचित उपयोग।

बच्चों के लिए सामग्री विकास/पुस्तकालयः–

विषय वस्तु व शिक्षण विधा से जुड़ी पुस्तकें क्रय की जायेंगी। पुस्तकों के क्रय के लिए एक कोर टीम का होना आवश्यक है। जिसमें शिक्षक, बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, जिला समन्वयक (प्रशि0) वरिष्ठ प्रवक्ता, प्रवक्ता (डायट) होंगे। यह समिति पुस्तकों के चयन के लिए अधिकृत होगी।

डायट के साथ–साथ बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 पुस्तकालय का भी सुदृढ़ीकरण किये जाने की जरूरत है।

<u>नवाचार कार्यक्रम</u> -

विभिन्न गाँवों के जनसमुदाय जिसमें ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल न जाने वाले बच्चे के अभिभावक, व्यवसाय करने वाले बच्चों के अभिभावक, ग्राम प्रधान, संकुल प्रभारी, उच्च प्रा0वि0 के अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों के साथ ग्रुप डिस्कसन किया गया। यह तथ्य उभर कर आया कि जो बच्चे अपने व्यवसाय में संलग्न होने के कारण विद्यालय नहीं जाते हैं या जिन्होंने प्राथमिक स्तर की पढ़ायी पूर्ण कर विद्यालय जाना बंद कर दिया है, उन्हें पुनः विद्यालय में लाने के लिए, ठहराव बनाये रखने तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु कौशल विकास में दक्ष करने के लिए कार्यानुभव प्रशिक्षण बहुत प्रभावशाली होगा। इसी प्रकार यदि लड़कियों को उनकी इच्छानुसार फैशन डिजाइनिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फूड प्रिजर्वेशन आदि का प्रशिक्षण दिया जाये तो उनका उच्च प्रा0 स्तर पर विद्यालयों में ठहराव बनाये रखने में सहायता मिलेगी।

बालिकाओं के लिए कार्यनुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित कराया जायेगा। इस हेतु जनपद के सभी विकास खण्डों में तीन-तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों/ कन्या उच्च प्रा0वि0 को चिन्हित किया जायेगा। इस कार्य में स्थानीय आवश्यकता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार नियोजित किया जायेगा कि एक बार विद्यालय में कच्ची सामग्री उपलब्ध करा दी जायेगी। इस कच्ची सामग्री से जो सामग्री तैयार होगी उसका विक्रय मूल्य प्राप्त करके बचत राशि में से कुछ अंश बालक-बालिकाओं को पारिश्रमिक के रूप में प्रदान किया जायेगा तथा मूल धनराशि से पुनः कच्चा माल खरीद लिया जायेगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया निरन्तर बिना किसी अतिरिक्त बोझ के चलती रहेगी। उक्त कार्यानुभव प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र की आवश्यकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालय में लागू किया जायेगा।

<u>बच्चों की सम्प्राप्ति का मूल्यांकन (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर):-</u> प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर बच्चों के सम्प्राप्ति का मूल्यांकन परियोजना अवधि में तीन बार में किया जायेगा। इस कार्यकम का उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करना एवं रणनीतियां बनाना है। शिक्षकों, संकुल प्रभारियों, समन्वयकों एवं डायट प्रभारियों को अनुश्रवण अनुसमर्थन हेतु भी यह मूल्यांकन लाभदायी होगा।

शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण:-

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्रभावी शैक्षिक सहयोग प्रदान करने के लिए डायट, बी0आर0सी0व एन0पी0आर0सी0 की स्थापना की गयी है। तीनों ही अभिकरण विद्यालयों व शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग व अनुसमर्थन देते रहे है। डायट द्वारा जहाँ जनपद स्तर पर शैक्षिक सहयोग, पर्यवेक्षण और प्रभावी अनुश्रवण हेतु विभिन्न प्रकार की कार्यशालायें, गोष्ठियाँ एवं प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं, वहीं बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 जो विद्यालयों और शिक्षकों से अधिक निकट से जुड़े हैं पर भी ऐसे कार्यक्रमों का किये जाने हैं चूँकि बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0, विद्यालय व शिक्षकों के अधिक करीब हैं अतः यह निर्विवाद सत्य है कि ये शिक्षकों, बच्चों एवं विद्यालयों को बेहतर शैक्षिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इसके लिये जरूरी हैं कि इन्हें भी निरन्तर आवश्यकता के क्षेत्र में दक्षता विकास के लिए मदद मिलती रहे। वास्तविक रूप में डायट का एक महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 को सहयोग प्रदान करना है जिससे वे विद्यालय बच्चों व शिक्षकों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने की

दिशा में सकारात्मक भूमिका अदा कर सकें। इस प्रकार जो शैक्षिक नेतृत्व डायट जनपद स्तर पर प्रदान करता है वही शैक्षिक नेतृत्व बी0आर0सी0 ब्लाक स्तर पर तथा एन0पी0आर0सी0 न्याय पंचायत स्तर पर करते हैं।

इस तरह डायट, बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 की जनपद, ब्लाक एवं संकुल स्तर पर सम्मिलित भूमिका है। इसे निम्नांकित फ्लोचार्ट द्वारा आसानी से जाना जा सकता है–

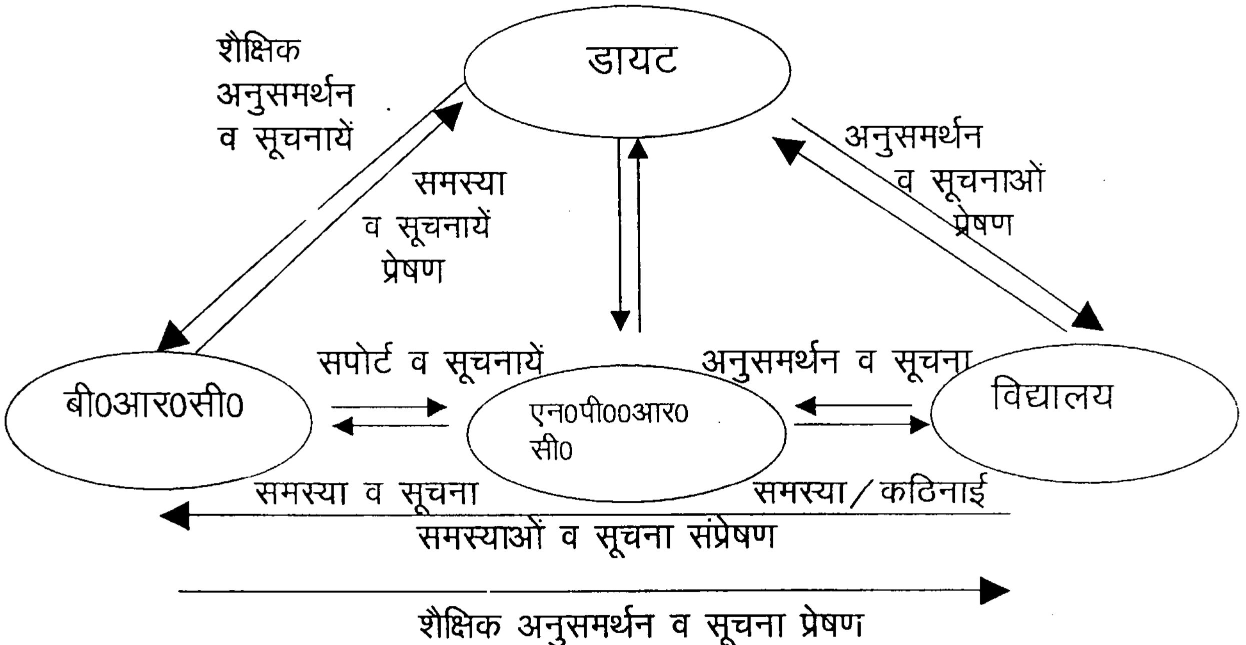

डायट, बी0आर0सी0,एन0पी0आर0सी0 तथा विद्यालयों के अन्तः प्रतिकिया का रेखाचित्र

विद्यालयों का शैक्षिक दृष्टि से उन्नयन करते हुए बच्चों में गुणवत्तापरक शैक्षिक सम्प्राप्ति हेतु डायट, बी0आर0सी0 और एन0पी0आर0सी0 की समेकित भूमिका है। तीनों स्तरों से आवश्यकतानुसार विद्यालय, शिक्षक व बच्चों को सहयोग प्रदान किया जाता है। सीखने–सिखाने में आनी वाली कठिनाइयों का पर्यवेक्षण व अनुश्रवण के दौरान मौके पर ही व्यवहारिक व उपयुक्त हल निकालने का प्रयास किया जाता है। जिन समस्याओं का समाधान तात्कालिक तौर पर किया जाना सम्भव नहीं हो पाता उन्हें मासिक बैठकों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों के साथ–साथ विशेष प्रशिक्षण/कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षकों तक ले जाने का प्रयास किया जाता है। कार्यो की दृष्टि से विद्यालय/एन0पी0आर0सी0/बी0आर0सी0 का मूल्यांकन भी किया जाता है। जिसके आधार पर उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के दौरान विद्यालयों, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 का उनके कार्यो के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा।

– शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान।

– विद्यालय विकास योजना का निर्माण तथा अकादमिक अनुसमर्थ देना।

– एन0पी0आर0सी0 अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक संद स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

गुणवत्ता विकास में डायट की प्रस्तावित भूमिका

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना:–

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों को शैक्षिक नेतृत्व प्रद करने की दृष्टि से डायट जनपद की शीर्षस्थ संस्था है। विद्यालयों का भौतिक वाताव सँवारने तथा बच्चों के नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति स्तर को बढ़ाने में मार्गदर्शन सहयोग प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। इसके लिए उसे जनपद की विशिष्टता को ध्यान रखते हुए शिक्षकों की आवश्यकताओं/कठिनाइयों का आकलन करना पड़ता तथा उक्त समाधान हेतु स्वयं डायट स्तर पर गोष्ठी, कार्यशालाओं का आयोजन कर पड़ता है। इस कार्य में शिक्षक, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 प्रभारी, डायट प्रवक्ता डी0आर0जी0, एस0आर0जी0 सहयोगी होते हैं।

सर्वशिक्षा अभियान में 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किये जाने फलस्वरूप डायट की भूमिका में भी स्वाभाविक विस्तार हुआ है, साथ ही डायट गअपने बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के अन्दर भी उच्च प्राथमि विद्यालयों के बच्चों/शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने की क्षमता वृद्धि उत्तरदायित्व आया है। ऐसी स्थिति अब डायट अपने अभिकर्मियों की क्षमता वृद्धि साथ–साथ समन्वयकों एवं संकुल प्रभारियों के अन्दर भी उक्त क्षमताओं के विकास आवश्यक उपाय करेगा। इसके लिए डायट द्वारा कार्यक्रम के बारे में अर्न्तदृष्टि विकसि करने पर बल दिया जाना होगा कि हम वास्तव में कैसा स्कूल देखना चाहते हैं ?

– स्कूल में क्या–क्या चीजें होंगी ?
– स्कूल में क्या होता हुआ दिखायी देगा ?
– आज बच्चों के बारे में क्या मान्यता है ?
– बच्चे प्रभावी ढंग से कैसे सीखते हैं ?
– कौन–कौन से घटक बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं ?
– बच्चे विद्यालय और कक्षा में क्या करते हुए दिखेंगे ?

उपर्युक्त के बारे में एक स्पष्ट समझ बनाने का प्रयास किया जायेगा।

इसके साथ –साथ आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए

– शिक्षक के कार्य करने के तौर–तरीके क्या होंगे ?
– शिक्षक विद्यालय एवं कक्षा में क्या–क्या करता हुआ दिखायी देगा ?

इसके बारे में भी एक स्पष्ट समझ बनायी जायेगी।

– कक्षा का वातावरण कैसा होगा ?
– कक्षा के वातावरण को कौन–कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं ?
– टी0एल0एम0 और सीखने–सिखाने के तौर–तरीकों में क्या सम्बन्ध है ?

गुणवत्ता सुधार में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता:–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध है, उनका सहयोग जिलाशिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्षमता विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लाया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी एवं ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त करके निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिलाशिक्षा परियोजना समिति द्वारा का चयन किया जायेगा।

अकादमिक सन्दर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण:–

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा विभिन्न कार्यक्रमों यथा–प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीड बैंक का विश्लेषण कर उनका समाधान करना ही इस समूह का मुख्य कार्य है। इसका गठन शिक्षकों के मध्य से किया जाता रहा है। इसमें डायट स्टाफ, वाह्य विशेषज्ञ, शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं। अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के लिये इनमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा। इनके क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। यह कार्यशालायें मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण विषय शिक्षकों तथा स्कूलों का प्रबन्धन, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होंगी। इस तरह की पाँच कार्यशालायें प्रत्येक वर्ष आयोजित की जायेंगी।

आकस्मिक संदर्भ समूह:–

यद्यपि जनपद स्तर पर शैक्षिक सपोर्ट तथा नीति–निर्धारण एवं क्रियान्वयन के लिये अकादमिक संदर्भ समूह का गठन किया गया है। तथापि पर्यवेक्षक एवं अनुश्रवण के दौरान प्रायः यह देखने में आया है कि गुणवत्ता सुधार के लिये बनाये गये विभिन्न संद समूह जो सहयोग कर रहे हैं उनसे कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों और बच्चों को हो वाली व्यावहारिक कठिनाइयाँ पूरी तरह से दूर नहीं हो पा रही है। अतएव इसके लि डी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक ऐसे छोटे समूह (विषयवार) की जरूरत जिससे आवश्यकतानुसार किसी भी विद्यालय में किसी भी समय, अल्प अवधि के लि भेजकर मिशन मोड में कार्य की शुरूआत एवं कार्य विकास किया जा सके। इ पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, प्रशिक्षण आदि के दौरान चिह्नित उपयुक्त शिक्षकों तथा समुदाय, विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जायेगा। प्रकार का सुझाव मध्याविध मूल्यांकन अध्ययन पर आधारित अनुश्रवण कार्यशाला प्रतिभागी शिक्षकों द्वारा भी दिया गया है। यह आकस्मिक समूह उस विद्यालय के शि तथा स्थानीय समुदाय के लिए अभिप्रेरित करने का भी काम करेगा। विद्यालय दिनचर्या को एक जीवंत स्वरूप प्रदान कर उसमें एक सार्थक मोड़ लायेगा।

शोध एवं मूल्यांकन:–

डायट का एक प्रमुख कार्य शैक्षिक शोध करना भी है। परन्तु यह कार्य प्रायः डायट में प्रत्यक्ष तौर पर होता हुआ दिखायी नहीं देता है। यदि कभी कुछ कार्य शोध पर शुरू हो भी जाते हैं तो अपनी पूर्णता के पहले ही उपेक्षा के शिकार हो जाते है।

इसे प्रभावी बनाने के लिए –

– प्रत्येक वर्ष शोध के लिए विषय व संख्या निर्धारित की जायेगी।

– डायट/प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा से जुड़े अभिकर्मियों से प्रत्येक वर्ष शोध के विषय क्षेत्र मांगे जायेंगे। आमन्त्रित समस्याओं की कार्ययोजनाओं की जाँच परख कर स्वतंत्र रूप से शोध करने की अनुमति के साथ–साथ बजट की भी व्यवस्था की जायेगी। इससे तात्कालिक तौर पर आने वाली कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा।

डायट बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 स्तर कर क्रियात्मक शोध द्वारा शैक्षिक समस्याओं को छोटे स्तर पर निराकरण करने के लिए नमूने के तौर पर अपनाया जाना एक प्रायोगिक प्रशिक्षण है। जिसका आगे चलकर हम कई विस्तृत क्षेत्रों में सफल प्रयोग कर सकते हैं। यह शिक्षा में एक नवाचार भी है। क्रियात्मक अनुसंधान हमारे शैक्षिक सपोर्ट के विभिन्न अभिकरणों–डायट/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 द्वारा सम्मिलित रूप में अथवा अलग–अलग किये जा सकते है। एक ही समस्या पर तीनों स्तरों पर अलग–अलग क्षेत्रों में कार्य किये जा सकते है और प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर एक धारणा बनायी जा सकती है। जिसके आधार पर एक ठोस कार्ययोजना बनाकर उसका एक वड़े क्षेत्र पर क्रियान्वयन किया जा सकता है।

डायट, जहाँ पर अधिक परिपक्व अभिकर्मी होते हैं वह बेहतर तरीके से कार्ययोजना बनाकर क्रियात्मक अनुसंधान विभिन्न विषयों पर अलग–अलग क्षेत्रों में कर सकते हैं। वहीं हम बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 को इतना सशक्त बनाने की कोशिश करेंगे कि वे अपने स्तर से विभिन्न विद्यालयों में आने वाली समस्याओं के लिए कार्य योजना बनायें और उस पर अमल कर के समस्या का निराकरण करें। इस प्रकार हम क्रियात्मक अनुसंधान को संकुल एवं विद्यालय स्तर पर ले जायेंगे। जिससे वे अपने स्वयं की योजना बनाने व संकुल के अन्तर्गत विद्यालयों में आने वाली समस्याओं से बेहतर तरीके से निपट सकें। इसके लिए–

– बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन किया जायेगा
– क्लासरूम आब्जर्वेशन किया जायेगा।
– शिक्षक–अभिभावक संघ को सक्रिय व प्रभावी बनाया जायेगा।
– समुदाय से बेहतर तालमेल एवं सहयोग के लिए कार्यक्रमों का नियोजन किया जायेगा।

क्रियात्मक शोधः–

क्रियात्मक शोध से सम्बन्धित जानकारी, समस्याओं की पहचान, उनके लिए कार्ययोजना निर्माण व क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में जनपद में विभिन्न स्तरों पर 05 दिवसीय कार्यशालाएँ आयोजित की जायेंगी। इन कार्यशालाओं के आयोजन में सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्य योजना बनायें और उसका समाधान प्राप्त कर अपने–अपने विद्यालयों पर लागू करें। इस प्रकार यह प्रक्रिया संकुल

स्तर से विद्यालय स्तर तक ले जायी जायेगी। विद्यालय के लिए क्रियात्मक शोध हेतु कुछ बिन्दु निम्नलिखित हैं–

1– सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किस प्रकार सम्भव है ?

2– कुछ अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं भेजते हैं ?

3–विद्यालय में अपराह्न के बाद बच्चों की उपस्थिति कम क्यों हो जाती है ?

4– विद्यालयों में प्रार्थना के समय बच्चों की उपस्थिति कम होने का कारण

5– बहुकक्षा–शिक्षण परिस्थितियों को किस प्रकार प्रभावशाली बनाया जाये।

6– विद्यालयों में बच्चों एवं शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में भाषा उच्चारण सम्बन्धी अशुद्धियों का कारण।

7– कार्य निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में प्रवन्धन के मुद्दे।

8– परिषदीय विद्यालयों में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

9– परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त भी उनका प्रभावी क्रियान्वयन कम क्यों ?

10– प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक पदोन्नति के बाद

प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक होना अधिक पसन्द करते हैं, अपेक्षाकृत जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापकों के, क्यों ?

11– उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पठन–पाठन करते समय विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग करने में, आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयाँ।

12– उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन, प्रा0 विद्यालय के सापेक्ष कम, क्यों ? आदि।

आंकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग:–

विद्यालय भ्रमण एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एक तरह की समस्या वाले विद्यालयों/क्षेत्रों की पहचान करेंगे। इस प्रकार समान समस्या वाले विद्यालय/उनके शिक्षकों को सूचीबद्ध करके उनके लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन कर आयोजन किया जायेगा। फिर यह देखेंगे कि इस प्रशिक्षण का आगे के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ा ?

क्या इससे समस्या का निराकरण हुआ ? यदि नहीं तो फिर और क्या–क्या करना होगा ? इस पर आगे की रणनीति/कार्ययोजना बनायी जायेगी। आंकड़ों का अध्ययन कर डायट पर विश्लेषण किया जायेगा, और उनके अनुसार आगे की कार्ययोजना तय की जायेगी।

ई0एम0आई0एस0 द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/गांव/विद्यालय की मूलभूत समस्यों/ आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है।

इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। जिस स्थान पर ड्राप–आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाले बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रेपिटिशन रेट, कम्पलीशन रेट, बच्चों द्वारा अध्ययन चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा ताकि इनका उपयोग नियोजन तथा क्रियान्वयन में किया जायेगा।

नवीन मूल्यांकन प्रणाली:–

डायट में एक प्रमुख अनुभाग है– पाठ्यक्रम व मूल्यांकन।

आगामी वर्षो में डायट की कोशिश होगी कि इस अनुभाग को पूर्ण रूप से सक्रिय बनाया जाये। नवीन मूल्यांकन पद्धति पर विचार करने के पूर्व आज चल रही उच्च प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा हेतु कार्यशालाओं/गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। इनमें प्राप्त निष्कर्षो के परिप्रेक्ष्य में नवीन मूल्यांकन पद्धति का एक ढांचा तय किया जायेगा। जिसे प्रायोगिक तौर पर जनपद के कुछ विद्यालयों पर लागू कर परीक्षण किया जायेगा। जनपद में चलने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता का आकलन एवं इन प्रशिक्षणों के कक्षा कक्ष में उपयोग की जानकारी केलिए अलग मापनी भी बनायी जायेगी। जैसे प्रशिक्षण कितने प्रतिशत कक्षा में पहुँच रहा है इसका भी पता लगाया जा सके। साथ ही प्रशिक्षण की गुणवत्ता के आकलन के लिए मूल्यांकन प्रशिक्षण सम्प्राप्ति के एक दिन पूर्व एवं कक्षा में आंकलन क लिए कम से कम प्रशिक्षण के दो माह बाद समय निश्चित करना उपयुक्त होगा।

बच्चों का मूल्यांकन करने के दौरान बच्चों की क्षमताओं को विकसित करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जायेगा। क्योंकि बच्चों के मूल्यांकन में शिक्षक का मूल्यांकन सन्निहित होता है। डायट स्तर से मूल्यांकन के क्षेत्र में भी अलग–अलग प्रयोग किये जाने की अपेक्षा है।

मूल्यांकन के नाम पर परम्परागत त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक परीक्षाओं का ही आयोजन होता है। प्राथमिक स्तर पर निर्धारित मासिक परीक्षाओं की खानापूर्ति ही हो पाती है तमाम निर्देशों आदेशों के बावजूद शिक्षकों की उदासीनतों एवं कमी के कारण मूल्यांकन सतत् न होकर केवल दो या तीन परीक्षाओं तक ही सिमट चुका है।

चूंकि मूल्यांकन, शिक्षण का अनिवार्य और आवश्यक हिस्सा है। अलग कोई कार्य नहीं है। अतः इसे सतत् एवं व्यापक बनाया जायेगा। जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष के साथ संज्ञान–सहगामी पक्ष का मूल्यांकन किया जा सके। मूल्यांकन की संख्या को बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा उसके लिए मूल्यांकनकर्ता को प्रशिक्षित किया जाना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन हम प्रत्येक दो वर्षो पर करना चाहेंगे। जिससे यह पता लगाया जा सके कि बच्चे किन–किन जगहों पर सीखने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं अथवा नहीं सीख पा रहे है। इसके माध्यम से आने वाले समय में हम शिक्षकों के लिए सीखने के कठिन स्थलों पर आधारित प्रशिक्षण का नियोजन करेंगे। चूंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक व बच्चों की संख्या में आनुपातिक दृष्टि अधिक विसंगतियाँ होती है। इसलिए प्रत्येक वर्ष यह परीक्षण किया जाना और आवश्यकता का आकलन करना कठिन कार्य है। इसलिए प्रत्येक दो वर्ष पर इस प्रकार के परीक्षण की प्राथमिक स्तर के लिए संकल्पना की गयी है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष किया जायेगा। जिससे उनके कम सीख पाने वाले विषय वस्तु के कठिन स्थलों का पता लगाया जा सकें। इसके आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण का नियोजन एवं आयोजन करेंगे जिससे शिक्षक आने वाले समय में विषय वस्तु के इन स्थलों पर बच्चों के साथ बेहतर ढंग से कार्य कर सकें।

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा। इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण माडयूल का विकास नहीं किया जायेगा, वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में

नियमित शिक्षक प्रशिक्षण माड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा। मुख्यतः तद् विषयक प्रशिक्षण डायट, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 स्तरीय अभिकर्मियों को दान किया जायेगा। जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होन वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है:-

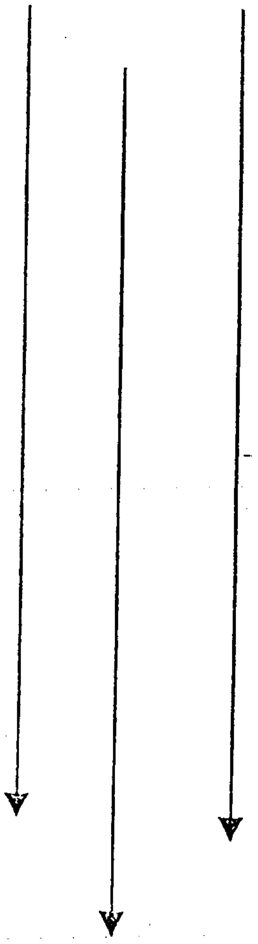

क्र0सं0	प्रशिक्षण/कार्य0 का नाम	विवरण	प्रतिभागी	अवधि	अनुमानि संख्या
1.	(प्रथम वर्ष) विजनिंग कार्यशाला	समान अन्तदृष्टि विकसित करने के लिए।	बी0ओ0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों,डायट एवं परियोजना अभिकर्मी	3 दिन	185
2.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवीन मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में समझ विकसित करने के लिए	नवनियुक्ति शिक्षक एवं शिक्षा मित्र	8दिन	772
3	(द्वितीय वर्ष) सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवीन मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में समझ विकसित करने के लिए।	नवनियुक्ति शिक्षक एवं शिक्षा मित्र	8दिन	956
4	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षक	शिक्षण अधिगम प्रकिया से सम्बन्धित।	प्राथमिक स्तरीय समस्त शिक्षक।	6दिन	4598
5	सतत् एवं व्यापक।	मूल्यांकन प्रकिया से सम्बन्धित	प्राथमिक स्तरीय समस्त शिक्षक।	3 दिन	4598
6	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला।	टी0एल0एम0 विकास एवं कक्षा शिक्षा में प्रवेश।	प्राथमिक स्तरीय समस्त शिक्षक।	3 दिन	4598
7	मासिक बैठक/ प्रशिक्षण/कार्य शाला	कठिनाइयों एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रकिया पर आधारित।	प्रत्येक विद्यालय से बारी कम में एक शिक्षक बी0आर0सी0 एवं एन0 पी0 आर0 सी0 प्रभारी	वर्ष में 6 दिन	1241
	(तृतीय वर्ष) → (2004-05)				
8	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण।	नवीन मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य मे।	नवनियुक्ति शिक्षक शिक्षा मित्र	8 दिन	300
9	भाषा एवं गणित आधारित प्रशिक्षण।	आवश्यकतानुसार बिन्दु समाहित किये जायेंगे।	समस्त शिक्षक एवं शिक्षा मित्र।	6 दिन	4787
10	उपचारात्मक प्रशिक्षण।	उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता व तरीके	समस्त शिक्षक एवं शिक्षा मित्र।	3 दिन	4787
11	समय प्रबन्धन सम्बन्धी	शिक्षण समय को बढ़ाने एवं समय के	समस्त शिक्षक एवं शिक्षा मित्र।	3 दिन	4787

	कार्यशाला	सदोपयोग हेतु।			
12	मासिक बैठक /प्रशिक्षण/ कार्यशाला	शिक्षकों की कठिनाईयां एवं शिक्षण अधिगम प्रकिया।	प्रत्येक विद्यालय से बारी कम में एक शिक्षक एवं समन्वयक एवं संकुल प्रभारी।	वर्ष में 1 दिन	1573
13	बालकवार विकास कार्यशाला (चतुर्थ वर्ष)	बच्चों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं चिन्तन के लिए।	प्राथमिक स्तर के समस्त शिक्षक	2 दिन	4787
14	सेवापूर्वागम प्रशिक्षण	नवीन मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में।	नवनियुक्ति शिक्षक शिक्षा मित्र।	8 दिन	250
15	विज्ञान व सामाजिक अध्ययन विषयक विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण।	विषयगत नवीन ज्ञान एवं शिक्षण विधा से सम्बन्धित।	प्राथमिक स्तरीय समस्त शिक्षक एवं शिक्षा मित्र।	7 दिन	5037
16	बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण विधा सम्बन्धी प्रशि0	बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय स्थितियों में शिक्षण विधा सम्बन्धी शिक्षण अभ्यास।	प्राथमिक स्तरीय समस्त शिक्षक एवं शिक्षा मित्र।	4 दिन	5037
17	प्रश्न निर्माण दक्षता हेतु कार्यशाला <u>(पंचम वर्ष)</u>	मूल्यांकन के नवीन विधा के सन्दर्भ में ।	प्राथमिक स्तरीय समस्त शिक्षक एवं शिक्षा मित्र।	2 दिन	5037
18	मासिक बैठक /प्रशिक्षण/ कार्यशाला	शैक्षिक कठिनाईयों एवं शिक्षकों की आवश्यकता ।	प्रत्येक विद्यालय से बारी कम में एक शिक्षक तथा समन्वयक एवं संकुल प्रभारी।	वर्ष में 6 दिन	1573
19	अन्नपूरक अध्ययन सामग्री आधारित प्रशिक्षण	स्वपठन की प्रवृत्ति के विकास के लिए।	नवनियुक्ति शिक्षक एवं शिक्षा मित्र।	4 दिन	5287
20	अंग्रेजी, संस्कृत विषयक प्रशिक्षण।	विषयगत समझ एवं शिक्षण विधा।	नवनियुक्ति शिक्षक एवं शिक्षा मित्र।	5 दिन	5287
21	टी0एल0एम0 कार्यशाला।	टी0एल0एम0 निर्माण एवं प्रयोग।	नवनियुक्ति शिक्षक एवं शिक्षा मित्र।	3 दिन	5287
22	मासिक बैठक /प्रशिक्षण/	शैक्षिक कठिनाईयों एवं शिक्षकों की	प्रत्येक स्कूल से बारी कम में एक शिक्षक	वर्ष में 6 दिन	1573

	कार्यशाला। (षष्टम् वर्ष)	आवश्यकता।	समन्वयक व संकुल प्रभारी।		
23	सेवापूर्वागम प्रशिक्षण।	नवीन मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में।	नवनियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों।	8 दिन	200
24	पूनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।	समस्त विषयों से सम्बन्धित तथा शिक्षकों की आवश्यकता के आकलन के आधार पर।	समस्त शिक्षक एवं शिक्षा मित्र।	8 दिन	5497
25	बहुकक्षा / बहुस्तरीय।	बहुकक्षा/ बहुस्तरीय शिक्षण विधा।	समस्त शिक्षक एवं शिक्षा मित्र।	4 दिन	5497
26	मासिक बैठक/ प्रशिक्षण / कार्यशाला	शैक्षिक कठिनाईयों के आधार पर।	प्रत्येक विद्यालय से बारी कम में एक शिक्षक एवं शिक्षा मित्र।	वर्ष में 6 दिन	1573
27	विविध प्रश्न अभ्यासों को हल कराने के तौर तरीकों पर आधारित प्रशिक्षण।	कक्षा शिक्षण में प्रश्न अभ्यास की विविधता का सदुपयोग हेतु।	समस्त शिक्षक एवं शिक्षा मित्र।	2 दिन	5497
	प्राथमिक स्तर पर आयोजित होने वाली विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाएं :- (वर्ष 2002-03)				
28	प्रधानाध्यापकों का नेतृत्व विकास प्रशिक्षण	विद्यालय प्रबन्धन शैक्षिक गतिविधियों का संचालन एवं वित्तीय प्रबन्धन।	प्राथमिक स्तरीय प्रधानाध्यापक।	3 दिन	1103
29	समेकित शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण।	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए।	प्राथमिक स्तरीय समस्त शिक्षक।	5 दिन	4598
30	बाल अखबार विकास कार्यशाला। (वर्ष 2003-04)	बच्चों में स्वतंत्र चिन्तन एवं अभिव्यक्ति के विकास के लिए।	शिक्षक व बच्चे(40 प्रति ब्लाक)	2 दिन	480
31	उर्दू विषय पर	विषयगत ज्ञान व	उर्दू शिक्षक ।	4 दिन	100

	आधारित प्रशिक्षण।	शिक्षण विधा।			
32	प्रतियोगितात्मक कार्यशाला।	वर्तनी सुलेख,, बाल अखबार, प्रश्नोत्तरी, गणितोत्सव आदि	समस्त शिक्षक।	1 दिन	4598
	(वर्ष 2004–05)				
33	20 वर्ष से अधिक अनुभव वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण।	विषयगत नवीन जानकारी एवं नवीन शिक्षण विधा के लिए।	20 वर्ष से अधिक अध्यापन अनुभव वाले शिक्षक।	4 दिन	857
34	हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट योग्यता वाले प्रशिक्षण।	विषयगत ज्ञान व शिक्षण अभ्यास।	हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षक।	3 दिन	1001
35	शैक्षिक भ्रमण।	एक्सपोजर विजिट के लिए।	प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक।	1 दिन	
36	दृश्य श्रव्य उपकरणों के शिक्षण में उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण।	कक्षा शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों का उपयोग।	समस्त शिक्षक।	2 दिन	5037
	<u>उच्च प्राथमिक स्तर :–</u>				
	<u>(प्रथम वर्ष)</u>				
37	विजनिंग कार्यशाला।	समान अन्तर्दृष्टि के विकास हेतु।	प्रधानाध्यापक	4 दिन	94
	<u>(द्वितीय वर्ष)</u>				
38	अभिप्रेरण प्रशिक्षण।	बच्चे शिक्षक सीखने की प्रकिया, बालिका शिक्षा, समुदाय की भागीदारी के सन्दर्भ में।	समस्त शिक्षक।	6 दिन	885
39	विज्ञान विषयक प्रशिक्षण।	पाठ्यकम, पाठ्य पुस्तक एवं विधा।	समस्त शिक्षक।	6 दिन	885
40	टी0एल0एम0 कार्यशाला।	निर्माण एवं प्रयोग।	समस्त शिक्षक।	3 दिन	885
41	समेकित शिक्षा।	विशेष आवश्यकता	नये शिक्षकों।	5 दिन	500

		वाले बच्चे।			
42	मासिक बैठक / प्रशिक्षण / कार्यशाला।	अनुश्रवण विन्दुओं के आधार पर	प्रत्येक विद्यालय से बारी कम में एक अध्यापक। समन्वयक एवं संकुल प्रभारी।	5 दिन	333
	(तृतीय वर्ष)				
43	गणित विषयक प्रशिक्षण।	विषय बरतु आधारित।	समस्त शिक्षक।	8 दिन	1135
44	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विषयक प्रशिक्षण।	मूल्यांकन प्रकिया।	समस्त शिक्षक।	4 दिन	1135
45	समेकित शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण।	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए।	नये शिक्षक।	5 दिन	250
46	गणित विज्ञान मेला।	विषय वस्तु आधारित।	समस्त शिक्षक	2 दिन	1135
47	मासिक बैठक / प्रशिक्षण / कार्यशाला।	अनुश्रवण बिन्दुओ पर आधारित।	बारी कम से प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक एवं समन्वयक प्रभारी।	वर्ष में 5 दिन	380
	(चतुर्थ वर्ष)				
48	हिन्दी भाषा विषयक प्रशिक्षण।	शिक्षण विधा पर आधारित।	समस्त शिक्षक।	6 दिन	1385
49	अन्नपूरक अध्ययन सामग्री प्रशिक्षण।	स्वाध्याय की प्रवृत्ति के विकास हेतु।	समस्त शिक्षक।	4 दिन	1385
50	हिन्दी विधाओं की. रचना एवं व्याकरण सम्बन्धी प्रशि0	विधाओं के शिक्षण विधा।	समस्त शिक्षक।	3 दिन	1385
51	समेकित शिक्षा प्रशिक्षण।	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए।	नये शिक्षक।	5 दिन	250
52	मासिक बैठक प्रशिक्षण / कार्यशाला।	अनुश्रवण विन्दुओं के आधार पर।	बारी कम से प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक।	वर्ष में 5 दिन	525
	(पंचम वर्ष)				

53	संस्कृत, अंग्रेजी, प्रशिक्षण।	पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधा।	समस्त शिक्षक।	6 दिन	1845
54	उपचारात्मक प्रशिक्षण।	मन्द गति से सीखने वाले बच्चों के लिए।	समस्त शिक्षक।	3 दिन	1845
55	अनुपूरक अध्ययन सामग्री सम्बन्धी प्रशि०	स्व अध्ययन सम्बन्धी सामग्री।	समस्त शिक्षक।	3 दिन	1845
56	कक्षा कार्य की नियमित जॉच / संसोधन विषयक कार्यशाला।	नवीन मूल्यांकन प्रणाली का अनुप्रयोग	समस्त शिक्षक।	2 दिन	1845
57	समेकित शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण।	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए।	नये शिक्षक।	5 दिन	284
58	मासिक बैठक / प्रशिक्षण/ कार्यशाला। (षष्टम् वर्ष)	अनुश्रवण बिन्दुओं के आधार पर।	बारी कम से प्रत्येक स्कूल के एक शिक्षक एवं समन्वयक संकुल प्रभारी।	वर्ष में 5 दिन	525
59	सामाजिक अध्ययन विषयक प्रशि०	विषय वस्तु एवं शिक्षण विधा।	समस्त शिक्षक	5 दिन	1845
60	स्थानीय शिल्प सम्बन्धी प्रशि०	स्थानीय शिल्प में दक्षता विकास हेतु।	समस्त शिक्षक	3 दिन	1845
61	पुनर्बोधात्मक एवं अभिप्रेरण प्रशिक्षण।	जेण्डर, सामुदायिक सहयोग एवं विषय वस्तु आधारित।	समस्त शिक्षक	6 दिन	1845
62	मासिक बैठक/ कार्यशाला/ प्रशिक्षण।	अनुश्रवण बिन्दुओं के आधार पर।	बारी कम से प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक एवं समन्वयक, संकुल प्रभारी	वर्ष में 5 दिन	525
	<u>उच्च प्राथमिक स्तर के विशेष प्रशिण/ कार्यशाला:-</u> (प्रथम वर्ष)				
63	समान सोच विकास कार्यशाला।	लक्ष्य प्राप्ति के लिए समान सोच विकास हेतु।	समस्त शिक्षक।	4 दिन	385

	(द्वितीय वर्ष)				
64	बाल अखबार विषयक कार्यशाला।	स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं चिन्तन के विकास के लिए।	समस्त शिक्षक।	2 दिन	1845
65	नेतृत्व क्षमता विकार।	विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन एवं वित्तीय प्रवन्धन।	प्रधानाध्यापक।	3 दिन	194
66	वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार सम्बन्धी आधारभूत प्रशि0	आधारभूत प्रशिक्षण।	ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 तथा अनुदेशक आचार्य जी।	30दिन	480
67	ए0बी0एस0ए0, जिला परियोजना तथा डायट अभिकर्मियों का प्रशिक्षण।	अभिमुखीकरण एवं क्षमता वृद्धि हेतु।	ए0बी0एस0ए0, जिला परियोजना एवं डायट कर्मी।	5 दिन	50
68	समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण।	प्रभावी अनुश्रवण के लिए।	डायट अभिकर्मी।	3 दिन	27
	(तृतीय वर्ष)				
69	कम्प्यूटर तकनीकि सम्बन्धी प्रशि0	कम्प्यूटर तकनीकि की जानकारी एवं उपयोग हेतु।	प्रत्येक विद्यालय के दो अध्यापक।	15दिन	488
70	वी0ई0सी0, डी0आर0जी0, वी0आर0जी0 का प्रशिक्षण।	सामुदायिक सहयोग के लिए।	प्रत्येक वी0ई0सी0।	दो वर्ष में एक बार 3 दिन	777
71	ई0जी0एस0, ए0आई0एस0 आधारभूत प्रशिक्षण।	आधारभूत प्रशिक्षण।	ई0जी0एस0, ए0आई0ई0 के आचार्य जी एवं गुरूजी।	30दिन	450
	(चतुर्थ वर्ष)				
72	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।	पुनर्वोध हेतु।	ई0जी0एस0, ए0आई0ई0 के आचार्य जी एवं गुरूजी।	15दिन	480
73	आधारभूत प्रशिक्षण	ई0जी0एस0, ए0आई0ई0।	आचार्य जी, गुरूजी, के लिए।	30दिन	300
74	पुनर्वोधात्मक	ई0जी0एस0,	आचार्य जी एवं गुरूजी	15दिन	930

	प्रशिक्षण। (पंचम वर्ष)	ए0आई0ई हेतु।	के लिए।		
75	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।	ई0जी0एस0, ए0आई0ई हेतु।	आचार्य जी एवं गुरूजी के लिए।	15दिन	1230
76	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।	ई0जी0एस0, ए0आई0ई हेतु।	आचार्य जी एवं गुरूजी के लिए।	15दिन	1230
77	पुनर्बोधात्मक	शिशु शिक्षा घरों के कार्यकत्रियों।	सहायिकाओं एवं कार्यकत्रियों का।	15दिन प्रत्येक वर्ष परियोजना अवधि में।	300
78	प्रशिक्षण साहित्य का विकास। (प्रा0 एवं उच्च प्राथमिक।)	सेवारत प्रशिक्षण के लिए।	शिक्षक /प्रशिक्षक सन्दर्भ व्यक्ति डायट पवक्ता।	5 दिन तीन चक्रों में। वर्ष 2003 से प्रति दो वर्ष पर	30 प्रत्ये चक्र में।
79	अनुपूरक अध्ययन सम्बन्धी विकास प्रा0एव0 उच्च प्राथमिक।	सामग्री विकास एवं मुद्रण।	शिक्षक प्रशिक्षक सन्दर्भ व्यक्ति डायट प्रवक्ता एवं स्थानीय सन्दर्भ व्यक्ति।	5 दिन तीन चक्रों में। वर्ष 2002.3 तथा वर्ष 5–6 में	50 प्रत्ये चक्र में।
80	ब्च्चों की सम्प्राप्ति का मूल्यांकन	सम्प्राप्ति स्तर का पता करना एवं गुणवत्ता सुधार हेतु।	अन्वेषक एवं डायट कर्मी।	3दिन वर्ष 2–3, 6–7, 9–10 में।	25
81	शोध मूल्यांकन विषयक कार्यशाला।	समस्या एवं कठिनाई पहचान तथा निवारण हेतु शोध मूल्यांकन	शिक्षक, प्रशिक्षक, डायट प्रवक्ता।	3 दिन दो	25 प्रत्ये चक्रों में

(प्रा0एवं उच्च प्रा0 स्तर)			चक्रों वर्ष 3–4, 5–6, 7–8 9–10	

कक्षा की प्रक्रिया में सामुदायिक सहभागिता एवं गुणवत्ता सुधारः–

शैक्षिक सत्र में दो बार (छमाही परीक्षा के बाद दिसम्बर में तथा वार्षिक परीक्षा के बाद मई में) विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे। जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र, छात्राओं के प्रगति पत्र वितरित किये जायेंगे। बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया गया है। परन्तु व्यवहार में मासिक बैठकों का आयोजन नियमित रूप से नहीं हो पाता है। जब मासिक बैठकें आयोजित होती हैं तो मासिक बैठकों के आयोजन के समय समस्याओं का केन्द्र बिन्दु विद्यालय होता है न कि छात्रों की उपलब्धि। इस बिन्दु पर भी समुदाय की भागीदारी को बढ़ाया जायेगा। जिससे अभिभावकों में अपने बच्चों के लिए शिक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो सके। साथ ही अभिभावकों को समय–समय पर बच्चों की उपलब्धियों से अवगत कराया जायेगा एवं उच्च उपलब्धियों वाले बच्चों को चयनित कर पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

गाँव के उत्साही व्यक्तियों को विद्यालय से जोड़ा जायेगा, जो विद्यालय की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका एवं सुझाव प्रदान कर सकें।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरणः–

डायट महराजगंज का भवन अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। जनपद का कार्य डायट गोरखपुर द्वारा संचालित हो रहा है। जनपद महराजगंज में डायट भवन अविलम्ब तैयार कराने के साथ–साथ साज–सज्जा की व्यवस्था कराने की जरूरत है।

अध्याय - 10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

जनपद में वर्तमान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का [illegible] 1997 से प्रभावी है जिसके अन्तर्गत 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा दिलाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन एवं परियोजना मार्च 2003 में अपनी अवधि पूर्ण करेगी। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2001 को भारतीय संविधान की धारा 46 के अन्तर्गत 14 वय वर्ष तक के समस्त बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान के रूप घोषणा की गयी। इस घोषणा के अन्तर्गत वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की अवधि में 6-14 वय वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से यह योजना तैयार की गयी है, सभी कार्यक्रमो का प्रबन्धन एवं संचालन उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद लख कार्यालय के माध्यम से क्रियान्वयन कराया जा व्यापक विकास विकास किए जाने का लक्ष्य पूर्ण किए जाने की ओर तत्पर रहेगा।

परियोजना का प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा तथा व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान रखा गया है। यह प्रबन्धन पूर्णतया लोकतांत्रिक होगा और अधिकतम जनसहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अग्रसर रहेगें। कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करके रणनीतियों में आवश्यक परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगा। किसी भी सहभागिता पर आधारित होगा। किसी भी कार्यक्रम एवं परियोजना की सफलता उसके प्रबन्धतंत्र की संवेदनशीलता पर आधारित होती है।

प्रबन्ध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली :-

अभियान के समस्त कार्यक्रमों में सामुदायिक सहभागिता एवं जनसहयोग प्राप्त करते हुए विकेन्द्रीकृत शैक्षिक एवं वित्तीय प्रबन्धा प्रणाली स्थापित करके प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य होगा। इस व्यापक अभियान के सम्पादन के लिए प्रशासनिक कार्यो के लिए उच्च कोटि का लचीलापन लाने, प्रत्येक स्तर पर जबाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली तथा वित्तीय निवेशों को अबाध गति प्रदान करने और नवीन विधियों के साथ प्रयोग के आधार पर कार्य करने के लिए एक प्रबन्ध तन्त्र तैयार किया गया है। जो संलग्न चार्ट में दर्शाया गया है:-

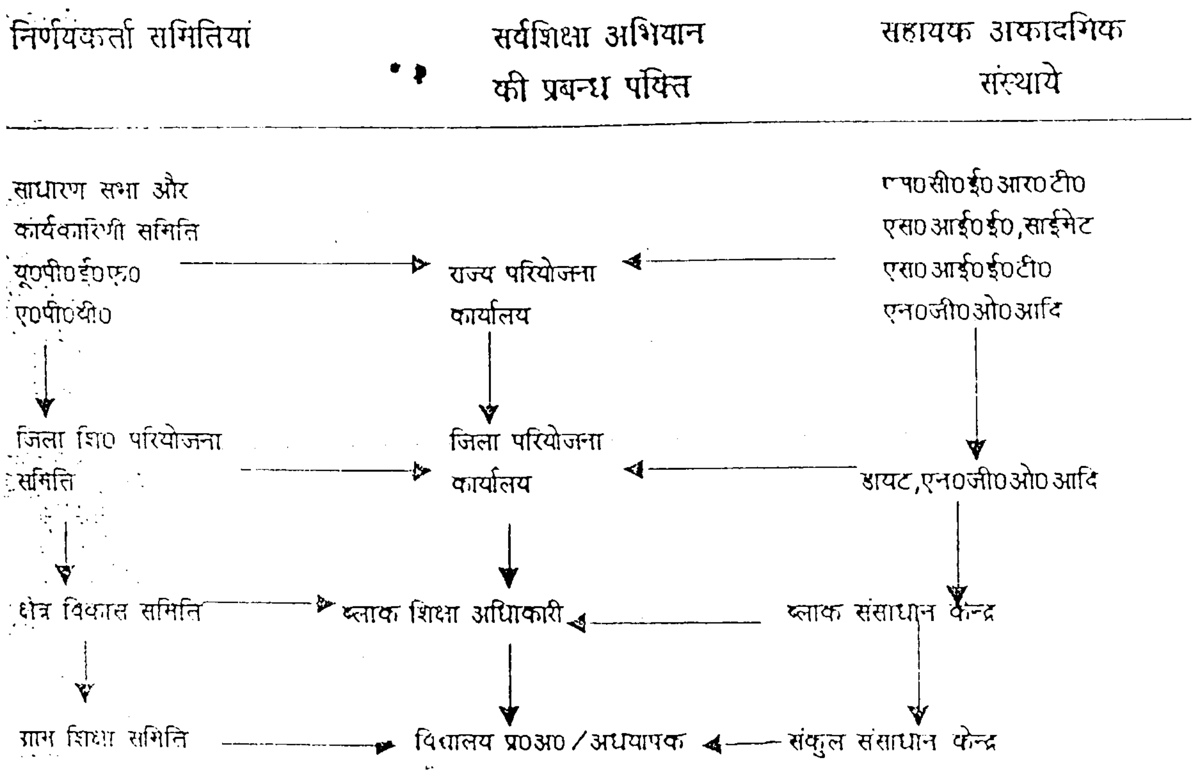

संगठनात्मक ढांचा-नीति निर्धारण :- बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है जो ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा संबंधी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु उत्तरदायी होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

ग्राम शिक्षा समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल अध्यापक और यदि वहां से अधिक स्कूल हो तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।: सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :-

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी-

1. बेसिक स्कूलों, भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।
2. ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना।
3. पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा अ करना।
4. पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।
5. बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपें जायें।

6. ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

7. पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक का अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों मे जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समन्वयन/क्रियान्वयन के विधाओं मे सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यो, आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0) :-

जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :-

1. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।
2. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
3. अध्यापकों की सप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाईयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
4. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का अकादमिक निरीक्षण करना।
5. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :-

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1. ब्लाक प्रमुख : अध्यक्ष
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक : सदस्य-सचिव
3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान : सदस्य
4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :-

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्र मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :-

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षक व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधान केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाय विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। सार रूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे।

1. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
2. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आँकड़े एकत्रित कर संकलित करना।
3. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रि
4. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
5. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रें की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।
6. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।
7. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।
8. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।
9. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।
10. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
11. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

12\. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जाति के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्रओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के भत्ता तथा रख-रखाव हेतु निश्चित धनराशि (18000/-प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हें ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधान केन्द्र (बी0आर0सी0) :-

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेगें।

शैक्षिक गुणवत्ता सम्बर्द्धन व समर्थन हेतु दिया गया अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण मे व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :-

- ब्लाक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।
- विकास खण्डों की अकादमिक, आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
- अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

- विकास खण्ड की प्रत्येक बस्ती स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के सम्बन्ध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूटराईज़्ड विवरण तैयार करना।
- विद्यालयों की अकादमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना की नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य दिया जा रहा है अथवा नहीं।
- ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।

जनपद स्तरीय समिति :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है-

- जिलाधिकारी : अधयक्ष
- मुख्य विकास अधिकारी : उपाधयक्ष
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी : सदस्य-सचिव
- प्राचार्य डायट : सदस्य
- जिला श्रम अधिकारी : सदस्य
- जिला समाज कल्याण अधिकारी : सदस्य
- वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) : सदस्य
- अधिशासी अभियंता(आर0ई0एस0) : सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता(पी0डब्ल्यू0डी0) : सदस्य
- जिला विद्यालय निरीक्षक : सदस्य
- दो शिक्षा विद् (वि0विद्यालय एवं महावि0) : सदस्य (जिलाधिकारी द्वारा नामित)
- दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाल क्रम से (एक वर्ष के लिये)
- दो शिक्षक (राष्ट्रीय / राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकारी एवं दायित्व:-

वर्तमान में जनपद स्तर पर यह समिति डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सम्पादित होने वाले कार्यों की समीक्षा करती है तथा जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तावों एवं लक्ष्यों में परिवर्तन आदि का निर्णय भी इस समिति के द्वारा ही लिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद स्तर पर यह समिति सर्वोच्च समिति होगी जो नीति संबंधी निर्णय लेगी। वर्तमान योजना का स्वरूप इसी समिति के बैठक के उपरान्त लिया गया है और उसके अनुरूप वर्तमान योजना तैयार की

गयी है। फिर भी समय-समय पर आवश्यकतानरूप भौतिक संसाधनों को उपलब्ध कराना जैसे-विद्यालय भवन निर्माण, पुनर्निर्माण, शौचालय निर्माण आदि के संबंध में स्थल चयन का पूर्ण अधिकार इस समिति को होगा। यह समिति निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार, जनसहभागिता का समुचित हस्तक्षेप, रणनीति निर्धारण, विद्यालय में बच्चों का प्रवेश करने हेतु आवश्यक गतिविधियों का एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करेगी। निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए संस्थाओं का निर्धारण यह समिति करेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्या केन्द्र, ज्ञान शाला, वैकल्पिक शिक्षा घर आदि के संचालन के लिए स्थानों का चयन इस समिति के द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति:-

जनपद में जिला बेसिक शिक्षा समिति वर्तमान में कार्यरत है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य है, यह समिति उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत गठित की गयी है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव
3.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
5	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
6	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला) (इनकी अनुपस्थिति में उप विद्यालय निरीक्षक)	सदस्य
7.	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट जिला पंचायत के तीन सदस्य	सदस्य
8	उप विद्यालय निरीक्षक (पदेन)	सदस्य-स0 सचिव

उपरोक्त समिति परिषद अधिनियम के अन्तर्गत निर्देशों का पालन करते हुए निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी:-

1. जिले के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाना।
2. नये प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना।
3. पूर्व संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के विकास तथा सुधार हेतु योजनाएं तैयार करना एवं उनका क्रियान्वयन कराना।
4. असेवित बस्तियों में नये स्कूलों को खोलने हेतु स्थलों का चयन एवं अनुमोदन करना।

प्रशासनिक व्यवस्था (जिला परियोजना कार्यालय):-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय जनपद स्तर पर कार्यरत है जो समस्त योजना निर्माण, कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं अन्य पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों के निष्पादन का कार्य कर रहा है जिसमें कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी मनोयोग से पूर्ण निष्ठा के साथ परियोजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सतत कार्यरत है। सर्व शिक्षा योजना के अन्तर्गत जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के संचालन हेतु जिला स्तर पर जिला परियोजना कार्यालय में निम्न लिखित पदों के सृजन का प्रस्ताव है:-

क्र0 सं0	सृजित पद का नाम	पदों की संख्या	नियुक्ति का प्रकार
1	जिला परियोजना अधिकारी	01	पदेन बि0बे0शि0 अधिकारी
2	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी(ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	01	प्रतिनियुक्ति पर
3	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा पर
4	जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)	01	प्रतिनियुक्ति पर
5	जिला समन्वयक (सामु0सह0)	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा पर
6	जिला समन्वयक (वै0शि0)	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा पर
7	जिला समन्वयक (समे0शि0)	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा पर
8	जिला समन्वयक (बा0शि0)	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा पर
9	परामर्शी	02	संविदा पर
10	सिस्टम एनालिस्ट (ई0एम0आई0एस0 अधिकारी)	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा पर
11	कम्प्यूटर आपरेटर/कार्यालय सहायक	03	प्रतिनियुक्ति/संविदा पर
12	लेखाकार	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा पर
13	सहायक लेखाकार	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा पर
14	आशुलिपिक	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा पर
15	कनिष्ठ लिपिक	02	प्रतिनियुक्ति/संविदा पर
16	वाहन चालक	02	प्रतिनियुक्ति/संविदा पर
17	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	04	प्रतिनियुक्ति/संविदा पर

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के नि
निम्न लिखित अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत कार्यरत है, जिनका वेतन मार्च-2003 तक डी0पी0ई0पी0 से ही भुगतान किया जायेगा शेष कर्मचारियों का वेतन सर्व शिक्षा अभियान शुरू होने पर इस योजना से किया जायेगा। मार्च-2003 से उपरोक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतान इस योजना से किया जायेगा।

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का पद नाम	संख्या	वेतनमान	अभियुक्ति
1	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	1	8000-13500	प्रतिनियुक्ति पर
2	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	1	6500-10500	प्रतिनियुक्ति पर
3	जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)	1	तदैव	प्रतिनियुक्ति पर
4	जिला समन्वयक (वै0शि0)	1	तदैव	प्रतिनियुक्ति पर
5	जिला समन्वयक (सामु0सह0)	1	तदैव	प्रतिनियुक्ति पर
6	जिला समन्वयक (बा0शि0)	1	तदैव	संविदा पर
7	जिला समन्वयक (समे0शि0)	1	तदैव	संविदा पर
8	लेखाकार	1	5000-8000	प्रतिनियुक्ति पर
9	कम्प्यूटर आपरेटर	1	तदैव	संविदा पर
10	आशुलिपिक	1	तदैव	संविदा पर

11	सहायक लेखाकार	1	4000-6000	संविदा पर
12	कनिष्ठ लिपिक	1	3050-4590	प्रतिनियुक्ति पर
13	वाहन चालक	1	तदैव	संविदा पर
14	चतुर्थ श्रेणी	1	2550-2850	प्रतिनियुक्ति पर
15	चतुर्थ श्रेणी	2	तदैव	संविदा पर

कार्यालय में अधिकारी/कर्मचारी के बैठने तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित करने के उद्देश्य से कार्यालय भवन की आवश्यकता होगी। जिसमें निम्न लिखित विवरण के अनुसार अपेक्षित स्थान हो।

क्र0सं0	अधि0 / कर्म0 का पद नाम	स्वीकृत पद	आवश्यक स्थान
1-	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	01	एक कक्ष
2-	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	01	एक कक्ष
3-	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	01	एक कक्ष
4-	परामर्शी	02	एक कक्ष
5-	जिला समन्वयक	05	एक हाल
6-	लेखाकार,	01	
7-	आशुलिपिक	01	
8-	सहा0 लेखाकार	01	एक हाल
9-	क0 लिपिक	02	
10	सांख्यिकी अधिकारी	02	एक हाल जिसमें प्रत्येक के लिए अलग
11.	कम्प्यूटर आपरेटर	03	केबिन की व्यवस्था रहेगी।
12	मीटींग के उद्देश्य से	40	एक हाल
13	स्टोर रूम	-	एक कमरा

भौतिक संसाधन :-

1-कार्यालय भवन:- यदि उपर्युक्त आवश्यकताओं/क्षमताओं वाला कोई भवन नगर क्षेत्र में किराये पर लिया जाता है तो कम से कम रू0 4000 प्रति माह की दर से व्यय करना होगा। जो दस वर्ष वर्ष में रू0 480000.00 होता है। वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल के पुराने भवन में जिला परियोजना कार्यालय चल रहा है। जो वर्ष 1970 का निर्मित भवन है और खपरैल से आच्छादित है। इस भवन में आवश्यकतानुरूप अपेक्षित स्थान भी उपलब्ध है। यदि इस भवन की मरम्मत करा ली जाये तो किराये के रूप में व्यय की जाने वाली धनराशि की बचत हो जायेगी। इसकी मरम्मत एवं खपरैल के स्थान पर लिंटर की छत डलवाने पर अनुमानतः रू0 150000.00 व्यय होगा। इस प्रकार रू0 330000.00 की बचत होगी।

2- कार्योलय फर्नीचर एवं उपकरण:-

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	आवश्यक संख्या	अनुमानित मूल्य (हजार में)
1	आफिसर चेयर	04	10
2	हत्थेदार डनलप कुर्सी	10	10
3	आफिसर टेबल	04	20
4	कार्यालय मेज	10	30
5	कम्प्यूटर (पूर्ण)	02	150
6	कम्प्यूटर टेबल	02	30
7	क0आ0 की कुर्सी	02	3
8	स्टील आलमारी छोटी साइज	04	8
9	स्टील आलमारी बड़ा साइज	06	25
10	फैक्स मशीन	01	30
11	टेलीफोन	01	5
12	ए0सी0	04	150

13	फोटो स्टेट मशीन	1	150
14	बइंडिंग मशीन	01	40
15	टाइपराइटर(हिन्दी)	01	12
16	इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर	01	25
17	स्टील रैक	10	30
18	कूलर	4	25
19	फ्रिज	1	10

जिला परियोजना कार्यालय के अधिकारी /कर्मचारी राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का कियान्वयन विकास क्षेत्र संसाधन केन्द्र,संकुल तथा ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से करायेंगे तथा उनका अनुश्रवण एवं प्रगति की समीक्षा किया करेंगे, इसके साथ ही यह लोग राज्य परियोजना कार्यालय एवं ग्राम स्तर तक के मध्य सामान्जस्य बनाये रखेंगे।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं उनका पर्यवेक्षणः—

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु एवं मानक के अनुरूप गुण्वत्ता को नियंत्रित करने की दृष्टि से जिला परियोजना कार्यालय में एक सहायक अभियन्ता तथा 12 विकास खण्डों में विकास खण्ड स्तर पर एक – एक अवर अभियन्ता को संविदा पर नियोजित करने का प्राविधन किया गया है। इनकी संविदा की व्यवस्था नियत मानदेय पर की जायेगी। परन्तु अब तक संविदा पर व्यवस्था की अनुमति प्राप्त नही होती है उस समय तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में पूर्व से निर्धरित प्रक्रिया के अनुरूप ही की जायेगी।

अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति के आदेशानुसार परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण निर्माण विभाग की विभिन्न इकाइयों द्वारा किया जाएगा, जिससे उनकी गुणवत्ता उच्चकोटि की बनी रहे। तकनीकी पर्यवेक्षण करने वाले कर्मचारियों को प्रति निर्माण कार्य मानदेय दिए जाने का प्राविधन है। मानदेय की धनराशि प्रति विद्यालय रू01000/– प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष रू0500/– तथा प्रति शौचालय रू0200/– दिये जाने का प्रस्ताव है। विद्यालय भवन के साथ निर्मित किए जाने वाले शौचालय निर्माण हेतु तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए अलग से कोई मानदेय दिए जाने का प्राविधन नहीं है। मानदेय की धनराशि में समय समय पर आवश्यकतानुरूप परिवर्तन किया जा सकता है।

शिक्षा प्रबन्धन सूचना प्रणाली–;ई0एम0आई0एस0द्ध

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूचना प्रणाली तंत्र को सुदृढ बनाने के उद्देश्य से जिला परियोजना कार्यालय में एक कियाशील ई0एम0आई0एस0 सेल का गठन किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में यह कार्य प्राथमिक विद्यालयों के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। वर्ष 1997–98 से 2000–2001 तक के शैक्षिक आंकडे वर्तमान में उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए कम्प्यूटरवेस सापफटवेयर तथा कम्प्यूटर का हार्डवेयर उपलब्ध है। अनौपचारिक शिक्षा का एक कम्प्यूटर उपलब्ध है, जिसको उच्चीकृत कराना आवश्यक होगा, जिससे उसका उपयोग शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना, नवाचार शिक्षा योजना की गतिविधियों का अनुश्रवण एवं आंकलों का संकलन एवं विश्लेषण करने में सहायता मिल सके। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम के अतिरिक्त एक अन्य कम्प्यूटर की भी आवश्यकता होगी, जिससे उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में शैक्षिक आंकडे संकलित एवं विश्लेषित किए जा सके, इस प्रकार तीन कम्प्यूटर सेट सूचना प्रणाली का प्रबंधन किया जा सके।

सम्पूर्ण सूचना प्रणाली का अध्यावधिक एवं उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट के लिए एक अलग कम्प्यूटर की आवश्यकता होगी, जिसका संचालन एवं नियंत्रण कम्प्यूटर एनालिस्ट द्वारा किया जायेगा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, नवाचार शिक्षा, समेकित शिक्षा तथा अन्य शैक्षिक सांख्यिकी व्यापक कार्य को सम्पादित करने के लिए कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 सेल स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, जिसके प्रभारी सिस्टम एनालिस्ट;ई0एम0आई0एस0द्ध अधिकारी होंगे। विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट एवं विश्लेषण तत्परता से हो सके, इसके लिए परियोजना में कार्यरत तीन कम्प्यूटर आपरेटर सहयोगी के लिए सदैव कार्यरत रहेंगे।

सिस्टम एनालिस्ट;ई0एम0आई0एस0 अधिकारीद्धके कर्तव्य एवं दायित्वः–

जिला परियोजना कार्यालय में कार्यरत होने वाले सिस्टम एनालिस्ट के कर्तव्य एवं दायित्व निम्न प्रकार होंगे:--

1. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सांख्यिकी प्रपत्रा भरवाकर समयबद्ध रूप से अक्टूबर के प्रथम पक्ष में जिला स्तर पर एकत्रीकरण करना ।
2. भरे हुए प्रपत्रों की जांच करके सैम्पिल चेकिंग कराना, यदि कोई परिवर्तन हो तो आवश्यक संशोधन कराना तथा उसके बाद इन आंकड़ों को अभिलिखित कराना ।
3. विद्यालय सांख्यिकी तथा अन्य सांख्यिकी प्रपत्रों के संबंध में आवश्यकतानुसार समय समय पर बी0आर0सी0 के समन्वयक सह– समन्वयक, संकुल प्रभारी तथा अध्यापकों को प्रशिक्षण देना और ऐसे प्रशिक्षणों का आयोजन कराना।
4. सांख्यिकी प्रपत्रों को समय से मुद्रित एवं वितरित कराना ।
5. प्रत्येक वर्ष माह दिसम्बर के अन्त तक डाटा एंट्री कराकर रिपोर्ट तैयार कराना और राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित करना ।
6. संकुल एवं विकास खण्डवार ई0एम0आई0एस0 की विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करके जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना।
7. सभी प्रकार के शैक्षिक सांख्यिकी के प्रयोजन हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा जनपदीय, मण्डलीय एवं राज्य स्तरीय बैठकों में प्रतिभाग करना
8. माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण करके संबंधित को प्रस्तुत एवं प्रेषित करना ।

<u>विद्यालय सांख्यिकी के प्रशिक्षणों का आयोजन:–</u> विद्यालय के विभिन्न आंकडों की शुद्धता एवं समय से तैयार करने हेतु एक कार्यकारी योजना चरणबद्ध ढंग से चलाई जाएगी, जिससे समस्त आंकडे समय से प्राप्त हो सके और उनका संकलन करके सैम्पिल जॉच कराकर शुद्धता की निकटता प्राप्त की जा सके यह कार्य वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, इसलिए अध्यापकों, संकुल प्रभारी तथा बी0आर0सी0समन्वयक एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाना अतिआवश्यक है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम विभिन्न चरणों में तथा विभिन्न स्तरों पर निम्न प्रकार आयोजित किया जाएगा।–

1. <u>जिला स्तर पर–</u> जिला परियोजना कार्यालय में जिला स्तर पर सभी समन्वयक, कम्प्यूटर आपरेटर स्टाफ तथा लेखकर्मी / अधिकारी इस प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जायेगे। यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा।
2. <u>ब्लाक स्तर–</u> इस प्रशिक्षण में ब्लाक स्तर पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी प्रतिभाग करेंगे। यह प्रशिक्षण एक दिवसीय होगा।
3. <u>न्याय पंचायत स्तर पर:–</u> यह प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर पर दो दिवसीय होगा, जिसमें संकुल प्रभारी तथा संकुल के अन्तर्गत आने वाले समस्त उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान प्रतिभाग करेंगे

<u>प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट स्तर पर-</u> एस0पी0ओ0 / सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एवं बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फार्म लगभग रू0 30000/- प्रति वर्ष व्यय होने का अनुमान है।

<u>आँकडों का एकत्रीकरण एवं शुद्धता की जाँच:-</u> नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गये साख्यिकी प्रपत्र पर प्रत्येक वर्ष 30सितम्बर के आंकडों पर आधारित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के द्वारा प्रपत्रों को पूर्ण कर जिला स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। और कम्प्यूटर में डाटा एंट्री के पश्चात प्रिंट आउट निकालने के बाद एक प्रति संबंधित प्र0अ0के पास भेजी जाएगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा कम्प्यूटर के प्रिंट द्वारा दी गयी सूचना में कोई अन्तर तो नहीं है। प्र0अ0 किसी प्रकार की त्रुटि की दशा में तुरन्त जिला परियोजना कार्यालय को सूचित करेगा और उसके बाद जिला परियोजना कार्यालय पर आवश्यक संशोधन कर लिया जाएगा, इस प्रकार आंकडों की शुद्धता की जाँच भी हो जाएगी ।

<u>आँकडों का उपयोग:-</u> कम्प्यूटर में संकलित आंकडों के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं- जैसे- छात्र एवं अनुपात में सही स्थिति बनाये रखने के लिए अध्यापकों की आवश्यकता का आंकलन, बैठने के लिए आवश्यक कक्षा कक्षों की संख्या का आंकलन निःशुलक पाठ्य पुस्तक वितरण का नियोजन, रिपीटीशन दर, ड्राप आउट दर जी0 आ माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण और तद्नुरूप कार्ययोजना में वांछित कार्यक्रमों गतिविधियों का समावेश एवं संशोधन किया जा सके। इन आंकडों का उपयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु ही किया जाएगा।

1. शिक्षकों का विवरण ज्ञात करने में ।
2. नवीन विद्यालयों हेतु अतिरिक्त बस्तियों का आंकलन ।
3. पुर्ननिर्माण हेतु विद्यालय भवनों का चिन्हींकरण ।
4. शौचालय विहीन विद्यालयों का चिन्हींकरण ।
5. हैण्ड पम्प विहीन विद्यालयों का चिन्हींकरण ।
6. विद्यालयों में छात्रों की संख्या के आधार पर अतिरिक्त कक्षा कक्ष की मॉंग का निर्धारण
7. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हींकरण ।
8. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों के चयन हेतु विद्यालयों का चिन्हींकरण ।
9. बालिकाओं के कम नामांकन के आधार पर ग्राम शिक्षा समितियों एवं सकुल का चिन्हींकरण ।
10. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के प्रयोजन हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन करना।
11. अवस्थापना संबंधी मॉंगों का आंकलन व निर्धारण ।
12. महिला प्रेरक समूह मॉडल कलस्टर माता शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ आदि के कार्यक्रमों को सुनिश्चित करना ।
13. स्कूल चलो अभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आयोजन करना ।
14. विभिन्न स्तरों पर विद्यालयों के निरीक्षण के रोस्टर तैयार करना ।
15. छात्रवृत्ति वितरण हेतु धनराशि का आंकलन करना ।
16. खाद्यांन वितरण हेतु खाद्यान की मात्रा का निर्धारण करना ।
17. विशिष्ट अक्षमता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर सुविधाओं का आंकलन एवं प्रबन्धन ।

<u>कोहॉर्ट स्टडी:-</u> प्रत्येक दो वर्ष पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय लिए तथा छात्र छात्राओं में ठहराव की वृद्वि हेतु कोहॉर्ट स्टडी का आयोजन किया जाएगा, यह स्टडी वाह्य एवं स्वतंत्रा

एजेन्सी से कराई जाएगी। और उसका अनुश्रवण राज्य शिक्षण प्रबन्धन संस्थान सीमेट के द्वारा किया जाएगा, जिसपर रू0 4लाख व्यय होने का अनुमान है।

<u>प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम(पी0एम0आई0एस0):-</u>

परियोजना के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रति माह तैयार करके पी0एम0आई0एस0 के द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। पी0एम0आई0एस0 के माध्यम से रिपोर्ट तैयार करके एक महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा कि जिन कार्यक्रमों/ गतिविधियों की प्रगति धीमी होगी, उसमें द्रुत गति लाने के लिए संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी को निर्देशित किया जा सकेगा तथा कार्यक्रमों पर प्रभावी नियंत्रण रहेगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में एल0ए0सी0आई0(लेसी) के अन्तर्गत कम्प्यूटराइज्ड वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसका उपयोग सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत एम0आई0एस0 के माध्यम से जिला परियोजना कार्यालय में किया जाएगा।

<u>जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान:-</u> वर्तमान में जनपद महराजगंज में इस संस्थान का भवन निर्माणाधीन है। प्रतिस्थानी के रूप में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर के द्वारा जनपद महराजगंज का कार्य कराया जा रहा है। जनपदीय संस्थान का भवन पूर्ण हो जाने पर स्वतंत्र रूप से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्य करना प्रारम्भ कर देगा, इसकी स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से की गयी है:-

1. ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रम तथा गतिविधियों और लक्ष्यों की जानकारी देना ।
2. जिले के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गुणवत्ता की दृष्टि से निरीक्षण करना, परिणामों का विश्लेषण करना और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा संबंधित को मार्गदर्शन एवं निर्देशन देना ।
3. जनपद स्तर पर एकेडमिक संसाधन का गठन करना ।
4. नवाचार कार्यक्रम का विकास करना और उनका क्रियान्वयन कराना ।
5. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों एवं गतिविधियों का संचालन एवं निर्देशन करना तथा उनपर प्रभावी नियंत्रण करना।
6. जनपद स्तर पर विभागीय तथा अन्य विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके शैक्षिक गतिविधियों की कार्ययोजना तैयार करना एव उनका क्रियान्वयन कराना ।
7. विद्यालय ,संकुल, बी0आर0सी0 तथा जिला परियोजना कार्यालय पर समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करना तथा नवीन तकनीको से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उचित वातावरण तैयार करना ।
8. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के प्रमुख संस्थानों से समन्‍ अनुसंधान और शोध संबंधी कार्यो को करना तथा कर्मचारियों की क्षमता में वृद्वि करना ।
9. जनपद स्तर की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं के उपचार एवं निदान के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों एवं निष्कर्शो के जानकारी संबधित को उपलब्ध कराना ।
10. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर करना ।
11. शैक्षिक आंकडों का विश्लेषण करना और नियोजन में उनके उपयोग हेतु कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देना ।
12. शिक्षक,शिक्षा मित्र,ई0सी0ई0 ई0 कार्यकर्ता, आचार्य जी, मौलवी,गुरू जी,दीदी जी,संकुल प्रभारी तथा ब्लाक समन्वयक एवं सह-समन्वयक तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना ।

13

अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी0आर0सी0 की प्रस्तावित भूमिका:—

ब्लाक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे। इनके द्वारा किये जाने वाले अन्य कार्य निम्नलिखित होंगे।

— सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन।

— विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण एवं अनुसमर्थन।

— वैकल्पित शिक्षा, ई0जी0एस0, शिशु शिक्षा केन्द्रों, नवाचार केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं अनुसमर्थन।

— समुदाय के सदस्यों का बी0आर0सी0 के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायत राज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना।

— ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण।

— अकादमिक समस्याओं के निराकरण हेतु एन0पी0आर0सी0 तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी के रूप में कार्य।

— बी0आर0सी0 स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु संदर्भ समूह का गठन।

— शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना।

— विद्यालय विकास योजना का निमार्ण करना तथा अकादमिक अनुसमर्थन देना।

— बी0आर0सी0 स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करना।

— प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनाना।

एन0पी0आर0सी0 की प्रस्तावित भूमिका:—

न्याय पंचायत स्तर पर संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करे साथ ही निम्ननिलिखत अन्य कार्य भी करेंगे—

— शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करना।

— विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई0सी0सी0ई0 तथा ई0जी0एस0 केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण व अनुसमर्थन देना।

— ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों पी0टी0ए0 / एम0टी0ए0सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

— ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण।

— स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण।

– टी0एल0एम बेहतर समझ और गुणवत्ता परक सम्प्राप्ति में कहाँ तक सहायक है ?

– मूल्यांकन पद्धति क्या होगी ?

– समुदाय / संस्थान सहयोग कैसे बेहतर हो सकता है ?

– प्रशिक्षण तथा नव विकसित पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग व उसके अभ्यासों के बारे में बेहतर समझ बनायी जायेगी। इस हेतु डायट द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे–

<u>शिक्षकों में शिक्षण कौशल एवं क्षमता में वृद्धि करना:–</u>

शिक्षकों में सामान्यतः यह प्रवृत्ति विकसित हो गयी है कि अनवरत अध्ययन और सीखने की जरूरत नहीं है। विजनिंग के दौरान इस सोच को बदलने का प्रयास किया जायेगा। ऐसी गतिविधियों का नियोजन–आयोजन किया जायेगा जिससे शिक्षक महसूस कर सकें कि हमें निरन्तर जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

अब तक क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जाते रहे है। शिक्षकों के क्षमता विकास में कौन–कौन सी चीजें सहायक होंगी इस बारे में चर्चा कर रणनीति बनायी जायेगी। शिक्षकों एवं अनुदेशकों के क्षमता विकास के साथ–साथ ए0बी0एस0ए0 / बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 का क्षमता विकास करने का प्रयास समय–समय पर किया जाता रहा है। इसके अन्तर्गत शैक्षिक स्पोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालायें तथा इसी प्रकार के अन्य प्रशिक्षण व कार्यशालायें की गयी। परन्तु इनका सार्थक प्रभाव कम ही दिखायी दिया है। इस अभियान के तहत इन प्रशिक्षणों / कार्यशालाओं को अधिक से अधिक व्यावहारिक बनाते हुये विषयवस्तु एवं तौर–तरीकों पर गहराई से समझ बनायी जायेगी। इसके लिए नये तौर–तरीके और मान्यताओं के अनुसार कक्षा में हो रहे कार्यो को देखने और करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की जनपद स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने व वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई0सी0सी0ई0 प्रशिक्षण समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु डायट अभिकर्मियों का क्षमता विकास करने के लिए संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में ये कार्य किये जायेंगे। डायट द्वारा ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापक और बी0आर0सी0 के समन्वयक एन0पी0आर0सी0 के प्रभारियों की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों के माध्यम से कराया जायेगा। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता / व्याख्यान का आयोजन करके अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी।

लेखा अभिलेखों का रख-रखाव तथा निधि का हस्तान्तरण:-

सर्वशिक्षा योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के संचालन हेतु बजट स्वीकृत होने के उपरान्त जो धनराशियां समय-समय पर राज्य परियोजना कार्यालय बैंक में एक बचत खाता अलग खोला जायेगा इस खाते का संचालन जिला परियोजना अधिकारी / विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी से संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा इस परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि के आय एवं व्यय से संबंधित समस्त अभिलेख अलग से रखे जायेगें तथा सुरक्षित ढंग से अभिलेखों को रखा जायेगा ।

राज्य परियोजना कार्यालय से जो धन जिला परियोजना कार्यालय को प्राप्त होगा उसका मार्ग निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुऐ बी0आर0सी0,संकुल तथा ग्राम शिक्षा समिति को हस्तान्तरण किया जायेगा अध्यापक अनुदान/ विद्यालय अनुदान की धनराशि सीधे ग्राम शिक्षा समिति को हस्तान्तरित की जायेगी, स्वयं सेवी संगठनों से संबंधित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु धनराशि उनके खातों में हस्तान्तरित की जायेगी ।

प्रशिक्षण पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता से संबंधित कार्यक्रमों की धनराशि राज्य परियोजना कार्यालय से सीधे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित की जायेगी जिसका उपभोग करने हेतु संस्थान द्वारा उक्त धनराशि बी0आर0सी0 तथा संकुल को स्थानान्तरित की जायेगी ।

जिला परियोजना कार्यालय में वेतन भत्तों के अतिरिक्त आकस्मिक व्यय अथवा कय हेतु धनराशि का उपभोग नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा आवश्यकता अनुरूप अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति/ जिलाधिकारी से अनुमोदन एवं स्वीकृति भी प्राप्त की जायेगी क्योकि परियोजना में जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के समस्त अधिकार प्राप्त है ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बैंक खाते का संचालन प्राचार्य डायट एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा । ब्लॉक संसाधन केन्द्र एवं न्यायपंचायत के भी खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा ।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रोक्योमेंट प्रोसिजर तथा वित्तीय प्रबंधन नियमों का पालन करते हुऐ कय प्रक्रिया अपनायी जाती है जिसका भविष्य में भी पालन किया जायेगा, यदि इन नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी तो राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लिए गये निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा ।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियाजना कार्यालय के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निमयमों एवं वित्तीय प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रथम वर्ष दिया जाएगा, जिसपर लगभग रू0 5हजार का व्यय होगा। अनुवर्ती वर्षो में समय समय पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी।

परियोजना में कार्यरत विकास खण्ड एवं संकुल स्तर पर तथा विद्यालय स्तर पर संबंधित कर्मियों को भी वित्तीय प्रबन्धन एवं लेखानियमों का प्रशिक्षण प्रतिवर्ष दिया जाएगा।

परियोजना कार्यकमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके खाते बैंकों में पूर्व से ही संचालित हैं। अतः इस परियोजना की धनराशि भी उन्हीं खातों में स्थानांतरित की जाएगी।

संकुल तथा ब्लाक स्तर से प्रति माह होने वाले व्यय का विवरण आगामी माह के प्रथम सप्ताह में जिला कार्यालय मे प्राप्त किया जाएगा तथा जिला परियोजना कार्यालय और प्राप्त व्यय विवरण का संकलन कर मासिक व्यय विवरण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाएगा, इस सम्पूर्ण कार्य के लिए सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी उत्तरदायी होगें, जो अपने सहयोगी लेखाकर्मियों के माध्यम से इसको पूर्ण करायेंगे।
धन का स्थानांतरण निम्न प्रकार किया जाएगा-

फन्ड फलो डॉयग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय

जिला परियोजना कार्यालय

1.बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0

2.ग्राम शिक्षा समिति

3.अध्यापक

4.स्वयं सेवी संस्था आदि

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0

लेखा परीक्षण एवं सम्प्रेक्षण व्यवस्था:-

जिला परियोजना कार्यालय द्वारा जो धनराशियाँ बी0आर0सी0,संकुल तथा विद्यालयों को स्थानांतरित की जायेंगी।उनका प्रभावी नियंत्रण एवं मूल्यांकन समीक्षा जिला परियोजना कार्यालय में कार्यरित सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के सहयोगियों द्वारा समय सम. र की जायेगी, जिससे परियोजना की धनराशि के अपव्यय तथा व्यपहरण एवं दुरूपयोग को रोका जा सके।

राज्य स्तर से जिला परियोजना कार्यालय का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कराया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टेंट तथा आडिट के नियमों तथा शर्तो का निर्धारण उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ के द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार के नियग.. के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के लेखअभिलेखों का सम्प्रेक्षण महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद के स्तर से भी किया जाएगा।

राज्य परियेजना कार्यालय के द्वारा समय समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।

<u>मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की व्यवस्था:-</u>

परियोजना की समस्त गतिविधियों एवं क्रियान्वयन तथा उनका अनुश्रवण करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप वि0नि0 एवं जिला समन्वयक तथा बी0आर0सी0 समन्वयक तथा सह-समन्वयक और संकुल प्रभारी आदि से सगीशात्मक बैठक की जाएगी। और परियोजना की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों एवं समस्याओं का निराकरण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही त्वरित गति से की जाएगी। जिससे बिना किसी अवरोध के परियोजना की समस्त गतिविधियों एवं कार्यक्रम का सफल संचालन एवं क्रियान्वयन कराया जा सकें। राज्य स्तरीय निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक माह राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली परियोजना की मासिक बैठक में ऐसी समस्याओं से अवगत कराकर उपचार/ निदान हेतु दिशा निदेश लिये जायेगे, जिनका निराकरण जनपद स्तर पर सम्‍ नही होगा। इस प्रकार इस सम्पूर्ण प्रणाली के व्यवस्था जिला परियोजना कार्यालय स्तर पर की जाएगी ।

आगामी वर्ष की कार्ययोजना बनाते समय विगत वर्षों में आई बाधाओं एवं समस्याओं तथा गुण व दोष के दृष्टिगत मध्य सत्रीय अध्ययन से अनुभव के आधार पर विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

वर्ष 1997–98 से जून 2003 तक गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु कराये गये कार्यो की प्रगति आख्या					
गतिविधियां	विषयवस्तु/मॉड्यूल	लाभार्थी वर्ग	लाभार्थियों की संख्या		परिणाम
			लक्ष्य	उपलब्धि	
प्रथम चक्र अभिप्रेरण प्रशिक्षण 10दिवसीय	शिक्षकोदय शिक्षक अभिप्रेरण,बालिका शिक्षा,सामुदायिक सहयोग	समस्त प्राथमिक शिक्षक	2143	2143	बालिका शिक्षा,व वंचित वर्ग वच्चों की ओर विशेष ध्यान गया। सामुदायिक सहयोग की आवश्कता महसूस की गयी। इन क्षेत्रों में प्रगति हुई
द्वितीय चक्र गतिविधि आधारित 8 दिवसीय	सबल विषयो,की समझ, वच्चों,का सीखना ,शिक्षक,की भूमिका ,गतिविधियां	समस्त प्राथमिक शिक्षक	1761	1754	वच्चों,शिक्षकों,विषयों की समझ बनी, कक्षा शिक्षण में टी0एल0एम0व गतिविधि प्रयोग की दक्षता विकसित हुई कक्षा शिक्षण में चर्चा/वातचीत पर बल दिया जाने लगा।
तृतीय चक्र नवीन पाठ्य पुस्तक आधारित 8 दिवसीय	साधन नवीन पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु , प्रस्तुतीकरण व शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग, मूल्याकंन प्रणाली	समस्त प्राथमिक शिक्षक	1512	1506	नवीन पाठ्य पुस्तको की विषय वस्तु एवं उनके पाठों की प्रस्तुतीकरण के ढंग में हुए परिवर्तनो तथा उनका शिक्षण ठीक ढंग से करने के लिए विकसित शिक्षक संदर्शिकाओ से शिक्षक परिचित हुए।
चतुर्थ चक्र संकुल आधारित (रोस्टर क्रम में) मासिक प्रशिक्षण	शिक्षण अभ्यास टी0एल0 एम0 निर्माण प्रयोग शैक्षणिक कठिनाइयेां की पहचान एवं समाधान	समस्त प्राथमिक शिक्षक एवम् शिक्षा मित्र	2428	2412	कक्षा शिक्षण के दौरान अनुभूत कठिनाइयों का परस्पर अनुभवों के आधार पर निराकरण ,कक्षा शिक्षण का व्यावहारिक अभ्यास की सहजता तथा टी0 एल0 एम0 की निर्माण ,प्रयोग सहजता लक्षित हुई।
दो दिवसीय प्रशिक्षण	मूल्यांकन विषयक शिक्षक हस्त पुस्तिका एवम् कार्य योजना	समस्त प्राथमिक शिक्षक एवम् शिक्षा मित्र	3336	3300	शैक्षिक मापन एवम मूल्योकन की समझ तथा सतत एवम व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का वयावहारिक अनुभव पांप्त हुआ । मूल्यांकन को शिक्षण का अनिवार्य अंग समझने में मदद मिली ।

इनके अतिरिक्त निम्नाकित सेवारत शिक्षक प्रश्शिण आयोजित किये गये					
लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण चार दिवसीय	वालिका शिक्षा के प्रति जागरुकता	समस्त प्राथमिक शिक्षक	1512	1500	शिक्षकों में बालिका शिक्षा के प्रति जागरुकता बढी , नामांकन, ठहराव सम्प्राप्ति में सुधार हुआ
समेकित शिक्षण प्रशिक्षण पांच दिवसीय	विशिष्ट आवश्यकता वाले वच्चे की पहचान एवम उनकी सामान्य वच्चों की शिक्षा।	4 विकास खण्डों के समस्त शिक्षक	959	959	सामान्य वच्चों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले वच्चों के शिक्षण व्यवस्था में शिक्षकों में दक्षता विकसित हुई।
शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण 30 दिवसीय	आधारभूत प्रशिक्षण	चयनित शिक्षा मित्र	1936	1924	वालकेन्द्रित शिक्षण विधा,खेल गतिविधियां, टी0 एल0 एम0 का प्रयोग के साथ–साथ शिक्षण की आधारभूत दक्षताओं का विकास हुआ। जिसका लाभ वच्चों को मिला
शिक्षा मित्रों का पुनर्वो0 प्रशिक्षण 15 दिवसीय	पाठ्य पुस्तके शिक्षक संदर्शिकाओं, टी0एल0एम0 की गतिविधि का प्रयोग एवम शिक्षण अभ्यास	वर्ष 01–02 में वर्ष 02–03 में	800 722	771 721	शिक्षण कठिनाइयों का निराकरण ,पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु व उनके शिक्षण विधा में दक्षता विकसित हुई ।जिसका लाभ वच्चों को मिला ।
बी0आर0 सी,एन0 पी0 आर0 सी0 समन्यको का 4 दिवसीय प्रशिक्षण	कार्य एवं उत्तर दायित्व संवंधी	समस्त समन्यवक	126	126	प्रा0 विद्यालयों के वच्चा,शिक्षको को शैक्षिक अनुसमर्थन मिला ,गुणवत्ता सुधार में प्रगति हुई।
प्रा0 वि0 के मुख्य अध्यापकों का प्रशिक्षण	नेतृत्व क्षमता का समवर्द्वन	समस्त प्रा0 वि0 के प्रधानाध्यापक	1040	46	प्रशिक्षको का प्रशिक्षण सम्पन्न जिनके द्वारा प्राधा0 का प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

कार्यशाला					
विजिनिंग कार्यशाला	प्रा0 शिक्षा का परिदृश्य, वच्चा शिक्षक सीखने की प्रक्रिया ,चुनौतिया एवं समाधान के लिए एक समान अर्न्तदृष्टि (वीजन) विकसित करना ।	समन्यवक जिला समन्वयक परियोजना स्टाफ व अधिकारी गण ।	144	136	जनपद की वास्तविक परिस्थितिओं में प्रा0 शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां व समाधान हेतु एक समान अर्न्तदृष्टि विकसित हुई ।
(टी0एल0 एम0) कार्यशाला	टी0 एल0 एम0 निर्माण व प्रयोग की दक्षता	समस्त प्रा0 वि0 शिक्षक एवं प्रवेक्षक	115 प्रतियो0	115 प्रतियो0	न्याय पंचायत, ब्लाक स्तर व जनपद स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन से सीखने –सिखाने की प्रयि को सरल वनाने में समझ एवं कौशल का विकास हुआ ।
गुणवत्ता संवर्द्धन कार्यशाला	प्रश्न अभ्यास, कक्षा शिक्षण जांच एवं संशोधन	समस्त पर्यवेक्षक	13 कार्यशालाएं	13 कार्यशालाएं	नवीन पाठ्य पुस्तकों में दिये गये प्रश्न अभ्यासों को शिक्षण का अंग बनाने तथा उनके जांच एवं संशोधन की दक्षता का विकास हुआ। जिसका लाभ मासिक बैठकों के द्वारा समस्त शिक्षकों एवं बच्चों का मिला

प्रतियोगिताओं का आयोजन

विद्यालय ,संकुल व बी0 आर0 सी0 स्तर पर-समय –समय पर विविध प्रतियोगिताओं जैसे– कहानी, कविता, निबन्ध, भाषण, गीत, लोक कथा, लोक नृत्य, अभिनय एवं बाल अखबार आदि का आयोजन किया गया। जिससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा का विकास हुआ।

इसी प्रकार शिक्षकों में आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, टी0एल0एम0 निर्माण प्रयोग की प्रतियोगिताऐं न्याय पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर आयोजित की गयी।

सर्वेक्षण

आधारभूत सर्वेक्षण – परियोजना प्रारंभ के साथ–साथ प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर के मूल्यांकन हेतु आधारभूत प्रशिक्षण, मूल्यांकन अध्ययन SCERT के सहयोग से किया गया और जनपद के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये।

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वे – निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्राथमिक विद्यालयों में हुई प्रगति के मूल्यांकन हेतु SCERT के सहयोग से मध्यावधि मूल्यांकन सर्वे प्राथमिक विद्यालयों में कराया गया और मूल्यांकन परिणाम को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनायी गयी। इस हेतु ब्लाक एवं जनपद स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण – SCERT के सहयोग से पांच वर्षो में किये गये प्रयास का मूल्यांकन निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष किया गया।

महाराजगंज

नेशनल प्रोग्राम फार द एजूकेशन आफ गर्ल्स ऐट द एलीमेण्ट्री लेवल (एन0पी0ई0जी0ई0एल0) कार्यक्रम

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के सम्बर्धन हेतु एक अतिरिक्त इनपुट के रूप में एन0पी0ई0जी0ई0एल0 नामक कार्यक्रम चलाया जायेगा। यह कार्यक्रम उन विद्यालयों में लागू होगा जहाँ महिला साक्षरता दर 30.62 (वर्ष 91 जनगणना) और पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में जेण्डर गैप 27.25 से अधिक हो तथा 642 Urban Wards के मलिन बस्तियों में समलित किया जायेगा। प्रथम चरण में वर्ष 2003–04 हेतु कुल 2374 ऐसे विद्यालय चिन्हित किये गये है। अगामी वर्ष में समस्त चिन्हित विकास खण्ड एवं नगरीय वार्डो के अन्य विद्यालयो के आच्छादन की योजना है। परियोजना हेतु, सर्व शिक्षा अभियान की भांति ही व्ययभार का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन होगा।

प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन ढाँचा

- राज्य स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। परिषद के अन्तर्गत विकसित जेण्डर यूनिट द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा। परियोजना में कार्यरत वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा ही एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- जनपद स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन गठित जिला परियोजना समिति द्वारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्षमता सम्बर्धन हेतु एक जेण्डर यूनिट का गठन किया जायेगा। परियोजना में कार्यरत समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा ही एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- ब्लाक स्तर पर परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत ब्लाक स्तरीय दो सहायक समन्वयक में से एक जेण्डर को–आर्डिनेटर के रूप में कार्य करेगा जोकि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।

- जिन जनपदों के विकास खण्डों में महिला सामाख्या कार्यरत है वहाँ पर ब्लाक स्तर पर एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम परियोजना के समन्वय के साथ महिला सामाख्या द्वारा क्रियान्वयन किया जायेगा तथा ब्लाक जेण्डर समन्वयक के रूप में महिला सामाख्या के ब्लाक प्रतिनिधि कार्य करेंगे / करेंगी। परियोजना में 5 जनपदों में महिला सामाख्या कार्यरत है तथा कुल 5 ब्लाकों में कार्यक्रम संचालित कर रही हैं।

बजट व्यवहार – परियोजना के पूर्व तक नियमानुसार एन0पी0ई0जी0ई0एल0 बजट व्यवहृत किया जायेगा। केवल ऐसे विकासखण्ड जहाँ महिला सामाख्या कार्यरत है वहाँ पर ब्लाक स्तर पर किया जाने वाला व्यय महिला सामाख्या द्वारा व्यवहृत किया जायेगा। परन्तु विद्यालय स्तर का व्यय परियोजना में नियमानुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। जिसकी मानीटरिंग महिला सामाख्या करेगी।

प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु एवं बजट विवरण

- आच्छादित क्षेत्र:– भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उ0 प्र0 के 70 जनपदों के 774 विकासखण्डों तथा 642 नगर क्षेत्रों के कुल 2374 विद्यालयों को प्रथम चरण मे मॉडल क्लस्टर विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है, अगामी वर्षो में अन्य विद्यालयों के चयन की योजना है।

- मदवार बजट :–

1. क्लास्टर विद्यालय हेतु आवर्तक अनुदान :– बालिका शिक्षा सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से विद्यालय का रख–रखाव करनें तथा कौशल आधारित विषयों पर प्रति विद्यालय अनुदेशक की व्यवस्था हेतु कुल रू0 20,000.00 प्रति विद्यालय

आवर्तक अनुदान रखा गया है। अनुदेशक का मानदेय रू0 1000.00 प्रतिमाह होगा तथा एक विद्यालय पर अधिकतम तीन माह के लिए अनुदेशक रखा जायेगा। अनुदेशकों की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

आवर्तक अनुदान का मदवार विवरण–

- अनुदेशक मानदेय – 3000.00
- लकड़ी की बेंच एवं मेज (बच्चों के बैठने हेतु)– 15000.00
- अन्य रख–रखाव – 2000.00

2. छात्र मूल्यांकन, Remedial Teaching, ब्रिजकोर्स, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के अन्तर्गत बालिकाओं के सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने, विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के लिए ब्रिजकोर्स अथवा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के संचालन हेतु प्रति विद्यालय रू0 10,000.00 की धनराशि प्रस्तावित है।

3. अध्यापक प्रशिक्षण – बालिकाओं के कौशल विकास हेतु पर एक विद्यालय के 4 अध्यापकों को कार्यानुभव शिक्षा प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसकी ईकाई लागत प्रति अध्यापक प्रति दिन रू0 70.00 होगी।

4. शिशु शिक्षा केन्द्र :– आंगनवाड़ी विभाग के साथ कन्वर्जेंस करते हुए क्लस्टर विद्यालय पर ई.सी.सी.सी.ई. केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा। जिन विद्यालयों आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हैं वहाँ पर केन्द्र संचालन मीना मंच द्वारा किया जाने का प्रस्ताव है। प्रति केन्द्र रू0 6000 की दर से बजट प्रस्तावित किया गया है।

केन्द्र संचालन की प्रक्रिया तथा बजट का ब्रेक–अप निम्नवत है।

- चयन प्रक्रिया – मंच की आम सभा में संचालिका का चयन किया जायेगा तथा मंच के प्रस्ताव पर ग्राम शिक्षा समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- मीना मंच की कार्यकारिणी समिति केन्द्र संचालन का सुपरविजन करेंगी।
- मंच की अन्य बालिकाएं केन्द्र का सहयोग करेंगी।
- केन्द संचालन मीना कक्ष में किया जायेगा।

संचालिका हेतु पात्रता–

14–18 वय वर्ग की मीना मंच की सदस्य हो तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास हो।

बजट विवरण –

मानदेय : 400 प्रतिमाह प्रति संचालिका। (10 माह हेतु)

केन्द्र स्थापना –2000 प्रति केन्द्र (सामग्री सूची तथा क्रय प्रकिया ई0सी0सी0ई0 की भांति रहेगी)।

5. क्लस्टर विद्यालयों की बालिकाओं हेतु यूनिफार्म तथा वर्क बुक हेतु प्रति बालिका रू0 150.00 की दर से धनराशि अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

6. सामुदायिक सहभागिता :– सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रति जनपद कुल रू0 1,40,000.00 की धनराशि का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार तथा टी0ए0/डी0ए0 की व्यवस्था शामिल है। उक्त धनराशि का फॉटवार विवरण निम्न है।

   प्रचार–प्रसार हेतु प्रत्येक चयनित क्लस्टर विद्यालय पर एक विशेष डिजाइन का रिक्शा होगा जो लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार–प्रसार करेगा। क्लस्टर विद्यालय हेतु बालिकाओं की सांस्कृतिक टीम को गांव में भ्रमण करायेगा, ऐसी बालिकायों जो विकलांग हैं अथवा विद्यालय दूरी के कारण स्कूल नहीं आती हैं। उन्हे विद्यालय

लाने ले जाने का कार्य करेगा। रिक्शा चालक के रूप में गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को चयनित किया जायेगा, जिसका चयन ग्राम शिक्षा समिति करेगी । रिक्शा चालक को किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जायेगा। वह खाली समय में रिक्शा का प्रयोग अपनी रोजी हेतु कर सकता है। यदि समुदाय चाहे तो रिक्शा चालक को मानदेय दे सकती है।

बजट ब्रेक अप–

- रिक्शा – 10,000.00 X क्लस्टर विद्यालयों की संख्या (यह बजट जनपदवार अलग–अलग होगा)
- टी0ए0/डी0ए0– 20,000.00 प्रति जनपद
- मेला सेमिनार, कार्यशाला एवं प्रचार प्रसार – 20,000.00 प्रति जनपद

7. लायब्रेरी स्थापना खेलकूद की सामग्री आदि – क्लस्टर विद्यालयों में लायब्रेरी स्थापित की जायेगी तथा खेलकूद के लिए झूलों आदि की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिए प्रति विद्यालय रू0 30,000.00 की धनराशि प्रस्तावित की गयी हैजिसका बजट ब्रकअप निम्नवत है।

1	झूला	@ 15000.00
2	सायकिल	@ 900.00 X 5=4500.00
3	वेइंग मशीन	@ 500.00
4	किताबें	@ 5000.00
5	साउ॰ ॰ सिस्टम 1	@ 1500.00

6 आडियो सिस्टम 1 (टू इन वन) @ 1500.00

7 अन्य आवश्यकतानुसार 3000.00

8. अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण हेतु प्रति विद्यालय रू0 2,00,000 (दो लाख की दर से लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर नगर जनपदों हेतु धनराशि वर्ष 2003–04 हेतु प्रस्तावित की गयी है।

9. प्रदेश के 683 नगर क्षेत्रों के लगभग 8000 वार्डों के मलिन बस्तियों 20 प्रतिशत (लगभग 1600 वार्डों) विद्यालयों हेतु रू0 5 लाख प्रति वार्ड प्रस्तावित हैं।

10. कुल बजट का 6 प्रतिशत मैनेजमेंट कास्ट अनुमन्य है।

नोट :– विद्यालय स्तर पर निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की पी0ए0बी0 में उक्त प्रस्ताव गया था जिसमें कुछ संशोधन मांगे गये थे जिनको अवगतार्थ प्रेषित हैं। उनके द्वारा कुछ विस्तृत सूचनायें मांगी गई हैं। जिनका approval माँगा गया है।

प्रस्ताव :– **(A)** कार्य क्रम समिति एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम से उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहें जिससे इस कार्यक्रम को औपचारिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को योजना की मंजूरी हेतु प्रेषित किया जा सके।

LIST Regarding 8 selected districts

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता दर जनपद (%)	जेन्डर गैप जनपद (%)	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर (%)	जेन्डर गैप (%)	विद्यालय न जाने वाले बच्चें		
							बालक	बालिका	योग
1	बहराइच		21.17	शिवपुर	5.011	21.8			0
				पयागपुर	13.322	35.1			0
				चित्तौरा	8.111	31.81			0
				कैसरगंज	10.355	25.76			0
				महसी	10.644	26.56			0
				जरवल	9.622	26.04			0
				मिहीपुरवा	7.533	22.03			0
	13			बलहा	5.599	22.55			0
				तेजवा पुर	8.22	24.65			0
				हून्नूरपुर	14.488	24.51			0
				विश्वेश्यर गंज	11.011	34.74			0
				फखरपुर	8.922	24.04			0
				नवाबगंज	8.422	27.01			0
2	गोण्डा	13.42	30.06	झंझरी	13.33	34			0
				पण्डरी कृपाल	8.11	28.8			0
				मुजेहना	8.77	30.5			0
				इटियाथोक	8.11	30.9			0
				रूपैडिह	7.77	31.02			0
				वजीरगंज	12.33	33.01			0
				नवाबगंज	10.22	27.05			0
	16			तरबगंज	10.88	30.09			0
				बेलसर	10.77	29.03			0
				कटराबाजार	5.55	28.06			0
				करनैलगंज	9.88	27.8			0
				बभनजोत	9.77	28.6			0
				छपिया	15.88	32.3			0
				हलधरमऊ	9.99	33			0
				मनकापुर	14.11	31.04			0
				परसपुर	12.66	32.06			0
3	श्रावस्ती		34.34	गिलौला	23.999	29.54	1924	1597	3521
				जमुनहा	18.311	24.24	4750	4158	8908
				हरिहरपुर रानी	20.122	24.02	7157	6380	13537
				सिरसिया	15.122	20.58	4112	3596	7708
				इकौना	24.633	29.73	6256	5780	12036
4	बलरामपुर		23.21	उतरौला	17.77	26.33	2395	2458	4853
				रहरा बाजार	10.44	27.3	2510	2264	4774
				हरैया सतधरवा	4.55	22.3	4639	3932	8571
				बलरामपुर	9.99	25.6	4691	4234	8925
				तुलसीपुर	7.22	18.6	4520	3939	8459
				पचपूड़वा	8.77	25.3	5346	5547	10893
				बैसड़ी	7.22	20.5	3872	3724	7596

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गेप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गैप	विद्यालय न जाने वाले बच्चें बालक	बालिका	योग
				गैण्डासबुजुर्ग	9.8	23.8	1497	1475	2972
				श्रीदत्त गंज	7.8	24.2	2942	2691	5633
5	रामपुर		18.48	स्वार	9.08	17.03	9448	9380	18828
				विलासपुर	16.8	18.01	7511	7167	14678
				सैदनगर	3.07	17.02	5769	6812	12581
				चमरौआ	3.09	18.05	5583	5143	10726
				शाहबाद	5.04	22.01	8744	8837	17581
				मिलक	8.03	25.07	5639	5244	10883
6	बदायूँ			कावर चौक	6.44	21.25	3752	3645	7397
				उझानी	13.44	25.63	4212	4435	8647
				इस्लामनगर	9.33	24.96	4507	4371	8878
				सालार पुर	9.52	24.57	4643	4399	9042
				सहसवान	4.84	17.89	10997	9544	20541
				जगत	11.08	25.7	4179	4748	8927
				जूनावई	4.08	20.99	4160	4281	8441
				दातागंज	9.36	22.19	4490	4278	8768
				उसावा	6.47	20.89	4447	3445	7892
				मिआउल	10.62	26	4413	4757	9170
				समरेर	7.33	23.34	4800	4443	9243
				वजीरगंज	10.35	26.16	864	912	1776
				अम्बियापुर	9.71	23.32	6346	6230	12576
				गुन्नौर	3.81	19.58	8271	9093	17364
				आसफपुर	10.63	27.06	5901	5305	11206
				विसौली	10.42	26.81	5478	5975	11453
				रजपुरा	3.4	16.18	7549	8553	16102
				दहगया	3.76	13.59	9102	8397	17499
7	सिद्धार्थनगर	11.92	29.4	साथा	12.62	34.86			0
				खसहरा	10.79	31.28			0
				बांसी	8.01	26.32			0
				मिठवल	11.96	32.56			0
				डुमरियागंज	19.22	28.39			0
				भनवापुर	9.57	26.75			0
				इटवा	10.63	23.65			0
				खुनियांव	6.44	25.94			0
				जोगिया	5.07	27.77			0
				उरका	11.02	30.38			0
				नौगढ़	10.64	33.19			0
				शांहरतगढ़	8.68	30.94			0
				बढ़नी	9.34	22.08			0
				वर्डपुर	11.05	32.06			0
8	महाराजगंज		35.04	बिठौरा	27.05	39	2214	2779	4993
				निचलौल	25.5	27.06	12094	5711	17805
				सिसवां	28.04	37	3997	5476	9473

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गेप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गेप	विद्यालय न जाने वाले बच्चें		
							बालक	बालिका	योग
				घुघली	29.03	39.02	1526	2320	3846
				पुरतापल	29.02	43.03	3242	3538	6780
				पनियरा	26.04	40.05	2734	2236	4970
				फरेंदा	26.8	40.08	2385	1355	3740
				धानी	28.05	37.09	904	913	1817
				लक्ष्मी पुर	29.02	34.06	4579	4739	9318
				नौतनवा	28.09	35.08	13290	5717	19007

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रोग्राम आफ एजूकेशन फॉर गर्ल्स एट एलीमेन्ट्री लेवल (NPEGEL) की कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2003-04

S.No	Name of Item	Unit	Balrampur		Budaun		Srabasti		Gonda		Bahraich	
		Cost	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	Recurring grant	20000	9	180000	18	360000	5	100000	16	320000	14	280000
2	Awards to teachers	5000	9	0		0	0	0	0	0	0	0
3	Student evaluation, Remedial teaching, Bridge course, Alternative Schooling	10000	9	90000	18	180000	5	50000	16	160000	14	140000
4	Learning through open schools	50000					0		0		0	
5	Teachers Training	140	36	5040	72	10080	20	2800	64	8960	56	7840
6	Child care Centers	6000	9	54000	18	108000	5	30000	16	96000	1	6000
7	Uniforms and workbooks for girls	150	2712	176280	3600	234000	903	58695	4090	265850	3500	227500
8	Coommunity Mobilization	35000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000
9	Library, Spots Etc..	30000	9	270000	18	540000	5	150000	16	480000	14	420000
10	Construction of Additional Class room	200000	9	1800000	18	3600000	5	1000000	16	3200000	1	200000
	Total			2715320		5172080		1531495		4670810		1421340
	Management cost (6%)			162919.2		310324.8		91889.7		280248.6		85280.4
	Grand Total		**2806**	**2878239.2**	**3766**	**5482404.8**	**952**	**1623385**	**4238**	**4951059**	**3604**	**1506620**

Rampur		Maharajganj		Siddarthngar		Total	
Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
6	120000	11	220000	12	240000	91	1820000
0	0	0	0	0	0	9	0
6	60000	11	110000	12	120000	91	910000
0		0		0		0	0
24	3360	44	6160	44	6160	360	50400
3	18000	0	0	6	36000	58	348000
1500	97500	2750	178750	3000	195000	22055	1433575
4	140000	4	140000	4	140000	32	1120000
6	180000	11	330000	12	360000	91	2730000
3	600000	10	2000000	6	1200000	68	13600000
	1218860		2984910		2297160	0	22011975
	73131.6		179094.6		137829.6	0	1320718.5
1552	**1291992**	**2841**	**3164005**	**3096**	**2434990**	**22855**	**45344668.5**

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86^{th} संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CIRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में ....05.... प्राथमिक एवं ....05.... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष २००३-०५ में १२० प्राप्त हो चुके है। कुल लक्ष्य 363 का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	100	
2005-06	78	
2006-07	65	
योग	२४3	

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0)
एवं सर्व शिक्षा अभियान

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
निशातगंज, लखनऊ–226 007
780995, 781315 फैक्स : 0522–782715, 781123, 781128
ई–मेल : updpep@sancharnet.in

महत्वपूर्ण

सेवा में,

विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ0प्र0- महाराजगंज

पत्रांक: अ0प0नि0/3544-3596/2003–04 दिनांक: 5 अगस्त, 2003

विषय: वर्ष 2003–04 की स्वीकृत कार्ययोजना का प्रेषण

महोदय,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट भारत सरकार से अनुमोदित हो चुकी है। अनुमोदित बजट पत्र के संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया वर्ष 2003–04 में स्वीकृत कार्ययोजना के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी0के0 सक्सेना)
अपर परियोजना निदेशक

पृ0सं0: अ0प0नि0/3544-3596/2003–04/तद्दिनांक

प्रतिलिपि: 1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डलों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद।

5.8

(वी0के0 सक्सेना)
अपर परियोजना निदेशक

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - Maharajganj

(Rs. In Thousand)

No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(I)	BRC								
1	Asstt.Coordinator(1 No.) @ 5.5 for 12 Months	0	0	9.00	0	0.00	0	0.00	
2	Furniture/fixture & Equipments	0	0	10.00	0	0.00	0	0.00	
3	Travilling Allowance & Meeting	0	0	6.00	12	72.00	12	72.00	
4	Maintenance of equipments	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
5	Maintenance of building	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
6	TLM	0	0	5.00	12	60.00	12	60.00	
7	Contegency	0	0	12.50	12	150.00	12	150.00	
	TOTAL BRC	0	0.00	0.00	36	282.00	36	282.00	
(II)	CRC								
8	Furniture/fixture & Equipments	0	0	10.00	0	0.00	0	0.00	
9	Salary Coridinator @12 for 12 Months	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
10	TLM	0	0	1.00	102	102.00	102	102.00	
11	Contegency	0	0	2.50	102	255.00	102	255.00	
12	Meeting & TA	0	0	2.40	102	244.80	102	244.80	
	TOTAL CRC	0	0.00	0.00	306	601.80	306	601.80	
(III)	CIVIL WPRKS								
13	New Primary School	0	0.00	259	92	23828.00	92	23828.00	
14	New Upper Primary School	21	1428.00	280	89	24920.00	110	26348.00	
15	Additinal Classrooms PS	0	0.00	70.00	50	3500.00	50	3500.00	
16	Additinal Classrooms UPS	0	0.00	70.00	10	700.00	10	700.00	
17	Toilets PS	0	0	10.00	120	1200.00	120	1200.00	
18	Toilets UPS	0	0	10.00	30	300.00	30	300.00	
19	Reconstruction PS	0	0	191.00	0	0.00	0	0.00	
20	Reconstruction UPS	0	0	383.00	5	1915.00	5	1915.00	
21	Drinking Waters PS	0	0.00	15.00	80	1200.00	80	1200.00	
22	Drinking Waters UPS	0	0	15.00	26	390.00	26	390.00	
23	Repair PS	0	0	20.00	0	0.00	0	0.00	
24	Repair UPS	0	0	70.00	0	0.00	0	0.00	
25	Updation of Microplaining	0	0	250.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Civil Works	21	1428.00	0	502	57953.00	523	59381.00	
(IV)	EGS								
	TOTAL EGS	0	0	0.845	200	4225.00	200	4225.00	
(V)	AIE								
31	AIE (P.S.) (0.845x25x50)	0	0	0.845	50	1056.25	50	1056.25	
32	AIE (U.P.S.) (1.2x30x50)	0	0	1.20	50	1800.00	50	1800.00	
2.1	Bridge Course at NPRC level (.845x40x102)	0	0	0.845	102	3447.60	102	3447.60	
33	Bridge Course (P.S.) 3x60x21	0	0	3.00	21	3780.00	21	3780.00	
	Honorana	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL AIE	0	0.00		223	10083.85	223	10083.85	
	TOTAL EGS/AIE	0	0.00		423	14308.85	423	14308.85	
(VI)	FREE TEXT BOOKS								
34	Free Text Books PS	0	0	0.05	201265	10063.25	201265	10063.25	
35	Free Text Books UPS	0	0	0.15	36970	5545.50	36970	5545.50	
	TOTAL Text Book	0	0.00		238235	15608.75	238235	15608.75	
(VII)	IED								
	TOTAL IED	0.00	0.00	1.20	1809	2170.80	1809	2170.80	
	INNOVATIVE ACTIVITIES				0	5000.00	0	5000.00	
	TOTAL Computer Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL ECCC				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Girls Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL SC/ST Intervention				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Innovative Activities	0	0.00		0	5000.00	0	5000.00	
I)	MAINTENANCE								
	P.S.	0	0.00	5.00	1129	5645.00	1129	5645.00	
	U.P.S.	0	0.00	5.00	103	515.00	103	515.00	
	TOTAL Maintenance	0	0.00		1232	6160.00	1232	6160.00	
II)	DPO								
	Management Cost	0	0.00			3430.00	0	3430.00	
V)	RESEARCH, MONITORING & EVALUATION								
	P.S.	0	0.00	1.40	1221	1709.40	1221	1709.40	
	U.P.S.	0	0.00	1.40	178	249.20	178	249.20	
	TOTAL Research, Monitoring & Evaluation	0	0.00		1399	1958.60	1399	1958.60	
)	SCHOOL GRANT								
	School Improvement Grants PS @ 2	0	0	2.00	1241	2482.00	1241	2482.00	
	School ImprovementGrants UPS @ 2	0	0	2.00	258	516.00	258	516.00	
	Total School Grant	0	0.00		1499	2998.00	1499	2998.00	
)	SALARY GRANT (2001-2002 & 2002-03)								
	Salary of Asstt Teacher PS	0	0	9.00	0	0.00	0	0.00	
	Salary of Asstt Teacher UPS	0	0	10.00	63	7560.00	63	7560.00	12 Month
	Salary of Additional Teachers PS	0	0	8.00	0	0.00	0	0.00	
	Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25	0	0	2.25	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Salary Grant (2001-2002 & 2002-03)	0	0.00		63	7560.00	63	7560.00	

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - Maharajganj

(Rs. In Thousand)

	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
	2	7	8	9	10	11	12	13	14
()	SALARY GRANT (2003-04)								
	Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)	0	0	9.00	92	4968.00	92	4968.00	6 Month
	Salary of Asstt.Teachers' 2003-04 (U.P.S.)	0	0	10.00	267	16020.00	267	16020.00	6 Month
	Salary of Additional Teachers (PS)	0	0	8.00	0	0.00	0	0.00	
	Salary of Fresh SM (PS)	0	0	2.25	92	1242.00	92	1242.00	6 Month
	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR	0	0	2.25	2136	28836.00	2136	28836.00	6 Month
	TOTAL Salary Grant (2003-04)	0	0.00		2587	51066.00	2587	51066.00	
	TOTAL TEACHERS' SALARY GRANT	0	0.00		2650	58626.00	2650	58626.00	
(I)	TEACHER GRANT (TLM)								
	Teacher Grants PS @ 0.5	0	0	0.50	3734	1867.00	3734	1867.00	
	Teacher Grants UPS @ 0.5	0	0	0.50	1437	718.50	1437	718.50	
	TOTAL Teacher Grant	0	0.00	0.00	5171	2585.50	5171	2585.50	
()	TEACHING LEARNING EQUIPMENTS								
	TLE PS @10	0	0.00	10.00	92	920.00	92	920.00	
	TLE UPS @50	21	1050.00	50.00	89	4450.00	110	5500.00	
A	UPS Not Covered Under OB	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Teaching Learining Equipments	21	1050.00		181	5370.00	202	6420.00	
()	TEACHER TRAINING								
	Induction Traininmg of SM (30 Days)	0	0	0.07	92	193.20	92	193.20	
	In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC) (20 Days)	0	0	0.07	3574	5003.60	3574	5003.60	
	Teachers (UPS) (15 Days)	0	0	0.07	717	752.85	717	752.85	
	TOTAL Teacher Training	0.00	0.00	0.21	4383.00	5949.65	4383	5949.65	
I)	STRENGTHENING OF VEC								
	VEC Training (30x2x8)	0	0.00	0.48	800	384.00	800	384.00	
	TOTAL Strengthening of VEC	0	0.00		800	384.00	800	384.00	
	EMIS CELL								
	TOTAL EMIS Cell	0	0.00	0.00	0	554.00	0	554.00	
)	STRENGTHENING OF DIET								
	TOTAL DIET	0	0.00				0	0.00	
	GRAND TOTAL	42	2478.00		258626	183940.95	258668	186418.95	

Maharajganj

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	92	23828	0	0	5	1280	0	0	97	25108
A2	New Upper Primary Schools	451	21	9471	89	24920	0	0	5	1400	0	0	115	35791
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	63	7380	63	7560	63	7560	63	7560	63	7560	315	37620
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	92	1242	92	2277	97	2400.75	97	2400.75	378	8320.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	92	4968	92	9936	97	10476	97	10476	378	35856
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	267	16020	267	32040	282	33840	282	33840	1098	115740
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	92	920	0	0	5	50	0	0	97	970
A8.2	UPS	50	41	2050	89	4450	0	0	5	250	0	0	135	6750
A9	TLE UPS not covered OBB	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**18901**	0	**83908**	0	**52013**	0	**57456.75**	0	**54476.75**		**266755.5**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	200	4225	200	4225	200	4225	200	4225	800	16900
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	AIE Primary(adopting all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.85	0	0	50	1056.25	50	1056.25	50	1056.25	50	1056.25	200	4225
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	50	1800	50	1800	50	1800	50	1800	200	7200
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	25	1500	25	1500	25	1500	75	4500
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	21	3780	3	540	3	540	3	540	30	5400
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	102	3447.6	102	3447.6	102	3447.6	102	3447.6	408	13790.4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	25	383.75	25	383.75	25	383.75	75	1151.25
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ACCESS Subtotal		0	**18901.00**	0	**98216.85**	0	**64965.60**	0	**70409.35**	0	**67429.35**	**0**	**319922.15**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	25	4775	20	3820	20	3820	65	12415
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	5	1915	20	7660	16	6128	0	0	41	15703
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	50	3500	200	14000	200	14000	83	5810	533	37310
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	12	840	10	700	200	14000	200	14000	42	2940	464	32480
R4.1	Toilets Upper Primary	10	15	150	30	300	23	230	20	200	0	0	88	880
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	120	1200	100	1000	78	780	65	650	363	3630
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	80	1200	50	900	0	0	0	0	130	2100
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	26	390	15	270	0	0	0	0	41	660
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1129	5645	1215	6075	1215	6075	1220	6100	4779	23895
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	94	470	103	515	215	1075	215	1075	220	1100	847	4235
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2 25 pm	2.25	0	0	0	0	2136	52866	2272	56232	2343	57989.25	6751	167087.25
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	136	13056	207	19872	281	26976	624	59904
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	2136	28836	136	3366	71	1757.25	73	1806.75	2416	35766
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	1241	2482	1227	2454	1232	2464	1232	2464	4932	9864
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	94	188	258	516	299	598	304	608	304	608	1259	2518
R12	**Promoting Girls Education**		0	2438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2438
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	60	270	60	270	60	270	180	810
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	25	1875	25	1875	25	1875	75	5625
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	30	120	40	160	50	200	120	480
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	20	500	20	500	20	500	60	1500
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	150	750	0	0	0	0	150	750
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	150	562.5	150	562.5	150	562.5	450	1687.5
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	150	225	150	225	150	225	450	675
R13.5	Training		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	150	10.5	150	10.5	150	10.5	450	31.5
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	1500	4200	1500	4200	1500	4200	4500	12600
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	510	2550	510	2550	510	2550	1530	7650
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	800	384	80	38.4	80	38.4	80	38.4	1040	499.2
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	12	300	12	300	12	300	36	900
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	12	60	12	60	12	60	36	180
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	1212	0	0	10	667	10	667	10	667	30	3213
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	0	5000	12	720	12	720	12	720	36	7160
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1729	4322.5	1729	4322.5	1729	4322.5	5187	12967.5
	RETENTION Sub Total		**0**	**5798**	**0**	**52583**	**0**	**139497.3**	**0**	**143473.55**	**0**	**126766.30**	**0**	**468118.15**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	92	193.2	136	285.6	76	159.6	73	153.3	377	791.7
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	123	258.3	0	0	136	285.6	91	191.1	74	155.4	424	890.4
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	466	652.4	3574	5003.6	3198	4477.2	3203	4484.2	3203	4484.2	13644	19101.6
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	717	752.85	796	835.8	811	851.55	811	851.55	3135	3291.75
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	2028	2839.2	2033	2846.2	2033	2846.2	6094	8531.6
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	300	630	0	0	0	0	300	630
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	24	16.8	24	16.8	24	16.8	72	50.4
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	102	71.4	102	71.4	102	71.4	306	214.2
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	60	84	60	84	60	84	180	252
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	12	4.2	12	4.2	12	4.2	36	12.6
Q2	IED Provision for disable children	1.2	1433	573.2	1809	2170.8	6209	7450.8	6209	7450.8	6209	7450.8	21869	25096.4
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	5	10	5	10	5	10	15	30
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	3734	1867	7052	3526	7275	3637.5	7495	3747.5	25556	12778
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	589	294.5	1437	718.5	1255	627.5	1489	744.5	1609	804.5	6379	3189.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	201265	10063.25	292150	14607.5	328960	16448	367850	18392.5	1190225	59511.25
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	25150	3772.5	36970	5545.5	106517	15977.55	116780	17517	127960	19194	413377	62006.55
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1430	214.5	1430	214.5	1430	214.5	4290	643.5
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	300	15	0	0	0	0	300	15
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	3681	55215	3681	55215	3681	55215	11043	165645
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	897	6727.5	897	6727.5	897	6727.5	2691	20182.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	24	600	24	600	24	600	72	1800
	QUALITY Sub Total		0	**5550.9**	0	**26314.7**	0	**114513.65**	0	**117286.35**	0	**121035.85**		**384701.45**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	12	120	12	120	12	120	36	360
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	12	72	12	72	12	72	12	72	48	288
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	12	24	12	24	12	24	36	72
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	12	120	12	120	12	120	36	360
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	12	60	12	60	12	60	12	60	48	240
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	12	60	12	60	12	60	36	180
C2.11	Contigency	12.5	0	0	12	150	12	150	12	150	12	150	48	600
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	24	86.4	24	86.4	24	86.4	72	259.2
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	12	60	12	60	12	60	36	180
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.1	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	102	510	0	0	0	0	102	510
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	102	102	102	102	102	102	102	102	408	408
C3.4	Contingency	2.5	0	0	102	255	102	255	102	255	102	255	408	1020
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	102	244.8	102	244.8	102	244.8	102	244.8	408	979.2
C4	District Project Office/Management		0	1500	0	3430	0	0	0	0	0	0	0	4930
C4.1	Staffing - Peon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	7	1260	7	1260	7	1260	21	3780
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	14	252	14	252	14	252	42	756
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	12	120	12	120	12	120	36	360
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	12	1440	12	1440	12	1440	36	4320
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	1221	1709.4	1227	1717.8	1227	1717.8	1227	1717.8	4902	6862.8
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	135	189	178	249.2	299	418.6	299	418.6	299	418.6	1210	1694
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	**1689**	0	**6272.4**	0	**7612.6**	0	**7102.6**	0	**7102.6**		**29779.2**
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	0	554	0	0	0	0	0	0	0	554
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	2	180	2	180	2	180	6	540
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**1689**	0	**6826.4**	0	**8226.6**	0	**7616.6**	0	**7616.6**	**0**	**31975.2**
	GRAND TOTAL		0	31938.9	0	183940.95	0	327203.15	0	338785.85	0	322848.10	0	1204716.95

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention											**Maharajganj**	
				2002-03		**2003-04**		**20004-05**		**2005-06**		**2006-07**		**Total**
Civil			10461.0		57953.0		42835.0		41608.0		13220.0		166077.0
Management			189.0		1958.6		6362.4		6262.4		6262.4		21588.8
Programme			21288.9		124029.4		278005.8		290915.5		303365.7		1017051.2
Total			**31938.9**		**183941.0**		**327203.2**		**338785.9**		**322848.1**		**1204717.0**
Percentage - Civil			**32.8**		**31.5**		**13.1**		**12.3**		**4.1**		**13.8**
Percentage - Management			**0.6**		**1.1**		**1.9**		**1.8**		**1.9**		**1.8**
Percentage - Programme			**66.7**		**67.4**		**85.0**		**85.9**		**94.0**		**84.4**
			100		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**